रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936
No. 282] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

सं.1सीए(5)/65/2014 - चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

65वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिषद्" कहा गया है) को 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

प्रारंभ में परिषद्, चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति की वर्तमान प्रास्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि तथा विकास में उसकी वर्तमान भूमिका, जिसे वह वर्षों से निभा रही है, के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2013-2014 की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के उस वर्ष के लेखाओं की विशिष्टियों को उपदर्शित करने के साथ-साथ, परिषद् द्वारा इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के दौरान और जुलाई, 2014 की अवधि तक, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट किया गया है।

1. परिषद्

बीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2013 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। वर्ष 2014-2015 के लिए परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2013 को वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में तीन स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों/बोर्डों का गठन किया था । 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 235 बैठकें आयोजित की गईं थीं ।

3. संपरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मैसर्स एएसए एसोसिएट्स एलएलपी और मैसर्स बी एम छत्रथ एंड कं. आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे । परिषद् उनके द्वारा उसे प्रदान की गई सेवाओं की अनुशंसा करती है ।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय, जिनमें परिषद् को सिफारिश किए गए विनिश्चय भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित विषयों से सबंधित हैं ।

- ओसीआई चार्टर्ड अकाउंटेंटों और प्रमाणित पब्लिक अकाउंटेंटों के लिए स्कीम प्रारंभ करना ।
- ऐसे सदस्यों को, जिनके नाम सदस्यता फीस का संदाय न करने के कारण किसी विशिष्ट तारीख को हटा दिए गए थे, साधारण क्षमा स्कीम के अधीन अनुमोदन प्रदान करना ताकि उनके नामों को उसी तारीख से, भूतलक्षी रूप से पुन: सम्मिलित करने का एक अवसर प्रदान किया जा सके ।
- अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश, करीम नगर (आंध्र प्रदेश), वारंगल (आंध्र प्रदेश), कुरनुल (आंध्र प्रदेश) और ओंगोले में दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखाओं, डिब्रुगढ़ में डिब्रुगढ़ जिला, तिनसुकिया में तिनसुकिया जिला और रानीगंज में पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखाओं तथा भरतपुर, राजस्थान में मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की शाखाओं की स्थापना ।
- आनंद, नवसरी, धुले में डब्ल्यूआईसीएएसए की शाखाओं, गोरखपुर, रतलाम, मेरठ, चितौडगढ़, बीकानेर, किशनगढ़, झांसी, श्रीगंगानगर और सीकर में सीआईसीएएसए की शाखाओं तथा ओंगोले, करीमनगर और वारंगल में एसआईसीएएसए की शाखाओं की स्थापना ।

संबंधित समितियों से प्राप्त सिफारिशें, जिन्हें उसके पश्चात् कार्यपालक समिति की सिफारिशों के साथ परिषद् के समक्ष रखा गया था :

- 30 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व आर्टिकल प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों को जीएमसीएस पाठयक्रम के स्थान पर जीएमसीएस-2 पाठयक्रम पूरा करने की छूट मंजूर करना ।
- प्रत्यक्ष प्रवेश स्कीम-मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठयक्रम के अधीन रजिस्ट्रीकृत छात्रों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) और अनुकूलन पाठयक्रम (ओपी) को पूरा करने के लिए समय-सीमा का 31 दिसंबर, 2014 तक विस्तार
- चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्रों के लिए आचार-संहिता का अनुमोदन ।
- आर्टिकल्ड/संपरीक्षा सहायकों के लिए पुनरीक्षित प्रशिक्षण गाइड का अनुमोदन ।
- ब्रिसबेन, वैंकुवर, ब्रिटिश कोलंबिया, बैंकाक, कंपाला और युगांडा में आईसीएआई के चैप्टरों का गठन ।
- लोक वित्त और शासकीय लेखांकन समिति, अवसंरचना विकास समिति, महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति, युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति के लिए निर्देश निबंधनों का अनुमोदन ।
- प्रत्यक्ष कर समिति के निर्देश निबंधनों का अनुमोदन ।
- सदस्यों के फायदे के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रमाणन पाठयक्रम के आरंभ हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन ।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के नियंत्रण एवं निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और अधीक्षण करती है।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाएं और फाइनल परीक्षाओं को 2 से 24 मई, 2013 के दौरान विदेशों और देश भर में क्रमशः 373 और 248 केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह		समूह I		समूह II	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	63871	7489	124310	24161	112465	16675
फाइनल	27556	2764	45822	6319	50354	9389

इसके अतिरिक्त, बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम की परीक्षाओं का सफल आयोजन मई, 2013 में किया गया था, जिनमें कुल 62 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और 42 अभ्यर्थियों ने उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया था।

इसके अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) परीक्षाओं को 16 जून, 2013 और 15 दिसम्बर, 2013 को, विदेशों और देश भर में क्रमशः 147 और 154 नगरों में स्थित क्रमशः 376 और 390 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया गया था। उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी	उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी
16 जून, 2013 को आयोजित सीपीटी	138746	37489
15 दिसम्बर, 2013 को आयोजित सीपीटी	113553	42706

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं और फाइनल परीक्षाओं का आयोजन 5 से 23 नवंबर, 2013 के दौरान विदेशों और देश भर में क्रमशः 390 और 253 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था। उक्त मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाएं और फाइनल परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	दोनों समूह		समूह I		समूह II	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	62033	5038	122253	23342	117834	21076
फाइनल	32536	1013	51728	2932	54786	4026

इसके अतिरिक्त, प्रबंध लेखांकन पाठयक्रम (एमएसी)(भाग I), निगम प्रबंध पाठयक्रम (सीएमसी)(भाग I), कर प्रबंध पाठयक्रम (टीएमसी)(भाग I), बीमा और जोखिम प्रबंध (आईआरएम) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) की परीक्षाओं का सफल आयोजन भी नवम्बर, 2013 में किया गया था।

वर्ष के दौरान, अर्हतापश्च पाठयक्रम - सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 22 जून, 2013 को देश भर में 62 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था और एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक

आयोजन 30 नवंबर, 2013 को देश भर में 58 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था । उक्त परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
22 जून, 2013 को आयोजित आईएसए-एटी	2638	840
30 नवंबर, 2013 को आयोजित आईएसए-एटी	2336	271

संस्थान अपनी परीक्षा प्रणालियों को, आदर्श उत्तरों को विचार में रखते हुए, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रणालियों में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे कि परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता जो कि पिछले छह दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक सुदृढ बनाया तथा विकसित किया जा सके ।

संस्थान की परीक्षाएं सीए पाठयचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में सैद्धांतिक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे छात्र अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति के पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें ।

पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आईसीएआई की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हक छात्र एक सुयोग्य वृत्तिक बन सकें ।

अंतरराष्ट्रीय पहलें : आईसीएआई ब्रांड द्वारा मदद के लिए हाथ बढ़ाना

विशेष परीक्षा : आईसीएआई ने निम्नलिखित विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ परस्पर मान्यता करार/समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए :

1. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)
2. दि इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स ऑफ आस्ट्रेलिया (आईसीए आस्ट्रेलिया)
3. दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया)
4. दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)
5. कैनेडियन इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स (सीआईसीए)

वर्ष 2013-14 के दौरान, आईसीएआई की सदस्यता की वांछा रखने वाले उपरोक्त निकायों के सदस्यों के लिए नई दिल्ली में (i) 22 और 23 जनवरी, 2013 (ii) 19 और 21 जून, 2013 तथा (iii) 21 से 24 जनवरी, 2014 के दौरान विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई ने न्यूजीलैंड इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेट्स (एनजेडआईसीए) के साथ हुए परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन संस्थानों को सहयोग : परीक्षा समिति ने श्रीलंका के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को उनकी आईएसए निर्धारण परीक्षा के संचालन के लिए तकनीकी सहायता और सहयोग उपलब्ध कराया था । इसके अतिरिक्त, दि इन्स्टीटयूट ऑफ सर्टिफाईड पब्लिक एकाउंटेट्स इन आयरलैंड को भी भारत में उनकी परीक्षा के संचालन के लिए अवसंरचना संबंधी, प्रशासनिक और जनशक्ति संबंधी सहायता उपलब्ध कराना जारी रखा है ।

वृत्ति के लिए पहलें : घटक निर्माण संबंधी कार्यकरण

<u>जांचकर्ताओं की नियुक्ति</u> : मई, 2012 में आयोजित की गई परीक्षाओं से, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए रखे गए पैनल में से आईसीएआई के किसी एक सदस्य द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच किए जाने की अपेक्षा की गई है । इस जांच में, अन्य बातों के साथ, यह जांच सम्मिलित है कि क्या सभी प्रश्नों/उपप्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है, दिए गए अंकों को मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया गया है, कोई योग संबंधी त्रुटि तो नहीं है, आदि । उपरोक्त पुनरीक्षित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, परीक्षकों की प्रतिक्रियाएं काफी उत्साहवर्द्धक हैं । उक्त प्रक्रिया को मई, 2013 और नवम्बर, 2013 में आयोजित परीक्षाओं के लिए भी अपनाया गया था ।

आईटी संबंधी पहलें : परिवर्तित होते समय के साथ आगे कदम बढ़ाना

स्वचालन : कोडिंग, उपस्थिति के आंकड़ों का संग्रहण, अंकों का सुमेलन और संग्रहण (परीक्षकों द्वारा उनके मूल्यांकन के पश्चात्), उनके सारणीकरण आदि को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया के स्वचालन को मई, 2013 तथा नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं के लिए भी जारी रखा गया था ।

प्रश्नोत्तर बैंक : सामान्य प्रवीणता परीक्षा और सूचना प्रणाली संपरीक्षा - निर्धारण परीक्षा के लिए प्रश्नोत्तर बैंकों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है ।

मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षा के प्रश्नपत्र के लिए लघु केंद्रिय मूल्याकंन : मध्यवर्ती (आईपीसी), प्रश्नपत्र 6, लेखांकन और आश्वासन के परीक्षकों के लिए 1 से 3 जून, 2013 तथा 7 से 9 जून, 2013 के दौरान नोएडा में लघु केन्द्रीय मूल्यांकन का आयोजन किया गया था । कुल 239 परीक्षकों ने इस लघु केंद्रीय मूल्यांकन में भाग लिया था ।

संपरीक्षक वेबपोर्टल का विकास : मई, 2014 की परीक्षाओं से परीक्षा केंद्रों में नियुक्त संपरीक्षकों से संबंधित सभी क्रियाकलापों को सुकर बनाने के लिए, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण, आबंटित समनुदेशन के ब्यौरों का रखा जाना, स्वीकृति पत्रों/दैनिक रिपोर्टों/मानदेय के लिए दावों आदि का प्रस्तुत किया जाना है, http://observers.icaiexam.icai.org नामक एक वेबपोर्टल को विकसित किया गया था और स्थापित किया गया था ।

परीक्षा केंद्र वेबपोर्टल का विकास : मई/जून, 2014 की सीए परीक्षाओं के लिए, परीक्षा के दिवस को अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से संबंधित डाटा को दैनिक आधार पर आनलाइन रखने के लिए http://centres.icaiexam.icai.org नामक एक वेबपोर्टल को विकसित किया गया था और स्थापित किया गया था ।

एनईएफटी के माध्यम से संदाय : वर्ष के दौरान परीक्षकों, परीक्षा केंद्रों, संपरीक्षकों और अन्य संसाधन व्यक्तियों आदि को एनईएफटी के माध्यम से संदाय की स्कीम को प्रारंभ किया गया था और सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया था ।

छात्रों के लिए पहलें : आधारभूत कारकों को सुदृढ़ बनाना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छात्र इस वृत्ति का भविष्य हैं ; उनके कल्याण और सुविधा के लिए निम्नलिखित पहलें की गई थी :

पठन समय : छात्रों की परीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप अभ्यर्थियों को मई, 2011 की परीक्षाओं से, परीक्षाएं आरंभ होने के नियत समय से पूर्व चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षाओं में 15 मिनट का पठन समय अनुज्ञात किया गया था, जिसे मई, 2013 और नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं में भी जारी रखा गया है ।

ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्ररूप : ऑनलाइन रूप से परीक्षा आवेदन प्ररुपों को प्रस्तुत करने और ऑनलाइन माध्यम से http://icaiexam.icai.org नामक पेमेंट गेटवे के द्वारा परीक्षा फीस के संदाय की स्कीम को वर्ष 2009 में प्रारंभ किया गया था और इसे वर्ष 2013 के दौरान भी जारी रखा गया था । ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने परीक्षा प्ररूप ऑनलाइन माध्यम से भरने का विकल्प लिया था, आवेदन प्ररूपों की लागत का संदाय करने से छूट प्रदान की गई थी । सभी परीक्षा प्ररुपों के लगभग 97 प्रतिशत प्ररुप ऑनलाइन भरे जा रहे हैं ।

प्ररुप प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन शुद्धियां : परीक्षा प्ररुपों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् भी छात्रों के पास उनकी विशिष्टियों में ऑनलाइन शुद्धियां करने का एक अन्य अवसर उपलब्ध है, अर्थात् http://icaiexam.icai.org पर, जहां परीक्षा केंद्रों, समूह और माध्यम आदि में परिवर्तन करने जैसी शुद्धियां की जा सकती हैं । इस लिंक को शुद्धि विंडों कहा जाता है और यह छात्रों को परीक्षा प्ररुपों में शुद्धियां करने के लिए संपर्क करने में समर्थ बनाएगा ।

प्रवेश पत्र : नवम्बर, 2012 की सीए परीक्षाओं और दिसम्बर, 2012 की सीपीटी परीक्षाओं से संबंधित छात्रों के स्कैन किए गए फोटो और नमूना हस्ताक्षर के साथ प्रवेशपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा को आरंभ किया गया है, जिसे नवंबर/दिसंबर, 2013 तथा मई/जून, 2014 के दौरान भी जारी रखा गया था ।

सत्यापन हेतु आवेदन : नवम्बर, 2011 में हुई परीक्षाओं से, परिणामों की घोषणा के फलस्वरूप अपने अंकों के सत्यापन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को, उनका अनुरोध http://icaiexam.icai.org पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई

है । इस सुविधा को मई, 2013 और नवम्बर, 2013 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है । उनके अनुरोधों के परिणामों को भी उसी वेबसाइट पर रखा जाता है ।

उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति : नवंबर, 2011 में हुई परीक्षाओं से छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए और/या उत्तर पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने संबंधी आवेदनों को http://icaiexam.icai.org पर ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है । इस सुविधा को मई, 2013 और नवम्बर, 2013 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी विस्तारित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सीए विनियम, 1988 के विनियम 39(4) के अधीन, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रतियों के लिए अनुरोध किया था, अंकों के स्वत: सत्यापन की स्कीम को नवंबर, 2013 की परीक्षाओं से प्रारंभ किया गया था ।

नवंबर, 2013 की परीक्षाओं और आगे की परीक्षाओं से, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए, जो मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की प्रतियों का अनुरोध करते हैं, उनकी मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की स्केन की गई प्रतियों को उस वेबसाइट पर ऑनलाइन रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जिस तक संबंधित परीक्षार्थी द्वारा एक सुरक्षित उपयोक्ता आईडी और पासवर्ड के साथ पहुंच बनाई जा सकती है ।

नए परीक्षा केन्द्र : छात्रों द्वारा उनके आवास से निकटतम स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से निम्नानुसार नए परीक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी :

सीए मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

- नवंबर, 2013 और आगे की परीक्षाओं के लिए : कन्नूर, वारंगल, दुर्गापुर, भरतपुर, कैथल, संगरुर, श्रीनगर, शिवकाशी
- मई, 2014 और आगे की परीक्षाओं के लिए : गांधीनगर, फतेहाबाद, कुरनूल, नीमच, करीमनगर, झुन्झुनु, चितौडगढ़ और झांसी

सीपीटी परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

क) दिसंबर, 2013 की सीपीटी परीक्षा से कन्नूर, वारंगल, दुर्गापुर, भरतपुर, कैथल, संगरुर और श्रीनगर

ख) जून, 2014 से गांधीनगर, फतेहाबाद, कुरनूल, नीमच, करीमनगर, झुन्झुनु, चितौडगढ़, झांसी और नवसरी

इसके अतिरिक्त, नवंबर, 2014 की परीक्षाओं से अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), तिरुनेलवेली (तमिलनाडु), ओंगोले (आंध्र प्रदेश) और धुले (महाराष्ट्र) में नए परीक्षा केंद्र खोलने का अनुमोदन कर दिया गया है ।

इसके साथ ही, ऐसे परीक्षा नगरों की, जहां सीए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, कुल संख्या 167 हो गई है, जिसमें से 4 भारत से बाहर अवस्थित हैं ।

परीक्षा परिणाम : परीक्षा परिणाम, उनकी घोषणा के तुरंत पश्चात्, अभिहित साइट पर देखे जा सकेंगे । उनके लिए एसएमएस सुविधा भी प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त, सीपीटी परीक्षा परिणाम पत्र (फोटो और हस्ताक्षर सहित) को डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है ।

भिन्न रूप से समर्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायता : संस्थान, अब प्रारंभिक रूप से मई, 2014 की परीक्षाओं से कुछ नगरों, अर्थात् कुल 15 नगरों में अपने भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को लेखक/लिपिक उपलब्ध कराएगा । पात्र लेखकों/लिपिकों का एक नगरवार पैनल पहले से ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है । नवंबर, 2014 से, कंप्यूटर उपलब्ध कराने की सुविधा, भिन्न रूप से समर्थ छात्रों को उचित सुरक्षोपाय के साथ उनके उत्तर लिखने हेतु विस्तारित की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, विनिर्दिष्ट नगरों में भिन्न रूप से समर्थ अभ्यर्थियों के लिए लेखकों के पैनल आदि जैसी सुविधाएं और उन्हें अतिरिक्त समय और/या लेखक प्रदान करने, निशक्त अभ्यर्थियों के लेखकों को मानदेय का संदाय करने, आदि जैसे दिशानिर्देशों को उदार बनाया जाना ।

"छूट" प्रास्थिति की जांच करने के लिए वेबसाइट प्रारंभ करना : ऐसे अभ्यर्थियों को, जो परीक्षाओं में समूह में असफल रहते हैं किंतु एक या अधिक प्रश्नपत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों से कतिपय मानदंडों के अधीन रहते हुए "छूट" प्रदान की जाती है । ऐसी छूट की प्रास्थिति को, उन्हें जारी अंकों के विवरण में उपदर्शित किया जाता है । इस संबंध में और अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराने और अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों/संदेहों को दूर करने के लिए

एक वेबसाइट http://exemption.icaiexam.icai.org का विकास किया गया है और स्थापित किया गया है, जिस पर ऐसे अभ्यर्थियों की प्रास्थिति को ऑनलाइन देखा जा सकता है जो आगामी परीक्षाओं में छूट के लिए पात्र हैं।

प्रतिक्रिया प्ररुप : अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्रों के संबंध में प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के विचार से, एक प्रतिक्रिया प्ररुप तैयार किया गया है और उसे www.icai.org पर रखा गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी सीए परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के संबंध में, अंतिम परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर परीक्षा विभाग को अपनी राय दे सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित ई-मेल आईडी examfeedback@icai.org को भी तैयार किया गया है।

4.4 अनुशासन समिति

अनुशासन समिति (धारा 21घ के अधीन)

यह समिति संस्थान द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता की हैसियत और स्तर बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है। ऐसे सदस्यों के, जिनके मामले परिषद् द्वारा समिति को प्रथमदृष्टया राय के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे, विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच करने के अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में समिति ने वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक 15 अवसरों पर अपनी बैठकें की थीं, जो कुल मिलाकर 17 दिन चली थी और ये बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्थानों पर की गई थी। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने 69 मामलों में जांच पूरी की थी, जिनमें उसे पूर्व वर्षों में निर्दिष्ट मामले भी सम्मिलित थे।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन संस्थान की परिषद द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने दिल्ली/मुंबई में 17 बैठकें की थी। उक्त वर्ष के दौरान हुई बैठकों में, बोर्ड ने 98 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। अनुशासन बोर्ड के कार्यकरण से संबंधित आंकड़ों के ब्योरे इस रिपोर्ट में अन्यत्र एक पृथक् सारणी में दिए गए हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21ख के अधीन नई अनुशासन समिति

संस्थान की परिषद द्वारा अनुशासन समिति का गठन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21क के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची और दोंनो के अंतर्गत आते हैं। पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश के चार महानगरों, अर्थात् दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में अवस्थित स्थानों पर 23 बैठकें की थी, जो कुल मिलाकर 25 दिन चली थीं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 125 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। अनुशासन समिति के कार्यकरण से संबंधित आंकड़ों के ब्योरे इस रिपोर्ट में अन्यत्र एक पृथक् सारणी में दिए गए हैं।

ऐसे मामले, जिनपर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21(घ)] के अधीन कार्यवाही की गई थी

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के दौरान, परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों के आंकड़े

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
1.	उपरोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या (समिति के पास जांच के लिए कुल लंबित मामलों में से)	69
2.	अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् ने विचार किया था (उन मामलों की रिपोर्ट सहित, जिन पर पूर्व वर्षों में सुनवाई की गई थी)	60

3.	उपरोक्त में से क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थी को पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया था ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थी को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया था और जिन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है घ) आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किए गए मामलों की संख्या ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी कदाचार का दोषी पाया गया है	2 10 1 -- 47
4.	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाए गए अभ्यर्थियों की बाबत धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किए गए थे	*9
5.	उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या	12

* इसके अंतर्गत एक ऐसा मामला भी है, जिसमें परिषद् के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा आस्थगित रखा गया है ।

ऐसे मामले, जिनपर नए अनुशासन तंत्र के अधीन कार्यवाही की गई

1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 की अवधि

अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) -- 17 बैठक

क)	बोर्ड द्वारा विचार में (धारा 21क के अधीन) लिए गए ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिनमें निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया राय तैयार की गई थी	323/81
ख)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन बोर्ड ने आगे और जांच के लिए निर्दिष्ट किया था	54/15
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत और सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	98
घ)	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	45

अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) 23 बैठकें

क)	अनुशासन समिति द्वारा विचार में (धारा 21ख के अधीन) लिए गए ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिनमें निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथम दृष्टया राय तैयार की गई थी	117/36
ख)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें अनुशासन समिति ने आगे और जांच के लिए निर्दिष्ट किया था	119 (जिसके अंतर्गत बीओडी द्वारा निर्दिष्ट दो शिकायत संबंधी मामले भी हैं) / 36
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत और सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें समिति ने जांच पूरी कर ली थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	125

घ)	ऐसे मामलों (शिकायत और सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति ने दंड दिया (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)	18

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वर्ष 1977 में, एक उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने और भारत में विद्यमान विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में संगतता लाने के विचार से किया गया था । एएसबी, इसके गठन के प्रारंभ से ही नए लेखांकन मानकों को तैयार करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को पुनरीक्षित करके इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मानकों को, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस) /अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है । एएसबी वर्तमान कारबार परिस्थितियों, जो शनैः शनैः जटिल होती जा रही हैं, में लेखांकन मानकों के एक समान उपयोग से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न मार्गदर्शन सामग्रियां भी जारी करता है ।

आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में, धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) को अंतःस्थापित करके अक्तूबर, 1998 में विधिक मान्यता प्रदान की गई है । अधिनियम की धारा 211(3ग) के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेखांकन मानक संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एन.ए.सी.ए.एस.) के परामर्श से विहित किया जा सकेगा । इस धारा के परंतुक के अनुसार, सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की अधिसूचना जारी किए जाने तक, कंपनियों के लिए संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों को अपनाया जाना अपेक्षित है । वर्ष 2006 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा तैयार किए गए लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को, भारत के राजपत्र में, अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित किया था । ये मानक, इन लेखांकन मानकों की प्रकाशन की तारीख (अर्थात् 7 दिसम्बर, 2006) को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे ।

वर्ष 2013 में, भारत सरकार ने भारतीय निगमों हेतु विनियमों के अद्यतन और आधुनिक सैट से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लंबे समय से चर्चित और चिर प्रतिक्षित कंपनी अधिनियम, 2013 को अंतिम रूप देकर जारी किया था, जिसने अपने पूर्ववर्ती कानून कंपनी अधिनियम, 1956 को अधिक्रांत किया था जो पिछले पांच दशकों से लागू था । कंपनी अधिनियम, 2013, 1 अप्रैल, 2014 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 यह विहित करती है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श से और उसके द्वारा समीक्षा के पश्चात् की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा सिफारिश किए गए लेखांकन मानकों को विहित कर सकेगी । उक्त धारा स्वयं में संस्थान द्वारा भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक उच्च गुणवता वाले लेखांकन मानकों को तैयार करने में किए गए कार्यों के प्रति भारत सरकार के भरोसे और विश्वास को दर्शित करती है ।

चूंकि वैश्विकरण और उदारीकरण के परिणामस्वरूप, सीमा के आरपार उधार लेना, उधार देना, विक्रय, क्रय आदि के माध्यम से कारबार व्यौहारों की संख्या में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हुई है, इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए संवहनीय विकास को बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शक वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे की आवश्यकता बढ़ गई है । बहुविद अधिकारिताओं में प्रचालन करने के परिणामस्वरूप, विभिन्न कारबार इकाइयों के बीच आर्थिक संसाधनों के आबंटन और अनुकूलतम उपयोग के दृष्टिकोण से कारबार संरचना अत्यधीक जटिल हो गई है । जहां तक वित्तपोषण के स्रोतों का संबंध है, कोई संगठन किसी विशिष्ट अधिकारिता तक ही निर्बंधित नहीं है, इसलिए किसी अस्तित्व द्वारा उसके वित्तीय विवरणों के माध्यम से उसके विभिन्न पणधारियों को संप्रेषित वित्तीय जानकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अस्तित्व के कारबार की सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करने के साथ-साथ वैश्विक रूप से समतुलनीय भी हो । वैश्विक रूप से समतुलनीय वित्तीय जानकारी अस्तित्व के प्रबंध द्वारा आर्थिक स्रोतों के उचित आबंटन और अनुकूलतम उपयोग के लिए निर्धारण और मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है । ऐसी जानकारी वर्तमान और भावी निवेशकों, देनदारों और अन्य उपयोक्ताओं को अस्तित्व में, उनके

निवेशों और हितों के संबंध में तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है । इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार भारत सरकार ने भारत में विदेशी निधियों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि खुदरा, रक्षा आदि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमाओं में वृद्धि करके एफडीआई संबंधी नीति को उदार बनाया है, उसे देखते हुए सीमा पार के निवेशकों को भारतीय निगमों के वित्तीय कार्यपालन का विश्लेषण और मूल्याकंन करने में समर्थ बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है । सीमा पार के निवेशकों को, ऐसे उद्यमों के संबंध में, जिनमें वे निवेश करने जा रहे हैं, वैश्विक रूप से तुलनात्मक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए । अत:, वित्तीय रिपोर्टिंग में समतुल्यता को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने के लिए वैश्विक रूप से स्वीकृत और उच्च गुणवत्ता प्राप्त लेखांकन मानकों का एकल सेट ही समय की आवश्यकता है । आईएएसबी द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अधिकाधिक रूप से वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है । अधिकांश देशों ने विभिन्न अस्तित्वों के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए या तो आईएफआरएस को अपना लिया है या उन्हें अपनाए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है । यद्यपि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक मुख्यतः आईएएस/आईएफआरएस पर आधारित हैं, फिर भी कतिपय मामलों में, देश में विद्यमान आर्थिक परिस्थितियों के अलावा विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, लेखांकन मानकों में आईएएस/आईएफआरएस से विचलन किया गया है ।

हाल ही के वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों से अभिसरण की प्रक्रिया ने पूरे विश्व में जोर पकड़ा है । यूएसए के वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड (एफएएसबी) और आईएएसबी ने यूएस जीएएपी और आईएफआरएस के अभिसरण के लिए कार्य किया है । यूएसए के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसीए) ने यह विनिश्चय किया है कि यूएस जीएएपी और आईएफआरएस के बीच किसी समाधानप्रद विवरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा किए बिना आईएफआरएस से संगत वित्तीय विवरण फाइल करने की अनुमति प्रदान की जाए । इस परिदृश्य में, भारत जो एक महत्वपूर्ण उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने वर्ष 2007 में कंपनियों के कतिपय वर्ग के संबंध में 1 अप्रैल, 2011 से आईएफआरएस से अभिसरण का विनिश्चय किया था । कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भी ऐसा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है । यह अभिसरण, अन्य बातों के साथ, भारतीय अस्तित्वों को विदेशों से निम्न लागत की पूंजी प्राप्त करने में सहायता करेगा । यह चार्टर्ड एकाउंटेंटों को भी, भारतीय वृत्तिकों के लिए विदेशों में बढ़ते हुए अवसरों का लाभ प्रदान करेगा । आईसीएआई ने आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया था । कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने फरवरी, 2011 के दौरान पैंतीस भारतीय लेखांकन मानकों को अपनी वेबसाइट पर रखा था । तथापि, कर संबंधी विवक्षाओं और अन्य अपरिहार्य कारणों से इन भारतीय लेखांकन मानकों को अभी सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है ।

इन भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय, नीतिगत रूप से आईएएस/आईएफआरएस में कोई परिवर्तन न करने के प्रयास किए जाते हैं, सिवाए वहां के जहां, भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित में ऐसे परिवर्तन करना अत्यधिक अनिवार्य समझा जाता है । तदनुसार, आईएएस/आईएफआरएस से केवल कुछ ही विचलन दर्ज किए गए हैं । इस संबंध में भारत की चिंताओं को आईएएसबी के समक्ष उठाया जा रहा है जिससे कि उनका समाधान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उचित रूप से किया जा सके । यह विश्वास किया जाता है कि समयानुसार इन विचलनों को भी समाप्त कर दिया जाएगा ।

संस्थान ने 35 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उन्हें एमसीए की वेबसाइट पर रखे जाने के उपरांत अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा पुनरीक्षित/संशोधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के तत्समान भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को तैयार/पुनरीक्षित करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है । आईसीएआई के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब कभी सरकार द्वारा इंड एएस को अधिसूचित किया जाए तो उन्हें संबंधित आईएफआरएस के समरूप अंतिम प्ररूप में अधिसूचित किया जा सके । पिछले वर्ष, इस दिशा में लेखांकन मानक बोर्ड ने आईएएसबी द्वारा जारी/पुनरीक्षित आईएफआरएस/आईएएस के तत्समान कतिपय इंड एएस जैसे कि इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, इंड एएस 16, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, इंड एएस 24, संबंधित पक्षकार प्रकटन, इंड एएस 32, वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण, इंड एएस 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, इंड एएस 38 अमूर्त आस्तियां, इंड एएस 110, समेकित वित्तीय विवरण, इंड एएस 111, संयुक्त ठहराव, इंड एएस 112 अन्य अस्तित्वों में हित का प्रकटन, को पुनरीक्षित किया था ।

वर्ष 2013 में, लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, आईसीएआई ने एमसीए को भारतीय लेखांकन मानकों को लागू करने के संबंध में एक पुनरीक्षित कार्य योजना की सिफारिश की थी । पुनरीक्षित कार्य योजना के अनुसार आईसीएआई ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि इंड एएस को केवल समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) के लिए लागू किया जाना चाहिए । अत:, सभी अस्तित्वों के एकल वित्तीय विवरणों के प्रयोजनों के लिए, विद्यमान लेखांकन मानक लागू होते रहेंगे । तदनुसार, बोर्ड ने भारतीय लेखांकन मानकों की रूपरेखा के अनुसार विद्यमान लेखांकन मानकों के पुनरीक्षण का कार्य आरंभ करने का विनिश्चय किया था और इस कार्य को आरंभ भी किया था ।

वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड ने पुनरीक्षित विद्यमान लेखांकन मानक एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, एएस 5 लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां तथा एएस 20 प्रति शेयर उपार्जन के सीमित पुनरीक्षण से संबंधित उदभासन प्रारुप जारी किए थे । इसके अतिरिक्त, लेखांकन मानक (एएस) 10, नियत आस्तियों के लिए लेखांकन का पुनरीक्षण भी शीघ्र ही पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

लेखांकन मानक बोर्ड, भारतीय उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय रूप से दर्ज कराने और एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड और अन्य निकायों जैसे कि एशिया ऑशिनियन स्टैंडर्डस सैटर्स ग्रुप (एओएसएसजी), इंटरनेशनल फोरम ऑफ एकाउंटिंग स्टैंडर्डस सैटर्स (आईएफएएसएस) और एमर्जिंग इकोनोमिज ग्रुप (ईईजी) द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों में भी भाग ले रहा है और सहयोग कर रहा है । आईसीएआई, मलेशिया के साथ कृषि संबंधी एओएसएसजी कार्यकारी समूह का नेतृत्व कर रहा है जो कि आईएएस 41, कृषि के पुनरीक्षण से संबंधित परियोजना को पूरा कर रहा है । कार्यकारी समूह में अन्य देश जैसे कि चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, हांगकांग और इंडोनेशिया भी सम्मिलित हैं । वर्ष के दौरान, आईएएसबी ने भारतीय प्रमुख एओएसएसजी कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों की रूपरेखा के अनुसार आईएएस 41 कृषि : वाही पादपों के संबंध में संशोधन जारी किए हैं । तदनुसार, आईएएस 41 कृषि (पुनरीक्षित) के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 41, कृषि को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड के विभिन्न क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

5.1.1 <u>भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को तैयार करना/पुनरीक्षण करना</u>

वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड ने आईएएस/आईएफआरएस में किए गए संशोधनों के तत्समान भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) में निम्नलिखित संशोधनों को अंतिम रूप प्रदान किया है :

- व्युत्पन्नों का नवाचार और हैज लेखांकन को जारी रखने संबंधी प्रारुप (इंड एएस 39 के संशोधन) ।
- आईएएसबी द्वारा जारी सुधार चक्र 2009-12 के तत्समान भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन का प्रारुप ।
- भारतीय एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां के परिशिष्ट ख-1 का प्रारूप ।
- गैर-वित्तीय आस्तियों के लिए वसूलनीय रकम प्रकटन का प्रारुप (इंड एएस 36 के संशोधन) ।
- निवेश अस्तित्वों संबंधी उदभासन प्रारुप (इंड एएस 110, इंड एएस 112 और इंड एएस 27 के संशोधन) ।
- परिभाषित फायदा योजनाएं : कर्मचारियों के अभिदाय का उदभासन प्रारुप (इंड एएस 19 के संशोधन) ।

5.1.2 <u>विद्यमान लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण</u>

बोर्ड द्वारा निम्नलिखित लेखांकन मानकों के उदभासन प्रारुप को जारी किया गया है ।

- लेखांकन मानक (एएस) 1 (पुनरीक्षित) वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण संबंधी उदभासन प्रारुप ।
- लेखांकन मानक (एएस) 5 (पुनरीक्षित) लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां संबंधी उदभासन प्रारुप ।
- लेखांकन मानक (एएस) 20 लेखांकन नीतियां, प्रति शेयर उपार्जन संबंधी उदभासन प्रारुप ।

5.1.3 <u>अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अन्य अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में भागीदारी</u>

बोर्ड विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी के साथ परस्पर क्रियाएं करता है जैसे कि :

- विश्व मानक निर्धारकों और आईएएसबी तथा प्रादेशिक मानक निर्धारकों और आईएएसबी की बैठकों में सक्रिय भागीदारी । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने लंदन में 25-26 अक्तूबर, 2012 के दौरान आयोजित विश्व मानक

निर्धारकों की बैठक में भाग लिया था । इस बैठक में तकनीकी मुद्दों जैसे कि एसएमई के लिए आईएफआरएस और अवधारणात्मक ढांचे पर विचार विमर्श किया गया था ।

- बोर्ड आईएएसबी द्वारा जारी विभिन्न उदभासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों को परिचालित करता है और अपनी वेबसाइट पर भी रखता है और उनके संबंध में विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां आमंत्रित करता है ।
- आईएफआरएस के साथ अभिसरण लंबित रहने के दौरान और अधिक प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बोर्ड, समय-समय पर ऐसे अध्ययन समूहों का गठन करता है जो भारत विनिर्दिष्ट आशंकाओं को सूचीबद्ध करते हुए अपनी टिप्पणियां भेजते हैं जिनका एएसबी द्वारा उन्हें आईएएसबी को भेजे जाने से पूर्व पुनर्विलोकन किया जाता है ।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 30-31 मई, 2013 के दौरान सियोल, साउथ कोरिया में आयोजित आईएएसबी के उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की बैठक में भाग लिया था । इस बैठक में, आईसीएआई द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कार्यसूची में दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधित एक विषय को सम्मिलित किया गया था । इस बैठक में, आईसीएआई द्वारा दर विनियमित क्रियाकलापों के लिए लेखांकन में अंतर्वलित विभिन्न मुद्दों को प्रमुख रूप से दर्शित करते हुए एक पूर्ण दिवसीय प्रस्तुतीकरण किया गया था । भारत द्वारा तैयार किया गया दर विनियमित क्रियाकलापों संबंधी एक ब्यौरेवार पत्र बैठक की कार्यसूची पत्रों के साथ परिचालित किया गया था ।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 19-20 सितंबर, 2013 के दौरान ब्रसल्स में हुई लेखांकन मानक नियतकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच की एक बैठक में भाग लिया था । इस बैठक में, आईसीएआई द्वारा 'लाभ और हानि के विवरण में आपवादिक मदों का प्रस्तुतिकरण : भ्रामक उपार्जन मेट्रिक्स का सृजन' विषय पर एक पत्र प्रस्तुत किया गया था ।
- वर्ष के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड ने श्री प्रभाकर कल्वाचेरला, सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की उपस्थिति में 8 मई, 2013 को मुंबई में पट्टों संबंधी नए प्रस्तावित आईएफआरएस के संबंध में एक आउटरीच बैठक का आयोजन किया था ।
- आईसीएआई ने 6-7 मार्च, 2014 के दौरान, नई दिल्ली में, लेखांकन मानक नियतकों के अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) की बैठक की मेजबानी की थी । आईएफएएसएस विश्व भर के राष्ट्रीय लेखांकन मानक नियतकों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों के संबंध में गंभीर रूप से संलिप्त रहता है । इस बैठक में, भारत सहित 39 देशों के मानक नियतकों और अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी), यूरोपीय वित्तीय रिपोर्टिंग सलाहकार समूह (ईएफआरएजी), एशियाई - ओशनियन मानक नियतक समूह (एओएसएसजी), अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) और पेन अफ्रीकी अकाउंटेंट्स फेडरेशन (पीएएफए) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इन प्रतिनिधियों के अलावा, अनेक संपरीक्षकों ने भी इस बैठक में भाग लिया था । इस बैठक में आईसीएआई ने 'अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन सम्मिलित व्युत्पन्नों का पृथक्करण' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण और पत्र प्रस्तुत किया था । इस बैठक में, अनेक अन्य परियोजनाओं जैसे कि आईएएसबी अवधारणात्मक ढांचे संबंधी मुद्दे, वित्तीय रिपोर्टिंग में कारबार माडल की भूमिका, वित्तीय लिखतें आदि पर भी परिचर्चाएं की गई थी ।
- आईसीएआई ने, 8-9 मार्च, 2014 के दौरान, नई दिल्ली में, "वित्तीय रिपोर्टिंग : नए आयाम" विषय के साथ आठवें प्रादेशिक नीति मंच (आरपीएफ) की मेजबानी की थी । आरपीएफ – जो एशियाई - प्रशांत क्षेत्र में मानक नियतकों, नीति निर्माताओं, विनियामकों और शासकीय निकायों के लिए एक प्रमुख मंच है – वित्तीय रिपोर्टिंग की विविध भूमिकाओं के संबंध में व्यापक विषयों तथा इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करता है कि किस प्रकार वित्तीय रिपोर्टिंग नीति तैयार करने और उसके निष्पादन को प्रभावित कर सकती है । इस मंच में, विभिन्न विनियामकों और भारत के मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भाग भी लिया था । भारत के अतिरिक्त, 21 अधिकारिताओं के लगभग 120 प्रतिनिधि मंडलों ने इस मंच में भाग लिया था । इस मंच में, विभिन्न क्षेत्रों में आईएफआरएस के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा पत्र प्रस्तुत किए गए थे । इस मंच में, आईसीएआई के प्रतिनिधि ने भारत में आईएफआरएस को अपनाने में सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया था । उसने विनियामकों की विभिन्न चिंताओं और आईएफआरएस में परिवर्तन किए जाने के कारणों पर चर्चा की थी ।
- आईसीएआई ने भारतीय - प्रशांत मानक नियतकों के समूह की अंतरिम बैठक की मेजबानी की थी । एओएसएसजी के सदस्यों की एक अंतरिम बैठक का आयोजन 7 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में किया गया था । इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, एओएसएसजी और उसके सदस्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु अपनाई जाने वाली भावी रणनीति को अंतिम रूप प्रदान करना था । क्लीमेंट चेन, अध्यक्ष, एओएसएसजी ने बैठक में रखे गए नीतिगत पत्रों के विभिन्न पहलूओं पर

चर्चा की थी। तथापि, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए उसे अगली बैठक तक आस्थगित कर दिया गया था। यह बैठक एओएसएसजी के सभी सदस्यों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई थी। 7 मार्च, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित एओएसएसजी की इस बैठक में 13 अधिकारिताओं के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। एओएसएसजी – जो कि एशियाई - प्रशांत क्षेत्र में लेखांकन मानक नियतकों का एक समूह है – अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) को अपनाए जाने में अपने-अपने अनुभवों के संबंध में चर्चा करता है और उनका आदान-प्रदान करता है तथा वैश्विक लेखांकन मानकों के एक उच्च गुणवता वाले सेट के विकास के प्रति अपना अंशदान करता है।

- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने मास्को, रुस में हुई अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) के उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह (ईईजी) की सातवीं बैठक में भाग लिया था। विभिन्न उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधि मंडलों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेश्य से अपने-अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया था। इस बैठक में लेखांकन की साम्यापूर्ण पद्धति, अवधारणात्मक ढांचा आदि जैसे विभिन्न तकनीकी विषयों पर परिचर्चा हुई थी। आईसीएआई ने दक्षिण अफ्रीका के साथ दिसंबर, 2014 में इंडोनेशिया में होने वाली अगली ईईजी बैठक में निष्कर्षक उद्योगों के संबंध में एक पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है। आईसीएआई, आईएएस 32 के अधीन लेखांकन उपचारों के संबंध में भारतीय चिंताओं को मुख्य रूप से दर्शित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय बंधपत्रों के संबंध में एक लघु पत्र प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता है।
- मास्को में हुई अंतर्राष्ट्रीय आईएफआरएस संगोष्ठी में आईसीएआई के प्रतिनिधि ने 'भारत में लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली' विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया था।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 23-24 जून, 2014 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुए आईएफआरएस सम्मेलन में भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों जैसे कि अवधारणात्मक ढांचा, पट्टे, साम्यापूर्ण पद्धति, वित्तीय लिखतें आदि पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी।

5.1.4 <u>निम्नलिखित आईएएसबी उदभासन प्रारूपों/परामर्श पत्रों पर आईएएसबी को टीका-टिप्पणियां भेजी गई थी</u>

(i) आईएएसबी द्वारा जारी जानकारी के लिए अनुरोध : दर विनियमन

(ii) "व्युत्पनों का नवीकरण और हेज लेखांकन को जारी रखना" (आईएएस 39 और आईएफआरएस 9 में प्रस्तावित संशोधन) संबंधी उदभासन प्रारूप

(iii) विनियामक अस्थगन लेखाओं संबंधी उदभासन प्रारुप।

(iv) वित्तीय लिखतों : प्रत्याशित प्रत्यय हानियां का उदभासन प्रारूप

(v) पट्टों के संबंध में उदभासन प्रारुप।

(vi) बीमा संविदाओं संबंधी उदभासन प्रारुप।

(vii) कृषि : वाही पादपों, आईएएस 16 और आईएएस 41 के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में उदभासन प्रारुप

(viii) परिचर्चा पत्र : वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचे का पुनर्विलोकन।

(ix) उदभासन प्रारुप : पृथक् वित्तीय विवरणों में साम्यापूर्ण पद्धति।

(x) उदभासन प्रारुप : प्रकटन संबंधी पहल (आईएएस-1 का प्रस्तावित संशोधन)।

5.1.5 <u>विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया</u>

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है।

आईएफआरएस अभिसरित इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा गठित कोर समूह के अनुरोध पर लेखांकन मानक बोर्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर इंड एएस के प्रभाव का विश्लेषण किया था और इस बात का भी विश्लेषण किया था कि क्या लेखांकन मानकों के एकल सेट को कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित सभी किस्म की कंपनियों को लागू किया जा सकता है। प्रभाव विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, लेखांकन मानक बोर्ड ने अक्तूबर, 2013 में क्रमश: नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया था, जिनमें विभिन्न उद्योगों के

प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । कार्यशाला में किए गए संप्रेक्षणों और लेखांकन मानकों के एक सेट बनाम दो सेटों के संबंध में आईसीएआई के विचारों के आधार पर एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था, जिसे एमसीए को प्रस्तुत किया गया था ।

आईसीएआई ने एमसीए के अनुरोध पर, भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को लागू करने के संबंध में एक पुनरीक्षित कार्य योजना की भी सरकार को सिफारिश की थी । आईसीएआई ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय लेखांकन मानकों को 500 करोड़ रुपए या अधिक की शुद्ध आवर्त वाले अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए लागू बनाया जाना चाहिए ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुरोध पर, आईसीएआई ने, आस्ति पुनःसंरचना कंपनियों (एआरसी) के लिए लेखांकन मार्गदर्शन तैयार करने के लिए आरबीआर की सहायता की थी । बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शनों, जिनकी उसके द्वारा आरबीआई को सिफारिश की गई थी, को वर्ष के दौरान आरबीआई द्वारा जारी किया गया है ।

लेखांकन मानक बोर्ड इंड एएस को लागू करने संबंधी पुनरीक्षित कार्य योजना पर परिचर्चा करने के लिए आरबीआई, सेबी, सीएनएजी जैसे विभिन्न विनियामकों के पदधारियों के साथ भी बैठकें कर रहा है ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न लेखांकन मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित बैठकें की गई थी ।

5.1.6 अन्य परियोजनाएं

1. तैयार किए जाने वाले भारतीय लेखांकन मानक

- आईएएस 41, कृषि के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- निष्कर्षणीय उद्योगों के लिए भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 9 : वित्तीय लिखतों के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 14 : विनियामक आस्थगन लेखा के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक
- आईएफआरएस 15 : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व के तत्समान भारतीय लेखांकन मानक

2. अन्य विचाराधीन दस्तावेज

- रियायतकर्ताओं द्वारा सेवा रियायत संबंधी ठहरावों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- विद्यमान लेखांकन मानक (एएस) 10 : नियत आस्तियों के लिए लेखांकन का पुनरीक्षण
- भारतीय लेखांकन मानकों को अद्यतन बनाना
- आईसीएआई की परिषद् द्वारा जारी लेखांकन संबंधी सभी उदघोषणाओं को सम्मिलित करते हुए समेकित घोषणाएं तैयार करना ।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

आईसीएआई ने वर्ष 2005 में, स्थानीय निकायों हेतु लेखांकन मानक (एएसएलबी) तैयार करने के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक समिति (सीएएसएलबी) का गठन किया था ।

सीएएसएलबी का प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वह ऐसे क्षेत्रों का सृजन करेगी और पता लगाएगी, जिनमें स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) विकसित किए जाने की आवश्यकता है, एएसएलबी तैयार करेगी, एएसएलबी को संभव सीमा तक अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स फेडरेशन के अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के साथ एकीकृत करेगी, एएसएलबी का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करेगी, लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली को अपनाने में स्थानीय निकायों की सहायता करेगी ।

सीएएसएलबी द्वारा तैयार किए गए एएसएलबी को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित यूएलबी के लिए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए स्थानीय निकायों हेतु बजट और लेखांकन मानक संबंधी तकनीकी समिति को, संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके कार्यान्वयन की सिफारिश करने के लिए अग्रेषित किया जाता है ।

एएसएलबी तैयार किए गए मानकों के अलावा, सीएएसएलबी स्थानीय निकायों और विभिन्न पणधारियों जैसे कि अंत उपयोक्ता और नागरिकों के बीच सरकार और स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार प्रक्रिया के फायदों के संबंध में जागरुकता का सृजन भी करती है ।

इसके प्रारंभ से, समिति ने स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित लेखांकन मानक (एएसएलबी) जारी किए हैं :

- एएसएलबी 1, 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण'
- एएसएलबी 5, 'उधार लेने संबंधी लागत'
- एएसएलबी 9, 'विनिमय संव्यवहारों से राजस्व'
- एएसएलबी 11, 'संनिर्माण संविदाएं'
- एएसएलबी 12, 'वस्तुसूचियां'
- एएसएलबी 14, 'रिपोर्टिंग तारीख के पश्चात् की घटनाएं'
- एएसएलबी 17, 'संपत्ति, संयत्र और उपस्कर' ।

<u>समिति के अन्य प्रकाशन</u> **:**

- 'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का प्राक्कथन'
- 'स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन : निर्वाचित प्रतिनिधि और पणधारी' विषय पर पुस्तिका
- 'भारत में स्थानीय निकायों में लेखांकन सुधार और चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका' विषय पर प्रास्थिति पत्र ।

उपरोक्त के अलावा, समिति ने अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया है और यह कार्य प्रगति पर है ।

5.3 संपरीक्षा समिति

संस्थान की संपरीक्षा समिति का गठन परिषद् द्वारा शासित है । परिषद् ने वर्ष 2001 में, एक अस्थाई समिति के रूप में संपरीक्षा समिति का गठन किया था । संपरीक्षा समिति की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और संस्थान की वित्तीय सूचना के प्रकटन का पुनर्विलोकन, यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं । संस्थान के वार्षिक लेखाओं को परिषद् द्वारा संपरीक्षा समिति की सिफारिश पर अंगीकृत किया जाता है । संस्थान की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् में भी एक-एक प्रादेशिक संपरीक्षा समिति है और इस प्रकार कुल 5 प्रादेशिक संपरीक्षा समितियां भी हैं । संपरीक्षा समिति, संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है । समिति सभी क्षेत्रों/विभिन्न इकाईयों की आंतरिक और कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है और संपरीक्षकों तथा साथ ही ऐसे विभागों जिनकी संपरीक्षा की गई है, के साथ नियमित परस्पर क्रियाएं करती हैं ताकि संस्थान के भीतर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके ।

5.4 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

संपरीक्षा, जवाबदेही को सुदृढ़ करके तथा वित्तीय रिपोर्टिंग में विश्वास और निष्ठा पुनःस्थापित करके लोकहित की सेवा और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । संपरीक्षा आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की किस्म, संख्या और मूल्य में वृद्धि करने में सहायता करती है । तथापि, हाल ही के वर्षों में, कारबार परिस्थितियों और कारबार मॉडलों में बढ़ती जटिलता तथा उनके भौगोलिक प्रसार के कारण संपरीक्षा वृत्ति से जनता की आशाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

संस्थान सक्रिय रूप से इन आशाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की अत्यावश्यकता को मान्यता प्रदान करता है । संस्थान अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले संपरीक्षा संबंधी मानकों को तैयार करता है, उनका पुनर्विलोकन करता है, अन्य आश्वासनों, उनकी गुणवत्ता के नियंत्रण और संबद्ध सेवाओं के संबंध में उपबंध करता है । ये मानक न केवल संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों का संहिताकरण करते हैं, अपितु वे ऐसे मानदंडों का भी उपबंध करते हैं,

जिनके आधार पर संपरीक्षकों के कार्यपालन का मापमान किया जा सकेगा । बोर्ड, उद्योग विनिर्दिष्ट संपरीक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में संपरीक्षकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रमुख उद्देश्य से संपरीक्षा संबंधी सामान्य और साथ ही उद्योग विनिर्दिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करता है । बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली एक कड़ी सम्यक प्रक्रिया के पश्चात, इन दस्तावेजों को संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है । संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों को आईएएएसबी द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाता है । बोर्ड सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए अपने स्वयं के प्राधिकार के अधीन तकनीकी गाइडों, प्रैक्टिस मैनुअलों, अध्ययनों और अन्य पत्रों को भी तैयार करता है । संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के कार्यान्वयन के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड मानकों के संबंध में एक कार्यान्वयन गाइड भी निकाल रहा है । आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक व्यापक पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

<u>नियोजन और क्वालिटी नियंत्रण मानक</u>

<u>क्वालिटी नियंत्रण मानक</u>

- क्वालिटी नियंत्रण संबंधी मानक (एसक्यूसी) 1, "ऐसी फर्मों के लिए जो संपरीक्षा करती हैं क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन और अन्य आश्वासन तथा संबंधित सेवाओं का नियोजन" ।

<u>नियोजन मानक</u>

- संपरीक्षा संबंधी 37 मानक
- पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी 2 मानक ।
- आश्वासन नियोजनों संबंधी 2 मानक ।
- संबंधित सेवाओं संबंधी 2 मानक ।

<u>संपरीक्षा संबंधी विवरण</u>

- संपरीक्षा संबंधी 2 मानक

<u>संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण</u>

- संपरीक्षा संबंधी 27 मार्गदर्शन टिप्पण

<u>प्रकाशन</u>

<u>उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन टिप्पण</u>

- बैंकों की संपरीक्षा
- स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा
- साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा
- जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा

<u>कार्यान्वयन गाइड</u>

- रिपोर्टिंग मानकों (एसए 700, एसए 705 और एसए 706) संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- एसक्यूसी 1 संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- वित्तीय विवरणों की जोखिम आधारित संपरीक्षा संबंधी कार्यान्वयन गाइड (पुनरीक्षित 2012 संस्करण)
- संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए) 530, संपरीक्षा के नमूने लेना, संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- किसी संपरीक्षा की योजना तैयार करने और उसे संपन्न करने में सामग्रियों संबंधी कार्यान्वयन गाइड
- एसए 230, संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण से संबंधित कार्यान्वयन गाइड
- एसए 501, संपरीक्षा साक्ष्य - चयनित मदों के लिए विनिर्दिष्ट विचार से संबंधित कार्यान्वयन गाइड
- एसए 570, गोइंग कंसर्न से संबंधित कार्यान्वयन गाइड

- एसए 720, संपरीक्षित वित्तीय विवरणों को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेजों में अन्य जानकारी के संबंध में संपरीक्षक का उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यान्वयन गाइड
- कार्यान्वयन गाइडों का सारसंग्रह (1 जुलाई, 2013 को यथा विद्यमान)

<u>तकनीकी गाइड/गाइड</u>

- गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- होटल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- ऑटोमोबाईल उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- टेलीकाम उद्योग में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड - राजस्व, नियत आस्तियां और संबंधित प्रचालन लागतें
- ईकॉमर्स संबंधी तकनीकी गाइड - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के लिए विचारार्थ विषय
- अंशभाजित सेवा केन्द्र संरचना में संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड
- उद्योग विनिर्दिष्ट संपरीक्षा गाइडों का सार संग्रह (1 सितंबर, 2013 को यथाविद्यमान)
- लघु आस्तित्वों की संपरीक्षा संबंधी प्रैक्टिशनर गाइड
- जटिल वित्तीय लिखतों की संपरीक्षा संबंधी गाइड
- [सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसरण में] प्रारूप वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्टिंग संबंधी गाइड

<u>अध्ययन</u>

- धनशोधन संबंधी एक अध्ययन : एक लेखाकार का परिप्रेक्ष्य
- बेजल 2 और जोखिम आधारित पर्यवेक्षण संबंधी एक अध्ययन

<u>अन्य प्रकाशन</u>

- संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2012 संस्करण
- संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री
- संपरीक्षा क्या है - वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा को समझना
- आईएएएसबी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अभिसरण : प्रास्थिति पत्र और कार्य योजना

5.4.1 <u>वर्ष 2013-14</u>

- वर्ष के दौरान बोर्ड की सात बैठकें हुई थीं।
- वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन निकाले थे, उदाहरणार्थ, संपरीक्षा उदघोषणाओं की हैंडबुक, 2013 संस्करण कार्यान्वयन गाइडों का सार संग्रह, उद्योग विनिर्दिष्ट संपरीक्षा गाइडों का सार संग्रह, बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2014 संस्करण।
- वर्ष के दौरान, बोर्ड ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा पहलूओं के संबंध में अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया था । गुवाहाटी, सिलीगुडी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, रायपुर, एर्नाकुलम, अलवर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- वर्ष के दौरान, बोर्ड ने आईसीएआई की वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से देश भर में बैंक शाखा संपरीक्षा विषय पर विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन किया था।
- वर्ष के दौरान, बोर्ड ने सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित उदघोषणाओं/स्पष्टीकरणों को भी जारी किया था :

 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) और संबंधित नियमों के उपबंधों का लागू होना।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) और संबंधित नियमों के उपबंधों का 31 मार्च, 2014 या उससे पूर्व लागू होना।
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) का 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होना।

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षिती के संबंध में आस्थगित कर दायित्व संबंधी आरबीआई के परिपत्र के संबंध में संपरीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग की रीति ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 का वित्तीय वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संपरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में लागू होना ।
- बैंक शाखा संपरीक्षा रिपोर्टों में परिवर्तनों के ज्ञापन के संबंध में पुनरीक्षित संपरीक्षा रिपोर्ट प्ररुपों (बैंकों/बैंक शाखा संपरीक्षा रिपोर्टों को सम्मिलित करते हुए) और रिपोर्टिंग का लागू होना ।
- विभिन्न विधियों और/या विनियमों के अधीन विहित संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररुप के संबंध में एसए 700 "वित्तीय विवरणों पर राय बनाना और उनको रिपोर्ट करना" का लागू होना ।
- संपरीक्षा की रिपोर्ट में, मूल संपरीक्षक (संपरीक्षकों) द्वारा संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में असंपरीक्षित वित्तीय विवरणों/संघटक (संघटकों) की सूचना के तथ्य को प्रकट करने की रीति ।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3)(खख) के संबंध में रिपोर्टिंग की रीति ।
- संपरीक्षक की रिपोर्ट में और सीमित पुनर्विलोकन रिपोर्टों में कंपनियों को लागू लेखांकन मानकों और विभिन्न नियोजन मानकों का प्रतिनिर्देश ।
- स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित "संपरीक्षक का उत्तरदायित्व" पैरा का संशोधन ।
- कंपनियों की कानूनी संपरीक्षा रिपोर्टों में "लाभ और हानि लेखा" या "लाभ और हानि का विवरण" पदों का उपयोग ।
- कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के ऐसे खंडों के संबंध में, जो उस कंपनी को, जिसकी संपरीक्षा की जा रही है, लागू नहीं है, रिपोर्टिंग की रीति ।

• वर्ष के दौरान, बोर्ड ने जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित मानकों के उदभासन प्रारुपों को जारी किया था ।

- पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक (एसए) 610, 'आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य का उपयोग' ।
- आश्वासन नियोजन संबंधी मानक (एसएई) 3420, 'किसी विवरणिका में सम्मिलित प्रोफार्मा वित्तीय जानकारी के संग्रहण के संबंध में आश्वासन नियोजनों द्वारा रिपोर्ट किया जाना' ।
- संबद्ध सेवाओं से संबंधित पुनरीक्षित संपरीक्षा मानक (एसआरएस) 4410, 'संग्रहण संबंधी नियोजन' ।
- पुनर्विलोकन नियोजनों से संबंधित पुनरीक्षण मानक (एसआरई) 2400, 'ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियोजन' ।

• वर्ष के दौरान अध्यक्ष, एएएसबी ने मई, 2013 और मई, 2014 के दौरान न्यूयार्क में हुई वार्षिक आईएएएसबी – एनएसएस बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था ।

• बोर्ड ने, बैंक शाखाओं के लिए पुनरीक्षित एलएफएआर और कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों के लिए पुनरीक्षित एलएफएआर के प्रारुपों को आरबीआई को प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, शहरी, सहकारी बैंकों की संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारुप प्ररुप को आरबीआई को प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, एएएसबी से तकनीकी अंत:निवेशों के रूप में सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारुप प्ररुप को सेबी को प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, एएएसबी से तकनीकी अंत:निवेशों के रूप में सूचीबद्ध करार के खंड 24(च) के अनुसरण में संपरीक्षक के प्रमाणपत्र के प्रारुप प्ररुप को सेबी को प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, एएएसबी से तकनीकी अंत:निवेशों के रूप में प्रस्तावित वार्षिक सूचना ज्ञापन (एआईएम) में सम्मिलित किए जाने के लिए वित्तीय जानकारी से संबंधित संपरीक्षक की रिपोर्ट के प्रारुप प्ररुप को सेबी को प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसरण में आतंरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में कानूनी संपरीक्षक की रिपोर्टिंग से संबंधित स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने वाले विभिन्न मुद्दों की एक सूची को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

• बोर्ड ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसरण में कपटों की कानूनी संपरीक्षक की रिपोर्टिंग से

संबंधित स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने वाले विभिन्न मुद्दों की एक सूची को कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

5.4.2 ऐसी परियोजनाएं, जिनपर कार्य चल रहा है

इनके अतिरिक्त बोर्ड ने, वर्ष के दौरान अनेक अन्य परियोजनाएं भी प्रारंभ की थीं ।

5.4.3 अन्य पहलें और घटनाएं

विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया

बोर्ड, नियमित रूप से संपरीक्षा मानकों, संपरीक्षा रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और संपरीक्षा संबंधी अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए विनियामकों और सरकारी संस्थाओं/मंत्रालयों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) आदि से परस्पर क्रियाएं करता है ।

आईएएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना

आईसीएआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है । संस्थान के अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट्स संघ (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य होने के कारण बोर्ड, अपने अध्यक्ष और सचिव के माध्यम से आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) की राष्ट्रीय मानक निर्धारक समिति के संपर्क में रहा था और उसने समय-समय पर उसे महत्वपूर्ण अंतःनिवेश उपलब्ध कराए थे । अध्यक्ष, एएएसबी ने मई, 2013 और मई, 2014 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित आईएएएसबीएनएसएस की वार्षिक बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व किया था । मई, 2013 में हुई बैठक में, अध्यक्ष, एएएसबी ने उक्त बैठक की कार्यसूची के भागरूप में, किसी अस्तित्व में निगम शासन व्यवहारों संबंधी आश्वासन विषय पर एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया था और उसके संबंध में एक प्रस्तुतिकरण भी किया था । आईसीएआई के प्रतिनिधि ने कार्यसूची की अन्य सभी मदों पर, जिनके अंतर्गत संपरीक्षक की रिपोर्ट, संपरीक्षा के प्रकटनों आदि में प्रस्तावित परिवर्तन भी थे, अपने मत प्रस्तुत किए थे । मई, 2014 की बैठक में, अध्यक्ष, एएएसबी ने उक्त बैठक की कार्यसूची में "वित्तीय संस्थाओं की संपरीक्षा" मद के संदर्भ में बैंकों की संपरीक्षा विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया था । आईसीएआई के प्रतिनिधि ने कार्यसूची की अन्य मदों के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत किए थे ।

जागरूकता सृजित करना और सक्षमता का निर्माण

वर्ष 2013-14 के दौरान, सदस्यों के बीच संपरीक्षा मानकों के संबंध में जागरूकता का सृजन करना बोर्ड का प्रमुख लक्ष्य था । इस प्रक्रिया में, सदस्यों के सामने आने वाले संपरीक्षा संबंधी मुद्दों पर परस्पर क्रिया को आसान बनाने तथा संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों पर जानकारी प्रदान करने के लिए, बोर्ड ने संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर गुवाहाटी, सिलीगुडी, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, रायपुर, एर्नाकुलम और अलवर में अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, आदि का आयोजन किया था ।

भावी रणनीति और कार्यक्रम

बोर्ड, अब अपना ध्यान क्लैरिटी परियोजना के अधीन जारी नए/पुनरीक्षित संपरीक्षा मानकों (एसए) के संबंध में जागरूकता सृजित करने पर केन्द्रित करेगा । इस प्रयोजन के लिए बोर्ड दोहरी रणनीति अपनाएगा । वह संपरीक्षा मानकों और संपरीक्षा संबंधी पहलुओं पर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और सदस्यों द्वारा उन्हें बेहतर रूप से समझने और मानकों के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए नए/पुनरीक्षित एसए के संबंध में कार्यान्वयन गाइडें जारी करेगा । बोर्ड संपरीक्षा संबंधी और साथ ही उद्योग सेक्टरों से विनिर्दिष्ट समकालीन मुद्दों पर सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अन्य संपरीक्षा संबंधी साहित्य जैसे कि मार्गदर्शन टिप्पण, तकनीकी गाइडें, अध्ययन, अन्य गाइडें, आदि भी तैयार करेगा ।

5.5 बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति

समिति के क्रियाकलाप

- सभी बीमा कंपनियों के मुख्य प्रबंध निदेशकों को, बीमा कंपनियों के विभिन्न पोर्टफोलियो के प्रबंधन हेतु आईसीएआई के डीआईआरएम अर्हता प्राप्त सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अनुरोध पत्र भेजे गए हैं ।

- सीए विजय गर्ग, अध्यक्ष, बैंककारी, बीमा और पेंशन संबंधी समिति ने श्री अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (बीओ-2), वित्त मंत्रालय के साथ 28 मार्च, 2014 को एक बैठक की थी, जिसमें बैंककारी, बीमा और पेंशन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों और मंत्रालय तथा संस्थान के परस्पर हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।
- समिति के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) ने, आईसीएआई के सदस्यों को भारतीय बीमा संस्थान के लाइसेंशिएट, एसोसिएट्स और फेलोशिप पाठयक्रमों में कुछ प्रश्नपत्रों से छूट का फायदा लेने हेतु समर्थ बनाने के लिए सीए फाइनल/डीआईआरएम पाठयक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की शर्त को शिथिल कर दिया है। इस शिथिलीकरण के परिणामस्वरूप, अब आईसीएआई के सदस्य पूर्व-पठन हेतु 100 प्रत्यय अंक एकत्रित करने और डीआईआरएम अर्हता वाले सदस्य 180 प्रत्यय अंक एकत्रित करने के लिए पात्र हैं।
- संस्थान और बीमांकक संकाय, यू.के. को अनुरोध पत्र भेजा गया है कि वे आईसीएआई के ऐसे सदस्यों को छूट प्रदान करें, जो सीटी-2 (वित्त और वित्तीय रिपोर्टिंग) एसटीओ विषयों में बीमांकक पाठयक्रम कर रहे हैं।
- अर्हता-पश्च पाठयक्रम, अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध में डिप्लोमा (डीआईआरएम) के लिए रजिस्ट्रीकरणों की कुल संख्या 7 जुलाई, 2014 तक 4541 हो गई थी। नामांकन की प्रास्थिति क्षेत्रवार निम्नानुसार है :

क्षेत्र					योग
मध्य	पूर्वी	उत्तरी	दक्षिणी	पश्चिमी	
964	531	686	1334	1026	4541

- समिति ने सदस्यों द्वारा डीआईआरएम पाठयक्रम को शीघ्र अर्हित किए जाने को सुकर बनाने के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख और तकनीकी परीक्षा की तारीख के बीच अपेक्षित न्यूनतम समय को नौ मास से घटाकर सात मास किया है।
- नवम्बर, 2013 में हुई डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को तैयार किया गया है और उन्हें डीआईआरएम पाठयक्रम करने वाले सदस्यों के फायदे के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।

5.6 सीए फर्मों एवं लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति

सीए फर्मों एवं लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति का पर्यावलोकन

सीए फर्मों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति को, जो संस्थान की एक अस्थाई समिति है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन गठित किया गया है। 'सीए फर्मों तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए सक्षमता निर्माण संबंधी समिति' (सीसीबीसीएएफ और एसएमपी) के नाम से इस समिति को फरवरी, 2010 में आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा, पूर्ववर्ती समितियों, सीए फर्मों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति और लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति का संयोजन करके बनाया गया था। इसका उद्देश्य सीए फर्मों के सुदृढ़ीकरण और सक्षमता निर्माण को सुकर बनाना और लघु और मध्यम व्यवसायियों के व्यवसायिक पोर्टफोलियो को पुनरूज्जीवित करना है। यह समिति मुख्यतः सीए फर्मों के समेकन के लिए उनकी सक्षमता को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा तैयार करती है और उनका कार्यान्वयन करती है तथा मार्गदर्शन भी तैयार करती है।

5.7 सतत् वृत्तिक शिक्षा संबंधी समिति

आईसीएआई ने अपने सदस्यों को इस सतत परिवर्तनशील आर्थिक वातावरण में विश्वभर में हो रहे वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से, निरंतर कौशल तीव्र करने की प्रक्रिया, कक्षा अध्यापन, ईपठन पद्धति, घरेलू कार्यकारी विकास कार्यक्रमों, टेलीकांफ्रेंसों, जागरूकता कार्यक्रमों और वेबिनारों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, आदि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आजीवन पठन के रूप में जागरूक बनाने तथा इन घटनाओं से अवगत कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

वैश्विक अपेक्षाओं से कदम मिलाकर चलने के लिए अब सीपी अपेक्षाओं को आईसीएआई के सभी सदस्यों, चाहे वे व्यवसाय में हों अथवा सेवारत हों, के लिए आज्ञापक बना दिया गया है और इस प्रणाली की मानीटरी और प्रबंध वैज्ञानिक रूप से किया जाता है।

5.7.1 संक्षेप में क्रियाकलाप

सीपीई दस्तावेजों/दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण :-

- सीपीई समिति ने केन्द्रीय समिति/प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले अध्ययन दौरों संबंधी नई सलाह को अंतिम रूप प्रदान किया है। उन्हें परिषद द्वारा, मई, 2013 में हुई उसकी बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।
- समिति ने सीपीई अध्ययन चैप्टरों के सृजन और कार्यकरण के लिए संनियमों में पुनरीक्षण को अंतिम रूप प्रदान किया है। उन्हें परिषद द्वारा जून, 2013 में हुई उसकी बैठक में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

सीपीई कलेण्डर :

समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए सीपीई कलेण्डर को अंतिम रूप प्रदान किया है, जिसमें वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में 500 से अधिक विषय अंतर्विष्ट हैं। उसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया है।

ई-न्यूजलेटर :

अप्रैल, 2013 के पश्चात् से त्रैमासिक ई-न्यूजलेटर (सीपीई बुलेटिन) के पांच अंक निकाले गए हैं और उन्हें परिषद् के निर्णय के अनुसार आईसीएआई की वेबसाइट पर रख दिया गया है।

शास्तिक उपबंध :-

परिषद् द्वारा, 1.1.2011 से 31.12.2013 की ब्लॉक अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षाओं का अलनुपालन न करने के लिए शास्तिक उपबंधों के लागू होने के संबंध में :

- संस्थान की वेबसाइट और सीपीई पोर्टल पर एक उदघोषणा रखी गई थी।
- आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों के अध्यक्षों और शाखाओं को भी एक उदघोषणा भेजी गई थी कि वे उसे अपनी संबंधित प्रादेशिक परिषद्/शाखा में न्यूजलैटर के नवंबर और दिसंबर, 2013 के अंकों को प्रकाशित करें और साथ ही संस्थान के जर्नल "द चार्टर्ड अकाउंटेंट" के नवंबर और दिसंबर, 2013 के अंकों में भी प्रकाशित करें।
- देश भर में सभी सदस्यों को एक साथ मेल भेजी गई थी। ऐसी ही मेल आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों डीसीओ, शाखाओं और आईसीएआई के पीओयू, अध्ययन सर्कलों और चैप्टरों को भी भेजी गई थी ।
- देश भर के सभी सदस्यों को डाक द्वारा पत्र की एक प्रति भी भेजी गई थी जिसमें उस तारीख तक उनके सीपीई घंटों की प्रास्थिति को दर्शित किया था।

सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों की मानीटरी :

समिति ने सभी पांच क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 के लिए सीपीई प्रादेशिक मानीटरी समितियों का पुनर्गठन किया है।

5.8 निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति

निगम विधि और निगम शासन संबंधी समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह वृत्ति के सशक्तिकरण और साथ ही सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ एक समुचित निगम व्यवस्था की ओर शीघ्रतापूर्वक अग्रसर होने और इसे सुकर बनाने के लिए एक उपकरण बन सके। यह समिति जारी की गई निगम विधियों/नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं/ स्कीमों की सर्वोत्तम व्यवहारों की तुलना में समीक्षा करती है और सरकार के संबद्ध मंत्रालयों को उपयुक्त अभ्यावेदन/ सुझाव प्रस्तुत करती है और इस प्रकार विधि बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती है।

समिति देश में विभिन्न केन्द्रों पर मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम चला रही है, इस प्रमाणपत्र पाठयक्रम को अब टियर I, टियर, II और टियर III नगरों तक पहुंचा दिया गया है और इन पाठयक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु भारी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। समिति ने भारत से बाहर दुबई और बहराइन में भी इस पाठयक्रम को प्रारंभ किया है।

समिति निगम विधि और निगम शासन संबंधी समकालीन विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का आयोजन करती है और सदस्यों के फायदे के लिए प्रकाशन भी निकालती है। समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 और स्वतंत्र निदेशकों तथा सदस्यों के हित से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कार्य योजना तैयार की है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

कंपनी अधिनियम, 2013

- केंद्रीय परिषद् सदस्यों के समन्वयनाधीन विशेषज्ञ समूहों का उनके संबंधित क्षेत्रों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों के संबंध में सुझाव देने के लिए गठन किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों के संबंध में सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।
- देश भर में सदस्यों से प्राप्त कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों (पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चरण) के संबंध में सुझावों को समेकित किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों (पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चरण) के संबंध में आईसीएआई के सुझावों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित दस्तावेजों, परिपत्रों और अधिसूचनाओं को, सदस्यों के सुगम संदर्भ के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियमों के संबंध में वेबकास्ट

- समिति प्रत्येक बुद्धवार को सायं 4 बजे से सायं 6 बजे के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियमों के व्यष्टिक विषयों के संबंध में वेबकास्टों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है ।
- पहले वेबकास्ट का आयोजन 16 अप्रैल, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियम" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए एस. संथानाकृष्णन, अध्यक्ष सीएल एंड सीजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था । सीए के. रघु, अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए. मनोज फडनीस, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने भी सदस्यों और निगमों को संबोधित किया था ।
- दूसरे वेबकास्ट का आयोजन 23 अप्रैल, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 का प्राइवेट कंपनियों का प्रभाव" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए. नीलेश विकमसे, उपाध्यक्ष, सीएल एंड सीजीसी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।
- तीसरे वेबकास्ट का आयोजन 30 अप्रैल, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 में लेखाओं और संपरीक्षा संबंधी उपबंध" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए. एस. रामाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।
- चौथे वेबकास्ट का आयोजन 7 मई, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 में निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और केएमपी की भूमिका और उत्तरदायित्व" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए. आशिष मखीजा द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।
- पांचवे वेबकास्ट का आयोजन 4 जून, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन वृत्तिकों के लिए अवसर" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए. एस. संथानाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।
- छठे वेबकास्ट का आयोजन 11 जून, 2014 को "कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगम सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसे सीए. एस. राजेश्वरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित ई-पुस्तक

सदस्यों के फायदे और सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों से संबंधित एक ई-पुस्तक का शुभांरभ किया गया था ।

प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यक्रम

चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे संबंधित नियमों को, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिकांश चेप्टरों के लिए अधिसूचित कर दिया गया है और यह आवश्यक है कि सदस्य नए अधिनियम के उपबंधों के बारे में सचेत हों, अत: समिति ने यह विनिश्चय किया था कि प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से समिति द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित लगभग 65 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है ।

आईसीएआई – एनएफसीजी कार्ययोजना

निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वर्ष 2013-14 के लिए कार्ययोजना

प्रस्तुत की ।

एमसीए को अभ्यावेदन

- दिसंबर, 2013 में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों के संबंध में आईसीएआई की मुख्य चिंताओं और प्रमुख मुद्दों पर अपर सचिव, एमसीए को अभ्यावेदन किया गया था ।
- संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण के बारे में एमसीए को अभ्यावेदन किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों (पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चरण) के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तारण के लिए माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री को एक अभ्यावेदन किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन संपरीक्षा समनुदेशनों की संख्या को सीमित करने संबंधी एक अभ्यावेदन कारपोरेट कार्य मंत्रालय को किया गया था ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एमसीए-21 के नए प्ररुप को भरने के संबंध में उदभूत होने वाले मुद्दों का, जहां कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सदस्यों का सीओपी संख्यांक पूछा जा रहा है, समाधान करने के लिए एक अभ्यावेदन किया गया था ।
- जुलाई, 2014 में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रारुप नियमों के संबंध में आईसीएआई की मुख्य चिंताओं और प्रमुख मुद्दों पर सचिव, एमसीए को अभ्यावेदन किया गया था ।

मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

समिति ने अभी तक मूल्यांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के 40 बैचों का संचालन किया है । आज की तारीख तक 1950 सदस्य इस पाठयक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत हुए हैं । इस समय यह पाठयक्रम पुणे, बंगलौर और हैदराबाद में चलाया जा रहा है । इस पाठयक्रम का शुभांरभ विदेश में बहराइन में भी किया गया है । समिति इस पाठयक्रम के नए बैचों को कटक और जयपुर में भी प्रारंभ के बारे में विचार कर रही है । समिति शीघ्र ही मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी नए बैच प्रारंभ करने की योजना बना रही है ।

मंत्रालयों/विनियामकों/सरकारी कार्यालयों के साथ वृत्ति संबंधी विषयों पर परस्पर क्रियाएं

कंपनी अधिनियम, 2013 के सुचारु कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया की जा रही है ।

वृत्ति संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बैठकें

- अप्रैल, 2013 में शासकीय परिसमापकों हेतु मैनुअल तैयार करने के लिए एमसीए में बैठक ।
- निदेशकों के लिए आईसीएआई के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन के लिए परामर्श करने हेतु मई, 2013 में आईसीएआई के पदधारियों के साथ बैठक ।
- अप्रैल-जून, 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित कार्यान्वयन मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर सचिव, एमसीए के साथ बैठक ।
- जून, 2014 में निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने, स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबेस को बनाए रखने और निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों के प्रावधानों से संबंधित अन्य मुद्दों और लेखांकन के संबंध में अपर सचिव, एमसीए के साथ बैठक ।
- जून, 2014 में, स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के संबंध में अपर सचिव, एमसीए के साथ बैठक ।
- जुलाई, 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 से जुड़े मुद्दों के संबंध में सचिव, एमसीए के साथ बैठक ।

5.8.1 सरकारी विभागों/सरकारी पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से सीपीएसई के गैर शासकीय निवेशकों के लिए चार कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

5.8.2 समिति द्वारा आयोजित संगोष्ठियां/सम्मेलन

समिति ने देश के विभिन्न भागों में निगम विधि और निगम शासन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

5.8.3 चालू पहलें/परियोजनाएं

- निगम शासन की रेटिंग/संपरीक्षा समिति के संघ का निर्माण/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के नए मंच का सृजन।
- निगम शासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण में सुधार करना (लिस्टिंग करार के खंड 49 में अनुबंधित किए गए अनुसार)।
- समिति पीएचडीसीसीआई, फिक्की, सीआईआई आदि जैसे उद्योग संघों के साथ संयुक्त रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बना रही है ।
- समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा के संबंध में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रही है।
- समिति स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रही है।

5.9 प्रत्यक्ष कर समिति

5.9.1 सरकार को अभ्यावेदन/उसके साथ परस्पर क्रियाएं

1. आईटीआर की ई-फाइलिंग की अंतिम तारीख (अर्थात् 31 जुलाई, 2013) को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन : समिति की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि सदस्यों और करदाताओं को, आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख से तीन चार दिन पूर्व ई-फाइलिंग वेबसाइट के धीमे हो जाने के कारण आय की विवरणी अपलोड करने में कठिनाई हो रही है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष, सीबीडीटी को आईटीआर की ई-फाइलिंग की अंतिम तारीख (अर्थात् 31 जुलाई, 2013) को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन किया गया था। तदनुसार, अंतिम तारीख को 5 अगस्त, 2013 तक बढ़ा दिया गया था । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारियों ने आईसीएआई को, इस संदेश को फैलाने के अनुरोध के साथ www.incometaxindiaefilling.gov.in तक पहुंच बनाने में आने वाली समस्यों को दूर करने के लिए एक कठिनाई निवारण गाइड भी भेजी थी। तदनुसार, इस कठिनाई निवारण गाइड को आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था।

2. लेखांकन वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विवरणियों और कर संपरीक्षा रिपोर्ट की ई-फाइलिंग के संबंध में प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा की गई कार्रवाईयां : आयकर विवरणियों और कर संपरीक्षा रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के संबंध में, समिति को यह संसूचित किया गया था कि सदस्यों के समक्ष कुछ कठिनाईयां आ रही हैं। इन कठिनाईयों का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा लिखित अभ्यावेदनों, बैठकों, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि जैसे विभिन्न प्रयास किए गए थे। इस संबंध में, किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं।

(क) जन्म तिथि का सुमेलन न होने के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करने में सदस्यों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों के संबंध में उदघोषणा को वेबसाइट पर रखना : कर संपरीक्षा रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के संबंध में समिति को यह संसूचित किया गया था कि जन्म तिथि और/या नाम का सुमेलन न होने के कारण ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर करने में सदस्यों के समक्ष कठिनाईयां आ रही हैं। विभिन्न कारणों से इस प्रकार का सुमेलन नहीं हो पा रहा था, जिसमें पेन कार्ड में गलत जन्म तिथि का होना, आईसीएआई के अभिलेखों में गलत जन्म तिथि का होना, पेन और आईसीएआई के अभिलेखों में भिन्न-भिन्न नामों का होना है। सदस्यों को ई-फाइलिंग पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्टर करने में समर्थ बनाने केलिए संस्थान की वेबसाइट पर एक उदघोषणा को रखा गया था, जिसमें नाम और/या जन्म तिथि में शुद्धि करने की ब्यौरवार प्रक्रिया अंतर्विष्ट थी।

(ख) समिति ने आयकर निदेशालय (प्रणाली) के पदधारियों के साथ "ई-फाइलिंग सुकर बनाना-मुद्दे और समाधान" विषय पर 29.08.2013 को नई दिल्ली स्थित आईसीएआई के मुख्यालय में सायं 4 से 7 बजे के दौरान एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया था। इस वेबकास्ट को निम्लिखित द्वारा संबोधित किया था।

आईसीएआई	आयकर विभाग
1. सीए. सुबोध के. अग्रवाल, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई 2. सीए. के. रघु, तत्कालीन उप अध्यक्ष, आईसीएआई (अब अध्यक्ष) 3. सीए. मनोज फडनीस, अध्यक्ष, आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति (अब उपाध्यक्ष, आईसीएआई)	1. श्री आर.के. मिश्रा, आयकर आयुक्त (सीपीसी) 2. श्री संजीव सिंह, आयकर निदेशक (प्रणाली) 2 3. श्री डी.एस. चावला, आयकर निदेशक (प्रणाली) 2 4. श्री आशिष अबरोल, आयकर अपर निदेशक (प्रणाली)

4. सीए. जे. शेखर, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति 5. सीए. संजय अग्रवाल, केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई 6. सीए. नवीन ए.डी. गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई की सीबीसीएएफ एंड एसएमपी समिति 7. सीए. श्याम लाल अग्रवाल, केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई 8. सीए. तरुण घिया, केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई	

यह वेबकास्ट अत्यधिक सफल हुआ था इसे लगभग 6000 दर्शकों ने देखा था ।

(ग) सदस्यों के समक्ष कर संपरीक्षा रिपोर्टों की ई-फाइलिंग के दौरान आने वाले मुद्दों का किसी हद तक समाधान करने के लिए, प्रत्यक्ष कर समिति ने 29.08.2013 को हुई अपनी 38वीं बैठक में आयकर निदेशालय (प्रणाली) के परामर्श से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी करने का विनिश्चय किया था । सदस्यों के लिए जारी किए जाने वाले बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को अंतिम रूप देने के लिए डीटीसी की 38वीं बैठक में आयकर निदेशालय (प्रणाली) के निम्नलिखित पदधारियों को आमंत्रित किया गया था ।

1. श्री आर.के. मिश्रा, सीआईटी (सीपीसी)
2. श्री संजीव सिंह, डीआईटी (प्रणाली) 2
3. श्री डी.एस. चावला, डीआईटी (प्रणाली) 3
4. श्री आशिष अबरोल, अपर डीआईटी (प्रणाली)

जैसा कि समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, कतिपय बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार किया गया था, जिन्हें सीए. मनोज फडनीस, समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात्, टीका टिप्पणियों/सुझावों के लिए आयकर निदेशालय (प्रणाली) के पदधारियों के समक्ष रखा गया था । इस प्रकार प्राप्त सुझावों को उपयुक्त रूप से उनमें सम्मिलित किया गया था और उन्हें अध्यक्ष, आईसीएआई के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।

(घ) 12.09.2013 को सीबीडीटी को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख/धारा 92ड. के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(ड.) 18.09.2013 को अपर डीआईटी (प्रणाली) के साथ बैठक की गई थी जहां ई-फाइलिंग के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों से संबंधित अनेक मुद्दों को उनकी जानकारी में लाया गया था और उनसे धारा 92ड. के अधीन कर संपरीक्षा रिपोर्ट और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(च) 24.09.2013 को एक बार पुन: सीबीडीटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख/धारा 92ड. के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा ई-फाइलिंग की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(छ) 24.09.2013 को कर संपरीक्षा रिपोर्ट और आयकर विवरणियों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सीबीडीटी के सदस्यों, अर्थात् सदस्य (आईटी), सदस्य (आईएनवी.), सदस्य (एएंडजे) से बैठक की गई थी ।

(ज) 26.09.2013 को, सीबीडीटी को, उसके तारीख 26 सितंबर, 2013 के आदेश फा.सं. 225/117/2013/आईटीए.2 के संबंध में, निम्नलिखित चिंताओं को विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अंतिम तारीख को विस्तारित करने का भी अनुरोध किया गया था :

i संपरीक्षा रिपोर्ट को मैनुअल रूप में प्रस्तुत करने में आने वाली कठिनाईयां

ii . संपरीक्षा रिपोर्टों और आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग के दौरान होने वाले मुद्दे

iii. आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों में सिविल तनाव और गुजरात तथा उत्तराखंड राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं

(झ) 27.09.2013 को सदस्य (आईटी), सीबीडीटी के साथ बैठक, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे सीबीडीटी के तारीख 26 सितंबर, 2013 के आदेश फा.सं. 225/117/2013/आईटीए.2 के अनुपालन के संबंध में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों पर विचार करें और साथ ही संपरीक्षा रिपोर्टों और आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की अंतिम तारीख को विस्तारित करने का भी अनुरोध किया गया था ।

(ञ) 30.09.2013 को राजस्व सचिव के साथ बैठक, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे सीबीडीटी के तारीख 26 सितंबर, 2013 के आदेश फा.सं. 225/117/2013/आईटीए.2 के अनुपालन के संबंध में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों पर विचार करें और साथ ही संपरीक्षा रिपोर्टों और आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए दृढ़ अनुरोध किया गया था ।

(ट) 30.09.2013 को सीबीडीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वह संपरीक्षा रिपोर्टों और विवरणियों को अपलोड करने में आने वाली कठिनाईयों पर विचार करें और 1.10.2013 को उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि वह उत्तराखंड राज्य में निर्धारितियों के समक्ष आने वाली कठिनाईयों पर विचार करे ।

(ठ) 3.10.2013 को सीबीडीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे मामलों में जहां 30.09.2013 से पूर्व मैनुअल रूप से संपरीक्षा रिपोर्टों को फाइल नहीं किया गया है किंतु 31 अक्तूबर, 2013 से पूर्व उनकी ई-फाइलिंग कर दी गई है, धारा 271ख के अधीन उनके विरुद्ध शास्तिक कार्रवाईयां न करने संबंधी एक परिपत्र जारी करे ।

(ड) 3.10.2013 को सीबीडीटी के सदस्य (आईटी) और सदस्य (आईएनवी) के साथ बैठक, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वह ऐसे मामलों में जहां 30.09.2013 से पूर्व मैनुअल रूप से संपरीक्षा रिपोर्टों को फाइल नहीं किया गया है किंतु 31 अक्तूबर, 2013 से पूर्व उनकी ई-फाइलिंग कर दी गई है, धारा 271ख के अधीन उनके विरुद्ध शास्तिक कार्रवाईयां न करने संबंधी एक परिपत्र जारी करे ।

(ढ) 7.10.2013 को अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ बैठक, जिसमें उनसे 30.09.2013 को हुई तकनीकी खराबी के कारण संपरीक्षा रिपोर्टों और विवरणियों को अपलोड करने में हुई कठिनाईयों पर विचार करें और यह अनुरोध भी किया गया था कि वह फाइलिंग की अंतिम तारीख को उचित रूप से विस्तारित करें ।

(ण) आयकर विवरणियों और संपरीक्षा रिपोर्टों को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने की मांग करते हुए कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी/संघों या व्यष्टिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं के संबंध में आईसीएआई को यह संसूचित किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त रिटों पर सुनवाई करते हुए 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है, जिसमें आईसीएआई के भी दो प्रतिनिधि सम्मिलित थे, इस समिति को अंतिम तारीख के विस्तारण के संबंध में एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था । तदनुसार, 15.10.2013 को अध्यक्ष, सीबीडीटी को एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनसे तकनीकी खराबी के कारण संपरीक्षा रिपोर्टों और विवरणियों को अपलोड करने में हुई कठिनाईयों पर विचार करने और फाइलिंग की अंतिम तारीख को उचित रूप से विस्तारित करने का अनुरोध किया गया था ।

(त) दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सीए मनोज फडनीस, तत्कालीन अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति और सीए. संजय अग्रवाल, सीसीएम ने 21.10.2013 को अध्यक्ष, सीबीडीटी से मुलाकात की थी । श्री आर. के. तिवारी, सदस्य (आईटी), श्री दिलीप शिवपुरी, डीजीआईटी (प्रणाली), श्री संजीव सिंह, डीआईटी (प्रणाली) भी इस अवसर पर उपस्थित थे । पुन: एक बार कठिनाईयों को ब्यौरेवार उनके समक्ष रखा गया था ।

3. कर प्रशासन सुधार आयोग की बैठक : सरकार ने, वैश्विक उत्तम व्यवहारों के संबंध में भारत में कर निधियों और कर विधियों के लागू होने का पुनर्विलोकन करने के विचार से कर प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया था । आयोग से यह आशयित था कि वह वित्त मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करे और कर प्रशासन की प्रभाविकता और दक्षता में वृद्धि करने के लिए उसमें अपेक्षित सुधारों हेतु उपायों की सिफारिश करे ।

इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कर विधियों के अनुपालन पक्ष में सम्मिलित हैं, यह महसूस किया गया था आईसीएआई का कर प्रशासन सुधार आयोग की परिचर्चाओं में भारी योगदान करने में समर्थ होगा । तदनुसार, डा. पार्था सारथी शोम से यह अनुरोध किया गया था कि वे टीएआरसी द्वारा समीक्षा किए जाने वाले मामलों के संबंध में आईसीएआई के अंत:निवेशों/सुझावों पर विचार करें ।

आयोग ने उद्योग संघों/चैम्बरों और वृत्तिक निकायों सहित विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करने के लिए देशभर के प्रमुख स्थानों का दौरा किया था । उद्योग निकायों के साथ इस प्रकार के दूसरे परामर्श का आयोजन 22 जनवरी, 2014 को मुंबई में किया गया था जिसमें आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी पणधारियों को आमंत्रित किया था और उनसे यह अनुरोध किया था कि वे ऊपर उल्लिखित कर प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अपने अंत:निवेश/सुझाव प्रस्तुत करें । सीए. मनोज फडनीस, तत्कालीन अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति और सीए. तरुण घिया, सीसीएम ने आईसीएआई की ओर से उक्त बैठक में भाग लिया

था । आईसीएआई से प्रत्यक्ष कर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान सहित) और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कर प्रशासन मुद्दों को सामने रखने का अनुरोध किया गया था । प्रत्यक्ष कर समिति ने अप्रत्यक्ष कर समिति तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति के साथ संयुक्त रूप से, वेबसाइट पर एक उदघोषणा के माध्यम से सदस्यों से इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए थे ।

इस प्रकार प्राप्त सुझावों के आधार पर, आईसीएआई के अंत:निवेशों को डा. पार्थासारथी शोम, अध्यक्ष, कर प्रशासन सुधार आयोग को प्रस्तुत किया गया था ।

4. आईटीएटी ई-न्यायालय परियोजना के संबंध में आईसीएआई के सुझाव : आयकर अपील प्राधिकरण ने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का फायदा उठाते हुए ई-न्यायालय परियोजना को अग्रसर किया था, जिसमें गैर कार्यरत पीठों को कार्यरत पीठों से जोड़ा गया था और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं का संचालन किया गया था । चूंकि आईटीएटी में सदस्यों की भारी कमी थी, इसलिए अनेक पीठों का कार्यकरण रुक गया था, जिसके कारण मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों के समक्ष कठिनाईयां आ रही थी और लंबित अपीलों की संख्या में भी वृद्धि हो रही थी । इस बात पर विचार करते हुए, माननीय अध्यक्ष, आईटीएटी ने यह वांछा की थी कि ई-न्यायालय परियोजना की परिधि का विस्तार आईटीएटी की अन्य गैर कार्यरत पीठों, अर्थात् जबलपुर, पटना, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, जोधपुर, कटक, रांची और रायपुर तक भी किया जाए जिससे इन पीठों के कार्यकरण को पुन: आरंभ किया जा सके और मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के सामने आने वाली कठिनाईयों को कम किया जा सके ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आईटीएटी ने विधिज्ञ संघों, विभागीय प्रतिनिधियों, अपीलकर्ताओं, प्रतिवादियों और साधारण जनता से जबलपुर, पटना, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, जोधपुर, कटक, रांची, रायपुर, आगरा, राजकोट और पणजी पीठों को आईटीएटी, मुंबई/नई दिल्ली से जोड़कर ई-न्यायालयों की स्थापना और वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपीलों और आवेदनों की सुनवाई करने के संबंध में लिखित में सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां और/या आक्षेपों को आमंत्रित किया था । आईसीएआई, जो कि राष्ट्र निर्माण में एक भागीदार है, ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपीलों की सुनवाई करने से संबंधित कतिपय विनियमों के संबंध में अपने अंत:निवेश प्रस्तुत किए थे ।

5. 30.10.2013 को आयोजित टीडीएस संबंधी स्थायी समिति की चौथी बैठक : 30.10.2013 को टीडीएस संबंधी स्थायी समिति की चौथी बैठक का आयोजन किया गया था । सीए. मनोज फडनीस, तत्कालीन अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, सीए. जी. शेखर, तत्कालीन उपाध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने समिति के सचिव के साथ उक्त बैठक में भाग लिया था । इस बैठक की अध्यक्षता श्री यू. के. शुक्ला, तत्कालीन डीजीआईटी (प्रशासन) द्वारा की गई थी और इसमें एएसएसओसीएचएएम, आईसीएसआई आदि के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । इस प्रकार, सदस्यों से प्राप्त मुद्दों को विचारार्थ उक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था । इस प्रकार उठाए गए मुद्दों को काफी सराहा गया था ।

6. कर लेखांकन मानक (टीएएस) संबंधी लेखांकन मानक समिति की अंतिम रिपोर्ट के संबंध में ब्यौरेवार सुझावों का प्रस्तुत किया जाना : आईसीएआई ने सीबीडीटी द्वारा, अधिनियम की धारा 145(2) के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए लेखांकन मानक तैयार करने के लिए गठित लेखांकन मानक समिति की अंतिम रिपोर्ट के संबंध में अपने आरंभिक अंत:निवेश प्रस्तुत किए थे । आईसीएआई की पूर्वत्तर प्रस्तुतियों को जारी रखते हुए, विनिर्दिष्ट 14 प्रारुप लेखांकन मानकों के संबंध में ब्यौरेवार सुझाव सीबीडीटी को उसके विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे ।

7. जेडीआईटी (अनुसंधान) को पूंजी अभिलाभ मुद्दे से संबंधित अंत:निवेशों का प्रस्तुत किया जाना : आयकर संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) से ई-मेल के द्वारा एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें नीचे उल्लिखित किए गए अनुसार पूंजी अभिलाभ संबंधी मुद्दे पर आईसीएआई के विचार मांगे गए थे:

"क्या भूमि के अंतरण से उदभूत होने वाले पूंजी लाभ को उस दशा में कराधीन किया जाना चाहिए, जब भूमि के स्वामी ने रजिस्ट्रीकृत संयुक्त विकास करार (जेडीए) पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसरण में, उस वर्ष में, जिसमें भूमि को भौतिक रूप से विकासकर्ता को अंतरित कर दिया था या उस वर्ष में अंतरित कर दिया था, जिसमें विकासकर्ता से संनिर्मित क्षेत्र प्राप्त हुआ है ?"

सभी केंद्रीय परिषद् सदस्यों और समिति सदस्यों से उक्त मुद्दे पर सुझाव देने का अनुरोध किया गया था । इस प्रकार प्राप्त सुझावों को अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा सम्यक् विचार करने के पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किया गया था और उन्हें उपयुक्त रूप से विचार करने हेतु जेडीआईटी (अनुसंधान) को प्रस्तुत किया गया था ।

8. प्ररुप सं. 3गख और 3गड.ख की ई-फाइलिंग में आने वाले मुद्दों को प्रस्तुत करना : समिति को प्ररुप सं. 3गख और 3गड.ख की ई-फाइलिंग में सदस्यों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में रिपोर्ट किया गया था । उन्हें समुचित समाधान हेतु अपर डीआईटी (प्रणाली) को रिपोर्ट किया गया है ।

9. नागरिक चार्टर 2010 का पुनर्विलोकन – आयकर निदेशालय से पत्र : आईसीएआई को आयकर निदेशालय (जन-संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन और शासकीय भाषा) से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि नागरिक चार्टर 2010 के संबंध में विचार करने और पुनर्विलोकनाधीन नागरिक चार्टर में सम्मिलित किए जाने वाले संभावी परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है । आईसीएआई से नागरिक चार्टर में सुधार करने और/या उसकी परिधि में विस्तार करने के लिए सुझाव/अंत:निवेश देने का अनुरोध किया गया था । समिति 10.01.2014 को हुई अपनी 40वीं बैठक में इस संबंध में विचार किया था और अपने सुझावों को अंतिम रूप दिया था । तदनुसार, उन सुझावों को प्रस्तुत किया गया था ।

10. लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए अधिसूचित किए जाने वाले आईटीआर प्ररुपों और अन्य प्ररुपों के प्ररुप के संबंध में सुझाव : प्रत्यक्ष कर समिति से लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए अधिसूचित किए जाने वाले आईटीआर प्ररुपों और अन्य प्ररुपों जैसे कि प्ररुप सं. 3गक/3गख/3गघ/3गड.ख के प्ररुपों के संबंध में अंत:निवेश मांगे गए थे । इस संबंध में, सुझाए गए परिवर्तनों की एक सूची भी उपलब्ध कराई गई थी । सभी परिषद् सदस्यों और समिति सदस्यों से आईटीआर प्ररुपों में इस प्रकार सुझाए गए परिवर्तनों के संबंध में अपने अंत:निवेश देने का अनुरोध किया गया था । तत्कालीन अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति के समन्वयनाधीन सृजित इंदौर अध्ययन समूह को इस संबंध में अंत:निवेश तैयार करने का कार्य सौंपा गया था । इस प्रकार प्राप्त सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् इन्हें प्रस्तुत किया गया था ।

11. "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण" और "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञग के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण" के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन के संबंध में अध्यक्ष, सीबीडीटी को जानकारी : वर्ष 2013-14 में, प्रत्यक्ष कर समिति ने "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण" के पुनरीक्षित संस्करण और साथ ही एक नया "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञग के अधीन रिपोर्ट संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण" का प्रकाशन किया था । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, प्ररुप सं. 3गक/3गख/3गघ/3गड.ख और प्ररुप सं. 29ग के विनिर्दिष्ट खंडों के संबंध में उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शन के बारे में जानकारी देने के लिए अध्यक्ष, आईसीएआई के हस्ताक्षरों के अधीन अध्यक्ष, सीबीडीटी को एक पत्र भेजा गया था । पूर्वोक्त मार्गदर्शन टिप्पणों की प्रतियों को भी उक्त पत्र के साथ भेजा गया था । कर संपरीक्षा संबंधी मामलों के सुचारु निर्धारण को समर्थ् बनाने के लिए अध्यक्ष, सीबीडीटी से यह अनुरोध किया गया था कि वे आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे मार्गदर्शन के बारे में निर्धारण अधिकारियों को अवगत कराएं ।

12. चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जारी किए जाने के लिए अपेक्षित प्ररुप सं. 3गक/3गख/3गघ और अन्य प्ररुपों के संबंध में सुझाव : अवर सचिव (टीपीएल-3) से तारीख 3.1.2014 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कर संपरीक्षा के विद्यमान प्ररुपों में उपांतरणों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव मांगे गए थे । सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अंत:निवेश तैयार किए गए थे । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि एसए 700 गैर निगम अस्तित्वों को भी लागू है, प्ररुप सं. 3गख के प्ररुप में कतिपय परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, जहां निर्धारिती के लेखाओं को किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित नहीं किया गया है । ये सुझाव, एसए 700 की अपेक्षाओं के अनुपालन में प्ररुपों का सुझाव देने के प्रयोजन के लिए सृजित अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर आधारित थे । चार्टर्ड अकाउंटेंटों और आईटीआर से संबंधित ऐसे अन्य प्ररुपों के, जिन्हें लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए अधिसूचित किया जाना है, संबंध में अतिरिक्त सुझाव भी प्रस्तुत किए गए थे ।

13. 12.03.2014 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली श्री आर.के. तिवारी, अध्यक्ष (सीबीडीटी) के साथ बैठक : अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में उत्तरदायित्व संभालने के पश्चात् श्री आर.के. तिवारी को बधाई देने के लिए सीए. जी. शेखर, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, सीए. संजीव कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, सीए. एम. देवराजा रेड्डी, सीसीएम, सीए. नवीन एनडी गुप्ता, सीसीएम ने समिति के सचिव के साथ 12.03.2014 को नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी ।

14. आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद में एक्सबीआरएल संबंधी बैठक - 1.5.2014 : आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद में 1.5.2014 को आयकर विभाग के साथ ई-फाइलिंग हेतु एक्सबीआरएल को अपनाने की साध्यता का पता लगाने के लिए डीआईटी (एस) -2, ई-फाइलिंग दल, टीपीएल और आईसीएआई के बीच एक बैठक की गई थी । एक्बीआरएल-भारत ने एक प्रस्तुतीकरण किया था, जिसमें एक्सबीआरएल के आधारिक संघटकों, वित्तीय विवरणों में उनकी उपयोगिता, एक्सबीआरएल के फायदों, भारत में एक्सबीआरएल फाइलिंग, क्षेत्र विनिर्दिष्ट वर्गीकरण, कर फाइलिंग के लिए एक्सबीआरएल : अंतर्राष्ट्रीय प्रास्थिति एक्सबीआरएल के फायदे/भारत में एक्सबीआरएल फाइलिंग : वर्तमान परिदृश्य, आयकर फाइलिंग के लिए एक्सबीआरएल के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षाओं को ब्यौरेवार स्पष्ट किया गया था । उक्त बैठक में

निगम और गैर निगमों द्वारा प्ररुप सं. 3गक/3गख के साथ वित्तीय विवरणों को एक्सबीआरएल प्ररुपों में फाइल करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था ।

15. आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद में सीआईटी (ओएसडी), सीपीसी – ई-फाइलिंग और डीआईटी प्रणाली के साथ बैठक – 11.4.2014 : सीए जी. शेखर, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने समिति के सचिव के साथ श्री रमेश कृष्णामूर्ति, सीआईटी (ओएसडी) – सीपीसी के प्रभारी और श्री संजीव सिंह, डीआईटी (प्रणाली) के साथ 11.4.2014 को वैशाली, गाजियाबाद में एक बैठक की थी । एकल आईटीआर प्ररुप, प्ररुप सं. 15छ, 15ज, 60 और 61 की ई-फाइलिंग, धारा 80ग, 80घ, 24(ख) के अधीन कटौतियों के दावों का वृत्तिकों आदि द्वारा सत्यापन जैसे विभिन्न मुद्दों पर ब्यौरेवार विचार-विमर्श किया गया था । अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने ऐसे किसी अनुसंधान कार्य, जिसे विभाग करने की वांछा रखता हो, के संबंध में आईसीएआई की सेवाओं का भी प्रस्ताव किया था ।

16. प्रत्यक्ष कर संहिता, 2013 में "एकाउंटेंट" की परिभाषा के संबंध में चिंताएं : प्रत्यक्ष कर संहिता, 2013 में "एकाउंटेंट" की परिभाषा के अंतर्गत अन्य वृत्तिको को भी सम्मिलित करके उसकी परिधि का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया था । यह सत्य है कि आयकर अधिनियम, 1961 के ऐसे विभिन्न उपबंधों, जिनके अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विभिन्न अस्तित्वों के लेखाओं की संपरीक्षा और उनके प्रमाणन संबंधी उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, में सुसंगत लेखाओं की "संपरीक्षा" पर बल दिया गया है, जो कि अनन्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंटों का कार्य क्षेत्र है । इस संबंध में आईसीएआई ने आईसीएआई के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन को, उसकी चिंताएं व्यक्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री के समक्ष रखा था ।

इस संबंध में सीए. के. रघु, अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए. मनोज फेडनीस, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने समिति के सचिव के साथ श्री राजीव टकरु, तत्कालीन राजस्व सचिव और आर.के. तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष, सीबीडीटी के साथ 16.04.2014 को मुलाकात की थी और उन्हें एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था । इस अभ्यावेदन की एक प्रति श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना, संयुक्त सचिव (टीपीएल-1) और श्री सुनील गुप्ता (टीपीएल-2) को भी सौंपी गई थी । चूंकि सदस्य इस संबंध में चिंतित थे इसलिए उपरोक्त तथ्यों को सदस्यों की जानकारी के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

17. 22.5.2014 को सीपीसी (टीडीएस) आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद में सीआईटी, सीपीसी (टीडीएस) के साथ बैठक का आयोजन : सीए. जी. शेखर, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति ने समिति के सचिव के साथ श्री रवि अग्रवाल, सीआईटी, सीपीसी (टीडीएस), श्री सतपाल गुलाटी, अपर आयुक्त, सीपीसी (टीडीएस) और साथ ही सीपीसी (टीडीएस) के अन्य अधिकारियों के साथ 22.5.2014 को वैशाली, गाजियाबाद में बैठक की थी । इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था :

क) "शून्य" त्रुटि विवरणी/संदाय के मद्दे अनुपालन

ख) एएस 26 भाग छ में सुमेलित न होने वाली मदों की संपरीक्षा और अन्य त्रुटियां

ग) "एकीकृत टीडीएस अनुपालन" के संबंध में सीपीसी (टीडीएस) के नए कार्यकरण पर विचार-विमर्श किया गया था । सीपीसी (टीडीएस) जारी विभिन्न सूचनाओं को भी प्रस्तुत किया गया था । चूंकि अधिकांश टीडीएसविवरणियों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों के माध्यम से फाइल किया जाता है । आईसीएआई से यह अनुरोध किया गया था कि वह विभिन्न साधनों से उक्त कार्यकरण का प्रचार करें । अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति इस बात से सहमत थे कि उक्त प्रणाली को मेल, देश भर में आयोजित किए जा रहे वेबिनारो, कर जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए । अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति और सीआईटी, सीपीसी (टीडीएस) "शून्य" अनामेलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हुए थे ।

उक्त संसूचनाओं के संबंध में वेबसाइट पर उदघोषणा और सभी सदस्यों को एक साथ मेल भेजकर भी आईसीएआई के सदस्यों को अवगत कराया गया है ।

18. ई-प्ररुपों में प्रस्तुत संप्रेक्षण : लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए अधिसूचित किए जाने वाले आईटीआर प्ररुपों 4, 5 और 6 के संबंध में संप्रेक्षणों पर प्रत्यक्ष कर समिति से आगे और अंत:निवेशों का अनुरोध किया गया था । तदनुसार, आईटीआर प्ररुपों में सुझाए गए ऐसे परिवर्तनों के संबंध में अंत:निवेश सीआईटी (ओएसडी) को प्रस्तुत किए गए थे ।

19. ई-फाइलिंग का विकल्प लेने के लिए पत्र फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए टिप्पण : पत्र रूप में फाइल करने वाले व्यक्तियों को आईटी विवरणियों की ई-फाइलिंग हेतु प्रोत्साहित करने के संबंध में 1.5.2014 को सीआईटी (ओएसडी) के साथ

हुई बैठक में, जिसमें अध्यक्ष, डीटीसी, सचिव, डीटीसी ने भी भाग लिया था, संस्थान के विचारों का अनुरोध किया गया था । उन्हें सीआईटी (ओएसडी) को प्रस्तुत कर दिया गया था ।

20. करदाताओं के संपर्क ब्यौरों को अद्यतन करने के संबंध में की गई उदघोषणा के संबंध में अभ्यावेदन का प्रस्तुत किया जाना : अधिकांश आयकर विवरणियां चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा फाइल की जाती हैं और उनके दैनिक कार्यकरण के दौरान उनके समक्ष आने वाले मुद्दों को उनके द्वारा आईसीएआई को रिपोर्ट किया जाता है । हाल ही में, 19.06.2014 को ई-फाइलिंग वेबसाइट में की गई उदघोषणा के संबंध में आईसीएआई को, उस प्रक्रिया के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के बारे में फोन या ई-मेल के माध्यम से सैकड़ों अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें तुरंत विचार तथा कार्रवाई करने हेतु जानकारी में लाया गया था । आईसीएआई के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए ओटीपी को 24 घंटें तक विधिमान्य बनाया गया है और साथ ही ई-मेल आईडी की संख्या को 4 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है ।

21. कार्यबल की अंतिम सिफारिशों के कतिपय विनिर्दिष्ट कर संबंधी भागों के संबंध में अंत:निवेशों का प्रस्तुत किया जाना : आईसीएआई से, श्री जयतीरथ राव की अध्यक्षता के अधीन 16.7.2013 को हुई रेंटल हाउसिंग संबंधी कार्यबल की बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया गया था और साथ ही उसे कार्यबल की अंतिम सिफारिशों के कतिपय विनिर्दिष्ट कर संबंधी भागों के संबंध में अंत:निवेशों का प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था ।

22. 17.10.2013 को झंडेवालान, नई दिल्ली में डीजीआईटी (प्रणाली) के साथ बैठक : सीए. मनोज फडनीस, तत्कालीन अध्यक्ष, डीटीसी, सीए. जी. शेखर, तत्कालीन उपाध्यक्ष, डीटीसी और सीए. मुक्ता के. वर्मा, सचिव, समिति ने 17.10.2013 को झंडेवालान, नई दिल्ली में श्री दिलीप शिवपुरी, डीजीआईटी (प्रणाली) और श्री राजीव सिंह, डीआईटी (प्रणाली) के साथ बैठक की थी । इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था :

(i) आईटीआर V का प्राप्त न होना

(ii) निगमों द्वारा आज्ञापक रूप से विभाग द्वारा जारी प्रतिदायों के संबंध में ईसीएस प्राप्त करना

(iii) कर जागरुकता कार्यक्रम और सीपीसी (टीडीएस) और सीपीसी, बैंगलुरु के दौरे ।

5.9.2 <u>बजट – 2014 से संबंधित क्रियाकलाप</u>

बजट पूर्व ज्ञापन, 2014 पर सुझाव : प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को बजट पूर्व सुझाव प्रस्तुत किए गए थे । बजट पूर्व ज्ञापन – 2014 में सम्मिलित करने हेतु सुझावों के लिए, आईसीएआई की वेबसाइट पर उदघोषणा के माध्यम से देश भर के सदस्यों से अनुरोध किया गया था । इस प्रकार प्राप्त सुझावों को समेकित किया गया था और प्रत्यक्ष कर समिति ने उन पर विचार किया था । तदनुसार, 2.6.2014 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पदधारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें बजट पूर्व ज्ञापन सौंपा गया था । इस ज्ञापन को आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था और सभी सदस्यों की जानकारी के लिए उसे एक साथ उन्हें मेल से भी भेजा गया था ।

5.10 आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति

आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. संबंधी समिति आईसीएआई की एक अस्थायी तकनीकी समिति है, जिसे अन्य बातों के साथ, आर्थिक और वाणिज्यिक तथा कारबार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों का विश्लेषण करने, उनसे संबंधित जानकारी का प्रसार करने, नीति तैयार करने के लिए अंतर्निवेश प्रदान करने और उनके संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने का बहु कार्यकरण संबंधी कार्य सौंपा गया है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, समिति ने सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार और उनकी सक्षमता निर्माण के संबंध में, विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों आदि को अभ्यावेदन प्रस्तुत करके विभिन्न पहले की हैं । वर्ष के दौरान समिति द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज और पहलें की गई थीं :

5.10.1 <u>अंतरराष्ट्रीय पहलें</u>

<u>डब्ल्यू.टी.ओ. लोकमंच – 2013</u>

"नव परिवर्तन और अंकीय अर्थ व्यवस्था के माध्यम से व्यापार का विस्तार" शीर्षक के अधीन एक डब्ल्यू.टी.ओ. लोकमंच का आयोजन 1 से 3 अक्तूबर, 2013 के दौरान जेनेवा में किया गया था । इस मंच में नव परिवर्तन और अंकीयकरण के युग में व्यापार के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया था । इन मुद्दों में नव परिवर्तन, अंकीय अर्थव्यवस्था नए प्रौद्योगिकी

उत्पादों तथा सेवाओं का विकास और सुरक्षा, बौद्धिक संपदा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी का प्रसार, प्रीवेसी, व्यापार को सुकर बनाना, ऊर्जा में व्यापार और चिकित्सीय नव परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में अंतर्वलित मुद्दे सम्मिलित थे । इस मंच में विश्वभर से आए प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था ।

दूतावासों/उच्चायोगों के व्यापार संबंधी पदधारियों के साथ परस्पर क्रिया

समिति द्वारा 17 दिसंबर, 2013 को मुंबई में "जर्मनी में कारबार/वृत्तिक अवसर" विषय पर एक व्याख्यान बैठक का आयोजन किया गया था । सुश्री आशा मारिया शर्मा, निदेशक, जर्मन व्यापार और निवेश जीएमबीएच ने सदस्यों को संबोधित किया था और इस बैठक में लगभग 250 सदस्यों ने भाग लिया था ।

आईसीएआई के पदधारियों ने महामहिम फ्रेडरिका आर्नब्रांट, स्वीडन के काउंसेलेट जनरल के साथ मुंबई में और महामहिम मोहम्मद हातिमी अब्बास, मलेशियाई दूतावास के काउंसेलेट जनरल के साथ मुंबई में 18 दिसंबर, 2013 को परस्पर क्रियाशील बैठकें की थी, जो कि समिति की विभिन्न देशों के राजदूत और व्यापार काउसलेटों के सहयोग से भविष्य में ऐसी और परस्पर क्रियाशील बैठकों का आयोजन करने संबंधी पहल के अनुरूप था ।

वाणिज्यिक मध्यस्थता संबंधी अंतरराष्ट्रीय परिषद (आईसीसीए)

साथी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों, न्यायाधीशों, निगम काउंसेलों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने तथा उनके साथ परस्पर क्रिया करने हेतु एक प्रीमियम मंच उपलब्ध कराने के लिए "विधिपरकता : मिथक, वास्तविकताएं, चुनौतियां" विषय पर "वाणिज्यिक मध्यस्थता संबंधी अंतरराष्ट्रीय परिषद (आईसीसीए) की मियामी-2014 कांग्रेस" का आयोजन मियामी में 6 से 9 अप्रैल, 2014 के दौरान किया गया था, जो कि एक उत्तम कारबार नेटवर्किंग केंद्र के रूप में कार्य करता है और परस्पर हित के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श को सुकर बनाता है ।

5.10.2 माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

समिति ने, संबंधित प्रादेशिक परिषदों/प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के सहयोग से माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के निम्नलिखित बैचों का आयोजन किया था :

- मई, 2013 में इंदौर में माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का 15वें बैच का आयोजन । 49 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस पाठयक्रम को पूरा किया था ।
- अगस्त, 2013 में मुंबई में माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का 16वें बैच का आयोजन । 28 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस पाठयक्रम को पूरा किया था ।
- मई-जून, 2014 में नई दिल्ली में माध्यस्थम संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का 17वें बैंच का आयोजन । 18 सदस्यों ने सफलतापूर्वक इस पाठयक्रम को पूरा किया था ।

विधि के क्षेत्र से विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सीए वृत्ति के अनुभवी सदस्यों तथा सरकारी विभागों तथा विनियामक निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पाठयक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था ।

5.10.3 आईसीएआई के मध्यस्थों के पैनल का संवर्धन

वर्तमान में 563 सदस्य आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल में पैनलबद्ध है । वर्ष के दौरान, समिति ने आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल में पैनलबद्ध सदस्यों की सेवाओं के उपयोग का उच्च न्यायालयों, सहकारी सोसाइटी, व्यापार चेम्बरों आदि जैसे उपयोक्ता निकायों के बीच संवर्धन करने के लिए पहलें की हैं और इस दिशा में अनेक प्रयास भी किए थे । इस संबंध में, एक उचित संसूचना उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार, चेम्बर्स ऑफ कामर्स, सहकारी सोसाइटी के रजिस्टारों, निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार निकाय आदि को भेजी गई थी ।

उपरोक्त संसूचना के प्रत्युतर में और जैसे कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महारजिस्टार द्वारा वांछा की गई थी, आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल की एक प्रति, माध्यस्थमों की नियुक्ति में उनके द्वारा उपयोग हेतु उन्हें उपलब्ध कराई गई है। साथ ही निदेशक, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से भी आईसीएआई के माध्यस्थमों के पैनल को मान्यता देने के लिए संपर्क किया गया है ।

5.10.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यू.टी.ओ. में अर्हता पश्च पाठ्यक्रम

वर्ष 2013 के लिए 30 दिवसीय वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पी.सी.पी.) के पहले बैच का आयोजन समिति द्वारा 15-15 दिन के दो चरणों (प्रथम चरण 8 से 22 जुलाई, 2013 और दूसरा चरण 29 जुलाई से 12 अगस्त, 2013) में नोएडा में किया गया था और इसका अन्य पद्धतियों, अर्थात् वीडियो कांफ्रेसिंग आदि के माध्यम से साथ-साथ प्रसारण भी किया गया था जिससे कि देश में रहने वाले अधिकाधिक सदस्यों को इन कक्षाओं में भाग लेने हेतु समर्थ बनाया जा सके और वे नवंबर, 2013 की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो सकें।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के वरिष्ठ सरकारी पदधारियों, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के संकाय, विख्यात विधि फर्मों, व्यापार और उद्योग जगत के व्यक्तियों, वृत्तिकों, परामर्शियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ के क्षेत्र से जुड़े अन्य अनुसंधान आधारित संगठनों से मिलकर बने प्रमुख संकाय ने इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया था।

5.10.5 विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को अभ्यावेदन

"यूरोपीय संघ के भारत ईयू बीटीआईए के अधीन लेखांकन क्षेत्र के संबंध में अनुरोध पर भारत के प्रत्युत्तर" के संबंध में ब्यौरेवार कार्ययोजना को आईसीएआई के तारीख 2 सितंबर, 2013 के पत्र द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय को भेजा गया है।

5.11 नैतिक मानक बोर्ड

प्रायः हम यह देखते है कि किसी विशिष्ट वृत्ति या कारबार के साथ त्वरित उत्थान, दीप्ति और चकाचौंध जुड़ी होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं जिनके अंतर्गत उस समय बिन्दु पर समाज की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा का वर्तमान स्तर, सरकार की नीति आदि हैं। यद्यपि, वे व्यक्ति, जो ऐसी परिस्थितियों में नेता के रूप में उभरकर सामने आते हैं, प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नैतिकता, मूल्यों और अनुशासन की संस्कृति को अंगीकार करते हैं ; अन्यथा प्रत्यक्ष विकास और समृद्धि ताश के पिरामिड की भांति होगी जो कि हवा के एक झोके से ढह जाते हैं। प्राचीन समय से नैतिकता को एक ऐसी वस्तु के रूप में जाना जाता है जो कि उत्तम और आदर्शवादी है। हालांकि, समकालीन विश्व, विशेष रूप से वृत्तिकों का संसार नैतिकता के इस विचार से संतुष्ट नहीं है। यह समझता है कि नैतिकता को, यदि उसे अपना प्रयोजन सिद्ध करना है तो क्रियाशील, व्यावहारिक और अपरिहार्य होना होगा।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के परिप्रेक्ष्य से, नैतिक शास्त्र का अनुपालन करने की अपेक्षा उस समय और अधिक बढ़ जाती है, जब समाज उनकी ओर उच्च स्तरीय प्रत्याशा और विश्वास की दृष्टि डालता है। केंद्रीय और राज्य सरकारें विभिन्न लोक तथा अन्य अभिकरण और देश की साधारण जनता के लिए यह आवश्यक है कि उनका चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति विश्वास हो। जो कुछ व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के बारे में कहा जा सकता है, वहीं बातें सेवारत सदस्यों के बारे में भी सत्य हैं क्योंकि इस समय काफी अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट सरकार और निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

संस्थान की सदैव यह परंपरा रही है कि वह वृत्ति के सभी मानकों की दृष्टि में स्वयं के लिए उच्चतम मानदंड स्थापित करें तथा निरंतर इन मानकों के कार्यकरण की मानीटरी करता रहे। इस उद्देश्य के साथ, संस्थान के नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी) का गठन वर्ष 1975 में वृत्ति के सदस्यों के लिए नैतिक मानकों को तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रारंभ से ही, यह बोर्ड विभिन्न वृत्तिक साधनों और पद्धतियों के माध्यम से सदस्यों के प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को सुदृढ़ करने के लिए सदस्यों को सुसज्जित बनाने हेतु विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। नैतिक मानक बोर्ड ने सदैव इस बारे में अभिकल्पना की है कि किस प्रकार सदस्यों को एक ओर नैतिकता के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया जा सके और दूसरी ओर उन्हें इस नैतिकता के स्वैच्छिक अनुपालन के लिए अभिप्रेरित किया जा सके।

संस्थान का नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी) नैतिक संहिता को अद्यतन बनाने का कार्य करता है। बोर्ड का मिशन निम्नानुसार है :

> *'श्रेष्ठता, स्वाधीनता, सत्यनिष्ठा के आदर्शों को दीर्घकाल से हृदय में संजोए रखते हुए, सदस्यों के लिए नैतिकता और नैतिक व्यवहार की समसामयिक और प्रगतिशील संहिता को उत्सर्जित करने का कार्य करना और सदस्यों की गरिमा और हितों की रक्षा करना भी है।'*

नैतिक संहिता, 2009, जो कि संहिता का 11वां और वर्तमान संस्करण है, में पहली बार आईएफएसी के प्रति आईसीएआई की सदस्यता संबंधी बाध्यता के अनुपालन में आईएफएसी की नैतिक संहिता के उपबंधों को सम्मिलित किया गया है। नैतिक

संहिता, 2009 दो भागों, अर्थात् भाग क और भाग ख में विभाजित है, भाग क में आईएफएसी की नैतिक संहिता के उपबंध सम्मिलित हैं और भाग ख चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 पर आधारित है।

नैतिक मानक बोर्ड, उसे निर्दिष्ट नैतिकता संबंधी मुद्दों की समीक्षा भी करता है और उनपर अपनी राय भी प्रदान करता है। नैतिक संहिता के अलावा बोर्ड अपने प्रकाशनों 'नैतिकता संबंधी मुद्दों पर एफ.ए.क्यू.', 'संपरीक्षकों की स्वतंत्रता पर मार्गदर्शन टिप्पण' का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण भी करता है। बोर्ड सदस्यों के लिए मूलभूत सिद्धांतों, जैसे सत्यनिष्ठा, विषय निष्ठता, सुयोग्यता और व्यावसायिकता में जन चेतना और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। यह किसी अस्तित्व के संपरीक्षक के रूप में अन्यायपूर्ण ढंग से हटाए जाने के विरुद्ध सदस्यों की शिकायतों की परीक्षा और निपटारा भी विकसित प्रक्रिया के अनुसार करता है और सदस्यों के हित की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आज की तेजी से बदलती परिस्थितियों और वातावरण में, अकाउंटेंटों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे नवीनतम वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें। ऐसा करने के उनके प्रयासों में, उनके समक्ष साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के लागू होने, उनके कार्यान्वयन के संबंध में और उन्हें समझने में कतिपय कठिनाईयां आती हैं। ऐसे परिदृश्य में लेखांकन वृत्तिकों को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की परिषद् ने, सदस्यों द्वारा विभिन्न लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मानकों के लागू होने से संबंधित मामलों में उठाई गई शंकाओं का उत्तर देने तथा इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकारी सेवा नियमों के अनुसार संस्थान के मार्गदर्शन टिप्पणों और अन्य उदघोषणाओं को तैयार करने हेतु विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था। ये सलाहकारी सेवा नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर उसके हाइपर लिंक http://www.icai.org/new category.html?c id=142 पर उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अनेक वर्षों से, विशेषज्ञ सलाहकार समिति की भूमिका को, निजी और लोक क्षेत्र के उद्यमों, उद्योग और व्यवसाय में लगे सदस्यों और साथ ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि जैसे विनियामक और सरकारी प्राधिकारियों से उसकी स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ रायों के लिए सराहना और मान्यता प्राप्त हुई है।

01.04.2013 से 7.07.2014 की अवधि के दौरान, समिति ने संस्थान के सदस्यों से प्राप्त 74 प्रश्नों में से 57 रायों को अंतिम रूप दिया था। ऐसे विभिन्न जटिल मुद्दों में, जिन पर समिति ने उस अवधि के दौरान राय दी थी, एकल वित्तीय विवरणों में ईएसओपी न्यास का समेकन, अमूर्त आस्ति के रूप में कारबार अर्जन में अर्जित वितरण नेटवर्क को मान्यता, छूट प्राप्त भविष्य निधि – लेखांकन मानक (एएस) 15, "कर्मचारी फायदे" के अनुसार प्रकटन और मूल्यांकन, निगम द्वारा उसके क्रेडिट बीमा कवरों के प्रति समादत दावों की वसूली के संबंध में एएस 11 का लागू होना, किसी भू-संपदा विकासकर्ता द्वारा राजस्व के लिए लेखांकन, कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 के अनुसार क्रेडिट कार्ड प्राप्यों में चालू और गैर चालू आस्तियों के बीच में द्विभाजन, प्लेन वनीला काल विकल्प के अंतर्गत (हेजड) आने वाले विदेशी मुद्रा धनीय दायित्वों का पुनर्कथन, एक दीर्घकालिक दायित्व के माध्यम से पुन: संदत्त क्रेता का प्रत्यय/प्रदायकर्ता के प्रत्यय को एएस 11 के पैरा 46क के लागू होने, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के मद्दे खर्च न हुए व्यय के लिए लेखांकन और पुनरीक्षित डीपीई मार्गदर्शनों के अनुसार संवहनीयता क्रियाकलाप, बढ़े हुए भूमि प्रतिकर पर ब्याज के लिए लेखांकन, विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव के संबंध में व्यवहार और एफसीसीबी के जारी होने पर ब्याज संबंधी लागत आदि सम्मिलित थे।

समिति द्वारा वर्ष के दौरान अंतिम रूप दी गई सभी रायों को राय सारसंग्रह की जिल्द के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब तक सारसंग्रह के 32 जिल्दों को विक्रय के लिए जारी किया जा चुका है। सभी रायों के सारसंग्रह की सभी 32 जिल्दों में अंतर्विष्ट लगभग 1250 रायों को सम्मिलित करने वाली एक सीडी को, जिसमें सुगम संदर्भ के लिए प्रयोक्ता अनुकूल लक्षण सम्मिलित किए गए हैं, भी जारी किया गया है जो रायों के सारसंग्रह की जिल्द 32 के साथ उपलब्ध है। इस श्रृंखला में सारसंग्रह की अगली जिल्द संकलनाधीन है और उसे शीघ्र ही विक्रय के लिए जारी किया जाएगा।

समिति द्वारा जारी की गई कुछ राय संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित होती हैं। समिति की कतिपय अभिनव रायों को आईसीएआई की वेबसाइट पर समिति के नॉलेज शेयरिंग पृष्ठ पर भी रखा जाता है।

5.13 वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति का सृजन निवेशकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें शिकायत दूर करने के लिए तंत्र के बारे में सूचित करने और तुलनपत्रों और अन्य वित्तीय कथनों खासकर टिप्पणों और अन्य प्रकटीकरणों पर आधारित मूलभूत विश्लेषणों की महत्ता के बारे में शिक्षित करने के लिए किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में निवेशक शिक्षा ने देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आईसीएआई द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने और निवेशकों के बीच पूंजी बाजार के संबंध में जागरूकता का सृजन करने के लिए पूरे भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। यह निवेशकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराके उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए प्रयास करती है। पूंजी बाजार में केवल तभी विकास संभव है जब निवेशक उनमें निवेश करना सुरक्षित माने और उन्हें यह आश्वासन प्राप्त हो कि बाजार को शासित करने वाले नियम सभी पणधारियों के लिए निष्पक्ष और न्यायोचित हैं।

निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत निवेशकों के लिए क्या करें और क्या न करें, निवेश की लिखतें, पोर्टफोलियो अप्रोच, व्यापार, समाशोधन और समाधान, रोलिंग समाधान, निवेशक संरक्षण निधि, शेयरों का अमूर्तिकरण, ऋण बाजार, निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली, सेंसेक्स और अन्य सूचकांकों संबंधी जानकारी, व्युत्पन्न आदि हैं।

निवेशक शिक्षा का उद्देश्य निवेशकों को इस संबंध में जागरूक करना है कि वे स्टॉक बाजारों, विभिन्न निवेश लिखतों में निवेश करते समय और सकल पोर्टफोलियो निर्माण अप्रोच तथा बाजार विनियामकों के पास उपलब्ध निवेशक शिकायत समाधान प्रणालियों का लाभ उठाते समय क्या करें और क्या न करें।

आईसीएआई, अपनी वित्तीय बाजारों और निवेशकों की सुरक्षा संबंधी समिति के माध्यम से भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के तत्वावधान में सामान्य जन साधारण में वित्तीय साक्षरता और जन साधारण में जागरूकता के सृजन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों पर अत्यधिक बल दिया है और एमसीए के प्रयासों का समर्थन करने के लिए समिति ने अपनी शाखाओं और संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से 3400 से अधिक कार्यक्रमों का संचालन किया है। समिति चालू वितीय वर्ष 2014-15 में लगभग 1500 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी।

उपरोक्त के अलावा, समिति पूंजी बाजारों संबंधी संगोष्ठियों, निवेशक शिखर सम्मेलन और प्राइवेट साम्या कार्यशालाओं आदि जैसे विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। समिति ने विभिन्न प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया है जैसे कि निवेशक जागरूकता संबंधी पुस्तिकाएं, पैम्फलेट, पूंजी बाजार विनियमों संबंधी हैंडबुक, प्राइवेट साम्या संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री और निगम शासन के प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित), पूंजी बाजारों संबंधी प्रारंभिक गाइड और निवेश तथा निवेशक संरक्षण संबंधी हैंडबुक।

1 अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान समिति के क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

5.13.1 विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने वर्ष 2009 में, विदेशी मुद्रा के संबंध में जोखिम प्रबंध तथा सलाहकारी सेवाओं के क्षेत्र में, उसके सदस्यों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में उन्हें सुसज्जित करने हेतु एक विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभांरभ किया था। इस पाठयक्रम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार, धनीय बाजार, बंधपत्र बाजार संबंधी प्रचालन और संबद्ध वित्तीय उत्पाद हैं।

यह अतर्राष्ट्रीय वित्त संबंधी ऐसी परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, जिसमें बैंक, अन्य मध्यवर्ती और कंपनियां प्रचालन करती है और इस बात का पता लगाता है कि राजकोष संबंधी उनके प्रचालनों को ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं। उत्तम राजकोष प्रबंध, सही प्रकार के वित्तीय उत्पादों और उपकरणों का उपयोग करता है जो जोखिम को न्यूनतम बनाते हैं। इस संबंध में ऐसे कौशलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में उत्तम वित्तीय निर्णय करने के लिए अपेक्षित हों।

इस समिति को विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन करने का कार्य सौंपा गया है। अभी तक, समिति ने सफलतापूर्वक 19 बैंचों को पूरा किया है। समिति ने अनुशीर्ष अवधि के अनुसार विदेशी मुद्रा और राजकोष प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 19वे बैच (12 बैच से 19 बैच) को पूरा किया है।

इस पाठ्यक्रम का 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां बैच इस समय दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कोचीन और पुणे में चलाया जा रहा है।

5.13.2 वेबकास्ट

समिति ने संस्थान के सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए वेबकास्ट संचालन करने का विनिश्चय किया है।

5.13.3 आयोजित कार्यक्रम

निवेशकों के बीच जागरूकता का सृजन करना – अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 तक

समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि (1 अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014) के लिए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक, शिक्षा और संरक्षण निधि के तत्वावधान में कुल 1460 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों में से आईसीएआई की शाखाओं ने 42 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था और शेष 1418 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन संसाधन व्यक्तियों द्वारा किया गया था।

वित्तीय जागरुकता और वित्तीय समावेशन का सृजन करने के विचार से समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक रूप से पहुंच बनाने के लिए एक प्रयास किया गया है। बड़ी संख्या में जनता ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया था और इन्हें प्राप्त सराहना अतुलनीय थी।

5.14 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

आईसीएआई ने, देश में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यौहारों के सुधार के लिए अपने प्रयत्नों को जारी रखते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफ.आर.आर.बी.) का गठन किया है। 12 वर्षों तक कार्यकरण करने के पश्चात् वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफ.आर.आर.बी.) विनियामकों और संस्थान के सदस्यों के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रहा है।

एफ.आर.आर.बी. विभिन्न उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्ट का, स्वप्रेरणा से या किसी विनियामक निकाय द्वारा उसको प्रतिनिर्देश पर पुनरीक्षण करता है, या जहां मीडिया रिपोर्ट द्वारा गंभीर लेखा अनियमितताओं को उजागर किया गया है, वहां, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित का अवधारण करने की दृष्टि से पुनरीक्षण करता है :

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरण में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का अनुपालन ;

(ख) उद्यमों से सुसंगत विनियामक निकायों, विधियों और नियमों तथा विनियमों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं का अनुपालन ; और

(ग) उद्यमों और साथ ही संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अनुपालन।

एफआरआरबी की प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करते समय तकनीकी पुनर्विलोकन और वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह बोर्ड की सहायता करते हैं।

5.14.1 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनपर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन

स्वप्रेरणा से

बोर्ड ने, इस अवधि के दौरान 83 मामलों का पुनर्विलोकन पूरा किया है, जिनमें से 8 मामले को आईसीएआई के निदेशक, अनुशासन को निर्दिष्ट किया गया है तथा 57 मामलों में, ऐसे उद्यमों के, जिनके वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान संप्रेक्षण किए गए हैं, संपरीक्षकों को अननुपालन संबंधी उपयुक्त सूचना जारी करने का विनिश्चय किया गया था।

विशेष मामले

- सेबी द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय विवरण

 बोर्ड ने एफआरआरबी निर्देश निबंधनों, विस्तार और कृत्यों के अनुसार एक विशेष मामले के रूप में सेबी द्वारा निर्दिष्ट एक कंपनी के पांच वर्षों के वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया था। उनके संबंध में एक रिपोर्ट सेबी और साथ ही निदेशक (अनुशासन) को भेजी गई है। सेबी द्वारा निर्दिष्ट एक और कंपनी के तीन वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरणों को

पुनर्विलोकन के लिए लिया गया है । उनका प्रारंभिक पुनर्विलोकन पूरा कर लिया गया है और उन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूह को आबंटित किया है ।

- कतिपय मीडिया रिपोर्टों/अन्य तथ्यों के आधार पर, जिनमें लेखांकन या वित्तीय अनियमितताओं को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, चुने गए मामले

 इस अवधि के दौरान, कतिपय मीडिया रिपोर्टों/अन्य तथ्यों के आधार पर, जिनमें लेखांकन या वित्तीय अनियमितताओं को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, पच्चीस वित्तीय विवरणों से संबंधित 15 मामले बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन हेतु लिए गए हैं । इमनें से, 23 वित्तीय विवरणों से संबंधित 13 मामलों को प्रारंभिक पुनर्विलोकन हेतु तकनीकी पुनर्विलोककों को आबंटित किया गया है । तकनीकी पुनर्विलोककों ने 12 वित्तीय वर्षों से संबंधित 9 मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । 10 वित्तीय वर्षों से संबंधित 8 मामलों को आगे और पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों को आबंटित किया गया है । बोर्ड ने ऐसे एक मामले में पुनर्विलोकन को पूरा कर लिया है, जिसके वित्तीय विवरणों को केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए चुना गया था ।

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजनीतिक दलों के संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन

 भारत निर्वाचन आयोग ने संस्थान को 35 राजनीतिक दलों के संपरीक्षित लेखा निर्दिष्ट किए हैं, जिनका पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा किया गया है । बोर्ड के संप्रेक्षणों को अंतर्विष्ट करने वाली एक रिपोर्ट शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

सेबी के क्यूएआरसी द्वारा निर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन

सूचीबद्ध अस्तित्वों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार करने के अपने प्रयास के भागरूप में, सेबी ने अर्हित संपरीक्षा रिपोर्ट पुनर्विलोकन समिति (क्यूएआरसी) का गठन किया है । इसकी भूमिका, सेबी को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उसे निर्दिष्ट अर्हित वार्षिक संपरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु मार्गदर्शन करना सम्मिलित होगा । सेबी ने आईसीएआई-एफआरआरबी से, उस दशा में, जहां यह पता चलता है कि संपरीक्षा अर्हता महत्वपूर्ण है और सूचीबद्ध अस्तित्व द्वारा उसे दिया गया स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं है, वहां अर्हता के औचित्य का निर्धारण करने के लिए सहयोग की वांछा की है । एफआरआरबी के विचारों के मत पर, क्यूएआरसी अस्तित्व को यह निदेश भी दे सकेगी कि वह स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से शेयरधारकों को प्रोफार्मा वित्तीय परिणामों के माध्यम से अपने वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन करें ।

एफआरआरबी दिसंबर, 2013 से ही, देश भर के 47 विख्यात वरिष्ठ वृत्तिक सदस्यों के पैनलबद्ध दल के साथ, क्यूएआरसी-सेबी द्वारा इसे निर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए ऐसे पुनर्विलोकनों के संबंध में क्यूएआरसी से सहबद्ध है । आज की तारीख तक, बोर्ड को वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षकों द्वारा व्यक्त किए गए कतिपय विनिर्दिष्ट संपरीक्षा संबंधी अर्हता के पुनर्विलोकन के 75 मामले प्राप्त हुए हैं । बोर्ड ने अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई कंपनी से प्राप्त हो, के साथ 59 मामलों की संपरीक्षा अर्हताओं पर विचार किया है, जिसमें से उसने 49 मामलों में अपने मतों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है । शेष 10 मामलों में उसने यथास्थिति, उद्यमों और/या संपरीक्षकों से अतिरिक्त जानकारी मांगी है । हाल ही में प्राप्त हुए शेष 16 मामलों का पुनर्विलोकन विशेष समूहों द्वारा किया जा रहा है ।

5.14.2 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन

बोर्ड ने परिषद् वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 21 और 16 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया था, जो संबंधित वर्षों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट पर तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करेंगे तथा उन्हें अंतिम रूप देंगे । क्रमशः 233 और 52 उद्यमों की पुनर्विलोकन रिपोर्टों को इन समूहों को आबंटित किया गया था, जिनमें से इन समूहों ने क्रमशः 200 (परिषद् वर्ष 2013-14 के दौरान) और 15 उद्यमों (आज की तारीख तक) की पुनर्विलोकन रिपोर्टों को प्रस्तुत कर दिया है ।

5.14.3 प्रकाशन

बोर्ड ने 11 फरवरी, 2014 को अपने वार्षिक समारोह में अपने प्रकाशन 'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी अध्ययन' की दूसरी जिल्द का विमोचन किया था । इस प्रकाशन में, विभिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुपालन पहलूओं के संबंध में वर्गीकृत लेखांकन मानकवार सामान्य संप्रेक्षण अंतर्विष्ट हैं और साथ ही इसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की कतिपय धाराओं, कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (सीएआरओ) और लेखांकन मानक (एसए) 700 - 'वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षक की रिपोर्ट' के ऐसे उपबंधों के संबंध में संप्रेक्षण भी सम्मिलित हैं, जिनका वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय या उन पर अपनी राय देते समय अनुपालन किया जाना चाहिए।

5.14.5 वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों और संपरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करने और लेखांकन मानकों और साथ ही संस्थान और/या अन्य विनियामक प्राधिकारणों द्वारा जारी किए गए संपरीक्षा मानकों में हुए परिवर्तनों के संबंध में उनकी जानकरी को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान हैदराबाद, ठाणे, पुणे, नागपुर, गुंटूर, जोधपुर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई और बंगलौर में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के संबंध में 10 जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन किया था, जिनमें 2337 सदस्य सम्मिलित हुए थे ।

5.15 अप्रत्यक्ष कर समिति

5.15.1 वार्षिक बजट, 2014 से संबंधित क्रियाकलाप

बजटपूर्व ज्ञापन, 2014 का प्रस्तुत किया जाना

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में बजटपूर्व ज्ञापन, 2014 को, 2 जून, 2014 को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था । इस ज्ञापन में कर संग्रहण में सुधार करने, मुकदमों की संख्या में कमी/उन्हें न्यूनतम करने, कराधान विधियों के उपबंधों के सुव्यवस्थिकरण, प्रशासनिक और प्रक्रियागत कठिनाईयों को दूर करने के संबंध में सुझाव अंतर्विष्ट थे ।

वित्त मंत्रालय के साथ बजटपूर्व बैठक

उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति, उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कराधान समिति ने 2 जून, 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई बजटपूर्व बैठक में भाग लिया था और उन्होंने अपने बजटपूर्व ज्ञापन, 2014 में अंतर्विष्ट सुझावों को विशिष्ट रूप से बताया था ।

5.15.2 कर प्रशासन सुधार समिति को प्रस्तुत शासकीय सुझावों के संबंध में अभ्यावेदन/सुझाव/टीका-टिप्पणियां/अन्य अंत:निवेश

सरकार ने, वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के संदर्भ में भारत में कर नीतियों और कर विधियों के उपयोजन का पुनर्विलोकन करने के विचार से डा. पार्थासारथी शोम की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) का गठन किया है । इस संबंध में, समिति ने अध्यक्ष, कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) को 17 अप्रैल, 2014 को अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं ।

अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विवरणी प्ररुप 'एसटी 3' को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन

30 अगस्त, 2013 को सीबीईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि अक्तूबर, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए सेवा कर विवरणी को फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त, 2013 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2013 किया जाए । तदनुसार, सीबीईसी ने उक्त विवरणी को फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त, 2013 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2013 कर दिया था ।

सीबीईसी द्वारा वीसीईएस, 2013 पर आयोजित खुली परिचर्चा में अभ्यावेदन

सीबीईसी ने 5 जुलाई और 11 नवंबर, 2013 को, स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम (वीसीईएस) के सुचारु कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न संदेहों और चिंताओं का समाधान करने के लिए वीसीईएस पर एक खुली परिचर्चा का आयोजन किया था, जिसे क्रमश: श्री सुमित बोस, तत्कालीन राजस्व सचिव और श्री पी. चिदम्बरम, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री द्वारा संबोधित किया गया था । अध्यक्ष, आईडीटी समिति और आईसीएआई के कुछ अन्य गणमान्य सदस्यों ने इस खुली परिचर्चा में भाग लिया था और अपने-अपने मतों को सामने रखा था ।

वर्ष 2012-13 के लिए डी वेट विवरणी प्ररुप 'एआर 1' को फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन

25 नवंबर, 2013 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के व्यापार और कर विभाग को, वर्ष 2012-13 के लिए डी वेट विवरणी प्ररुप 'एआर 1' को फाइल करने की अंतिम तारीख को कम से कम एक मास तक विस्तारित करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । इसके अतिरिक्त, सीए अतुल गुप्ता, उपाध्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर समिति ने इस मुद्दे पर 28 नवंबर, 2013 को श्री प्रशांत गोयल, आयुक्त, डी वेट से एक बैठक भी की थी । तदनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार के व्यापार और कर विभाग ने विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख को 2 दिसंबर, 2013 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2013 कर दिया था ।

स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम 2013 के संबंध में अभ्यावेदन और लाइव वेबकास्ट

अध्यक्ष, आईसीएआई ने 9 दिसंबर, 2013 को भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम 2013 के संबंध में विभिन्न मुद्दों और कठिनाईयों को अंतर्विष्ट करने वाला एक अभ्यावेदन और लाइव वेबकास्ट प्रस्तुत किया था । टीआरयू ने फाइल सं. बी1/19/2013-टीआरयू (पार्ट), तारीख 11.02.2013 द्वारा उक्त अभ्यावेदन में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया था ।

इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम 2013 के संबंध में 16 दिसंबर, 2013 को सायं 5 बजे एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री पी. चिदम्बरम तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार ने सदस्यों को संबोधित किया था और उक्त वेबकास्ट के दौरान सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न शंकाओं के संबंध में उत्तर भी दिए थे । उन्होंने सदस्यों से यह अपील की थी कि वे इस स्कीम के फायदों के संबंध में निर्धारितियों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं को सचेत करें और 31 दिसंबर, 2013 तक प्रतीक्षा न करते हुए पहले ही अपने-अपने आवेदन भेज दें ।

<u>आईसीएआई के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम 2013 से संबंधित कार्यक्रम</u>

संस्थान ने 27 अगस्त, 2013 को आईसीएआई के नई दिल्ली स्थित प्रधान कार्यालय में स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम 2013 से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें श्री गौतम भट्टाचार्य, आयुक्त, सेवाकर और दिल्ली सेवाकर कमीशनरी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सदस्यों को संबोधित किया था और वीसीईएस से संबंधित उनके विभिन्न संदेहों के संबंध में स्पष्टीकरण दिए थे । श्री गौतम भट्टाचार्य, आयुक्त ने वीसीईएस से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करते हुए सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि निर्धारिती द्वारा एसटीबीसीई स्कीम के अधीन की गई घोषणा को सदभावपूर्वक स्वीकार किया जाएगा और धारा 111 के उपबंधों को केवल तभी लागू किया जाएगा जब कोई विनिर्दिष्ट जानकारी प्राप्त हो । उन्होंने आईसीएआई और उपस्थित सदस्यों से इस कार्यक्रम में यह अपील की थी कि वे इस स्कीम को लोकप्रिय बनाए और निर्धारितियों को इस स्कीम का फायदा उठाने तथा स्वयं को पाकसाफ करने के लिए प्रोत्साहित करें ।

<u>सेवाकर संपरीक्षा को आरंभ करने के लिए सीबीईसी को अभ्यावेदन</u>

8 मई, 2014 को, सेवाकर संपरीक्षा को आरंभ करने के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को सेवाकर के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट के प्रारंभिक प्रारुप के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ।

<u>केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवाकर (एसीईएस) वेबसाइट के स्वचालन में सहयोग का प्रस्ताव करते हुए अभ्यावेदन</u>

समिति ने 24 मार्च, 2014 को अध्यक्ष, सीबीईसी को एसीईसी वेबसाइट के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण में अपनी सेवाओं का प्रस्ताव करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ।

<u>डी वेट आयुक्त को अभ्यावेदन</u>

10 मार्च, 2014 को आयुक्त, डी वेट को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनसे डी वेट संपरीक्षा को जारी रखने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इसके कारण निर्धारितियों द्वारा अनुपालन में वृद्धि होगी और यह दीर्घावधि में फायदेमंद साबित होगा । इस अभ्यावेदन को इस बात पर विचार करते हुए प्रस्तुत किया गया था कि विद्यमान प्ररुप एआर-1 में संपरीक्षा रिपोर्ट की फाइलिंग को अधिसूचना सं. एफ 3(384)/नीति/वेट/2013/1307-1319 तारीख 14.02.2014 द्वारा समाप्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, समिति ने 29 मई, 2014 को आयुक्त, दिल्ली वेट को दिल्ली वेट संपरीक्षा रिपोर्ट प्ररुप (एआर-1) का एक संक्षिप्त प्रारुप भी, उसके कार्यान्वयन हेतु प्रस्तुत किया था ।

5.15.3 <u>अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम</u>

उद्योग में कार्यरत सदस्यों और साथ ही व्यवसायरत सदस्यों को प्रणालीबद्ध रीति में अप्रत्यक्ष करों के संबंध में विशेषीकृत और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराके और इस प्रकार उन्हें इस क्षेत्र में प्रस्थापित विभिन्न वृत्तिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से, समिति वर्ष 2011 से एक 12 दिवसीय अप्रत्यक्ष करों संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन कर रही है ।

समिति द्वारा इस अवधि के दौरान, प्रमाणपत्र पाठयक्रम के 23 बैचों का संचालन देश भर में किया गया था, जिसमें लगभग 1100 सदस्यों ने भाग लिया था । इसके अतिरिक्त, देश भर में इस पाठयक्रम के पांच और बैचों को प्रारंभ किया गया है ।

5.15.4 <u>सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण</u>

<u>उत्पाद-शुल्क/सेवाकर कमीशनरी के पदधारियों के लिए सेवाकर संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

समिति ने इस अवधि के दौरान विभिन्न कमीशनरियों के पदधारियों के लिए सेवाकर संबंधी 18 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रशिक्षुओं को सेवाकर में अंतर्वलित लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी पहलूओं को समझने में समर्थ बनाने के विचार से किया जाता है, जो सेवाकर विधियों के अधीन यथाविहित कर प्रत्ययों, छूटों, उपशमनों आदि का

सत्यापन करने में उनकी सहायता करेगा । ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आईसीएआई और विभाग की सहबद्धता को सुदृढ़ बनाने में सहायता करते हैं ।

होटल मालिकों, यात्रा अभिकर्ताओं और टूअर प्रचालकों के साथ परस्पर क्रियाशील स्तर में ज्ञान की भागीदारी

समिति ने 1 मई, 2014 को किंग्स कोर्ट, होटल क्राउन, भुवनेश्वर में भुवनेश्वर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कमीशनरी द्वारा आयोजित होटल मालिकों, यात्रा अभिकर्ताओं और टूअर प्रचालकों के साथ परस्पर क्रियाशील स्तर में ज्ञान भागीदार के रूप में सहायता प्रदान की थी ।

5.15.5 कार्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

समिति ने वर्ष के दौरान अनेक सम्मेलनों, जागरूकता कार्यक्रमों, वेबकास्टों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया था ।

5.15.6 प्रकाशन

स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम (वीसीईएस) 2013 के संबंध में ई न्यूज लेटर

समिति ने दिसंबर, 2013 के मध्य में वीसीईएस 2013 से संबंधित एक विशेष ई न्यूज लेटर निकाला था जिसमें इस स्कीम और इसके फायदे संक्षिप्त रूप से अंतर्विष्ट किए गए थे ।

स्वैच्छिक अनुपालन संवर्धन स्कीम (वीसीईएस) 2013 के संबंध में हैंड बुक

समिति ने दिसंबर, 2013 के मध्य में वीसीईएस 2013 से संबंधित एक हैंड बुक निकाली थी जिसमें स्कीम के ब्यौरेवार उपबंध, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न और उपबंधों के विश्लेषण अंतर्विष्ट किए गए थे ।

बैककारी क्षेत्र में सेवाकर का अनुपालन

समिति ने 'बैककारी क्षेत्र में सेवाकर का अनुपालन' विषय पर एक प्रकाशन निकाला था, जिसका विमोचन 6 मार्च, 2014 को अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा एक लाइव वेबकास्ट के दौरान किया गया था । इस प्रकाशन में ऐसे प्रश्न-उत्तर अंतर्विष्ट हैं जो सदस्यों की, बैंककारी क्षेत्र के द्वारा अनुपालन की जांच करने में सहायता करेंगे ।

5.15.7 अन्य

सीमा शुल्क, सेवाकर और केंद्रीय विक्रय कर के संबंध में ई पठन

सदस्यों हेतु किसी भी जगह और किसी भी समय माउस के एक क्लिक के साथ पठन को सुकर बनाने के विचार से समिति ने 11 फरवरी, 2014 को सेवाकर और सीमाशुल्क संबंधी ई पठन सेवा प्रारंभ की थी । आज की तारीख तक, सेवाकर संबंधी ई पठन की ग्राहकी 675 सदस्यों द्वारा और सीमाशुल्क संबंधी ई पठन की ग्राहकी 218 सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई है । इसके अतिरिक्त, समिति ने 1 जुलाई, 2014 को केंद्रीय विक्रय कर संबंधी ई पठन माडयूल को भी आरंभ कर दिया है ।

आईडीटी नेट

समिति ने आईडीटी नेट, जो कि अप्रत्यक्ष कर विधि के क्षेत्र में व्यवसायरत या कार्यरत सदस्यों के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्किंग पोर्टल है, पर रजिस्ट्रीकृत सदस्यों को अद्यतन घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना जारी रखा । इन अद्यतनों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त इसमें अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को भी अंतर्विष्ट किया जाता है । ऐसे अद्यतन अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किए जाते हैं । यह पोर्टल आईसीएआई की वेबसाइट से सहबद्ध है ।

5.16 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

वृति के समक्ष आने वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और प्रैक्टिस गाइडों, प्रशिक्षण सहायिकियों, सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों के अलावा सदस्यों के फायदे के लिए सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्यवहारिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ईआरपी/ सूचना प्रौद्योगिकी पाठयक्रमों का आयोजन करके, उन्हें सदस्यों हेतु फायदाप्रद वृत्तिक अवसरों में परिवर्तित करने के लिए परिषद् ने वर्ष 2000 में एक अस्थायी समिति के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया था ।

1 अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान समिति द्वारा आयोजित पाठयक्रमों/कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

अ. सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम : सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम समिति द्वारा सदस्यों को आईएस संपरीक्षा के क्षेत्र में मूल्यवर्धित सेवाओं की प्रस्थापना करने में समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ की गई पहली और अग्रणी पहल है ।

हाल ही में, समिति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों को ज्ञान के अद्वितीय संग्रह और कौशल सेटों से लैस करने के उद्देश्य से सूचना प्रणाली संपरीक्षा 2.0 पाठयक्रम प्रारंभ किया है, जिससे कि वे सूचना प्रणाली के संबंध में ऐसे संपरीक्षक बन सके जो तकनीकी रूप से सुदृढ़ हों और जो उद्यम आईटी, जीआरसी, आश्वासन, जोखिम, सुरक्षा और नियंत्रणों के शासन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसका फायदा उठा सकें । अद्यतन आईएसए 2.0 पाठयक्रम बाजार की ऐसे सीए के लिए, जिनके पास अत्याधुनिक आईटी कौशल हों और जो परामर्शी/आश्वासन सेवाएं उपलब्ध करा सकते हों, बढ़ती आवश्यकता को भी पूरा करेगा । आईएसए 2.0 पाठयक्रम, ई पठन (ऑनलाइन और सुसाधित), कक्षा प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण को व्यावहारिक मामला अध्ययनों और परियोजना कार्य से सुमेलित करता है ताकि ज्ञान के व्यावहारिक उपयोजन को सुनिश्चित किया जा सके । इसकी अध्ययन सामग्री में एक डीवीडी भी अंतर्विष्ट है जिसमें सभी पठन सामग्रियों, ई पठन, अनुपूरक निर्देश सामग्रियों और जांच सूचियों को साफ्ट प्रति में सम्मिलित किया गया है ।

आ. ई-पठन पाठयक्रम/सीडी/सीबीटी

क) ऑनलाइन ई-पठन पाठयक्रम

i. सेवाकर
ii. संपरीक्षा संबंधी मानक
iii. संपरीक्षा संबंधी मानक फेस I
iv. संपरीक्षा संबंधी मानक फेस II
v. संपरीक्षा संबंधी मानक फेस III
vi. संपरीक्षा संबंधी मानक फेस IV
vii. अंतरण मूल्य नियतन
viii. सीमाशुल्क
ix. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

ख) ई-पठन सीडी/सीबीटी

i. सीएएटी/जीएएस का उपयोग करते हुए

ii. एक संपरीक्षा उपकरण के रूप में एमएसएक्सेल 2007 का उपयोग करते हुए

iii. विंडोज, नेटवर्क और वाईफाई सिक्योरिटी - एक प्रस्तावना

iv. आईएस सुरक्षा, साइबर खतरे और पुनर्विलोकन - एक प्रस्तावना

इ. ईआरपी पाठयक्रम : समिति द्वारा प्रस्तावित ईआरपी पाठयक्रम सदस्यों की सुविधानुसार पढ़ने और कम लागत के दोहरे फायदों की प्रस्थापना करते हैं । इनके अंतर्गत एसएपी, माइक्रोसॉपट डायनामिक्स एनएवी और ओरेक्ल संबंधी पाठयक्रम भी हैं ।

ई. न्यायालयीय लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम : समिति न्यायालयीय लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम की प्रस्थापना करती है । इस कार्यक्रम को अब देशभर में प्रदान किया जा रहा है । इस पाठयक्रम में कार्य पर प्रशिक्षण, मामला अध्ययनों, संकाय द्वारा प्रस्तुतियों और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा परियोजनाओं की परिस्थितियों को रुचिपूर्वक समिश्रित किया गया है । सभी सत्रों के अंत में, एक लघु परीक्षा का संचालन किया जाता है । यह पाठयक्रम सदस्यों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है और समिति नियमित रूप से देश भर में इस पाठयक्रम का संचालन कर रही है ।

उ. आईटी जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और सम्मेलन : समिति अनेक आईटी संबद्ध कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करती है, जिनकी अवधि नमनीय होती है और वे सदस्यों की, उन्हें आईटी से संबंधित क्षेत्रों में होने वाली नवीनतम घटनाओं से अवगत कराने में सहायता करते हैं ।

ऊ. आईएसए बैठक : समिति आईएसए अर्हता प्राप्त सदस्यों के लिए आईएसए बैठकों का भी आयोजन करती है ताकि उन्हें, उनको उपलब्ध वृत्तिक अवसरों से अद्यतन बनाए रखा जाए और साथी सदस्यों के साथ उनके विचारों के आदानप्रदान को भी सुकर बनाया जा सके।

ए. वृत्तिक अवसर : सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी इन) है जो देश में साइबर सुरक्षा के संबंध में कार्यवाही करता है और साथ ही उसके पास आईटी संपरीक्षकों और आईएस संपरीक्षकों का एक पैनल भी है। कुछ सीए फर्में भी इस पैनल में सम्मिलित की गई हैं। एक कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी इन) ने डीआईएसए (आईसीएआई) को आईएस संपरीक्षकों के रूप में पैनलबद्ध किए जाने के लिए मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया था कि वह आईसीएआई द्वारा प्रस्तावित डीआईएसए (सूचना प्रणाली संपरीक्षा में डिप्लोमा) को आईएसए सीए के सीआईएसए (प्रमाणीकृत सूचना प्रणाली संपरीक्षक) के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान करे। यह उद्देश्य अब पूरा हो गया है और आरबीआई ने यह राय दी है कि प्रणाली संपरीक्षाएं डीआईएसए (आईसीएआई) अर्हित सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती हैं।

डीआईएसए (आईसीएआई) को प्रमाणन प्राधिकारियों की अवसंरचना संपरीक्षा के लिए संपरीक्षकों के रूप में पैनलबद्ध किए जाने के लिए मान्यता प्राप्त हो गई है।

ऐ सरकारी संगठनों के लिए न्यायालयीय लेखांकन पाठयक्रम : समिति ने सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के लिए कपट के अन्वेषण और न्यायालयीय लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विनिश्चय किया है। इस पाठयक्रम का और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आयकर अधिकारियों और उसके वरिष्ठ सदस्यों को कपट जगत, वित्तीय दुष्कर्मों और उनका पता लगाने के लिए संभावित मार्गों के बारे में अंदरुनी जानकारी प्रदान करना है। यह पाठयक्रम कपटों के संबंध में पूर्वतर चेतावनी प्रदान करने, उनकी समीक्षा करने और जब कभी आवश्यक समझा जाए उनके संबंध में अन्वेषण करने के लिए है। अन्वेषण अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों के लिए बेहतर रूप से तैयार करने तथा हर प्रकार से सुसज्जित करने हेतु नई और असामान्य पद्धतियों को स्पष्ट करता है तथा इसके दौरान उन पर विचार-विमर्श किया जाता है।

5.16.1 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. "सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए)" संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम

सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम (पीक्यूसी) एक ऐसा महान समेकक बल है, जो सदस्यों को अद्वितीय जानकारी के आदान-प्रदान, वृत्तिक विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहलों के लिए एक साथ लाता है। देशभर में आईएसए पीटी बैचों, आईएसए पात्रता परीक्षा और आईएसए निर्धारण परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान 52 से अधिक बैचों का संचालन किया गया था। समिति ने निम्नलिखित आईएसए पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया था।

- 11 मई, 2013 को श्रीलंका और नेपाल सहित 52 केंद्रों पर
- 19 अक्तूबर, 2013 को नेपाल सहित 39 केंद्रों पर
- 10 मई, 2014 को श्रीलंका और नेपाल सहित 43 केंद्रों पर

2. प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम

समिति ने 26 से 28 अप्रैल, 2014 के दौरान होटल कंट्री इन, गाजियाबाद में "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम" का आयोजन किया था और इसमें 40 आईएसए शंकायों को आमंत्रित किया गया था। इस प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए आईएसए पाठयक्रम 2.0 की पद्धति और उसके आरंभ के बारे में विचार-विमर्श करना था। इसे इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा सराहना प्राप्त हुई थी और इस दौरान नए आईएसए पाठयक्रम, 2.0 में सुधार के संबंध में प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी प्राप्त हुए थे।

3. पुनरीक्षित आईएसए पाठयक्रम का शुभारंभ

समिति ने 5 जुलाई, 2014 को आईसीएआई भवन, नोएडा – 62 में नए आईएसए पाठयक्रम 2.0 और आईएसए पीटी बैच का शुभारंभ किया था। इस डीआईएसए पाठयक्रम 2.0 का सकल उद्देश्य सुसंगत मानकों, ढांचों, मार्गदर्शनों और सर्वोत्तम व्यवहारों का उपयोग करते हुए सूचना प्रणालियों के अधिकार क्षेत्र में तथा सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण में शासन, जोखिम प्रबंध, सुरक्षा, नियंत्रणों और अनुपालन के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आश्वासन या परामर्श संबंधी समनुदेशनों के लिए योजना बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए सुसंगत व्यावहारिक ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराना है। डीआईएस पाठयक्रम का

संचालन ई पठन (ऑनलाइन और सुसाधित) कक्षा प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण और व्यवहारिक मामला अध्ययनों और परियोजना कार्यों के एक उत्तम समिश्रण के माध्यम से किया जाता है, जिससे कि ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके ।

4. न्यायालयीय लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

समिति आईटी और सीएएटी का उपयोग करते हुए न्यायालयीय लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन करती है । इस पाठयक्रम का उद्देश्य निगम/कारबार के कपटों का पता लगाना, उनके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का मापमान करना, मुकदमेबाजी से संबंधित समर्थन/बाहरी काउंसेल उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित अन्वेषणात्मक कौशलों का विकास करना है और ऐसा करने के लिए कपटों का पता लगाने हेतु लेखांकन, संपरीक्षा के सिद्धांतों को लागू किया जाता है ।

5. आईएसए बैठक

समिति ने बड़ौदा, ठाणे, लखनऊ, नागपुर, बंगलोर, इंदौर, नोएडा, रायपुर, बरेली, पटना, कोटा और उडूपी में आईएसए बैठकों का आयोजन किया था ।

6. प्रकाशनों का विमोचन

समिति ने अपने सदस्यों के लिए निम्नलिखित प्रकाशनों का विमोचन किया है ।

- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति ने 12 फरवरी, 2014 को सीमाशुल्क संबंधी नए ई पठन पाठयक्रम को आरंभ किया था तथा साथ ही सेवाकर समिति ई पठन पाठयकम के अद्यतन पाठ को भी जारी किया था ।
- केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

7. निम्नलिखित ई पठन पाठयक्रमों को बनाए रखना

समिति ने निम्नलिखित ईपठन पाठयक्रमों को बनाए रखा है :

- सेवा कर
- अंतरण कीमत नियतन
- संपरीक्षा संबंधी मानक
- संपरीक्षा संबंधी मानक फेस II
- संपरीक्षा संबंधी मानक फेस III
- संपरीक्षा संबंधी मानक फेस IV

सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय

पूरी की गई परियोजनाएं :

मोबाइल एप्लीकेशन का विकास : एंड्रायड और आईओएस प्लेटफार्म के लिए आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन को आईटी निदेशालय द्वारा 12 फरवरी, 2014 को निकाला गया था । वर्तमान में, एंड्रायड वर्जन 1.6 को 5 जून, 2014 को जारी किया गया और आईओएस वर्जन 1.3 को 10 अप्रैल, 2014 को जारी किया गया था । (ऐप नाम : ICAI NOW)

आईसीएआई ज्ञान पोर्टल : आईसीएआई ज्ञान गेटवे को 12 फरवरी, 2014 को आईटी निदेशालय द्वारा आरंभ किया गया था । यह सदस्यों और छात्रों की ओर से ग्राहकी वाले नवीनतम प्रकाशनों, लेखों, जर्नलों और नए स्रोतों को प्रस्थापित करता है । इसके परिचर्चा मंच और ब्लॉग फीचर वृतिक रूप से नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करते हैं और यह मोबाइल युक्तियों के साथ भी संगत है । http://www.icaiknowledgegateway.org/

महिला सदस्यों के लिए नम्य कार्यक्रम पोर्टल : 22 अप्रैल, 2014 को जारी आईसीएआई का महिला पोर्टल, महिला सदस्यों को उपयुक्त अवसर ढूंढने में सहायता करता है जिसके अंतर्गत अंशकालिक/नम्य घंटों वाली नौकरी या घर से कार्य करने के विकल्प वाली नौकरियां भी हैं । यह महिला वृत्तिकों को वृत्ति के विकास में सहयोग करने में सहायता करता है । http://womenpostal.icai.org/

ई पुस्तकें : आईटी निदेशालय ने संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण की ई पुस्तक को निकाला था । यह ऑनलाइन फ्लिप बुक मोबाइल से संगत है (एड्रायंड, आईओएस आदि) और हमारे पणधारियों के लिए शेयर करने, बुकमार्क लगाने, ढूंढने आदि जैसी विभिन्न विशिष्टियों को उपलब्ध कराती है । http://www.icai.org/ebooks/

आईसीएआई प्रकाशनों का ऑनलाइन स्टोर : आईटी निदेशालय ने इस ऑनलाइन स्टोर को 1 जुलाई, 2014 को आरंभ किया था । यह विभिन्न आईसीएआई प्रकाशनों, आईसीएआई की लेखन सामग्री की मदों और आईसीएआई की ई पठन सीडीओ को ऑनलाइन रूप से क्रय करने की सुविधा प्रदान करता है । http://icaionlinestore.org

आईसीएआई अंकीय पुस्तकालय : 1 जुलाई, 2014 आरंभ किया गया आईसीएआई का अंकीय पुस्तकालय आईसीएआई के विभिन्न अंकीय प्रकाशनों, ई पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं आदि का व्यापक संग्रह है । आईसीएआई के डिजीटल पुस्तकालय द्वारा उसके सदस्यों की ओर से आर्थिक और राजनीतिक सप्ताहिक पत्रिकाओं की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है । http://icaidigitallibrary.org

विंडोज प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना : विंडोज प्लेटफार्म के लिए आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन को 10 जुलाई, 2014 को जारी किया गया था । (ऐप नाम : ICAI NOW)

आईसीएआई क्लाउड परिसर – का उद्देश्य देश भर और विदेशों के छात्रों को उनके घर पर ही शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है और साथ ही वह अत्याधुनिक परस्पर क्रियाशील पठन प्रणाली के साथ उनकी सभी शैक्षिक, प्रशासनिक, परीक्षा और नामांकन संबंधी आवश्यकताओं और अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडों के रूप में भी कार्य करता है । पूर्वोक्त पोर्टल का शुभारंभ संघ के माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री, वित्त और रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा सीए दिवस (1 जुलाई, 2014) के उपलक्ष्य पर किया गया था । http://cloudcampus.icai.org

सोशल मीडिया के माध्यम से सदस्यों और छात्रों तक पहुंच बनाना : फेसबुक, टिवीटर, लिंकेडइन, गूगल प्लस, यू ट्यूब

आईसीएआई वीडियो पोडकास्ट : एक पोडकास्ट एक ऐसा अंकीय माध्यम है, जिसमें वेब सिंडिकेशन के माध्यम से कंप्यूटर अथवा मोबाइल युक्ति पर डाउनलोड किए जाने वाली या ऑनलाइन रूप से स्ट्रीम किए जाने वाली श्रव्य, वीडियो, पीडीएफ या इ पब फाइलों की एक श्रृंखला सम्मिलित होती है । यह हमारे सदस्यों के लिए एक मूल्यवर्धित सेवा है । इस प्रथम श्रृंखला में कंपनी अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित किया गया है और तत्पश्चात् इसमें अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित किए जा सकेंगे ।

<u>जारी परियोजनाएं</u> :

- आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति के पोर्टल का विकास/उसे अद्यतन बनाना
- अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति के लिए पोर्टल का विकास
- आईसीएआई की समितियों के लिए बैठक प्रबंधन पोर्टल का विकास
- युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति के पोर्टल का विकास
- छात्रों की कार्य डायरी को बनाए रखने के लिए पोर्टल

<u>महत्वपूर्ण उपलब्धियों, मील के पत्थर</u>
1 जुलाई, 2014 को एड्रायंड प्लेटफार्म पर आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन के एक लाख से अधिक सक्रिय उपयोक्ता बन गए हैं ।

<u>प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों का पुनर्विलोकन और मानीटरी</u>
आईटी निदेशालय, आईसीएआई कार्ययोजना 2014-15 की सभी प्रौद्योगिकी पहलों की मानीटरी कर रहा है ।

- आईसीएआई वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना
- आईसीएआई की मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवा अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराना
- वेबसाइट को और अधिक परस्पर क्रियाशील और उपयोक्ता मित्र बनाना
- आईसीएआई के प्रकाशनों को ई पुस्तकों के रूप में परिवर्तित करना

- विनियामक और अन्य अपेक्षाओं के लिए वेब समर्थित सेवाओं का विस्तार करना

5.17 प्रौद्योगिकी विकास समिति

प्रौद्योगिकी विकास समिति (विशेष प्रयोजन) का गठन 1 अप्रैल, 2014 को अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा, 10-11 और 12 फरवरी, 2014 को हुई परिषद् की 331वी बैठक में उसे प्रदत प्राधिकार के निबंधनानुसार किया गया था ।

5.17.1 प्रौद्योगिकी विकास समिति के निर्देश निबंधनों का पुनर्विलोकन

समिति ने, 8 मई, 2014 को हुई इसकी पहली बैठक में समिति के निर्देश निबंधनों का पुनर्विलोकन किया था और उन्हे अंतिम रूप प्रदान किया था । इसके अतिरिक्त, समिति के निर्देश निबंधनों को 28 जून, 2014 को हुई कार्यकारी समिति की 533वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया गया था ।

समिति का गठन, आईसीएआई को सशक्त करने तथा संस्थान को वृत्ति के लिए एक अविजीत और उज्जवल भविष्य तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया गया था । समिति के निर्देश निबंधनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- कारबार प्रक्रिया कमियों का पता लगाना, कारबार प्रबंधन रणनीति की योजना बनाना, पणधारियों को प्रदान की जाने वाली आईसीएआई की सेवाओं में सुधार करने के लिए आईसीएआई की सहायता करने के उद्देश्य से आईसीएआई के भीतर कारबार प्रक्रिया की पुन: इंजीनियरी पर ध्यान केंद्रित करना और प्रचालनात्मक लागतों में कमी करना ।
- आईसीएआई के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पहचान करना और उसका विकास और मानीटरी करना
- आईसीएआई के लिए मोबाइल प्लेटफार्म की पहचान करना और उसका कार्यान्वयन तथा विकास करना और किसी भी समय और कहीं भी पहुंच वाले नए संपर्क प्लेटफार्म को स्थापित करना
- बाजार में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरणों की पहचान करना और समिति को यह सुझाव देना कि वह उनके क्रियान्वयन के बारे में तथा उनके फायदों के संबंध में आईसीएआई को सलाह दें
- विभिन्न आईटी पहलों का पुनर्विलोकन, मानीटरी और कार्यान्वयन
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं का पता लगाना और आईसीएआई के फायदे के लिए इनका उपयोग करना ।

5.17.2 पूरी की गई परियोजनाएं

मोबाइल एप्लीकेशन का विकास : एंड्रायड और आईओएस प्लेटफार्म के लिए आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन को आईटी निदेशालय द्वारा 12 फरवरी, 2014 को निकाला गया था । वर्तमान में, एंड्रायड वर्जन 1.6 को 5 जून, 2014 को जारी किया गया और आईओएस वर्जन 1.3 को 10 अप्रैल, 2014 को जारी किया गया था ।

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म : समिति ने 9 मई, 2014 को आईसीएआई यू ट्यूब चैनल और गूगल प्लस के पेज को स्थापित किया था ।

गूगल हैंग आउट : समिति ने आईसीएआई के परिसर में श्रव्य/दृश्य प्रसारण और एयर कांफ्रेंस के लिए गूगल हैंग आउट श्रव्य/दृश्य कांफ्रेंस प्रसुविधा को आरंभ किया है

- समिति ने 13 मई, 2014 को गूगल कार्यालय, गुड़गांव से आईसीएआई अध्यक्ष, सीए के.रघु के साथ पहली गूगल हैंग आउट का आयोजन किया था
- समिति 1 जुलाई, 2014 को आईसीएआई के नेतृत्व के साथ दूसरे गूगल हैंग आउट सत्र का आयोजन किया था

5.17.3 जारी परियोजनाएं

विंडोज प्लेटफार्म के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना : विंडोज प्लेटफार्म के लिए आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन को 10 जुलाई, 2014 को जारी किया गया था । (ऐप नाम : ICAI NOW)

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म : समिति ने 1 जुलाई, 2014 को फेसबुक और टिवटर पर आईसीएआई के ट्रायल अकाउंट स्थापित किए हैं ।

बैठक प्रबंध साफ्टवेयर : सभी समितियों के लिए कार्यसूची संबंधी दस्तावेजों और बैठक के कार्यवृत्तों के लिए बैठक प्रबंध साफ्टवेयर को विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

5.17.4 महत्वपूर्ण उपलब्धियों/मील के पत्थर :

1 जुलाई, 2014 को एड्रायंड प्लेटफार्म पर आईसीएआई की मोबाइल एप्लीकेशन के एक लाख से अधिक सक्रिय उपयोक्ता बन गए हैं ।

5.17.5 प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों का पुनर्विलोकन और मानीटरी :

आईटी निदेशालय, आईसीएआई कार्ययोजना 2014-15 की सभी प्रौद्योगिकी पहलों की मानीटरी कर रहा है ।

- आईसीएआई वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना
- एक ही छत के नीचे विशेषीकृत ज्ञान के साथ आईसीएआई ज्ञान गेटवे की स्थापना करना
- हमारे छात्रों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक आईटीटी उच्च प्रौद्योगिकी वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना करना
- सोशल मीडिया के माध्यम से सदस्यों के साथ संपर्क में रहना
- आईसीएआई की मोबाइल ऐप के माध्यम से सेवा अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराना
- वेबसाइट को और अधिक परस्पर क्रियाशील और उपयोक्ता मित्र बनाना
- आईसीएआई के ऑनलाइन स्टोर को आरंभ करना
- आईसीएआई के प्रकाशनों को ई पुस्तकों के रूप में परिवर्तित करना
- विनियामक और अन्य अपेक्षाओं के लिए वेब समर्थित सेवाओं का विस्तार करना

5.18 आंतरिक संपरीक्षा मानक संबंधी बोर्ड

प्रभावी निगम शासन और जोखिम प्रबंध ढांचे के लिए आंतरिक संपरीक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य करती है । विनियामक, निदेशक बोर्ड, संपरीक्षा समिति, जोखिम समिति, प्रबंधन और अन्य पणधारी, इस आश्वासन के लिए आंतरिक संपरीक्षा की ओर आशापूर्ण नजरों से देखते हैं कि सुशासन के रूप में रिपोर्टिंग में पारदर्शिता हो । संस्थान सतत रूप से आंतरिक संपरीक्षकों को, उनके कौशल को अद्यतन बनाने तथा सुसंगत ज्ञान के उपयोग के लिए उन्हें सम्यक् मार्गदर्शन प्रदान करने और इस प्रकार मूल्य का सृजन करने के लिए प्रयास कर रहा है । संस्थान ने, 5 फरवरी, 2004 को एक अस्थायी समिति के रूप में, आंतरिक संपरीक्षा समिति का गठन किया था । इस समिति को नवम्बर, 2008 में "आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड" के रूप में पुनः नामित किया गया था । परिषद् द्वारा बोर्ड के निर्देशनिबंधनों में यथाअनुमोदित उसका मुख्य उद्देश्य देश में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ज्ञान के लिए एक संप्रवर्तक, स्रोत और प्रबंधक के रूप में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की प्रमुखता को सुस्थापित करना है ।

बोर्ड विभिन्न उद्योगों में आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में कार्यरत अपने सदस्यों को जागरुक बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जिसके अंतर्गत वह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाइडो/मैनुअलों/ज्ञान पुस्तिकाओं के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी साहित्य निकाल रहा है ।

5.18.1 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 18 मानक

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह (1 जुलाई, 2013 तक यथाविद्यमान)

5.18.2 उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 25 उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का सार-संग्रह (1 फरवरी, 2013 तक यथाविद्यमान)

5.18.3 साधारण मार्गदर्शन

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 15 साधारण गाइडें

5.18.4 वर्ष 2013-14

- वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड ने 5 बैठकें की थी
- वर्ष 2013-14 में बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हुए आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक संबंधित पक्षकार जारी किया है, इसके अतिरिक्त बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा मानकों से संबंधित एक सार संग्रह भी जारी किया है जिसमें बोर्ड द्वारा जारी आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सभी 18 मानकों, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के प्राकथन और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के ढांचे का पाठ अंतर्विष्ट है ।
- बोर्ड ने अनेक उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी गाइडें भी जारी की है उदाहरणार्थ भेषजी, पेट्रोरसायन, सुपेय उद्योग आदि, जो उद्योग में कार्यरत सदस्यों और साथ ही इन उद्योगों में आंतरिक संपरीक्षों के रूप में कार्यरत अन्य व्यक्तियों को, उद्योग द्वारा किए जाने वाले आधारिक प्रचालनों को समझने तथा उससे संबंधित आंतरिक संपरीक्षा पहलूओं को समझने में भी सहायता करती हैं ।
- सदस्यों के बीच आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों के बारे में ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है इसलिए बोर्ड ने लखनऊ, ढाणे, नागपुर, जलगांव, पुणे, मुंबई, अमृतसर, पटियाला और तिरुपति में अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सभाओं आदि का आयोजन किया है ।
- इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने अपने ई न्यूज लेटर के पांचवे और छठे संस्करण को भी जारी किया है ।

5.18.5 तकनीकी साहित्य

अवशिष्ट प्रबंधन की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

अवशिष्ट प्रबंधन को अधिकाधिक रूप से एक ऐसे नीति परक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है, जो हरित विकास ने महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है और दीर्घकालीन वैश्विक, आर्थिक और जनसांख्यिकी विकास द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना कर सकता है । अवशिष्ट प्रबंध प्रणालियों में कमियां राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को भी उनमें दिलचस्पी है । चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अवशिष्ट प्रबंध संपरीक्षा का संचालन करते समय इन चिंताओं को दूर करके और रचनात्मक रूप में इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है । बोर्ड ने अवशिष्ट प्रबंध संपरीक्षा संबंधी एक तकनीकी गाइड जारी की है, ताकि अवशिष्ट प्रबंध उद्योग में प्रचालन कर रहे अस्तित्वों की आंतरिक संपरीक्षा करने वाले आंतरिक संपरीक्षकों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके ।

भेषजी उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय भेषजी उद्योग में तीव्र गति से विकास हुआ है । चूंकि भेषजी कंपनियां सतत अनुसंधान और लंबी सगर्भता अवधियों के साथ विकास पर निर्भर करती हैं और साथ ही इस उद्योग में पर्यावरण संबंधी विधियों के अनुपालन संबंधी मुद्दे अंतर्वलित होते हैं और उस उद्योग में भारी पूंजी निवेश और व्यय भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इन कंपनियों के संबंध में जोखिम कारक सदैव ध्यानाकर्षित करता है । आंतरिक संपरीक्षक भेषजी कंपनियों की, आज की जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक और जोखिम से भरी परिस्थितियों द्वारा प्रस्तुत उक्त जोखिम का समाधान करने में सहायता कर सकते हैं । वे ऐसा खतरों को नीतिगत रूप से अवसरों में परिवर्तित करके और उक्त कंपनियों के प्रबंधन मंडल को उनकी भावी कार्रवाईयों के संबंध में सहायता करके कर सकते हैं । 'भेषजी उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड' इसी भेषजी उद्योग के कार्यकरण के संबंध में अतरंग जानकारी उपलब्ध कराती है ।

पेट्रो-रसायन उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

पेट्रो-रसायन उद्योग आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों और मूल्यवर्धित उत्पादों के बीच एक कड़ी उपलब्ध कराता है । यह ऐसी संश्लेषित सामग्रियों का आरंभिक स्रोत है जो विश्वभर में मानवता के विकास के वर्तमान स्तर का समर्थन करती हैं । ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग में, आंतरिक संपरीक्षा 'मूल्यवर्धक' कृत्य के रूप में उभरी है जो रुटीन संव्यवहार आधारित संपरीक्षा की बजाए प्रचालानात्मक और प्रबंधन संपरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने पेट्रो-रसायन उद्योग में लगे सदस्यों की, आंतरिक संपरीक्षकों के रूप में उनके वृत्तिक उत्तरदायित्वों के प्रभावी रूप से निर्वहन में सहायता करने के लिए इस गाइड को जारी किया है ।

सुपेय उद्योग के आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

भारतीय सुपेय उद्योग, उपभोक्ता केंद्रित परिस्थितियों में तीव्र गति से सतत विकास कर रहा है । कीमत नियतन संबंधी दबावों, अस्थिर अंत:निवेश लागतों, नए ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता और उत्पादों में नव-परिवर्तन जैसे विकास में बाधक बनने वाले कारक सुपेय उद्योग में प्रचालन कर रही कंपनियों के समक्ष नए जोखिम और खतरे उत्पन्न करते हैं । यह तकनीकी गाइड इस उद्योग में प्रचालन कर रहे अस्तित्व के प्रचालनात्मक क्षेत्रों से संबंधित है और इसमें सुपेय उद्योग को लागू विभिन्न विनियमों द्वारा आज्ञापक वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालनों पर जोर देती है ।

आईटी साफ्टवेयर उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

बोर्ड द्वारा जारी की गई यह तकनीकी गाइड इस उद्योग में प्रचालन कर रहे अस्तित्वों के प्रचालनात्मक क्षेत्रों से संबंधित है और इसमें साफ्टवेयर उद्योग को लागू विभिन्न विनियमों द्वारा आज्ञापक वित्तीय नियंत्रणों और अनुपालनों पर जोर देती है । यह इस उद्योग से संबंधित कारबार प्रक्रियाओं के नियंत्रण, जोखिम प्रबंध, विधिक और विनियामक अनुपालनों आदि के बारे में ब्यौरवार मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी गाइड

विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावपूर्ण प्रणाली एक पूर्वापेक्षा है । कंपनी अधिनियम, 2013 आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को परिभाषित करता है, जिसका और अधिक विस्तार किया गया है । चार्टर्ड अकाउंटेंट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाविकता को सुनिश्चित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । इस गाइड का मुख्य उद्देश्य आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित नए उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है ताकि वे निगमों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें ।

5.18.6 ज्ञान पुस्तिकाएं

ज्ञान पुस्तिका 1 : आंतरिक संपरीक्षा के माध्यम से शासन में अभिवृद्धि

आंतरिक संपरीक्षा, इन संघटकों को समझकर तथा उनका मूल्यांकन करके और उनमें सुधार के लिए मूल्यवर्धित सहायता उपलब्ध कराके संगठनात्मक शासन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । संगठनात्मक शासन का साक्ल्यवादी मत आंतरिक संपरीक्षा को और अधिक सक्रिया और नीतिगत भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करता है । यह ज्ञान पुस्तिका ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों और मार्गों को विशिष्ट रूप से दर्शित करती है, जहां आंतरिक संपरीक्षा संगठन में विभिन्न शासन संबंधी क्रियाकलापों के निष्पादन, उनके सकल प्रबंधन के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने संबंधी उत्तरदायित्व निभा सकती है ।

ज्ञान पुस्तिका 2 : आंतरिक संपरीक्षा में एक नया युग - कंपनी अधिनियम, 2013

यह पुस्तिका कंपनी अधिनियम, 2013 में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी नए उपबंधों को विशिष्ट रूप से दर्शित करती है । इसमें संपरीक्षा समिति या बोर्ड हेतु सुदृढ़ समर्थन प्रभावी जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और अनुपालन सुनिश्चित करने आदि जैसे क्षेत्रों में आंतरिक संपरीक्षा की बृहतर भूमिका के बारे में भी विचार-विमर्श सम्मिलित है ।

5.18.7 प्रमाणपत्र पाठयक्रम

बोर्ड निम्नलिखित प्रमाणपत्र पाठयक्रमों का भी संचालन करता है :

बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

बोर्ड सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए "बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा" संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन करता है । अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर इस पाठयक्रम के 78 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है, जिसमें देश भर से लगभग 3500 सदस्यों ने भाग लिया था । बोर्ड ने बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच के लिए ओएमआर प्रणाली आरंभ की है । बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के लिए विशेषज्ञ संकाय सदस्यों का एक पैनल भी तैयार किया गया है ।

बोर्ड ने 7 और 8 अगस्त, 2013 के दौरान अपने उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के अधीन संकाय विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है ।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2014 तक विभिन्न स्थानों पर इस प्रमाणपत्र पाठयक्रम के 30 से अधिक बैचों का आयोजन किया जाएगा ।

उद्यम जोखिम प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड "उद्यम जोखिम प्रबंध" संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन करता है, ताकि आंतरिक संपरीक्षकों में, संपरीक्षा समिति और कार्यकारी प्रबंध मंडल को जोखिम प्रबंध के संबंध में सलाह और आश्वासन देने के उनके सार्मथ्यों में वृद्धि करके उनकी पूर्ण संभावनाओं का उपयोग किया जा सके । बोर्ड ने क्रमशः दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में इस पाठयक्रम के चार बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है । आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड इस पाठयक्रम को पुन: संरचित कर रहा है ।

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम

बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों के लिए प्रस्थापित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऐसे शैक्षिक अनुभव, उपयोज्य ज्ञान और कारबार उपकरणो का सृजन करना है, जो किसी भी संगठन या कारबार परिस्थितियों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें । बोर्ड ने हैदराबाद में इस पाठयक्रम के एक बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है । आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड इस पाठयक्रम को पुन: संरचित कर रहा है ।

5.18.8 त्रैमासिक ईन्यूजलेटर "इंटरनल ऑडिट एंड बियॉंड"

बोर्ड ने अपने त्रैमासिक ईन्यूजलेटर "इंटरनल ऑडिट एंड बियॉंड" के 6 अंकों को जारी किया है । इस ईन्यूजलेटर का उद्देश्य आंतरिक संपरीक्षा जगत की मुख्य धारा में अवसरों का लाभ उठाने के लिए वृत्तिकों और अन्य सुसंगत सदस्यों के बीच अद्यतन जानकारी और तकनीकी उदघोषणाओं के माध्यम से जागरुकता का सृजन करना है ।

5.18.9 सम्मेलन और अन्य कार्यक्रम

बोर्ड देश के विभिन्न भागों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है, जिनकी मेजबानी संस्थान की संबद्ध प्रादेशिक परिषदों/ शाखाओं द्वारा की जाती है ।

5.18.10 आंतरिक संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित लाइव वेबिनार

आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने विभिन्न वेबिनारों का आयोजन किया है ।

5.18.11 शासकीय आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र कार्यक्रम

बोर्ड ने, मई, 2013 में "शासकीय आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र कार्यक्रम स्तर 1" के अग्रणी बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसका आयोजन वित्त मंत्रालय के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया था । इस प्रमाणपत्र कार्यक्रम को विनिर्दिष्ट रूप से बजट, आंतरिक संपरीक्षा, कार्यपालन संपरीक्षा, स्वामित्व संबंधी संपरीक्षा, रिपोर्टिंग जैसे सुसंगत क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया था । मामला अध्ययनों को अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शासकीय स्कीमों के आधार पर तैयार किया गया था । विभिन्न मंत्रालयों से लगभगा 48 व्यक्तियों ने इस दस दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया था और इसके लिए परीक्षा भी दी थी । उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को 6, मई, 2013 को श्री जवाहर ठाकुर, महालेखा नियंत्रक द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे ।

5.18.12 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी सर्वेक्षण

बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा संबंधी एक सर्वेक्षण कराने का विनिश्चय किया है और इस प्रयोजन के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था । इस सर्वेक्षण के परिलक्षित उद्देश्य देश में आंतरिक संपरीक्षा की वृत्ति में वर्तमान प्रवृतियों और उसके समक्ष चुनौतियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है ।

5.19 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति

समिति ने अनेक स्थानों पर अन्यों के साथ, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सभाओं का आयोजन किया है ।

ई पठन माडयूल

समिति देश भर में अंतरराष्ट्रीय कर के विषय में जानकारी के प्रसार के महत्व को मान्यता प्रदान करती है और इसलिए उसने किसी दूरस्थ स्थान में निवास करने वाले किसी सदस्य के लिए इस विषय के पठन को सुकर बनाने के लिए 'कर संधि की प्रस्तावना' विषय पर ई पठन माडयूल को विकसित किया था जिसका विमोचन 1 जुलाई, 2014 को सीए दिवस समारोह के दौरान किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अंतरण मूल्य नियतन और फेमा के संबंध में वेबकास्ट

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अंतरण मूल्य नियतन और फेमा के विभिन्न विषयों के संबंध में लाइव वेबकास्ट का आयोजन करने की पहल की है। इन वेबकास्टों का उद्देश्य सदस्यों के बीच इन विषयों के संबंध में जागरुकता पैदा करना और इस प्रकार उनका विकास करना है। वेबकास्ट के वीडियो को www.icaitv.com पर अपलोड किया जाता है। कुल 25 वेबकास्टों का आयोजन किया गया है। इनके अंतर्गत, 19 वेबकास्ट अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विभिन्न विषयों, 4 वेबकास्ट अंतरण मूल्य नियतन और 2 वेबकास्ट फेमा से संबंधित हैं।

ई न्यूज लैटर

अंतर्राष्ट्रीय कराधान का विषय अधिकाधिक रूप से सदस्यों और साथ ही कर विभाग का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। समिति ने उद्योग में लगे और साथ ही व्यवसायरत सदस्यों के लिए, इस विषय के संबंध में आवधिक रूप से जागरुकता का सृजन और प्रसार करने के लिए विभिन्न पहले की हैं। आवधिक आधार पर इस विषय के संबंध में होने वाली नवीनतम घटनाओं के आदान-प्रदान के विचार से समिति ने 'अंतर्राष्ट्रीय कराधान' विषय पर एक ई न्यूज लैटर निकालने का विनिश्चय किया है। समिति के ई न्यूज लैटर के पहले अंक को आईसीएआई के 64वें वार्षिक समारोह के दौरान अर्थात् 11 फरवरी, 2014 को जारी किया गया था।

उपरोक्त क्रियाकलापों के अलावा समिति ने अपने सदस्यों के सकल फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ (अंतरण मूल्य नियतन) के अधीन अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की रिपोर्ट पर मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित अगस्त, 2013 अंक)
- तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित फरवरी, 2014 अंक)
- अनिवासियों के कराधान संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित फरवरी, 2014 अंक)
- संस्थान के जर्नल में अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी मासिक लेख

वर्तमान में, समिति अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी एक अर्हतापश्च प्रमाणपत्र पाठयक्रम का आयोजन कर रही है। कुल 39 बैचों का संचालन किया गया है। पूरे भारत से आने वाले सुविख्यात विशेषज्ञ और विद्वान संकाय सदस्य इस पाठयक्रम में मूल्यवान परिवर्धन उपलब्ध कराते हैं। इस पाठयक्रम को पूरे भारत में मान्यताप्राप्त है और इसे सदैव, इसमें भाग लेने वाले सदस्यों से भूरिभूरि प्रशंसा प्राप्त हुई है। इस प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि इस पाठयक्रम को अर्हतापश्च डिप्लोमा पाठयक्रम में परिवर्तित कर दिया जाए।

सी मोट्स के साथ ठहराव :

आईसीएआई ने, आईसीएआई के सदस्यों के लिए केपिटालाइन – अंतरण मूल्य नियतन के लिए ऑनलाइन पाठ की रियायती दर पर ग्राहकी को, प्रतिवर्ष प्रति लॉग इन पर 10,000 धन कर की सहायकी प्राप्त दर पर प्राप्त करने के लिए सी मोट्स इंटरनेट टेक्नोलाजी प्रा. लि. के साथ एक ठहराव पर हस्ताक्षर किए हैं।

सीसीएच इंडिया के साथ ठहराव (1 वोलटर्स क्लूवर कारबार)

आईसीएआई ने, आईसीएआई के सदस्यों को 3500 रुपए धन कर प्रति उपयोक्ता प्रतिवर्ष की सहायकी प्राप्त दर पर सीमा पार टैक्स रेफरेन्सर की ऑनलाइन ग्राहकी के लिए सीसीएच इंडिया (1 वोलटर्स क्लूवर कारबार) के साथ ठहराव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ग्राहकी के लिए सूचीबद्ध कीमत 7500 रुपए धन कर प्रति उपयोक्ता प्रतिवर्ष है। सीमा पार टैक्स रेफरेन्सर,

पीई, समावेशों और एफटीएस/एफआईएस के संबंध में सटीक जानकारी के साथ विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणियों और प्रश्नोत्तरों के डाटा बेस के मिश्रित फायदे एक साथ उपलब्ध कराता है ।

एएफपीएल के साथ प्रस्तावित ठहराव

समिति ने 31 जनवरी, 2014 को हुई अपनी 16वीं बैठक में सहायकी प्राप्त दर पर आईसीएआई के सदस्यों के लिए एसीई – टीपी ऑनलाइन (वेब) पहुंच को प्राप्त करने के लिए एकार्ड फिन्टेक प्रा. लि. से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्ताव का अनुमोदन किया था । तदनुसार, समिति एएफपीएल के साथ ठहराव को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आगे कार्रवाई करेगी ।

अनुसंधान और मानदेय

समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित विषयों पर अनुसंधान का संवर्धन करने और अनुसंधान आधारित क्रियाकलापों के लिए मानदेय मंजूर करने का विनिश्चय किया है ।

प्रस्तुत अभ्यावेदन

- समिति ने 19.07.2013 को, संयुक्त सचिव (एफटी एंड टीआर-1), राजस्व विभाग, सीबीडीटी को नए प्ररुप सं. 3गड.ख के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
- समिति ने 27.08.2013 को, निदेशक (एफटी एंड टीआर-1), राजस्व विभाग, सीबीडीटी को प्रारुप सुरक्षित हार्बर नियमों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
- समिति ने 25.10.2013 को संयुक्त सचिव (टीपीएल) को आयकर विभाग की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारों की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
- समिति ने 25.10.2013 को संयुक्त सचिव (विदेशी व्यापार प्रभाव) को आयकर अधिनियम, 1961 में वित्तीय वर्ष 2012-13 से अंत:स्थापित देशी अंतरण मूल्य नियतन से संबंधित उपबंधों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
- समिति ने 22.11.2013 को अध्यक्ष (सीबीडीटी) को आयकर विभाग की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारों की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।
- समिति ने 22.11.2013 को सदस्य (एल एंड सी) को आयकर विभाग की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों और विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारों की रिपोर्टिंग को ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत किए जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।

5.20 उद्योग में सेवारत सदस्यों संबंधी समिति

उद्योग में सेवारत सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई और उद्योग में विभिन्न हैसियतों में कार्यरत चार्टर्ड एकाउंटेंटों के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने के कार्य में लगी है और साथ ही उन्हें ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल के निबंधनों में एक संदर्भ आधार और उनके व्यष्टि कैरियर में विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराती है । इसके लिए समिति सरकार के विभिन्न संगठनों और अभिकरणों के साथ व्यापक और गहन संबंधों का विकास करती है ताकि अधिकतम नियोजन संबंधी अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति के साथ-साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और शासन जगत के साथ अधिकतम संभव उदभासन का उपबंध किया जा सके ।

5.20.1 नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम

समिति वर्ष में दो बार नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करती है । समिति अपने सदस्यों को विश्वस्तरीय नियोजन सेवाएं और उद्योग को सर्वोत्तम लेखांकन और वित्तीय योग्यताएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।

वर्ष 2013-14 के लिए

समिति ने नई अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 37वें और 38वें संस्करण का आयोजन किया था ।

मुख्य विशिष्टियां

37वां संस्करण	38वां संस्करण
ऐसे नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए, जिन्होंने नवंबर, 2012 में सीए की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी।	ऐसे नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए, जिन्होंने मई, 2013 में सीए की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
18 केंद्रों पर दो चरणों में आयोजित	16 केंद्रों पर दो चरणों में आयोजित
लगभग 7300 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था	लगभग 4150 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था
900 से अधिक नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था	685 से अधिक नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था
उद्योग के प्रमुख 58 अस्तित्वों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और सभी केंद्रों पर साक्षात्कार लेने वाले दलों की कुल संख्या 116 थी	उद्योग के प्रमुख 61 अस्तित्वों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और सभी केंद्रों पर साक्षात्कार लेने वाले दलों की कुल संख्या 106 थी
अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए अधिकतम 21 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का और घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 16.55 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का प्रस्ताव किया गया था	अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए अधिकतम 24.64 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का और घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का प्रस्ताव किया गया था

वर्ष 2014-15 के लिए (7 जुलाई, 2014 तक)

समिति ने नई अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 39वें संस्करण का आयोजन किया था।

मुख्य विशिष्टियां

- ऐसे नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए जिन्होंने नवंबर, 2013 में सीए की फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की थी
- 16 केंद्रों पर दो चरणों में आयोजित
- लगभग 2600 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकरण किया था
- 700 से अधिक नौकरियों का प्रस्ताव किया गया था
- उद्योग के प्रमुख 80 अस्तित्वों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और सभी केंद्रों पर साक्षात्कार लेने वाले दलों की कुल संख्या 136 थी
- अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए अधिकतम 20.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का और घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 21 लाख रुपए प्रतिवर्ष वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम

वर्ष 2013-14 के लिए

समिति ने वर्ष 2013-14 के दौरान अनुकूलन कार्यक्रमों के दो चक्रों का आयोजन किया है, कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - फरवरी-मार्च, 2013 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 केन्द्रों पर और कैम्पस नियोजन कार्यक्रम - अगस्त-सितम्बर, 2013 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 16 केन्द्रों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

इन अनुकूलन कार्यक्रमों में सुविख्यात संकाय को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कि निगमों की चार्टर्ड एकाउंटेंटों से आशाएं, नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अपेक्षित सॉफ्ट कौशल, व्यक्तिगत साक्षात्कार में कैसे सफल हों, विभिन्न उद्योगों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर, आदि विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों को संबोधित किया था।

वर्ष 2014-15 के लिए (7 जुलाई, 2014 तक)

इस अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन देश भर में 16 केंद्रों पर किया गया था। इस अनुकूलन कार्यक्रम में सुविख्यात संकाय को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने विभिन्न विषयों जैसे कि निगमों की चार्टर्ड एकाउंटेंटों से आशाएं, नए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के

लिए अपेक्षित सॉफ्ट कौशल, व्यक्तिगत साक्षात्कार में कैसे सफल हों, विभिन्न उद्योगों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के लिए अवसर, आदि विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों को संबोधित किया था ।

5.20.2 आईसीएआई उद्योग एचआर बैठकें

वर्ष 2013-14 के लिए

समिति ने, नई दिल्ली स्थित हयात रिजेंसी में 26 अप्रैल, 2013 को आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था । इस आईसीएआई उद्योग एचआर की बैठक का मुख्य उद्देश्य देशभर में विभिन्न केन्द्रों पर कैम्पस नियोजन कार्यक्रम से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था । विभिन्न निगमों से 21 प्रतिनिधि मंडलों ने इस बैठक में भाग लिया था और कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी ।

वर्ष 2014-15 के लिए (7 जुलाई, 2014 तक)

समिति ने आईसीएआई और निगमों के बीच संबंध को मजबूत करने और आगामी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम – अगस्त – सितंबर- अक्तूबर, 2014 हेतु नियोजन प्रकियाओं और संनियमों के बारे में निगमों की प्रतिक्रिया/सुझावों को जानने के लिए 19 अप्रैल, 2014 को मुंबई में आईसीएआई उद्योग एचआर बैठक का आयोजन किया था ।

5.20.3 उद्योग में लगे आईसीएआई के सदस्यों के बीच सक्षमता विकसित करने के लिए समिति द्वारा की गई पहलें

वर्ष 2013-14 के लिए

1. उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल

आईसीएआई ने, सीपीई अध्ययन सर्कलों के लिए सन्नियम अधिसूचित किए हैं जो अनन्य रूप से उद्योग में लगे सदस्यों के लिए हैं । ये सीपीई अध्ययन सर्कल ऐसे सदस्यों की सहायता के लिए अनुध्यात किए जा रहे हैं, जो उद्योग में कार्यरत हैं और ये उनकी मूलभूत सक्षमताओं को बनाए रखने के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और ये सदस्यों के बीच भाईचारे की भावना को विकसित करने के साथ ही उनके बीच वृत्तिक ज्ञान के आदान-प्रदान को भी सुकर बनाएंगे । उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल के संपूर्ण संनियमों को देखने के लिए कृपया http://www.cmii.icai.org/cpe.asp पर आएं ।

समिति को उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कलों को अनुमोदित करने, उन्हें मार्गदर्शन देने तथा उनका अधीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, जो उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सतत वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी । ये सन्नियम अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या और आवेदन प्रक्रिया, कार्यकरण के नियमों और इन सीपीई अध्ययन सर्कलों के प्रशासन और लेखों के संबंध में उपबंध करते हैं । वर्ष के दौरान 16 सीपीई अध्ययन सर्कलों को तैयार कर लिया गया था ।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए ई पठन पाठयक्रमों का आरंभ और नियोजन पोर्टल का नया वर्जन

समिति ने 1 जुलाई, 2013 को माननीय श्री सचिन पायलट, संघ के कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के शुभ हाथों द्वारा निम्नलिखित ई पठन पाठयक्रमों का शुभारंभ किया था :

- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए ई पठन पाठयक्रम
 - कारबार शिष्टाचार – श्रेष्ठता हासिल करना
 - साक्षात्कार में प्रवीणता प्राप्त करना
- सीएमआईआई ने 1 जुलाई, 2013 को नियोजन पोर्टल के नवीनतम वर्जन, अर्थात् http://placement.icai.org/ को भी आरंभ किया ।

3. उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए समकालीन मुद्दों पर कार्यक्रम

समिति ने समकालीन विषयों जैसे कि अंतरण मूल्य नियतन, बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले एम एंड ए की दशा में कर संबंधी मुद्दे और निगम कराधान पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

4. आयोजित कार्यक्रम

समिति ने 3 उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियों और एक आवासीय पुनश्चर्या पाठयक्रम का आयोजन किया था।

5. उद्योग बैठकें/सीएफओ/सीईओ की बैठकें

आईसीएआई और उद्योग में कार्यरत सदस्यों के बीच संबंधों में सुधार करने और समकालीन महत्व के मुद्दे और परस्पर चिंता के विषयों पर परिचर्चा करने के लिए समिति देश के सभी प्रमुख नगरों में ऐसे सदस्यों के साथ बैठकों का आयोजन कर रही है जो निगमों में प्रमुख पद धारण कर रहे हैं। ऐसी 6 बैठकों का आयोजन किया गया था।

6. आईसीएआई पुरस्कार, 2013 के लिए ज्यूरी की बैठक

समिति ने, 2 दिसम्बर, 2013 को होटल ट्राइडेंट, मुंबई में, आईसीएआई पुरस्कार, 2013 के लिए आवेदकों में से सर्वोत्तम चार्टर्ड एकाउंटेंट के चयन के लिए आईसीएआई पुरस्कार, 2013 के लिए ज्यूरी की बैठक का आयोजन किया था।

7. सातवां आईसीएआई का निगम मंच और पुरस्कार 2013 (www.corporateforum.icai.org)

समिति ने, लगातार सातवीं बार नई दिल्ली में, 10 और 11 जनवरी, 2014 के दौरान, वार्षिक निगम मंच का आयोजन किया था, जिसमें सातवीं निगम सभा, 2013, दो दिवसीय राष्ट्रीय अभिसमय और सातवें आईसीएआई पुरस्कार, 2013 जैसे उच्चकोटि के आयोजन सम्मिलित थे। इस अभिसमय में संस्थान के सदस्यों के लिए सुसंगत महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि उन्हें इन क्रियाशील परिस्थितियों में अद्यतन बनाया जा सके। 160 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने अभिसमय के दोनों दिवसो के आयोजनों में भाग लिया था। 7वें आईसीएआई पुरस्कार, 2013 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, निगम गृहों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नियोजित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के योगदान को सम्मानित किया गया था। पुरस्कारों को मुख्यत: तीन वर्गों अर्थात् सीए कारबार नेतृत्व, सीए सीएफओ और सीए वृत्तिक उपलब्धिकर्ता में विभाजित किया गया था।

वर्ष 2014-15 के लिए (7 जुलाई, 2014 तक)

1. आंकाक्षा और इच्छा रखने वाले युवा सीए के मार्गदर्शन के लिए परामर्शदाता कार्यक्रम

परामर्शदाता कार्यक्रम का शुभारंभ

सीएमआईआई ने परामर्शदाता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें संस्थान के अनुभवी सदस्यों से परामर्शदाता की भूमिका अपनाने का और इस आदर्श वृत्ति की संवहनीयता और विकास के प्रति अपना योगदान देने और वृत्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ और अनुभवी सीए वृत्तिकों को अनुरोध पत्र भेजे गए थे कि वे हाल ही में अर्हता प्राप्त करने वाले और आंकाक्षा तथा इच्छा रखने वाले अन्य सीए को, उनकी योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर परामर्श देने हेतु स्वैच्छापूर्वक सहमति दें, ऐसा इस विश्वास के साथ किया गया था कि उनकी विनम्र उपस्थिति और सहारा देने की भावना आंकाक्षा तथा इच्छा रखने वाले सीए को उच्च गुणवत्ता वाला परामर्श उपलब्ध कराएगी और वे प्रभावी परामर्श और परस्पर क्रियाशील पठन प्रक्रिया के माध्यम से अपने कौशलों, ज्ञान और मनोवृत्ति को विकसित करके भविष्य में स्वयं के लिए सही मार्ग चुनने में समर्थ होंगे।

2. सीएमआईआई ई न्यूज लैटर के 12वें अंक का विमोचन

समिति ने, सीएमआईआई ई न्यूज लैटर के 12वें अंक का विमोचन किया है, जो http://220.227.161.86/33552cmii-enewsletter23183main.pdf यह ई न्यूज लैटर, सीएमआईआई की हाल ही की उपलब्धियों को दर्शित करता है और साथ ही सदस्यों को उद्योग में कार्यरत सदस्यों के फायदे के लिए की गई नई पहलों के बारे में भी अवगत कराता है।

3. आईसीएआई रिकनेक्ट का शुभारंभ

समिति ने, संस्थान की सदस्यता के साथ जुड़े विशेषाधिकारों और अन्य फायदों को संसूचित करने के उद्देश्य से आईसीएआई रिकनेक्ट का शुभारंभ किया है ताकि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी सदस्यता प्रास्थिति को सक्रिय नहीं रखे हुए हैं, उसके महत्व को समझ सके और सतत आधार पर उसका नवीकरण करें।

4. उद्योग में सेवारत सदस्यों के लिए सीपीई अध्ययन सर्कल का सृजन

समिति ने, आईसीएआई के उद्योग में सेवारत सदस्यों के लिए 2 और सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन किया है, इस प्रकार अध्ययन सर्कलों की कुल संख्या 96 हो गई है।

5. आउटरीच कार्यक्रम

समिति ने पांच आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

6. आयोजित कार्यक्रम

समिति ने अन्य कार्यक्रमों के अलावा सभा, संगोष्ठी, परस्पर क्रियाशील बैठकों आदि जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

7. प्रकाशन/संकलन

समिति ने निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :

- सीएमआईआई क्रियाकलाप - उद्योग में सेवारत सदस्यों के लिए एक मंच
- नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए हैंड बुक का पुनरीक्षित संस्करण
- परामर्शदाता कार्यक्रम
- आईसीएआई रिकनेक्ट

8. उद्योग में सेवारत ऐसे सदस्यों के लिए मान्यता और सराहना, जिन्होंने वृत्तिक योगदान के अपने दो दशकों को पूरा कर लिया है

समिति ने 1 जुलाई, 2015 की पूर्व संध्या पर उद्योग में सेवारत ऐसे सदस्यों को मान्यता देने और उनकी सराहना हेतु, जिन्होंने वृत्तिक योगदान के अपने दो दशकों को पूरा कर लिया है, उन्हें विशेष पत्र भेजे हैं ।

9. 8वां आईसीएआई निगम मंच

समिति जनवरी-फरवरी, 2015 के दौरान मुंबई में, 8वें आईसीएआई निगम मंच का आयोजन करेगी । समिति ने सदस्यों के सामने आने वाली असुविधाओं का अपवंचन करने के लिए पूर्णतया ऑनलाइन नामांकन प्ररुप की सुविधा को आरंभ करने की पहल की है ।

5.21 पियर रिव्यू बोर्ड

पियर रिव्यू बोर्ड की स्थापना मार्च, 2002 में संस्थान द्वारा जारी "पियर पुनर्विलोकन संबंधी कथन" (2008 और 2011 में पुनरीक्षित) के निबंधनो के अनुसार की गई थी । उसके पश्चात् से ही, इसने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी विद्यमानता को सदैव दर्ज किया है । इसका उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना है । आईसीएआई के पियर पुनर्विलोकन तंत्र का उद्देश्य आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना है और साथ ही सदस्यों को, उनके कार्यपालन और वृत्तिक कार्यों की गुणवता में सुधार करने और विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है । किसी व्यवसायी ईकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है, जो पियर पुनर्विलोकनकर्ता के रूप में ज्ञात है ।

नए कथन के अनुसार, पियर पुनर्विलोकन का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वृत्तिक आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय संस्थान के सदस्य, संस्थान द्वारा अधिकथित तकनीकी मानकों का अनुपालन करते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/1/2010, तारीख 5 अप्रैल 2010 के द्वारा 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रकिया के अध्यधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर रिव्यू बोर्ड' द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं ।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर रिव्यू बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके । इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से संस्थान से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा प्राप्त पियर पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उसने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया था । वर्ष के दौरान उप समिति ने बैठकें की थी, जिनके दौरान आज की तारीख तक 7229 व्यवसायी इकाईयों के संबंध में विचार किया गया था और उन्हें पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए थे । तदनुसार, ऐसी व्यवसायी इकाईयों की, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, अद्यतन सूची को पियर रिव्यू बोर्ड के वेब पृष्ठ पर और साथ ही आईसीएआई की वेबसाइट पर प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख के साथ रखा गया है ।

पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सभी फर्मों (पीयू) को सम्मिलित करना है । प्रक्रम 1 में सम्मिलित पी.यू. का 5 क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित हैं, उनका 4 चरणों के लिए चयन किया गया है । प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके चरण 2 के अधीन किया गया है । चयन किए गए पीयू की कुल संख्या 11067 है । इसके अतिरिक्त, 798 व्यवसायी इकाईयों को भी पियर पुनर्विलोकन द्वितीय चक्र के अधीन चुना गया है ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगतता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को, व्यवसायी इकाईयां पुनर्विलोकन के लिए समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है और अभी तक कुल 4867 पुनर्विलोकनकर्ताओं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य, पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के भेदों और जटिलताओं के बारे में समझ में वृद्धि करना है, अर्थात् किसी व्यवसायी इकाई का पियर पुनर्विलोकन इस प्रकार किया जाए । इसके अतिरिक्त, पियर रिव्यू बोर्ड ने उसके प्रारंभ से आज की तारीख तक 134 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

वृत्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सदैव परिवर्तनशील परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए पियर रिव्यू बोर्ड ने जनवरी, 2014 में पियर रिव्यू बोर्ड के पियर पुनर्विलोकन मैनुअल प्रकाशन को पुनरीक्षित किया है । इसके अतिरिक्त, पियर पुनर्विलोकन मैनुअल को ई बुक प्ररुप में संपरिवर्तित किया गया है जिसे 1 जुलाई, 2014 को जारी किया गया था ।

व्यवसायी इकाई के चयन से संबंधित स्थिति

व्यवसायी इकाई का चयन	चयन किए गए पीयू की संख्या	चयन का प्रतिशत	पूरा किया गया/ चालू पियर पुनर्विलोकन
प्रक्रम 1 के अधीन चयन (एस।)	2603	26.21%	2424
प्रक्रम 2 के अधीन चयन (एस।।)	5166	45%	4239
प्रक्रम 3 के अधीन चयन (एस।।।)	3306	28.79%	2051
7 जुलाई, 2014 को यथाविद्यमान कुल योग	11075	100%	8714

व्यवसायी ईकाई का चयन

व्यवसायी इकाई का चयन (फेजवार)	प्रक्रम 1	प्रक्रम 2	प्रक्रम 3
फेज 1	199	1509	2718
फेज 2	241	1269	588

फेज 3	406	1084	-
फेज 4	727	962	-
फेज 5	1030	342	-
योग	2603	5166	3306

पियर पुनर्विलोकन रिपोर्टों के संबंध में स्थिति

निम्नलिखित तारीख को आंकड़े	प्राप्त हुई रिपोर्टें (अंतिम/अर्हित)	जारी किए गए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र	अग्रिम पुनर्विलोकन	बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली रिपोर्टें/अपूर्ण रिपोर्टें
7 जुलाई, 2014	7478	7229	224	25

5.22 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति को संस्थान द्वारा वर्ष 1962 में एक गैरस्थायी समिति के रूप में स्थापित किया गया था । वृत्तिक विकास समिति संस्थान की सर्वाधिक सक्रिय समितियों में से एक है, जिसने सदैव अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थान के सदस्यों के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने और उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं । यह वृत्तिक विकास संबंधी आवश्यकताओं को अवधारित करती है और वृत्ति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों और मुद्दों की पहचान करती है । अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह समिति ऐसे नए और विद्यमान क्षेत्रों में खोजबीन/क्रियाएं करके, जहां सदस्यों के वृत्तिक कौशल को और अधिक उत्पादक और फायदाप्रद रीति में उपयोग किया जा सकता है, संस्थान के सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए प्रयास कर रही है । इस समिति ने यह सुनश्चित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं कि वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर उपलब्ध हों । वृत्तिक विकास में अभी तक जांचे परखे नहीं गए क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा वृत्तिक विकास समिति समाज के विभिन्न तबकों में बहुप्रकार के उपयोक्ताओं के साथ संपर्क प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की भूमिका के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रयास कर रही है । विद्यमान और नए क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के विचार से, यह हित के समकालीन क्षेत्रों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है ।

- केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ पदधारियों और उसके मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदधारियों को अभ्यावेदन भेजे गए हैं, जिनमें आईसीएआई और उसके सदस्यों की विधिक प्रास्थिति और संख्या के ब्यौरे कथित किए गए हैं और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सीए की वृत्तिक विशेषज्ञता को उपयोग करने संबंधी संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण भी किया गया है ।
- सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुख्य प्रबंध निदेशकों को साथ, उन्हें ऐसे समनुदेशनों से अवगत कराने के लिए, जिनके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंटों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है, बैठकें की जा रही हैं ।
- वृत्तिक विकास समिति ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहलें की हैं जैसे कि विभिन्न सरकारी विभागों और विनियामक निकायों के विभिन्न पदधारियों से की गई बैठकें आदि । बैठकों के अलावा समिति ने सदस्यों के कौशल में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें नए नियमों और विनियमों से अवगत कराने के लिए और इस प्रकार सदस्यों और विनियामकों को एक-दूसरे के करीब लाने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया था ।
- वृत्तिक विकास समिति का जानकारी पोर्टल, जो ww.pdicai.org पर उपलब्ध है, विभिन्न क्षेत्रों में नए वृत्तिक अवसरों के संबंध में सदस्यों को समय पर और अनिवार्य जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी अपनी सेवाएं सदस्यों को उपलब्ध कराता रहा है ।
- वृत्तिक अवसरों और उनके साम्यापूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई और विभिन्न अन्य प्राधिकरणों को, उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार चार्टर्ड

अकाउंटेंटों/फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए गए थे ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति के प्रमुख प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- श्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार और श्री पी. चिदम्बरम, संघ के तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को, उनसे अवसीमा को कम करके पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की सभी शाखाओं में संपरीक्षा कराने पर विचार करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे ।

 इस अनुरोध को पुन: प्रस्तुत किया गया था और साथ ही श्री चंदन सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक और डा. गुरुदयाल सिंह संधु, सचिव (बैंककारी), वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भी अवसीमा को 20 करोड़ से 6 करोड़ रुपए करके पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) की सभी शाखाओं में संपरीक्षा कराने पर विचार करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे ।

- डा. एम. पल्लमराजु, संघ के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के साथ बैठक की गई थी ।

- श्री मनोरंजन कुमार, प्रादेशिक आयुक्त - 2 (निवेश), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), नई दिल्ली के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप ईपीएफओ ने देश भर में फैले उसके 120 प्रादेशिक और उप प्रादेशिक कार्यालयों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों को पैनलबद्ध किया था ।

5.23 लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति

लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी समिति का गठन, लोक वित्त और शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक उत्कृष्टता को विस्तारित करने के उद्देश्य से किया गया है । समिति, समेकित विकास और आर्थिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रवार आबंटन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक सुयोग्य तंत्र तैयार करने और इस प्रकार लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संरचना को विकसित करने में सहायता करती है ।

समिति ऐसे क्रियाकलापों में स्वयं को संलिप्त करती है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों को लोक निधियों के वित्तीय प्रशासन और प्रबंधन हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करने में सहायता उपलब्ध कराके राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान करते हैं । समिति विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, जिस दौरान वह उन्हें सर्वोत्तम लेखांकन व्यवहारों को सुस्थापित करने और वित्तीय रिपोर्टिंग में वैश्विक मानकों के साथ अभिसरण की ओर अग्रसर होने के संबंध में सलाह देती है । समिति विभिन्न सरकारी विभागों के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है और वह अपने अध्ययनों के माध्यम से उन्हें तकनीकी अंत:निवेश भी उपलब्ध कराती है ।

1 अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान समिति की प्रमुख उपलब्धियां/पहलें निम्नानुसार हैं :

- समिति ने वर्ष के दौरान अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सम्मेलनों, राष्ट्रीय संगोष्ठियों, आवासीय पुनश्चर्या पाठयक्रमों का आयोजन किया था

- समिति ने वर्ष 2013 और 2014 के दौरान बृहण मुंबई नगर निगम के पदधारियों के लिए "प्रोदभवन लेखांकन, बजट संबंधी नियंत्रण और संपरीक्षा ढांचा" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया था

- आईसीएआई ने डाक लेखा कार्यालयों के कर्मचारिवृंद के लिए "प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए डाक विभाग (डीओपी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और उसने वर्ष 2013 के दौरान पूरे भारत वर्ष में उनके पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का सफलतापूर्वक आयोजन किया था ।

- समिति ने "लोक वित्त में प्रवृत्तियां और पैटर्न : सैद्धांतिक और प्रयोगाश्रित पहलू" नामक प्रकाशन तथा "आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के कार्यपालन" विषय पर एक अध्ययन रिपोर्ट भी निकाली थी ।

- समिति ने वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित समकालीन विषयों पर चार वेबकास्टों का भी आयोजन किया था ।

- समिति द्वारा "लोक वित्त के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां" विषय पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

- वर्ष 2013-14 के दौरान, समिति ने नियमित रूप से अपने द्विमासिक ई न्यूज लैटर को भी जारी किया था ।

समिति ने आईसीएआई की कार्ययोजना के अनुरूप वर्ष 2014-15 के लिए अपनी कार्ययोजना भी तैयार की है, जिसके अनुसार समिति -

- प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली के सफलतापूर्वक अंगीकरण को सुकर बनाने तथा सरकार की आर्थिक और नीतिगत नीतियों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुरूप सी एंड एजी, डाक विभाग, एमसीजीएम जैसे राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण विभागों और संस्थाओं से सहयोग कर रही है ;
- ने राज्य स्तरीय कार्यबलों का गठन किया है, जो राज्य स्तरों पर सीपीएफ एंड जीए का प्रतिनिधित्व करेंगे और समिति के उद्देश्यों का निर्वहन करेंगे और साथ ही स्थानीय प्राधिकारियों और विभागों तथा उनके पदधारियों को उनके राज्य और संपूर्ण राष्ट्र के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुदों के संबंध में योगदान देने के लिए सम्मिलित करेंगे ;
- लेखांकन की दोहरी प्रवेश प्रणाली के अंगीकरण पर बल देने और लोक सेवा वितरण तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु उनके लेखाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्रीय, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और स्थानीय प्राधिकारियों से संपर्क कर रही है ।

5.24 अनुसंधान

अनुसंधान, किसी वृत्ति के ज्ञान आधार को व्यापक बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके एक ऐसा आधार तैयार करता है, जिस पर कोई वृत्ति विकसित होकर समृद्धि प्राप्त करती है । वृत्ति के लिए अनुसंधान के महत्व को ध्यान मे रखते हुए, वर्ष 1955 में हुई संस्थान की 17वीं बैठक में परिषद् ने एक अस्थायी समिति के रूप में अनुसंधान समिति का गठन किया था । अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है । इसके प्रारंभ से ही, यह समिति सदस्यों को वृत्तिक हित के विभिन्न क्षेत्रों, विशिष्ट रूप से लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने हेतु सदैव सक्रिय रही है । समिति ऐसे समकालीन मुद्दों, जो देश में आर्थिक सुधारों से संबद्ध विधियों में संशोधनों और अन्य घटनाओं के कारण सामने आते हैं, के संबंध में लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी सदैव सक्रिय रही है ।

समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शन टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है । समिति, साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अनुसंधान अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि के रूप में प्रकाशनों को निकालती है । समिति देश में वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के विचार से एक वार्षिक प्रतियोगिता, अर्थात् 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' का भी आयोजन करती है ।

5.24.1 उपलब्धियां

रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान, समिति ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) से प्राप्त अनुरोध पर, वित्तीय और लेखांकन पदों की परिभाषाओं की एक शब्दावली तैयार की थी, जिसका उपयोग उक्त विभाग द्वारा हस्ताक्षर हेतु तैयार किए जाने वाले परस्पर समझ ज्ञापनों (एमओयू) संबंधी दिशानिर्देशों और विभिन्न केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा कतिपय वित्तीय और गैर वित्तीय मापदंडों के आधार पर उनके कार्यपालन के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा । समिति ने 'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता की ओर' विषय पर एक तकनीकी कार्यशाला का भी आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य देश में अस्तित्वों की वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करना था । इस कार्यशाला में, शील्ड पैनल के सदस्यों द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें प्रतियोगिता के लिए उन्हें प्राप्त प्रकाशित वार्षिक रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों के उनके मूल्यांकन से उदभूत होने उनके प्रमुख संप्रेक्षणों को विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया था । इसका उद्देश्य देश में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनकी प्रस्तुति की गुणवत्ता में वृद्धि करना था ।

5.24.2 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

समिति की विभिन्न अन्य परियोजनाएं भी भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर हैं, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

(क) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण : समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा अंतर्विष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों से संबंधित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों पर व्यय के वित्तीय विवरणों की मान्यता, मापमान और प्रस्तुतिकरण के संबंध में

लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विचार से इस परियोजना को प्रारंभ किया था ।

(ख) व्युत्पन्नों संबंधी संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण : संस्थान द्वारा वित्तीय लिखतों के लेखांकन के लिए जारी लेखांकन मानक 30, 31 और 32 वर्तमान में आज्ञापक नहीं हैं । इस संबंध में, आज्ञापक मार्गदर्शन न होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भारत में विभिन्न अस्तित्वों द्वारा व्युत्पन्नों संबंधी संविदाओं के लेखांकन के लिए अपनाए जाने वाले व्यवहारों में विविधता को न्यूनतम करने हेतु व्युत्पन्नों संबंधी संविदाओं के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को आरंभ किया गया था ।

(ग) चलचित्र फिल्मों के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड : समिति ने चलचित्रों के क्षेत्र के विनिर्दिष्ट मुद्दों का समाधान करने के लिए लेखांकन मानकों और अन्य साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को आरंभ किया था ।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची : इस परियोजना को, एक ऐसा प्रकाशन निकालने के विचार से आरंभ किया गया है, जो सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के सुगम संदर्भ के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन यथा अपेक्षित रूप में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटनों के संबंध में सुगम संदर्भ बन सके ।

(ड.) लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटनों के लिए जांच सूची : समिति ने इस परियोजना को, वर्ष 2007 में जारी ऊपर उल्लिखित प्रकाशन को पुनरीक्षित करने के लिए आरंभ किया था, ताकि 1 जनवरी, 2007 के पश्चात् की अवधि के संबंध में लेखांकन मानक के अंतर्गत आने वाले किसी विषय से उदभूत होने वाली और प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं को उसमें सम्मिलित किया जा सके क्योंकि मूल प्रकाशन में केवल उस अवधि तक की प्रकटन अपेक्षाओं को सम्मिलित किया गया था ।

(च) वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता संबंधी प्रकाशन : 'प्रस्तुतिकरण और प्रकटनों संबंधी एक निदर्शी गाइड' का पुनरीक्षण : उपरोक्त परियोजना को इस तथ्य पर विचार करते हुए आरंभ किया गया था कि उपरोक्त प्रकाशन पूर्ववर्ती दो प्रतियोगिताओं अर्थात् वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 की प्रतियोगिताओं के लिए वार्षिक रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के दौरान किए गए मुख्य संप्रेक्षणों पर आधारित था और इसे सदस्यों और अन्य उपयोक्ताओं द्वारा अत्यधिक उपयोगी माना गया था । तदनुसार, पश्चातवर्ती वर्षों के शील्ड पैनल के संप्रेक्षणों के आधार पर प्रकाशन को अद्यतन करने का विनिश्चय किया गया था ।

5.24.3 वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कारों हेतु वार्षिक प्रतियोगिता के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अस्तित्वों को एक 3टियर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होता है । भाग लेने वाले अस्तित्वों की वार्षिक रिपोर्टों का प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोकनकत्ताओं के एक पैनल द्वारा किया जाता है, जो संस्थान के ऐसे सदस्य होते हैं, जो लेखांकन और संपरीक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हों । इसके पश्चात् शील्ड पैनल और अनुसंधान समिति की एक उप समिति, जिसमें कुछ अन्य स्वतंत्र विख्यात लेखांकन और संपरीक्षा विशेषज्ञों के साथ अनुसंधान समिति के कुछ सदस्य सम्मिलित होते हैं, द्वारा अस्तित्वों का आगे और पुनर्विलोकन किया जाता है । अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों पर तकनीकी और कानूनी अनुपालन, गुणवत्ता, जानकारी की प्रस्तुति की प्रकृति और रीति, निगम शासन परिप्रेक्ष्य से रिपोर्टिंग जैसे विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है और ऐसा करते हुए मुख्यतः लागू लेखांकन मानकों, कानूनी अपेक्षाओं और सुसंगत विधियों के अनुपालन पर बल दिया जाता है । मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर अस्तित्वों को शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है और उन्हें ज्यूरी के समक्ष रखा जाता है । ज्यूरी में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विख्यात व्यक्ति सम्मिलित होते हैं । भाग लेने वाले सूचीबद्ध अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों पर दक्षता से विचार किया जाता है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा के पुरस्कार विजेताओं का चुनाव किया जाता है ।

वर्ष 2012-13 के लिए ज्यूरी की बैठक 24 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री टी.एस. विजयन, अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा की गई थी । पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए ज्यूरी की बैठक में भाग लेने वाले अन्य सदस्यों में श्री एम.जे. जोसफ, अपर सचिव, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री आई.पी. सिंह, पूर्व उप सीएंडजी, श्री बी.पी. राव, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भेल, डा. आशिष के. भट्टाचार्य, पूर्व प्रोफेसर, आईआईएम, कोलकाता, सीए गुल टेकचंदानी, साम्या विश्लेषक और प्रमुख निवेश सलाहकर्ता, सीए सुरेश सेनापति, कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित् अधिकारी, विप्रो लि., सीए एस. रवि, स्वतंत्र निदेशक, भेल और आईडीबीआई

बैंक लि., सीए सुभाष सी. अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एसएमसी, ग्लोबल सिक्योरिटी लि., सीए जी. कृष्णाकुमार, उपाध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और श्री लिओ पुरी, यूटीआई एएमसी लि. सम्मिलित थे ।

पुरस्कारों के स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है । ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं । हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो ।

'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 5 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था । संघ के माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री मनीष तिवारी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे और माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय विशेष अतिथि थे । कुल 16 पुरस्कार, जिनमें दो हाल ऑफ फेम, 3 स्वर्ण शील्ड, 5 रजत शील्ड और 6 पट्टिकाएं प्रदान की गई थीं ।

वर्ष 2012-13 के लिए

'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेताओं की सूची

प्रवर्ग		पुरस्कार	अस्तित्व का नाम	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखों के लिए
I	पब्लिक सेक्टर बैंक	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया ।		
II	निजी बैंक (सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों सहित)	स्वर्ण शील्ड	एक्सिस बैंक लि.	31 मार्च, 2013
		रजत शील्ड	एचडीएफसी बैंक लि.	31 मार्च, 2013
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	आईसीआईसीआई बैंक लि.	31 मार्च, 2013
III	इंश्योरेंस सेक्टर	स्वर्ण शील्ड	एचडीएफसी-इआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	31 मार्च, 2013
		रजत शील्ड	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस	31 मार्च, 2013
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	31 मार्च, 2013
IV	वित्तीय सेवा सेक्टर (बैंकिंग और इंश्योरेंस से भिन्न)	स्वर्ण शील्ड	इस प्रवर्ग में स्वर्ण शील्ड न देने का विनिश्चय किया गया	
		रजत शील्ड	इस प्रवर्ग में स्वर्ण शील्ड न देने का विनिश्चय किया गया	
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लि.	31 मार्च, 2013

V	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	इस प्रवर्ग में स्वर्ण शील्ड न देने का विनिश्चय किया गया	
		रजत शील्ड	हिन्दुस्तान लिवर लि.	31 मार्च, 2013
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	एशियन पेंटस लि.	31 मार्च, 2013
VI	मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (500 करोड़ रुपए या इससे कम की आवर्त के लिए)	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया		
VII	अवसंरचना और संनिर्माण सेक्टर (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया		
VIII	अवसंरचना और संनिर्माण सेक्टर (500 करोड़ रुपए से कम की आवर्त के लिए)	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया		
IX	सर्विस सेक्टर (वित्तीय सेवा सेक्टर से भिन्न) (500 करोड़ रुपए या अधिक की आवर्त के लिए)	स्वर्ण शील्ड	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया	
		रजत शील्ड	पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड	31 मार्च, 2013
			टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लि.	31 मार्च, 2013
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	हेक्सावेयर एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी लि.	31 दिसम्बर, 2012
X	सर्विस सेक्टर (वित्तीय सेवा सेक्टर से भिन्न) (500 करोड़ रुपए से कम की आवर्त के लिए)	हाल ऑफ फेम	न्यूक्लिअस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	31 मार्च, 2013
		स्वर्ण शील्ड	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया	
		रजत शील्ड	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया	
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया	31 मार्च, 2013
XI	गैर लाभकारी सेक्टर	हाल ऑफ फेम	दि अक्षय पात्र फाउंडेशन	31 मार्च, 2013
		स्वर्ण शील्ड	दि अक्षय पात्र फाउंडेशन	31 मार्च, 2013
		रजत शील्ड	इस प्रवर्ग में रजत शील्ड न देने का निश्चय किया गया	
		सराहनीय वार्षिक रिपोर्ट के लिए पट्टिका	इस प्रवर्ग में पट्टिका न देने का विनिश्चय किया गया	

XII	स्थानीय निकाय	शून्य
XIII	कृषि सेक्टर	इस प्रवर्ग में कोई भी पुरस्कार न देने का विनिश्चय किया गया

5.25 रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति

परिप्रेक्ष्य योजना समिति[1]

परिप्रेक्ष्य योजना समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं का पुनर्विलोकन करती है जिससे कि वृत्ति की विश्वसनीयता के निर्माण और साथ ही उभरते क्षेत्रों में उसके लिए स्थान का सृजन करने के दीर्घकालिक विजन की पूर्ति के लिए नीतिगत कार्ययोजना में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकें ताकि वह समाज के लिए और अधिक उपयोग सिद्ध हो सके और साथ ही उसके विस्तार क्षेत्र में भी वृद्धि हो । इसके अतिरिक्त, समिति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऐसी उभरती घटनाओं पर भी विचार करती है, जो वृत्ति के लिए अभिप्रेत विनियमित क्षेत्रों पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं और ऐसे मुद्दों, जिनके संबंध में वृत्ति द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है, पर विचार करके अन्य क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की भूमिका का संवर्धन करने के लिए मार्गों और उपायों का सुझाव देकर उसे आगे और अनुपूरित करती है ।

परिप्रेक्ष्य योजना समिति की महत्वपूर्ण पहलें

- समिति ने, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम को पूरा करने के लिए ओसीआई स्कीम, जब कभी स्कीम को अधिसूचित किया जाता है, को कार्यान्वित करने के लिए दिशानिर्देशों और अन्य प्रक्रियागत ढांचे के विकास के लिए एक उप समूह की बैठक का आयोजन किया था ।
- समिति एक सतत प्रक्रिया के रूप में व्यवसायरत लेखांकन वृत्तिकों के लिए कौशल और प्रत्याशा में अंतर के विश्लेषण और सक्षमता निर्माण के लिए सदस्यों, निगम और शासकीय विनियामकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पहलें करती रही है । समिति सदस्यों और अन्य पणधारियों से अंत:निवेश प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षणों का संचालन करेगी और इस प्रकार वृत्ति के विकास हेतु रणनीति तैयार करेगी ।
- प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए समय आधारित कार्ययोजना को तैयार करने के लिए बाहय पणधारियों के साथ समिति की परस्पर क्रियाएं, ताकि पणधारियों की आईसीएआई के प्रति प्रत्याशाओं का विश्लेषण किया जा सके ।
- वैश्विक लेखांकन वृत्ति और भारतीय लेखांकन वृत्ति के कार्यकरण के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते मानदंडों को विचार में लेते हुए अंतर विश्लेषण अध्ययनों का संचालन करना ।

5.26 इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति

वैश्विकरण के इस युग में, जहां पूंजी का सीमापार संचलन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, किसी अस्तित्व के वित्तीय विवरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति कारबार के एकल देश तक ही सीमित नहीं है । उत्तरोत्तर रूप से यह महसूस किया जा रहा है कि वित्तीय विवरणों को विश्वभर के अन्य अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों के समतुल्य होना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग के लिए लेखांकन सिद्धांत सभी देशों में एकसमान होने चाहिए । इस सब के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वैश्विक रूप से स्वीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के एकल सेट को स्थापित किया जाए । अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) को अधिकाधिक रूप से वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है । वर्तमान में, 130 से अधिक राष्ट्रों और रिपोर्टिंग अधिकारिताओं ने आईएफआरएस के उपयोग को अनुमति दे दी है या उनके उपयोग की अपेक्षा की जाती है और अन्य अनेक देश भी अपने राष्ट्रीय मानकों को आईएफआरएस से प्रतिस्थापित कर रहे हैं ।

भारत में आईएफआरएस के साथ अभिसरण से संबंधित हाल ही की प्रमुख घटनाओं और आईएफआरएस के क्षेत्र में हाल ही की वैश्विक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था । आईसीएआई की इंडएएस (आईएफआरएस) कार्यान्वयन समिति आईएफआरएस और इंडएएस के संबंध में शिक्षा प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है । समिति इस दिशा में विभिन्न पहलें कर रही है जैसे कि शैक्षिक सामग्रियों को तैयार करना, आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम का संचालन, देश भर में और विदेशों में भी

[1] परिप्रेक्ष्य योजना समिति को 12.02.2014 से रणनीति और परिप्रेक्ष्य योजना समिति के रूप में पुन: नामित किया गया है ।

आईएफआरएस से संबंधित कार्यशालाओं और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन आदि ।

समिति भारतीय लेखांकन मानकों से संबंधित शिक्षा सामग्री तैयार करने में लगी है । शिक्षा सामग्री को व्यापक बनाने के लिए उसमें ऐसी शिक्षा सामग्री को अंतर्विष्ट किया गया है, जिसमें संबंधित मानक का संक्षिप्त विवरण, विभिन्न ऐसे मुद्दों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न, जिनका मानक के कार्यान्वयन के समय बारबार पूछा जाना आशयित है और इंड एएस के पाठ को भी परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है । इस अवधि के दौरान, इंडएएस 7, नकद प्रवाह का विवरण पर शिक्षा सामग्रियों को जारी किया गया था ।

समिति भारत और विदेशों में पर्याप्त कक्षा प्रशिक्षण और ईपठन प्रसुविधा के साथ इंडएएस/आईएफआरएस के बारे में जानकारी प्रदान करने और आईएफआरएस के इस युग में सदस्यों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक गहन 120 घंटे के आईएफआरएस प्रमाणन पाठयक्रम का भी आयोजन कर रही है । अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम के 18 बैचों का आयोजन किया गया था जिसमें कुल 450 व्यक्तियों ने कक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया था । अभी तक, लगभग 5100 सदस्यों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है । समिति आईएफआरएस संबंधी शिक्षा को भारत और विदेशों में और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त उपाय भी कर रही है । इस संबंध में, आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम की विद्यमान संरचना को पुनरीक्षित किया गया है । इस पाठयक्रम को और अधिक व्यापक बनाने के लिए आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम की अवधि को 7 दिन से बढ़ाकर 14 दिन कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, पाठयक्रम के लिए एक पुनरीक्षित माडयूल-वार सत्र योजना को भी अंतिम रूप प्रदान किया गया है ।

आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम में और अधिक सुधार करने और आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम की परीक्षा में बैठने के लिए, इस पाठयक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए आदर्श प्रश्न-पत्रों को तैयार किया गया है और उन्हें आईएफआरएस प्रमाणपत्र पाठयक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच परिचालित किया गया था । इसके अतिरिक्त, पठन को और अधिक व्यापक बनाने के लिए तथा आईएफआरएस के संबंध में सदस्यों को पर्याप्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए मामला अध्ययनों, आईएफआरएस संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, वीडियो, आडियो सीडी आदि के रूप में आईएफआरएस संबंधी पठन सामग्रियों के प्रकाशनों को तैयार करने का विनिश्चय किया गया है ।

समिति ने, देशभर में विभिन्न अवस्थानों पर "मुविंग अहेड टुवर्डस आईएफआरएस इन्वायरन्मेंट" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विनिश्चय किया है । ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडएएस/ आईएफआरएस के फायदों को प्रमुखता से दर्शित करते हुए और साथ ही इंडएएस/आईएफआरएस के बारे में शिक्षण प्रदान करते हुए इंडएएस/आईएफआरएस के संबंध में फैली हुई शंकाओं के निवारण के दोहरे प्रयोजनों को सिद्ध करता है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री तैयार की गई है । उपरोक्त के अलावा, समिति ने भारत में इंडएएस/आईएफआरएस के प्रभाव के संबंध में एक अध्ययन करने का भी विनिश्चय किया है । इस प्रयोजन के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है । अंतिम परिषद् वर्ष 2013-14 के दौरान समिति ने इंडएएस/ आईएफआरएस के संबंध में सामान्य भ्रांतियों के संबंध में स्पष्टीकरण देकर और सदस्यों को इंडएएस/ आईएफआरएस के संबंध में शिक्षित करके इंडएएस के कार्यान्वयन हेतु सदस्यों और अन्य पणधारियों को तैयार करने के लिए देशभर में स्थित विभिन्न अवस्थानों पर "मुविंग अहेड टु आईएफआरएस कन्वर्जड इंडियन अकाउंटिंग स्टेंडर्ड्स इन्वायरन्मेंट" विषय पर एक संक्षिप्त और अद्यतन दो दिवसीय जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ कर दिया था । इस अवधि के दौरान अक्तूबर, 2013 में दिल्ली में और दिसंबर, 2013 में पुणे में इस दो दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ।

परिषद् वर्ष 2013-14 के दौरान 24 जनवरी, 2014 को काठमांडू, नेपाल में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न अस्तित्वों के सीईओ/बोर्ड सदस्यों के लिए लेखांकन मानक बोर्ड, नेपाल के साथ संयुक्त रूप से आईएफआरएस संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था । इस कार्यक्रम का प्रयोजन वित्तीय क्षेत्र में बोर्ड स्तर पर आईएफआरएस की नीतिगत विवक्षाओं पर विचार-विमर्श करना था । इस कार्यक्रम में बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और बीमा कंपनियों में सीईओ, सीएफओ और कार्यकारियों के रूप में कार्यरत 47 व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

इसके अतिरिक्त, समिति ने सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच आम जागरूकता का सृजन करने के लिए भारत से बाहर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था ।

5.27 जन संपर्क क्रियाकलाप

वर्ष 2013-14 के दौरान, समिति द्वारा वर्ष के दौरान की गई विभिन्न नई पहलों के परिणामस्वरूप मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई थी । इसके अतिरिक्त, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं से भी यह अनुरोध किया गया था कि वे मीडिया के साथ लगातार परस्पर क्रियाएं करते रहें ताकि सदस्यों, छात्रों और पणधारियों को आईसीएआई द्वारा किए जा रहे उत्तम कार्यों के संबंध में जानकारी दी जा सके । पीआर समिति द्वारा पूर्वोक्त अवधि के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- संस्थान ने, 1 जुलाई, 2014 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था । पीआर समिति ने एक संरचनाबद्ध रीति में सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को "सीए दिवस" को मनाने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए प्रमुख पहलें की थी । अध्यक्ष से एक संसूचना को सभी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/सीपीई अध्ययन सर्कलों और पीओयू को अग्रेषित किया गया था, जिसमें उनसे उनके द्वारा किए जाने वाले साधारण क्रियाकलापों के अतिरिक्त कर क्लीनिकों का आयोजन, आईसीएआई द्वारा महिला सशक्तिकरण के मद्दे की गई पहलों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने, साइक्लोथोन, हरित मैराथोन, पौद्या रोपण, साक्षरता किटों का वितरण, रक्तदान जैसे विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करके सीए दिवस का आयोजन करने का अनुरोध किया गया था ।
- इन क्रियाकलापों का उद्देश्य आईसीएआई की छवि को और अधिक गरिमामय बनाना और समाज तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति योगदान करना था । विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के लिए प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं को विशेष अनुदान मंजूर किया गया था । इस अवसर को मनाने के लिए नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, जिसे मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी ।
- वर्ष के दौरान आमने-सामने साक्षात्कारों/प्रेस विज्ञप्तियों/प्रेस सम्मेलनों के माध्यम से मीडिया के साथ परस्पर क्रियाओं में काफी वृद्धि हुई थी, जिसके दौरान मीडिया को एमएचआरडी के साथ एमओयू, पाठयचर्या में परिवर्तनों और उन्हें अद्यतन बनाने, क्लाउड कैम्पस/मोबाइल ऐप/अंकीय पुस्तकालय और ऑनलाइन प्रकाशन भंडार/महिला पोर्टल/वैश्विक कैरियर ई किटें, आईएफआरएस कार्य योजना, कंपनी अधिनियम, सीए के लिए नए दिशानिर्देश, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों का दौरा, अन्य क्रियाकलाप आदि जैसी पहलों के बारे में नवीनतम घटनाओं से निरंतर अवगत कराया गया था ।
- आज के सक्रिय संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र और संभावनाओं को भी, विभिन्न प्रकाशनों में लेख, विज्ञापन आदि के द्वारा संवर्धित किया गया था ।
- पीआर कार्य के भागरूप में, साधारण जनता और मीडिया को विभिन्न समाचार पत्रों/वित्तीय समाचार पत्रों, प्रेस विज्ञप्तियों और लेखों तथा विज्ञापन जारी करने के माध्यम से आयोजित की गई विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों से अवगत कराया गया है ।
- कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी को भी मीडिया के समक्ष रखा गया था और विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से उसका व्यापक प्रचार किया गया था ।
- 11 फरवरी, 2014 को संस्थान का 64वां वार्षिक समारोह नई दिल्ली में मनाया गया था । इस उपलक्ष्य में, कोलकाता में 21-23 नवंबर, 2013 के दौरान आयोजित "लेखांकन वृत्ति : भावी विकास के उभरते आयाम" शीर्षक पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 1 जुलाई, 2013 को आयोजित 65वें स्थापना दिवस समारोह को मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त हुई थी ।
- संस्थान के भीतर, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों के बीच संपर्क विकसित करने के विचार से विभिन्न विभागों को सांभार समर्थन उपलब्ध कराया गया था ।
- आईसीएआई द्वारा की गई पहलों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए, सीए जर्नल के साथ-साथ वायुयान पत्रिकाओं/समाचार पत्रों/कारबार पत्रिकाओं में विज्ञापनों को जारी किया गया था । इससे न केवल सदस्यों और पणधारियों के बीच जागरुकता का सृजन होता है अपितु इससे आईसीएआई के ब्रांड के निर्माण में भी सहायता प्राप्त होती है ।

5.28 महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति

अध्यक्ष, आईसीएआई ने, 10, 11 और 12 फरवरी, 2014 को हुई परिषद् की 331वीं बैठक में उसे प्रदत्त प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार परिषद् वर्ष 2014-15 के लिए परिषद् की महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति का गठन किया था ।

12 फरवरी, 2014 से 7 जुलाई, 2014 तक की अवधि के दौरान, समिति ने पूरे भारत में 7 महिला सदस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली में महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी भी थी । 600 से अधिक महिला सदस्यों ने, चेन्नई, गोवा, गाजियाबाद, दिल्ली, कोटा, जोधपुर और उज्जैन में आयोजित उक्त कार्यक्रमों में भाग लिया था । इस कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार तैयार की गई थी ताकि महिला सदस्यों को सामाजिक और साथ ही वृत्तिक, दोनों क्षेत्रों में सशक्त किया जा सके । इन कार्यक्रमों के दौरान आयोजित सत्रों में विख्यात महिला संकाय सदस्यों द्वारा लिए गए तकनीकी और साथ ही गैर तकनीकी, दोनों प्रकार के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

5.29 युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति

युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति का गठन पहली बार परिषद् द्वारा फरवरी, 2014 में किया गया था । इस समिति को सृजित करने का उद्देश्य युवा सदस्यों की अथा संभावनाओं को पोषित करना और उन्हें निजी तथा वृत्तिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित करना तथा उन्हें विषय स्तरीय वृत्तिक बनने हेतु उत्साहित करना है । वर्तमान में सीए के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, किंतु इस समय सबसे बड़ी चुनौती पूरे समाज की प्रत्याशाओं को पूरा करना है । इस प्रयोजन के लिए युवा सीए के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने-अपने वृत्तिक ज्ञान और सक्षमताओं में, परिवर्तनशील कारबार परिस्थितियों में सर्वोत्तम बनने की वांछा के साथ सुधार करें और उन्हें अद्यतन बनाए ।

<u>समिति का विजन</u>

- वृत्ति में प्रवेश करने वाले युवा सदस्य की भावी आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाना और ऐसे वृत्तिकों को परिवर्तनशील परिस्थितियों के लिए तैयार करना
- युवा सदस्यों को, जहां तक तकनीक और वृत्तिक कौशलों का संबंध है, समाज की प्रत्याशाओं पर खरा उतरने में सहायता करना
- युवा सदस्यों के लिए व्यवसाय/नियोजन/उद्यमशीलता के नए अवसरों का पता लगाना और उन्हें विकसित करना ।

युवा सदस्य सशक्तिकरण समिति की पहली बैठक 12 मार्च, 2014 को की गई थी ।

1 अप्रैल, 2014 से 7 जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान समिति के क्रियाकलापों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और वेबकास्टों का आयोजन सम्मिलित है ।

5.30 क्वालिटी पुनर्विलोकन

भारत सरकार ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अधीन एक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (बोर्ड) का गठन किया था, जो निम्नलिखित कृत्य करेगा :-

क) परिषद् को संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी के संबंध में सिफारिशें करना ;
ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा संबंधी सेवाएं भी हैं, की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और
ग) संस्थान के सदस्यों का, सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी तथा अन्य विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मार्गदर्शन करना ।

बोर्ड ने भारत में लोक हित के अस्तित्वों के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाली संपरीक्षक फर्मों की कानूनी संपरीक्षा सेवाओं के पुनर्विलोकन की प्रणाली को प्रारंभ किया है, इसके अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित की गई है, जिसमें बोर्ड द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ग और धारा 28घ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विरचित 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा निबंधनों और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2006' के नियम 6 के निबंधनों के अनुसार उसके द्वारा जारी 'संपरीक्षक फर्मों की संपरीक्षा सेवाओं के क्वालिटी पुनर्विलोकन हेतु

प्रक्रिया' के निबंधनों के अनुसार पुनर्विलोकन के लिए संपरीक्षक फर्मों का चयन और तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं का नियोजन करना सम्मिलित है ।

वर्ष 2013-14 के दौरान, बोर्ड ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन समिति को उसके विचारार्थ कतिपय प्रतिनिर्देश/सिफारिशें की हैं, जिनके संबंध में परिषद् ने इस विषय में आगे और कार्यवाही करने के संबंध में कार्ययोजना को तय करने हेतु विधिक राय मांगी है । क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड ने 'संपरीक्षक फर्मों की संपरीक्षा सेवाओं के क्वालिटी पुनर्विलोकन हेतु प्रक्रिया' के अनुसार पहले ही पुनर्विलोकन के लिए संपरीक्षक फर्मों का चयन और तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं के नियोजन को सम्मिलित करने वाली प्रक्रिया के अनुसार भारत में लोक हित के अस्तित्वों के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाली संपरीक्षक फर्मों की कानूनी संपरीक्षा सेवाओं के पुनर्विलोकन की प्रणाली को प्रारंभ किया है । आज की तारीख तक, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रारंभ किए गए क्वालिटी पुनर्विलोकनों के संबंध में कुल 85 पुनर्विलोकन रिपोर्टों को स्वीकार किया है । 'संपरीक्षक फर्मों की संपरीक्षा सेवाओं के क्वालिटी पुनर्विलोकन हेतु प्रक्रिया' के अनुसार, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड ने पुनर्विलोकन के लिए संपरीक्षक फर्मों का चयन और तकनीकी पुनर्विलोकनकर्ताओं के नियोजन को सम्मिलित करने वाली प्रक्रिया के अनुसार भारत में लोक हित के अस्तित्वों के लेखाओं की संपरीक्षा करने वाली संपरीक्षक फर्मों की कानूनी संपरीक्षा सेवाओं के स्वतंत्र पुनर्विलोकन की प्रणाली को आरंभ किया है । आज की तारीख तक, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड ने, वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्रारंभ किए गए क्वालिटी पुनर्विलोकनों के संबंध में कुल 85 पुनर्विलोकन रिपोर्टों को स्वीकार किया है ।

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

<u>विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईएसी की पहलें</u>

1. अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2014 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू

- आईसीएआई ने भूटान के लेखांकन और संपरीक्षा मानक बोर्ड के साथ 22 नवंबर, 2013 को, साइंस सिटी सभागार, कोलकाता में, भूटान में लेखांकन वृत्ति को संस्थागत बनाने हेतु समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
- आईसीएआई ने 18 जून, 2014 को नई दिल्ली में प्रमाणित लोक लेखापाल हेतु साउदी संगठन (एसओसीपीए) के साथ, वृत्ति के विभिन्न क्षेत्रों में संभव सहयोग को स्थापित करने हेतु एक साथ कार्य करने के लिए समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

निम्नलिखित के साथ एमओयू के नवीनकरण संबंधी प्रक्रियाएं की जा रही हैं :-

- सीपीए आस्ट्रेलिया
- द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स
- द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ आस्ट्रेलिया

2. <u>आईसीएआई की ब्रांड साम्या का वैश्वीकरण</u>

- 19 सितंबर, 2013 को आईसीएआई के आस्ट्रेलियाई अध्ययन दौरे के दौरान आईसीएआई ने ब्रिसबेन में अपने 22वें चैप्टर का उदघाटन किया था ।
- आईसीएआई ने 1 फरवरी, 2014 को युगांडा में अपने 23वें चैप्टर का उदघाटन किया था ।

आईसीएआई निम्नलिखित स्थानों पर आईसीएआई के चैप्टर प्रारंभ करने के लिए अंतिम चरणों पर है :-

- वैंकुवर (ब्रिटिश कोलंबिया)
- बैंकाक (थाइलैंड)

आईसीएआई, अपने सदस्यों को और अधिक बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वाशिंगटन डीसी ; शिकागो ; सान फ्रांसिसको ; ह्यूस्टन ; एटलांटा जैसे क्षेत्रों में आईसीएआई के यूएस चैप्टरों को खोलने की संभावनाओं का पता लगा रहा है ।

- 17 से 24 सितंबर, 2013 के दौरान आईसीएआई का आस्ट्रेलिया अध्ययन दौरा ।

3. प्रतिनिधिमंडलों द्वारा आईसीएआई का दौरा :

- 16 सितंबर, 2013 को कीनिया अकाउंटेंट्स एंड सेक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशन्स बोर्ड (केएएसएनइबी) से प्रतिनिधि मंडल का दौरा ।
- 25 नवंबर, 2013 को श्री मारियो विसेंट सिटोय, द बेस्टोनेयर आफ ओडेम डास कोनाटबिलिस्टास इ आडिटोर्स डे

मोकेमिबिके (ओसीएमस) का दौरा ।

- 7 अक्तूबर, 2013 और 22 अप्रैल, 2014 को श्री जस्टिन वेस्ट, कारबार प्रचालन प्रमुख, द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएइडब्ल्यू) का दौरा ।
- 29 जून से 2 जुलाई, 2013 के दौरान आईएफएसी प्रतिनिधि मंडल का भारत का दौरा ।

4. सम्मेलन

- साइंस सिटी सभागार, कोलकाता में 21-23 नवंबर, 2013 के दौरान "लेखांकन वृत्ति : भावी विकास के उभरते आयाम" शीर्षक पर आईसीएआई का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 21 से 23 नवंबर, 2013 ।
- एशियाई और प्रशांत अकाउंटेंटों के संग सीएपीए और दक्षिण एशियाई अकाउंटेंटों के फेडरेशन (एसएएफए) की 19-22 नवंबर, 2013 के दौरान बैठकें ।
- 6 और 7 मार्च, 2014 को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक नियतक मंच (आईएफएएसएस) की बैठक और 8-9 मार्च, 2014 के दौरान आईएफआरएस प्रादेशिक नीति मंच की बैठक ।

5. अविकसित देशों को तकनीकी सहयोग

- आईसीएआई, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ, इन देशों और भारत की लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए दो संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग को स्थापित करने के लिए वार्तालाप कर रहा है ।
- अफगानिस्तान के सीमाशुल्क अधिकारियों को आईसीएआई द्वारा तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराया गया था ।

6. रचना खंडों के लिए कार्यकरण

आईसीएआई के भावी सदस्यों को प्रौद्योगिकी के इस युग में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए दुबई, कुवैत और मस्कट में "आईसीएआई वैश्विक कैरियर ई किट" को जारी किया गया था । इन किटों की अवधारणा इस प्रकार की गई है कि वे वृत्तिक अवसरों के लिए विदेशों में जाने का आशय रखने वाले सदस्यों को विहंगम आरंभिक जानकारी उपलब्ध कराती है ।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

किसी भी संगठन का प्रभावी कार्यपालन उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता और सक्षमता पर निर्भर करता है । संस्थान की, उसके सभी कर्मचारियों को एक सुसंगत वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का समर्थन करते हुए, इसने अपने मानव संसाधनों को और अधिक प्रति क्रियाशील अनुकूल बनाने के लिए समिति ने अपने प्रयास जारी रखे हैं । मानव संसाधन को, एक कार्मिक और कार्यकारी कृत्य से ऊपर उठाकर उसे मूल्यवर्धित नीतिगत दिशा प्रदान करने की इस प्रक्रिया में, सर्व शक्तिमान योग्यता संबंधी मुद्दों, जिनके अंतर्गत नई योग्यताओं तक पहुंच बनाना, विद्यमान कर्मचारियों के कौशलों को विकसित करना और नेतृत्व क्षमताओं की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करना भी है, पर ध्यान केंद्रित किया गया है ।

कर्मचारियों की योग्यता को विकसित करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास सही प्रकार के कौशल और सक्षमताएं हैं, ये ऐसी पूर्विकताएं हैं, जिन पर इस वर्ष भी कार्य करना जारी रखा गया था । बेहतर कार्य समन्वयन, सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान और दल और कार्य परिस्थितियों के बीच बेहतर संपर्क के उद्देश्य से विविध विषयों पर दिल्ली स्थित मुख्यालय और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

संस्थान को उसके विकास के आगामी चरण में सुस्थापित करने और उसे उसके सदस्यों, छात्रों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए जनशक्ति योजना के अद्वितीय कार्यक्रमों को तैयार किया गया था ।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, संकाय/शिक्षण के क्षेत्र में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, समयबद्ध भर्ती कार्यक्रम चलाए गए थे । इस प्रकार की गई पहलों के सुखद परिणाम सामने आए थे और संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी/शैक्षिक और प्रशासनिक पदों के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधनों का नियोजन किया गया था ।

इसके अतिरिक्त, शिकायत समाधान, समय पर परामर्शी सेवाओं, विकसित प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से रिपोर्ट की अवधि के दौरान की गई और मानव संसाधन पहलों में बेहतर और क्वालिटी संकर्म वातावरण, साप्ताहिक विभागीय बैठकें, आवधिक कर्मचारी परामर्शी सेवा, शिकायत समाधान तथा कठिनाइयों को दूर करने वाले उपायों के साथ नए मास की शुरूआत करना सम्मिलित है ।

मानव संसाधन संपरिवर्तन समिति

मानव संसाधन प्रबंध प्रणालियों को नीतिगत रूप से संपरिवर्तित करने और बेहतर मानव संसाधन सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को आरंभ करने के विचार से समिति ने वर्ष 2014-15 के लिए मानव संसाधन संपरिवर्तन समिति नामक एक विशेष प्रयोजन समिति का गठन किया था । इस समिति का उद्देश्य वैश्विक मानव संसाधन प्रबंधन प्रवृत्तियों से संबंधित आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन और उनकी बैंचमार्किंग करते हुए आंतरिक पणधारियों की आंकाक्षाओं को पूरा करने तथा उन्हें प्रबंध मंडल के उद्देश्यों के साथ सुमेलित करने के लिए नवीन विचारों का पता लगाना है ताकि भविष्य में आईसीएआई कार्ययोजना को पूरा किया जा सके ।

7.2 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति

वृत्ति के लिए पहलें : भवन रचना के लिए कार्यकरण

प्रमाणपत्र पाठयक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति पिछले पांच वर्ष से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे भिन्न-भिन्न नगरों के अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आधुनिक वित्तीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक उच्च मूल्य वाला कारबार वित्त में मास्टर संबंधी एक एकवर्षीय प्रमाणपत्र पाठयक्रम (एमबीएफ) का संचालन करती है । इसने सफलतापूर्वक 5 बैचों को पूरा किया है । इस समय समिति दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में छठें बैच हेतु कक्षाओं का आयोजन कर रही है । सातवें बैच के लिए दिल्ली और मुंबई में क्रमश: 28 और 29 जून, 2014 को इस पाठयक्रम का शुभारंभ किया गया था ।

अर्हता पश्च पाठयक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति 2 अर्हता पश्च पाठयक्रमों का संचालन करती है : 1. प्रबंध लेखांकन पाठयक्रम, 2. निगम प्रबंध पाठयक्रम और यह इन पाठयक्रमों की पाठयचर्या, प्रदाय तंत्र आदि के पुनर्विलोकन के लिए सभी प्रकार की पहलें कर रही हैं ।

उद्योग/निगम पहलें/कार्यक्रम

1. समिति ने कार्यकारी पूंजी वित्तपोषण और एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित परियोजना वित्त पोषण के विषयों पर सिडबी, जीआईजेड और आईसीएआई के साथ तीन दिवसीय संयुक्त कार्यक्रमों के लिए पहल की है ।
2. समिति ने क्षेत्र के कुछ विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त रूप से हुबली में राष्ट्रीय प्रबंध लेखांकन संबंधी सम्मेलन के आयोजन का विनिश्चय किया है ।
3. समिति एचपीसीएल, प्रबंधन विकास संस्थान, पुणे में आईसीएआई द्वारा कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के संबंध में एचपीसीएल के कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है ।

संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/सम्मेलन/अन्य कार्यक्रम :

समिति ने लोक वित्त संबंधी समिति (पीएफसी), सहकारी और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति (सीसीओएनपीओ) और सीए फर्मों और लघु तथा मध्यम व्यवसायियों की सक्षमता निर्माण संबंधी समिति (सीसीबीसीएएफ एंड एसएमपी) के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन किया था ।

वृत्तिक मामलों पर मंत्रालयों/विनियामकों/सरकारी कार्यालयों के साथ परस्पर क्रियाएं : संबंधों को मजबूत बनाना

मंत्रालयों/विनियामकों/सरकारी कार्यालयों से बैठकें

समिति ने परियोजना प्रबंध, संसाधन प्रबंध और सक्षमता निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकारों को वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अध्ययन/तकनीकी कार्य प्रारंभ किया है ।

प्रकाशन : ज्ञान का आदान-प्रदान, कौशल और सक्षमता

महत्वपूर्ण निर्णय/पहलें

समिति ने प्रबंध लेखांकन के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक पुस्तिका का एक प्रकाशन निकालने का विनिश्चय किया है ।

सदस्यों के लिए

समिति ने अपने त्रैमासिक जर्नल 'प्रबंध लेखांकन और कारबार वित्त' – जुलाई, 2014 का प्रकाशन किया था, जिसमें प्रबंध लेखांकन और लोक वित्त के क्षेत्र में हुई कुछ हाल ही की घटनाओं को सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों के फायदें हेतु ज्ञान के प्रसार के लिए विशिष्ट रूप से दर्शित किया था ।

7.3 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति

आईसीएआई और उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच निकट संबंध विकसित करने के विचार से वर्ष 2011-12 में उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति का गठन किया गया था । इस समिति का उद्देश्य आईसीएआई और उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच परस्पर फायदाप्रद संबंध बनाने के लिए और ऐसे सदस्यों और साथ ही संस्थान के अन्य सदस्यों के बीच परस्पर फायदे को प्राप्त करने के पहलुओं के संबंध में कार्य करना है ।

समिति द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजन

क. 25 से 27 अक्तूबर, 2013 के दौरान 'आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति' विषय पर आईसीएआई के लोक सेवाओं में कार्यरत सदस्यों के लिए आवासीय कार्यशाला

समिति ने 'द लीला कोवलम' केरल में 25 से 27 अक्तूबर, 2013 के दौरान, 'आर्थिक विकास के लिए लेखांकन वृत्ति' विषय पर आईसीएआई के लोक सेवाओं में कार्यरत सदस्यों के लिए आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया था । इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों की पहचान करना था, जिनके संबंध में आईसीएआई अनुसंधान और आगे अध्ययन कार्य आरंभ कर सकता है और साथ ही उसका उद्देश्य वृत्तिकों की प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण समकालीन विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करना भी था ।

इस कार्यशाला में विभिन्न लोक सेवाओं में कार्यरत आईसीएआई के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया था :

सीए. सुरेश पी. प्रभु	भूतपूर्व संघ मंत्री, भारत सरकार
सीए. प्रवीन गर्ग, आईएएस	संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
सीए. महावीर सिंघवी, आईएफएस	निदेशक, विदेश मंत्रालय
सीए. दीपक कुमार केडिया, आईपीएस	निदेशक, गृह मंत्रालय
सीए. राकेश राठी, आईपीएस	एसपी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सीए. जे. कृष्णा किशोर, आईआरएस	आयुक्त, आयकर, गुंटूर
सीए. पंकज सिंघानिया, आईआरएस	संयुक्त आयुक्त, आयकर, कोलकाता
सीए. जे. सुधाकर रेड्डी	सदस्य, आयकर अपील अधिकरण
सीए. पी.एम. जगताप	सदस्य, आयकर अपील अधिकरण
सीए. आर.के. पांडा	सदस्य, आयकर अपील अधिकरण
सीए. बी.आर. भास्करन	सदस्य, आयकर अपील अधिकरण

कार्यशाला में विशिष्ट रूप से विचार-विमर्श किए गए विभिन्न विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- भारत में शासकीय लेखांकन के क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता लाने और उसे मजबूत करने में आईसीएआई की भूमिका
- संस्थान का आंतरिक शासन
- जनता के अवगम और प्रत्याशाओं में अंतर के मुद्दे का समाधान करना
- आर्थिक उन्नति और समाज के भले के लिए वृत्ति
- पणधारियों की सक्षमता का निर्माण
- आईसीएआई द्वारा निभाई जा रही विनियामक भूमिका को सुदृढ़ करना
- मेधावी छात्रों को सीए पाठयक्रमों की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना
- लोक सेवाओं में कार्यरत सदस्यों के समूह के कार्यकरण की प्रभाविकता में सुधार करने के लिए सुझाव

ख. 17 जनवरी, 2014 को उद्यमों और लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों की सभा

समिति ने 17 जनवरी, 2014 को होटल ताज मानसिंह, नई दिल्ली में सायं 4 बजे उद्यमों और लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों की सभा का आयोजन किया था । इस सभा का आयोजन, उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों आईसीएआई के सदस्यों से, सदस्यों के इस विशिष्ट खंड के मद्दे संस्थान की पहलों को पुन: संरचित करने के संबंध में सुझाव मांगने के उद्देश्य से किया गया था ।

वृत्ति के 40 से अधिक ऐसे सम्मानित सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था, जिन्होंने स्वयं को एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया है या जो लोक सेवाओं में नियोजित हैं । इस सभा का उदघाटन श्री के. रहमान खान, तत्कालीन माननीय अल्पसंख्यंक कार्य मंत्री ने किया था । सीए पीयूष गोयल, तत्कालीन संसद् सदस्य, राज्य सभा (अब संघ के मंत्री), माननीय न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर. दवे, आसीन न्यायाधीश भारत का उच्चतम न्यायालय और सीए सुरेश पी. प्रभु, पूर्व संघ मंत्री, भारत सरकार ने इस अवसर पर विशेष संबोधन प्रस्तुत किए थे ।

इस सभा को दो पैनल परिचर्चाओं में विभाजित किया गया था, अर्थात् केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधीन पृथक् चार्टर्ड अकाउंटेंसी सेवाओं की आवश्यकता और सीए वृत्ति : भावी उद्यमियों के लिए एक उत्तम शुरुआत, जिसमें वृत्ति के आदरणीय सदस्यों ने, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों, जिन्होंने उद्यमों या लोक सेवाओं का विकल्प लिया है, के संदर्भ में संस्थान की भूमिका पर विचार-विमर्श किया था ।

इस समिति को 11 फरवरी, 2014 से समाप्त कर दिया गया है ।

7.4 सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति

सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों संबंधी समिति, जो संस्थान की एक अस्थाई समिति है, का सृजन फरवरी, 2011 में आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया था ।

इस समिति का गठन सहकारिताओं और एनपीओ के क्षेत्रों में मुद्दों की पहचान करने तथा अवसरों का पता लगाने और सहकारिताओं और एनपीओ के क्षेत्र में सदस्यों और अन्य पणधारियों को, उनके लिए स्थान बनाने तथा उक्त क्षेत्रों में सकल सक्षमताओं को विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए सुसज्जित करने हेतु किया गया है ।

समिति ने अनेक कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/आरआरसी का आयोजन किया था ।

<u>प्रमुख पणधारियों के साथ बैठक</u>

1. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, हरियाणा के साथ बैठक : समिति ने रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, हरियाणा के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों को पैनलबद्ध करने और उन्हें संपरीक्षाओं का आबंटन करने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वार्तालाप की थी ।
2. रजिस्ट्रार, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी, दिल्ली के साथ बैठक : समिति ने रजिस्ट्रार, बहु राज्य सहकारी सोसाइटी, दिल्ली के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों को पैनलबद्ध करने और उन्हें संपरीक्षाओं का आबंटन करने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वार्तालाप की थी ।
3. सचिव, लोक उद्यम विभाग, दिल्ली के साथ बैठक : समिति ने सचिव, लोक उद्यम विभाग, दिल्ली के साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों को पैनलबद्ध करने और उन्हें संपरीक्षाओं का आबंटन करने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वार्तालाप की थी ।
4. महानिदेशक, स्कोप, दिल्ली के साथ बैठक : समिति ने 4 अप्रैल, 2014 को डा. यू.डी. चौबे महानिदेशक, स्कोप, दिल्ली के साथ बातचीत की थी ।
5. मुख्य कार्यपालक, एनसीयूआई दिल्ली के साथ बैठक : समिति ने 4 अप्रैल, 2014 को डा. दिनेश, मुख्य कार्यपालक, एनसीयूआई, दिल्ली के साथ बातचीत की थी ।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी, गोवा के साथ बैठक : समिति ने 30 अप्रैल, 2014 को रजिस्ट्रार, सहकारी, गोवा के साथ बातचीत की थी ।
7. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी हाउसिंग फेडरेशन के साथ बैठक : समिति ने डा. एम. एल. खुराना, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी हाउसिंग फेडरेशन के साथ बातचीत की थी, जिसमें उनसे हाउसिंग सहकारिताओं के लिए संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम के आयोजन का अनुरोध किया गया था ।
8. कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय के साथ बैठक : समिति ने 4 जून, 2014 को श्री राधा मोहन सिंह, कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय के साथ बातचीत की थी ।

सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों में लगे सदस्यों के लिए नए वृत्तिक अवसरों का पता लगाने के लिए राज्यवार कार्यबल का गठन :

समिति ने, सहकारिताओं और एनपीओ क्षेत्रों में लगे सदस्यों के लिए नए वृत्तिक अवसरों का पता लगाने के लिए पहल के रूप में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के लिए राज्यवार कार्यबल का गठन किया है । इन राज्यवार कार्यबलों को स्थापित करने का आधारिक प्रयोजन, सीए की सेवाओं का विकास और संवर्धन करना है और साथ ही उस दशा में, एक मंच के रूप में कार्य करना है, जहां सहकारिता और एनपीओ क्षेत्रों में नियोजित सीए सर्वोत्तम व्यवहारों और नए विचारों के संबंध में विचारों का आदान-प्रदान कर सकें । एसटीएफ के सृजन के पीछे मूल आशय यह भी है कि ये एसटीएफ संबंधित राज्यों के सहकारिता और एनपीओ क्षेत्रों में संस्थान के सदस्यों के लिए अवसरों की पहचान करेंगे ।

वेबकास्ट :

समिति ने 5 जून, 2014 को, बीकेसी, मुंबई में एनपीओ के सृजन और प्रबंधन (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन न्यास, सोसाइटी, धारा 8 कंपनियां और गैर व्यापार निगम) विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया था ।

प्रकाशन :

समिति ने कुछ अनन्य प्रकाशन निकाले हैं । समिति द्वारा 1 अप्रैल, 2013 और 7 जुलाई, 2014 के बीच निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए थे :

1. एफसीआरए विधियों संबंधी एनपीओ के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) ।
2. भारत में पूर्त संगठनों को शासित करने वाली विधियों संबंधी एक गाइड ।

प्रमाणपत्र पाठयक्रम :

समिति ने 18 जनवरी, 2014 को होटल कंट्री इन एंड सुइटस, 64/6, साहिबाबाद, औद्योगिक क्षेत्र, स्थल-4, समीप वैशाली मेट्रो स्टेशन, गाजियाबाद में 30 सीपीई घंटों वाले सहकारी सोसाइटियों और एनपीओ संबंधी प्रबंध, कराधान विधि, लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठयक्रम के पहले बैच को सफलतापूर्वक और दक्षता से पूरा किया है । इस पाठयक्रम का प्रयोजन ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है जैसे कि एनपीओ, सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों का सृजन, लेखांकन, संपरीक्षा और कराधान, सहकारी सोसाइटियों और एनपीओ से संबंधित आयकर, वेट, एफसीआरए, सीएसआर और अन्य संबद्ध विधियां ।

ई न्यूज लैटर

समिति ने अपने ई न्यूज लैटर 'सीसीओएनपीओ बुलेटिन' के दूसरे संस्करण को अपलोड किया है । इस ई न्यूज लैटर का मूल प्रयोजन सहकारिता और एनपीओ के क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में सदस्यों में जागरुकता का सृजन करना/उनके ज्ञान को अद्यतन बनाना है ।

7.5 विधिक सलाहकार खंड

संस्थान का विधिक सलाहकार खंड निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराता है :

1. आईसीएआई की विभिन्न समितियों/विभागों द्वारा समय-समय पर अपेक्षित रूप में विधिक रायों/अध्ययनों/रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करना ।
2. प्रचालन विभागों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुरक्षित करने के लिए आईसीएआई के प्रशासनिक कार्यकरण में उदभूत होने वाले सारवान और प्रक्रिया संबंधी विधि के विविध प्रश्नों के संबंध में उपयुक्त विधिक सहायता उपलब्ध कराने का सुनिश्चित करना ।
3. आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का अधीक्षण और पर्यावलोकन करना ।
4. नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक बाध्यताओं का समाधान करने के लिए यथाअपेक्षित रूप में विभिन्न स्थाई और अस्थाई समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना ।

5. जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना ।

7.6 अवसंरचना विकास संबंधी समिति

परिषद् ने हाल ही में शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों की अवसंरचना के एकसमान विकास के लिए अवसंरचना नीति का अनुमोदन किया है । इसके अतिरिक्त, एक विशेष प्रयोजन समिति अर्थात् अवसंरचना विकास संबंधी समिति का, ऐसे भवन संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए गठन किया गया है, जो शाखाओं/प्रादेशिक परिषदों से प्राप्त होंगे । इस नीति को, शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों की अवसंरचना का विकास करने के लिए अंतर्वलित लागत कारकों को ध्यान में रखते हुए विरचित किया गया है । अवसंरचना के विकास हेतु अनुदान का विनिश्चय, दीर्घकालिक अवसंरचना अपेक्षाओं और उसे विकसित करने में साधारण रूप से अंतर्वलित लागत पर विचार करते हुए किया जाता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित अवसंरचना विकास संबंधी क्रियाकलाप किए गए हैं :

- अमृतसर, गाजियाबाद और हुबली में भूमि पूजन/शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया था
- मंगलौर, तिरुनेलवेली में नए परिसरों का उदघाटन किया गया था ।
- सिलिगुड़ी, आसनसोल और फरीदाबाद में सभागारों का उदघाटन किया गया था ।
- त्रिचूर शाखा के भवन के प्रथम तल का उदघाटन किया गया था ।

7.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए सूचना के अधिकार का उपबंध करता है । संस्थान संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित एक कानूनी निकाय है जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुसरण में इस लोक प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, अपील प्राधिकारी (आरटीआई) और पारदर्शिता अधिकारी को पदाभिहित किया गया था ।

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । उसके लिए लिंक http:// www.icai.org/newpost.html?postid=1346&cid=203 पर उपलब्ध है ।

<u>केन्द्रीय सूचना आयोग को वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणियों का सार, जिसे तत्पश्चात् सीआईसी द्वारा प्रकाशित किया गया था</u>

त्रैमास	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या जिनका त्रैमास में उत्तर दिया गया था	ऐसे आवेदनों की कुल संख्या जिन्हें अन्य पीए को अंतरित किया गया था	वहां निर्णय, जहां सूचना के लिए आवेदनों को नामंजूर किया गया था ।	नामंजूरी का प्रतिशत
पहला त्रैमास	106	0	14	15.2%
दूसरा त्रैमास	198	0	5	2.6%
तीसरा त्रैमास	171	2	19	13.2%
चौथा त्रैमास	285	1	52	20.6%

7.8 एक्सबीआरएल

आईसीएआई द्वारा सुविधा प्राप्त एक्सबीआरएल इंडिया, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सेबी, आईआरडीए और आरबीआई की सक्रिय भागीदारी के साथ वर्ष 2007 से देश में एक्सबीआरएल क्रांति की अगुवाई कर रहा है ।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

वर्ष 2010-11 से कंपनियों के चयनित वर्ग के वित्तीय विवरणों की वार्षिक फाइलिंग के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण का उपयोग किया जा रहा है ।

वर्ष 2013-14 के लिए एक्सबीआरएल फाइलिंग, वर्गीकरण और कारबार नियमों में कोई परिवर्तन किए बिना आरंभ की गई हैं और कंपनियों को सम्मिलित किए जाने की परिधि में भी कोई विस्तार नहीं किया गया है ।

विनियामकों का सम्मिलित होना

- भारत में एक्सबीआरएल गतिविधियों, जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरण का विकास और उनका अपनाया जाना और साथ ही जब कभी आवश्यकता हो, मानकों का विकास भी है, के संबंध में नीतिगत सलाह उपलब्ध कराने के लिए एक्सबीआरएल इंडिया के तत्वावधान में एक एक्सबीआरएल इंडिया सलाहकार परिषद् (एक्सआईएसी) का गठन किया गया है, जिसमें एक्सबीआरएल इंडिया के बोर्ड सदस्यों के साथ एमसीए, आईआरडीए और आरबीआई के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं । एक्सबीआरएल फाइलिंग के विश्लेषण और भारत में एसबीआर (मानक कारबार रिपोर्टिंग) को अपनाए जाने के मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है, जिसमें फाइल करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे एकल सामान्य रिपोर्टिंग मंच पर फाइल करें और सभी विनियामक अपनी-अपनी विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार वहां से डाटा प्राप्त कर सकेंगे ।
- 36 कंपनियों के एक्सबीआरएल प्ररुप में वित्तीय विवरणों के गुणात्मक परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण/पुनर्विलोकन संबंधी रिपोर्टों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था ।
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों के प्रारुप बीमा वर्गीकरण के संबंध में एक अग्रणी अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया है ।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को, भारत में एक्सबीआरएल प्ररुप में आयकर फाइलिंग को अपनाए जाने के संबंध में अभ्यावेदन किया गया है ।

उद्योग विनिर्दिष्ट वर्गीकरण

आईआरडीए के सहयोग से जीवन और गैर जीवन बीमा कंपनियों के प्रारुप बीमा वर्गीकरण को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और अग्रणी अध्ययन के लिए उसे आईआरडीए को प्रस्तुत किया गया है । आईआरडीए के अनुमोदन के पश्चात् उसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा ।

अंतरराष्ट्रीय क्रियाकलाप

आईसीएआई का एक्सबीआरएल गतिविधियों के प्रति योगदान केवल भारत तक ही सीमित नहीं है । आईसीएआई निम्नलिखित समितियों में अपने सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करके एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के प्रयासों को सतत् रूप से योगदान प्रदान कर रहा है :

- एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की सदस्य सभा
- एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की सदस्यता विकास समिति
- एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की वित्त और मानव संसाधन समिति

एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण

एक्सबीआरएल इंटरनेशनल के एक्सबीआरएल फाउंडेशन प्रमाणपत्र पाठयक्रम को भारत में भी, एक्सबीआरएल इंडिया के सदस्यों के लिए रियायती कीमत पर आरंभ किया गया है । यह पाठयक्रम एक 10 घंटें का ई पठन पाठयक्रम है । अधिक ब्यौरों के लिए कृपया www.xbrl.org/in देखें ।

कानूनी मान्यता

एक्सटेन्सीबल बिजनेस रिपोर्टिंग लेंगवेज (एक्सबीआरएल) प्ररुप को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन वित्तीय विवरणों को फाइल करने के लिए मानक रिपोर्टिंग लेंगवेज के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

8. अन्य मामले

8.1 शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम एक सक्रिय पाठयक्रम और इसलिए इसका आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है ताकि समकालीन आर्थिक विकास की घटनाओं की तुलना में वृत्ति अपनी अग्रता बनाए रखे । तदनुसार, परिषद् द्वारा 12 फरवरी, 2013 को हुई उसकी 323वीं बैठक में प्रदत्त प्राधिकार के निबंधनानुसार अध्यक्ष ने वर्ष 2013-14 के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण पुनर्विलोकन समिति (सीआरईटी) का एक व्यापक रीति में शिक्षा और प्रशिक्षण की विद्यमान स्कीम का पुनर्विलोकन करने के लिए गठन किया था ताकि आर्थिक परिस्थितियों में प्रत्याशित परिवर्तनों से तालमेल बिठाया जा सके ।

सीआरईटी की संरचना को वर्ष 2014 में आगे और व्यापक बनाया गया था, जिससे पूर्व अध्यक्षों और साथ ही प्रादेशिक परिषदों के सदस्यों की और अधिक सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके । एक बहुआयामी नीति के भागरूप में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र में सेवा उपयोक्ताओं, विनियामकों और शिक्षाविदों के साथ प्रादेशिक सीआरईटी की बैठकें की जाएं ; सदस्यों, छात्रों, सेवा उपयोक्ताओं, जिनके अंतर्गत विनियामक और शिक्षाविद् भी हैं, के लिए वेब आधारित प्रश्नोत्तर जारी किए जाएं जिससे समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों से मूल्यवान अंत:निवेश प्राप्त हो सकें और जिन पर शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम तैयार करते समय विचार किया जाए ।

8.2 आईसीएआई का वार्षिक समारोह

संस्थान के 64वें वार्षिक समारोह का आयोजन 11 फरवरी, 2014 को अशोक होटल के कन्वेशन हाल, नई दिल्ली में हुआ था । इस अवसर पर श्री कपिल सिब्बल, संघ के तत्कालीन संचार और आईटी तथा विधि और न्याय मंत्री और सीए के. रहमान खान, संघ के तत्कालीन अल्पसंख्यंक कार्य मंत्री इस समारोह के मुख्य अतिथि थे । उक्त समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं में अर्हित होने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कार और संस्थान की उत्कृष्ट प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को वर्ष 2013-14 के दौरान की गई अद्वितीय प्रगति के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए गए थे । इस समारोह में संस्थान के पूर्व अध्यक्षों, परिषद् और प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों, शाखाओं के पदधारियों, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पदधारियों और साथ ही बड़ी संख्या में सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया था । मीडिया ने इस संपूर्ण आयोजन को व्यापक कवरेज प्रदान की थी । यह समारोह एक अत्यंत उत्साहवर्धक आशावादी भावना के साथ समाप्त हुआ था ।

8.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट दिवस समारोह - 1 जुलाई, 2014

आईसीएआई ने 1 जुलाई, 2014 को अपने 66वें स्थापना दिवस को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस के रूप में मनाया था । समारोह का प्रारंभ, नई दिल्ली स्थित संस्थान के मुख्यालय में सीए के. रघु, अध्यक्ष, संस्थान द्वारा उपाध्यक्ष, केंद्रीय परिषद् और प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों और संस्थान के पदधारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण से हुआ था । सांयकाल में इस दिवस की गरिमा के अनुरूप विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था । संघ के माननीय वित्त, रक्षा और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री अरुण जेटली ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई थी । संघ के मंत्री ने राष्ट्र निर्माण के एक भागीदार के रूप में इस वृत्ति की भूमिका की सराहना की थी । इस अवसर पर श्री वारेन एलेन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन (आईएफएसी) भी उपस्थिति हुए थे । आईएफएसी के अध्यक्ष ने "अकाउंटेंसी वृत्ति : परिवर्तन को समाहित करना और विकास को गति प्रदान करना" विषय पर आयोजित एक विशेष सत्र को भी संबोधित किया था । इस समारोह में 2000 से अधिक अतिथितियों ने भाग लिया था । चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस को देश भर में प्रादेशिक परिषदों और इसकी शाखाओं ने पौधा रोपण, साक्षरता किटों का वितरण और रक्तदान शिविरों के आयोजन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर मनाया था ।

8.4 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा है, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है । पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के डाटाबेस सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग, प्रमुखशब्द और प्रकाशकवार की जा सकती है । यह अभिलेख इंटरनेट ऑनलाइन सेवा www.icai.org पर "नो युअर इंस्टीटयूट सेंट्रल काउंसेल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध है । वेबसाइट के अधीन ये सेवाएं स्वस्पष्टीकारक हैं । इनमें से कुछ लिंक, जैसे कि ऑनलाइन जर्नलों, ईपुस्तकों, चार्टर्ड एंकाउंटेंट जर्नल से लेखों की सूची और पुस्तकों का ऑनलाइन डाटाबेस, पुस्तकालय में जर्नलों और लेखों की सूची उपर्युक्त ऑनलाइन डाटाबेस में आगे और सर्च का विकल्प उपलब्ध कराते हैं । कोई व्यक्ति संस्थान के विचारार्थ "पुस्तकों/जर्नलों के सुझाव का

स्तंभ" के अधीन नई पुस्तकों/जर्नलों के लिए सुझाव भी दे सकता है । यह उल्लेखनीय है कि "एकाउंटेंट्स ब्राउजर" पिछले पंद्रह वर्षों से महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की अभिलेखागार के साथ एक अनुक्रमणिका है । निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को तथा विशेष मामले के रूप में आईसीएआई का सीपीटी पाठयक्रम करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है । संस्थान के प्रत्येक निदेशालय और विभिन्न समितियों को दिए गए लघु पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, पुस्तकालय ने केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों में, छात्रों, सदस्यों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों द्वारा अपेक्षित सामग्री के लिए सर्च को सुकर बनाने के लिए संस्थान के अनेक डाटाबेस प्रतिष्ठापित किए हैं । केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय के डाटाबेस को सभी प्रादेशिक पुस्तकालय डाटाबेस के साथ जोड़ने के लिए एक नया सॉपटवेयर लिबर्टी अर्जित किया गया है । केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय, सभी समितियों और साथ ही आईसीएआई द्वारा प्रस्थापित चालू पाठयक्रमों के लिए आवश्यक प्रकाशन/पुस्तकों का भी उपापन कर रहा है जिसके अंतर्गत सभी समितियों द्वारा प्रकाशन/पुस्तकों का प्रावधान भी है ।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जो www.icai.org –Central Council Library पर उपलब्ध हैं । पुस्तकालय ने अनेक ऑनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की है । छात्रों और सदस्यों आदि के लिए पुस्तकालय नियमों को आईसीएआई के सभी पुस्तकालयों में एकसमान रखा गया है ।

हम, ईपुस्तकों, ईजर्नलों और अन्य ऑनलाइन डाटाबेसों की ग्राहकी प्राप्त करके केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय को आधुनिक बनाने के लिए और साथ ही केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय की सुसज्जा करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं ।

8.5 संपादकीय बोर्ड

संपादकीय बोर्ड संस्थान की एक अस्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को निरंतर रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध विषयों, संस्थान और इसके क्रियाकलापों से संबंधित विषयों और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें शैक्षणिक/वृत्तिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाए, एक संरचित रीति में 'दि चार्टर्ड एकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है । यह जर्नल ईजर्नल के रूप में ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जो आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) से भी संगत है । जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 250000 है और इसके वैश्विक पाठकों में विख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के चार्टर्ड एकाउंटेंट, सहबद्ध वृत्तिक, सीए छात्र और शैक्षणिक वृत्तिक सम्मिलित हैं ।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मित्रक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है । यदि हमारे पाठकों की प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है तो यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है ।

आज के तेजी से बढ़ते हुए सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए उभरते क्षेत्रों, वृत्ति के पहलुओं और चुनौतियों से भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय बोर्ड निरंतर प्रयास कर रहा है ।

कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

<u>अंतर्वस्तु और ईजर्नल</u> :

- व्यापक रूप से विषयों को सम्मिलित किया जाना : अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न विषयों पर 189 से अधिक लेखों का प्रकाशन किया गया था ।
- नए फीचर/प्रोन्नत करना : जर्नल में 'महिला सशक्तिकरण', 'युवा सदस्य सशक्तिकरण' 'नेतृत्व और प्रभाव', 'निवेश', 'आतंरिक संपरीक्षा', 'एक्सबीआरएल', 'आईएफआरएस', 'एलएलपी और लेखांकन वृत्ति', 'कपट और

निवारण', 'अवसर', 'कंपनी विधि', 'वैश्विक परिप्रेक्ष्य' और 'सामाजिक संपरीक्षा' आदि जैसे नए फीचर प्रारंभ किए गए थे । कुछ विद्यमान फीचर, जैसे कि 'फ्राम द प्रेजिडेंट', 'लीगल अपडेट', 'नेशनल अपडेट' और 'इंटरनेशनल अपडेट' आदि को समृद्ध बनाया गया था ।

- विशेष ध्यान : आईसीएआई के, वृत्ति से संबंधित विषयों के संबंध में सदस्यों को अद्यतन बनाए रखने के सकल प्रयास के भाग रूप में, संपादक बोर्ड ने फरवरी, 2013 के अंक में 'बैंक संपरीक्षा' विषय पर विशेष कवरेज प्रदान की थी, यद्यपि संघीय बजट 2013-14 के ब्यौरों को अप्रैल, 2013 के अंक में सम्मिलित किया गया था । मई, 2013 के अंक में मुख्यतः कंपनी विधेयक, 2012 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । इसी प्रकार जून, 2013 के अंक में मुख्यतः कर संपरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । जुलाई, 2013 का अंक सीए दिवस के अनुरूप 196 पृष्ठ का एक विशेष अंक था । सितम्बर, 2013 के अंक में 'एक्सबीआरएल और आईएफआरएस' विषय पर स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे और अक्तूबर, 2013 के अंक में आंतरिक संपरीक्षा के भिन्न-भिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित किया गया था । नवम्बर, 2013 के अंक का विषय 'एलएलपी और लेखांकन वृत्ति' था और दिसम्बर, 2013 के अंकों में 'एकपट और निवारण' विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

जर्नल के जनवरी, 2014 के अंक में 'निगम शासन' विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था वहीं फरवरी, 2014 का अंक 'बैंक संपरीक्षा' से संबंधित था जिसमें इस विषय पर छह लेखों और 'टेकिंग बैंक आडिट चेलेन्ज इन स्ट्राइड' शीर्षक वाले एक संपादकीय को भी प्रकाशित किया गया था ।

मार्च, 2014 का अंक 'प्रोफेशनल पेनोरामा : टूवर्ड्स न्यू फ्रंटियर्स' विषय से संबंधित था, अप्रैल, 2014 का अंक 'महिला सशक्तिकरण' विषय को समर्पित था, मई, 2014 के अंक में 'लीडरशिप एंड इनफ्लूऐंस' विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया था, वहीं जून, 2014 का अंक 'यंग मेम्बर्स एम्पावरमेंट' विषय पर था जो कि आईसीएआई की कार्ययोजना, 2014-15 के अनुसार नीतिगत रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों में एक था । इन अंकों में जर्नल के नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था ।

- संपादकीय बोर्ड कार्ययोजना 2014-15

संपादकीय बोर्ड ने वर्ष 2014-15 की अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है । इस कार्ययोजना की प्रमुख विशिष्टियों में 'जर्नल की अंतर्वस्तु की प्रस्तुति में एक समानता के लिए स्टाइल शीट का अपनाया जाना', 'अनेक नए फीचरों को आरंभ करना', 'सीए दिवस के उपलक्ष्य में जुलाई, 2014 में जर्नल का एक विशेष अंक निकालना', 'जर्नल की भाषा को और अधिक सरल तथा पाठक मित्र बनाना', 'सक्रिय सर्च प्रसुविधा के साथ जर्नल के 61 वर्षों की एक सुरक्षित एचटीएमएल रूप में डीवीडी निकालना', 'इंडेक्स पद्धति में जर्नल का विस्तार/प्रोन्नयन', 'आईसीएआई की कार्ययोजना 2014 के नीतिगत रूप से विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों को प्रमुख रूप से दर्शित करना', 'जर्नल के डिजाइन और प्रस्तुतिकरण का प्रोन्नयन' और 'जर्नल के मुद्रण के लिए अधिक श्वेत ग्लोस कागज का प्रयोग करना' आदि सम्मिलित हैं ।

- <u>प्रमुख विशिष्टियां</u>

(क) जुलाई, 2013 का विशेष अंक : जुलाई, 2013 के विशेष अंक में, भारत के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, संघ के तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री सीए रहमान खान, संघ के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री डॉ. एम वीरप्पा मोइली, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक श्री शशिकांत शर्मा, तत्कालीन कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सचिन पायलट, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री आर.पी.एन.सिंह, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री नवेद मसूद, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, श्री राजीव टकरू और सीए रमेश्वर ठाकुर, पूर्व राज्यपाल (उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश) पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई के संदेशों को सम्मिलित किया गया था । इस अंक के लिए लेखों को प्रस्तुत करने वाले लेखकों में से प्रमुख थे आईएफएसी के अध्यक्ष श्री वारेन एलेन, आईएएसबी सदस्य, श्री

प्रभाकर कलवाचेरला, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष श्री अशोक चावला, एनएसीएएस के अध्यक्ष और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए एम.एम. चिताले, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और आईसीएसआई के पूर्व अध्यक्ष श्री टी.एन. मनोहरन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष सीए वाई.एच. मालेगम और सीए पी.एन.शाह। अन्य विशेष लेखों के अलावा इस अंक में '64 मुमेंचुअस इयर्स' (जिसमें दुर्लभ और सुसंगत चित्रों के साथ पिछले 64 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शित किया गया था), 'लीजंडस फ्राम इंडियन एकाउंटेंसी ट्रेडिशन', 'आईसीएआई एकाउंटेंसी म्यूजियम ऑफ इंडिया', 'डिड यू नो?', 'एकसर्पट्स फ्राम हिस्टरी ऑफ एकाउंटेंसी प्रोफेशन इन इंडिया', 'वाट दि लीडर्स सेड अबाउट आईसीएआई एंड इंडियन एकाउंटेंसी प्रोफेशन सिंस जुलाई, 2012', 'मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस', 'एक्सेलिंग विद ए डिफरेंस' (जिसमें चार्टर्ड एकाउंटेंटों की जीवन के अन्य क्षेत्रों में दुर्लभ उपलब्धियों को दर्शित किया गया था) जैसे विशेष फीचर भी सम्मिलित थे।

(ख) जुलाई, 2014 का विशेष अंक, जुलाई, 2014 के विशेष अंक में नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यसूची को प्रस्तुत किया गया था और साथ ही श्री अरुण जेटली, संघ के वित्त, कारपोरेट कार्य तथा रक्षा मंत्री, श्री निर्मला सीतारामन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य और उद्योग, राज्य मंत्री, वित्त और कारपोरेट कार्य और सीए पीयूष गोयल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत, कोयला और नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोफाइल को भी सम्मिलित किया गया था। इस अंक में श्री अरुण जेटली, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक श्री शशिकांत शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के विशेष संदेशों को भी अंतर्विष्ट किया गया था। इस अंक में वर्ष 2014-15 के पहले चार मासों में आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी विशिष्ट रूप से दर्शित किया गया था। ऐसे विशिष्ट लेखकों में जिनके लेखों को इस अंक में सम्मिलित किया गया था, श्री पी.एन. विजय, श्री वारेन एलेन, अध्यक्ष आईएफएसी, श्री ब्रायन ब्लड, मुख्य कार्यपालक, सीएपीए, सीए सुबोध कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, एसएएआरसी और तुरंत पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए टी.एन. मनोहरन, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए संजीव चौधरी सम्मिलित थे। अन्य विशिष्ट फीचरों में 'डाउन द मेमेरी लेन', 'वाट द लीडर्स सेड अबाउट आईसीएआई डयूरिंग 2013-14' आदि सम्मिलित थे।

(ग) इन कन्वर्जेशन फीचर के अधीन साक्षात्कार : जर्नल के अगस्त, 2013 अंक में प्रख्यात उद्योगपति श्री कुमार मंगलम बिडला के साक्षात्कार को और अक्तूबर, 2013 के अंक में संघ तत्कालीन अल्पसंख्यंक कार्य मंत्री सीए के. रहमान खान के साथ साक्षात्कार को प्रकाशित किया गया था।

(घ) अन्य विशेष कवरेज : जर्नल के फरवरी, 2013 के अंक में आईसीएआई की वर्ष 2012-13 की उपलब्धियों संबंधी एक संक्षिप्त रिपोर्ट को सम्मिलित किया गया था, जिसके अंतर्गत आईसीएआई के चुनावों के परिणाम और मुंबई में आयोजित एक तीन दिवसीय आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट को भी सम्मिलित किया गया था। आईसीएआई के तिरसठवें वार्षिक समारोह और आईसीएआई पुरस्कार 2013 के छठे संस्करण से संबंधित रिपोर्टों के अलावा मार्च, 2013 के अंक में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रोफाइलों और समिति की संरचना को सम्मिलित किया गया था। अप्रैल, 2013 के अंक में संपरीक्षक की पुनरीक्षित रिपोर्ट को रखा गया था और साथ ही मई, 2013 के अंक में आईसीएआई के कैम्पस नियोजन कार्यक्रम से संबंधित एक रिपोर्ट को सम्मिलित किया गया था। जून, 2013 के अंक में सीए दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को रखा गया था वहीं अगस्त, 2012 के अंक में कंपनी अधिनियम, 2012 पर राज्य सभा में हुए वाद-विवाद से अकाउंटेंसी वृत्ति से संबंधित उद्धरणों को सम्मिलित किया गया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल की 61वीं जिल्द की अनुक्रमणिका को सितंबर, 2013 के अंक में प्रकाशित किया गया था। जर्नल के दिसंबर, 2013 के अंक में लेखांकन मानक बोर्ड के अभी तक के क्रियाकलापों से संबंधित एक रिपोर्ट के अलावा कोलकाता में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उदघाटन किए गए एक बृहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित एक रिपोर्ट को भी रखा गया था।

8.6 भारत का लेखांकन संग्रहालय

आईसीएआई के परिसरों में 31 से अधिक लेखांकन संग्रहालय के प्रोटोटाइप : सदस्यों को बड़ी संख्या में अकाउंटेंसी वृत्ति के समृद्ध और गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित कराने के प्रयासों के भागरूप में और संस्थान द्वारा स्थापित भारत के लेखांकन संग्रहालयों का प्रचार और प्रसार करने के लिए पूरे भारत में आईसीएआई के 31 परिसरों में संग्रहालयों के प्रोटोटाइप प्रतिष्ठापित किए गए थे जिनके अंतर्गत 5 परिषदों में और 12 आईसीएआई के डीसीओ में तथा 13 बड़ी शाखाओं में प्रतिष्ठापित किए गए थे। इन संग्रहालयों में भारतीय लेखांकन से संबंधित दुर्लभ संग्रहणों को रखकर उन्हें समृद्ध बनाया गया

था । भारत के लेखांकन संग्रहालय से संबंधित सैकड़ों जानकारी पुस्तिकाओं का भी मुद्रण किया गया था और उन्हें आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न बड़े आयोजनों और कार्यक्रमों में वितरित किया गया था ।

8.7 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में संशोधन

जैसा कि पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में कथन किया गया था, दिसम्बर, 2012 में संस्थान ने संस्थान के अनुशासन तंत्र को सुदृढ करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के कतिपय संशोधन प्रस्तुत किए थे । ये संशोधन अभी केंद्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । इसके अतिरिक्त, संस्थान के विनियामक तंत्र के सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण के लिए अधिनियम में संशोधनों के साथ संस्थान ने समय-समय पर चार्टर्ड अकाउंटेंस विनियम, 1988 के संशोधनों को भी प्रस्तुत किया था । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सरकार ने भारत के ऐसे प्रवासी नागरिकों की, जो संस्थान के सदस्य के रूप में नामांकन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणित लोक अकाउंटेंट की अर्हता रखते हैं, सुविधा के लिए एक स्कीम को आरंभ करने के लिए अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान किया था । इस स्कीम को 22 जुलाई, 2014 से प्रवर्तन में लाया गया है ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 12,573 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था जिससे 1 अप्रैल, 2014 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 2,29,679 हो गई है ।

पूर्व वर्ष में 3,262 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2,570 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2014 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	61998	41800	103798
अंशकालिक व्यवसाय में	2991	5535	8526
जो व्यवसाय में नहीं हैं	12214	105141	117355
योग	77203	152476	229679

9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है । दीक्षांत समारोह का आयोजन पांचों प्रादेशिक मुख्यालयों में प्रत्येक में वर्ष में दो बार किया जाता है जिससे वित्तीय वर्ष की मार्च से अगस्त और सितम्बर से फरवरी तक की अवधि को उसमें सम्मिलित किया जा सके । इन समारोहों में उक्त अवधि के दौरान सदस्यता में लिए गए सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं ।

इस वर्ष के दीक्षांत समारोह के पहले चक्र 2014-15 का आयोजन जुलाई-अगस्त, 2014 के मासों में निम्नलिखित स्थानों पर और समय-सूची के अनुसार प्रादेशिक कार्यालयों के तत्वाधान में किया जा रहा है :

- चेन्नई – 4 जुलाई, 2014
- दिल्ली - 6 अगस्त, 2014
- बंगलौर – 14 जुलाई, 2014
- चंडीगढ़ – 9 अगस्त, 2014
- कोलकाता – 17 जुलाई, 2014
- मुंबई – 19 अगस्त, 2014
- कानपुर – 22 जुलाई, 2014
- अहमदाबाद – 25 अगस्त, 2014
- जयपुर – 23 जुलाई, 2014
- पुणे - 26 अगस्त, 2014

दीक्षांत समारोह में, दिसंबर, 2013 से मई, 2014 के बीच नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हैं । लगभग 24,760 अभ्यर्थियों को इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए सूचीबद्ध किया गया है जिनके अंतर्गत पूर्ववर्ती दीक्षांत समारोह में भाग न ले सकने वाले अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं ।

9.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरणपोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2013 को कुल आजीवन सदस्य	= 115511
2.	31 मार्च, 2014 को कुल आजीवन सदस्य	= 119886
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान)	= 4356
4.	31 मार्च, 2014 तक दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 1,57,81,000/-

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे*

		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के दौरान (रुपए)
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	1,57,81,000	1,55,56,000
2.	प्रशासनिक खर्चे	24,991	51,923
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	(15989)	(21,54,357)
4.	निधि का अतिशेष	(3401383)	(33,85,394)
5.	कोरपस का अतिशेष	14,44,41,795	13,35,51,795

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1000 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 100 छात्रवृत्तियां, आर्टिकल्ड प्रशिक्षण करने वाले छात्रों को दी जा रही हैं । निधि की आजीवन सदस्यता 31 मार्च, 2013 को 5427 के मुकाबले 31 मार्च, 2014 को बढ़कर 5947 हो गई थी । निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2013 को 46,43,667/- रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2014 को 44,27,885 रुपए है ।

9.5 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी । 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 300 छात्रों (आर्टिकल्ड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र) को वित्तीय सहायता के रूप में एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रति मास मूल्य छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई थी । 31 मार्च, 2013 को 5,23,71,770/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2014 को साधारण निधि में 7,63,38,248/- रुपए का अतिशेष जमा था ।

10. छात्र

अध्ययन बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है । वर्ष के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

शैक्षिक अंत:निवेश

1. अध्ययन सामग्रियों का पुनरीक्षण

छात्रों की जानकारी को अद्यतन करने की सतत प्रक्रिया के भागरूप में विभिन्न अध्ययन सामग्रियों की अंतर्वस्तु को अद्यतन किया गया है और समुचित परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया गया है । सीपीटी पाठयक्रम के लिए अध्ययन सामग्री को अक्तूबर, 2013 में व्यापक रूप से पुनरीक्षित किया गया था । सभी विषयों के प्रैक्टिस मैनुअलों के साथ आईपीसीसी की अध्ययन सामग्री को जुलाई, 2013 में पुनरीक्षित किया गया था । कराधान (अप्रत्यक्ष कर) और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पुनरीक्षित पाठयचर्या के आधार पर, छात्रों के फायदे के लिए अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस मैनुअलों का भी पुनरीक्षण किया गया था ।

इसी प्रकार सभी विषयों के प्रैक्टिस मैनुअलों के साथ फाइनल पाठयक्रम के लिए अध्ययन सामग्री का जनवरी, 2014 में पुनरीक्षण किया गया था । सूचना प्रणाली नियंत्रण और संपरीक्षा तथा अप्रत्यक्ष कर विधि से संबंधित पुनरीक्षित पाठयचर्या के आधार पर, छात्रों के फायदे के लिए अध्ययन सामग्रियों और प्रैक्टिस मैनुअलों का भी पुनरीक्षण किया गया था ।

इन्हें नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

छात्रों को उनके अध्ययन में सहायता करने के विचार से सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) पाठयक्रम और फाइनल पाठयक्रम के लिए पृथक् ई पठन डीवीडी को जारी किया गया था, जिसमें प्रैक्टिस मैनुअलों, ई व्याख्यानों, पोडकास्टों (एमपीथ्री आडियो), पावर पाइंट प्रस्तुतिकरणों (संक्षिप्त टिप्पणों) और स्व मूल्यांकन प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करते हुए अध्यायवार अध्ययन सामग्री को अंतर्विष्ट किया गया था । इस डीवीडी को, संबंधित पाठयक्रम में रजिस्ट्रीकरण के समय अध्ययन सामग्री के सेट के साथ नि:शुल्क जारी किया जाता है ।

आईपीसीसी और फाइनल परीक्षा की पुनरीक्षित अंग्रेजी अध्ययन सामग्री के आधार पर उनकी हिन्दी अध्ययन सामग्री को भी पुनरीक्षित किया गया है ।

उसे नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

2. चयनित मामलों का संकलन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मामलों के संकलन को अंतर्विष्ट करने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों से संबंधित चयनित मामलों के डाइजेस्ट का, सितंबर, 2013 में प्रकाशन किया गया है और साथ ही उसे नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया है ।

3. कराधान विषयों में अनुपूरक अध्ययन सामग्री

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में अनुपूरक अध्ययन सामग्री एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों में नवीनतम परिपत्रों के साथ वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन अंतर्विष्ट हैं । तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा किए गए संशोधनों और क्रमशः 1 जुलाई, 2012 और 30 अप्रैल, 2013 के बीच जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं/परिपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाली अनुपूरक अध्ययन सामग्री को, जो मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठयक्रमों के लिए कराधान से संबंधित है, छात्रों के फायदे के लिए निकाला गया था ।

उसे नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

4. परीक्षा में कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचित धाराओं के लागू होने के अनुसरण में अनुपूरक अध्ययन पत्र

मध्यवर्ती आईपीसी और फाइनल स्तर, दोनों के छात्रों के फायदे के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की कतिपय धाराओं के लागू हो जाने के कारण नवंबर, 2014 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए सुसंगत विषयों अर्थात् विधि, संपरीक्षा और लेखा की उपांतरित पाठयचर्या से संबंधित अनुपूरक अध्ययन सामग्री को जारी किया गया है ।

5. पुनरीक्षण परीक्षा पत्र

आईपीसीसी/एटीसी और फाइनल परीक्षाओं के लिए पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों (आरटीपी) को समय से प्रकाशित किया गया था जिससे कि छात्रों को परीक्षाओं के लिए भलीभांति तैयारी करने के लिए समर्थ बनाया जा सके । इन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था जिसमें उन्हें नि:शुल्क डाउनलोड करने का विकल्प उपलब्ध था ।

हिन्दी माध्यम का विकल्प लेने वाले छात्रों के फायदे हेतु एक नई पहल के रूप में, संबद्ध परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों और पुनरीक्षण परीक्षा पत्रों का हिन्दी अनुवाद तैयार किया गया था ।

इन्हें नि:शुल्क डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा गया था ।

6. सुझाए गए उत्तर

छात्रों के लिए परीक्षाओं की बेहतर तैयारी को सुकर बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठयक्रम (आईपीसीसी)/ लेखांकन तकनीशियन पाठयक्रम (एटीसी) और फाइनल (नया) पाठयक्रम की मई, 2013 और नवंबर, 2013 में कराई गई परीक्षाओं के लिए सुझाए गए उत्तरों को पर्याप्त समय पूर्व मुद्रित किया गया था और उन्हें छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया था।

इन सुझाए गए उत्तरों को आईसीएआई की वेबसाइट पर, निःशुल्क डाउनलोड सुविधा के साथ परिणामों की घोषणा से काफी समय पूर्व रखा गया था।

7. सीए परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें

'सामान्य प्रवीणता परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें' और 'सीए परीक्षाओं की चुनौतियों का कैसे सामना करें – मध्यवर्ती (आईपीसी/फाइनल)' ऐसे वार्षिक प्रकाशन हैं, जो छात्रों को परीक्षाओं में बैठने और उन्हें सफलतापूर्वक अर्हित करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं और साथ ही इन्हें प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा आयोजित विशेष कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों के दौरान संवितरित किया जाता है।

इन्हें डाउनलोडिंग प्रसुविधा के साथ आईसीएआई की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

8. छात्रों का जर्नल

अध्ययन बोर्ड वर्ष 1997 से छात्रों के लिए **'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेन्ट'** नामक एक मासिक जर्नल का प्रकाशन करता रहा है।

छात्रों के इस जर्नल में सीए छात्रों से सुसंगत विषयों पर उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, थीम मुद्दों, प्रेरणात्मक लेखनों और अन्य महत्वपूर्ण उद्घोषणाओं जैसे विषयों पर लेखों जैसे नियमित फीचर अंतर्विष्ट होते हैं। यह जर्नल छात्रों और साथ ही आईसीएआई के सदस्यों में लोकप्रिय और उनके लिए उपयोगी बना हुआ है।

आईटी संबंधी पहलें

1. आईसीएआई क्लाउड परिसर

आईसीएआई क्लाउड परिसर की स्कीम का शुभारंभ श्री अरुण जेटली, संघ के माननीय वित्त, रक्षा और कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2014 को सीए दिवस के कार्यक्रमों के दौरान किया गया था और यह http://cloudcampus.icai.org पर उपलब्ध है। परिवर्तनशील समयों के साथ विकास करते हुए, भौतिक रूप से ईंट और पत्थर से बना परिसर अब क्लाउड पर उपलब्ध है जो पाठयक्रम, पाठयचर्या रजिस्ट्रीकरण, शिक्षा, परीक्षा प्ररुपों को फाइल करने से परिणाम प्राप्त करने तक की सभी सुसंगत जानकारी उपलब्ध कराता है।

आईसीएआई क्लाउड परिसर क्लाउड की शक्ति का देश भर और विदेशों के छात्रों तक पहुंच बनाने के लिए उपयोग करता है ताकि शिक्षा और प्रशिक्षण को उनके घर तक ले जाया जा सके और साथ उनकी शैक्षिक, प्रशासनिक, परीक्षा, नामांकन संबंधी और अन्य अपेक्षाओं के लिए एकल विंडो का प्रावधान किया जा सके। क्लाउड परिसर, छात्रों द्वारा सुगम पहुंच के लिए 6 पोर्टलों तक पहुंच को एकीकृत करके एकल विंडो उपलब्ध कराता है, अर्थात् (क) ई पठन एलएमएस, (ख) बीओएस ज्ञान पोर्टल, (ग) वेबकास्ट, (घ) जीएमसीएस/ओपी/आईटीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल, (ड.) परीक्षा पोर्टल और (च) आर्टिकलशिप नियोजन पोर्टल। क्लाउड परिसर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मूल्यवान सेवाओं में से कुछ निम्नानुसार हैं :

2. विषयों से संबंधित व्यावहारिक समयस्याओं के समाधान पर वीडियो व्याख्यान : लेखा, कराधान, वित्तीय प्रबंध, अग्रिम प्रबंध लेखांकन आदि जैसे विषयों से संबंधित व्यावहारिक समयस्याओं के समाधान पर वीडियो व्याख्यान अब क्लाउड परिसर पर उपलब्ध हैं जो बेहतर अवधारणात्मक स्पष्टता और समस्या समाधान कौशलों को उपलब्ध कराते हैं। इन व्याख्यानों का उद्देश्य, कदम दर कदम व्यावहारिक समस्या समाधान प्रक्रिया को पढ़ाना है जो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से वर्तमान में एक प्रमुख दक्षता संबंधी अपेक्षा है। इस समय 125 घंटों के 165 वीडियो व्याख्यान उपलब्ध हैं जिनमें से 10 जुलाई, 2014 तक 119 को वेबसाइट पर रख दिया गया था।

3. आर्टिकल्ड प्रशिक्षण संसाधन : संपरीक्षा संबंधी कार्यक्रमों, संपरीक्षा जांच सूचियों, दिशानिर्देशों आदि का उद्देश्य छात्रों को उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण में सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

4. ऑनलाइन परामर्श : क्लाउड परिसर पर उपलब्ध ऑनलाइन परामर्श सुविधा का उद्देश्य देश भर और विदेशों के छात्रों को, सीए पाठयक्रम के तीन स्तरों के लिए विषय और शीर्षकवार आनलाइन परामर्श सुविधा प्राप्त करने में समर्थ बनाना

है, जिसके अंतर्गत परामर्शी सेवाएं भी हैं। छात्र सत्र/आयोजन के शीर्षक संबंधी प्रश्न पूछने में भी समर्थ होंगे, जिनका उत्तर समय की उपलब्धता और संगतता के आधार पर दिया जाएगा।

छात्रों को एकल विंडो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उनके द्वारा सुगम पहुंच के लिए क्लाउड परिसर में छात्रों से संबंधित निम्नलिखित पोर्टलों को एकीकृत किया गया है :

5. छात्र – एलएमएस संबंधी ई पठन : अध्ययन बोर्ड ने http://studentslms.icai.org पर छात्र प्रबंध पठन प्रणाली (एलएमएस) से संबंधित सीए पाठयक्रम के लिए ई पठन उपलब्ध कराया है, जिसका उद्देश्य एक स्व पठन/विकास प्रसुविधा उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य पठन, पुन: पठन और पुनरीक्षण के लिए किसी भी समय देश और विदेश में किसी भी जगह, सुगमता से पहुंच वाली और सस्ती रीति में क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराना है।

स्व:पठन/ई शिक्षा के अतिरिक्त, ई पठन सुविधा के अंतर्गत प्रत्येक व्याख्यान के पश्चात् स्व:निर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता भी है, जो छात्रों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए उनकी अध्यायवार और विषयवार तैयारी का निर्धारण करने में समर्थ बनाएगी। स्व:निर्धारण के उपकरण के अलावा, स्व:निर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता को "पुनर्विलोकन सुविधा" के माध्यम से एक पठन और विकास सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जिसके द्वारा छात्र उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना में सही उत्तरों का अध्ययन कर सकते हैं। एलएमएस, उपलब्ध व्याख्यानों, प्रयास किए गए/पूरे किए गए स्व:निर्धारण प्रश्नोत्तरों के निबंधनानुसार छात्र के पठन और विकास का लेखा-जोखा भी रखता है। यह ई पठन अब मोबाइल समर्थ है – छात्र अब ई व्याख्यानों को स्मार्ट फोनों/मोबाइलों/टेबलेटों पर देख सकते हैं। इस समय 784 घंटों का ई पठन उपलब्ध है, जिसमें 10 जुलाई, 2014 तक सीपीटी, आईआईपीसी और फाइनल पाठयक्रमों के लिए क्रमश 185, 244 और 355 घंटें के व्याख्यान उपलब्ध हैं।

6. वेबकास्ट : अध्ययन बोर्ड, देश भर में एकसमान मंच के माध्यम से पठन और शैक्षिक विकास को छात्रों के घर तक ले जाने के उद्देश्य से लाइव वेबकास्टों का आयोजन करता है। लाइव परस्पर क्रियाशील वेबकास्टों का उद्देश्य, आगामी परीक्षाओं में सफलता के लिए सफल नीतियां तैयार करने के संबंध में छात्रों को परामर्श प्रदान करना है। सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीसी), मध्यवर्ती (आईपीसी) पाठयक्रम और फाइनल पाठयक्रम के संबद्ध विषयों को अर्हित करने तथा उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नीति तैयार करने के संबंध में भी लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लेखांकन मानकों और चुने गए विषयों के विनिर्दिष्ट शीर्षकों पर, जहां पाठयचर्या में परिवर्तन हुआ है या छात्रों के समक्ष कठिनाईयां आ रही हैं, भी लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया जाता है। छात्र लाइव वेबकास्ट के दौरान प्रश्नों/शंकाओं को सामने रख सकते हैं, और उनमें से अधिकांश का उत्तर समय और अन्य बाध्यताओं के अधीन रहते हुए उसी समय उपलब्ध करा दिया जाता है।

7. आर्टिकलशिप नियोजन पोर्टल : यह पोर्टल, छात्रों को ऑनलाइन रूप से रजिस्टर करने और उनके चुने गए नगर/शहर में रिक्तियां रखने वाली सीए फर्मों में आर्टिकलशिप प्रशिक्षण हेतु चुने जाने के लिए समर्थ बनाता है।

8. बीओएस ज्ञान पोर्टल : बीओएस ज्ञान पोर्टल, सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठयक्रमों के संबद्ध अध्यायों और विषयों के लिए अध्यायवार अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस मैनुअल, पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण, आडियो व्याख्यान (पोडकास्ट/एमपी 3) उपलब्ध कराता है। यह अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य संसाधन/प्रकाशन भी उपलब्ध कराता है।

9. जीएमसीएस/ओपी/आईटीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल : अध्ययन बोर्ड और आईटी निदेशालय ने संयुक्त रूप से "जीएमसीएस, आईटीटी और अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण पोर्टल" का विकास किया है, जिससे छात्रों को कहीं से भी भारत में आईसीएआई के किसी भी प्रशिक्षण केंद्र के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने की सुविधा प्रदान की जा सके। ऑनलाइन पोर्टल पाठयक्रमों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण, बैचों/अवस्थान के चयन, बैच स्थानांतरण, संकाय के आबंटन और उनके अनुसूचीकरण, ऑनलाइन प्रतिक्रियाओं, ऑनलाइन प्रमाणपत्र जनन आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस ऑनलाइन पोर्टल में 4 माडयूल अंतर्विष्ट हैं, अर्थात् "छात्र माडयूल", "छात्र माडयूल", "संकाय माडयूल", "पीओयू माडयूल" और "एचओ प्रशासन माडयूल"।

10. परीक्षा पोर्टल : यह पोर्टल छात्रों को सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन करने और ऑनलाइन रूप से परिणामों की जांच करने में समर्थ बनाता है।

11. सीपीटी/मध्यवर्ती, आईपीसी और फाइनल पाठयक्रमों के लिए ई पठन डीवीडी : अध्ययन बोर्ड ने सीपीटी/मध्यवर्ती, आईपीसी पाठयक्रम (समूह 1 और समूह 2) और फाइनल पाठयक्रमों (समूह 1 और समूह 2) के लिए ई पठन डीवीडी जारी की है, जिनमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस मैनुअल, ई पठन, पोडकास्ट (एमपी 3 आडियो), पावर पाइंट प्रस्तुतियां (सक्षिप्त टिप्पण और स्व:निर्धारण प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं अंतर्विष्ट हैं ।

यद्यपि, इन डीवीडी को मल्टी मीडिया डेस्कटाप कंप्यूटर और लैपटाप पर कार्य करने हेतु तैयार किया गया है, इन्हें एक प्रतिक्रियाशील साइट के रूप में विकसित किया गया है और इसलिए ये आधुनिक मोबाइल फोनों और टेबलेटों (एंड्रायड 4+ आईओएस) पर भी कार्य कर सकती हैं, जब उन्हें मेमोरी/एसडी कार्ड में कापी किया जाए और मोजिला फायरफोक्स इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते हुए देखा जाए । इस प्रकार छात्र अब इंटरनेट की आवश्यकता, अंर्तवस्तु के डाउनलोड होने की प्रतीक्षा और उससे संबंधित लागत के बिना किसी भी समय/कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं ।

अन्य पहलें

1. सीए छात्राओं को रियायती शिक्षा ऋण : भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय महिला बैंक लिमिटेड (बीएमबी), नई दिल्ली के बीच, 4 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक परस्पर समझ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

2. पठन कक्ष और पुस्तकालय : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा देश के विभिन्न भागों में 91 पठन कक्षों और पुस्तकालयों को चलाया जा रहा है ।

3. प्रशिक्षण गाइड : विनियमों में हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए और समकालीन कारबार परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए, प्रशिक्षण गाइडों का पुनरीक्षण किया गया है ताकि छात्रों को उपयुक्त रूप से व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों और उद्योग में लगे सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके । यह प्रशिक्षण गाइड प्रकृति में स्पष्टीकारक है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए जाने वाले कार्य के विविध क्षेत्रों से उदभूत होने वाली भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुनम्य है । इसकी एक प्रति, पाठयक्रम के रजिस्ट्रीकरण के समय मध्यवर्ती (आईपीसी) से संबंधित अध्ययन सामग्री के सेट के साथ प्रदान की जाती है ।

4. सीए छात्रों के लिए आचार-संहिता : बोर्ड ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्सी पाठयक्रम को करते हुए छात्रों के बीच अनुशासन और शालीनता को बनाए रखने के विचार से तथा संस्थान के सदस्यों और अन्य साधारण जनता के संबंध में प्रक्रिया करने के लिए आचार-संहिता का पुनरीक्षण किया है । इसकी एक प्रति, पाठयक्रम के रजिस्ट्रीकरण के समय मध्यवर्ती (आईपीसी) से संबंधित अध्ययन सामग्री के सेट के साथ प्रदान की जाती है ।

विकास कार्यक्रम

1. वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम : अध्ययन बोर्ड द्वारा ऐसे छात्रों के फायदे के लिए जिन्होंने चार्टर्ड एकांउंटेंसी की फाइनल/आईपीसीसी/पीसीसी/पीई2/ मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है और आर्टिकल प्रशिक्षण का अंतिम वर्ष पूरा कर रहे हैं या आर्टिकल प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है, एक वृत्तिक कौशल विकास संबंधी चार सप्ताह के आवासीय कार्यक्रम का आयोजन करता है । यह कार्यक्रम चार्टर्ड एकांउंटेंसी के छात्रों और नए अर्हित चार्टर्ड एकांउंटेंटों की, कारबार संगठनों और वृत्ति में प्रभावी कार्यकरण के लिए अपेक्षित वृत्तिक कौशलों से लैस होने में सहायता करता है । इस कार्यक्रम के कारक, संपर्क कौशलों, व्यक्तिगत गुणों अंतःव्यक्ति और दल के रूप में कार्य करने संबंधी कौशलों, समस्याओं का समाधान करने संबंधी कौशलों और नेतृत्व कौशलों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हैं । अप्रैल, 2013 से जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान, उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में इस कार्यक्रम के छह बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम का एक अन्य केंद्र राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद में भी खोला गया है ।

2. साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठयक्रम : जीएमसीएस को और अधिक प्रभावी बनाने के विचार से, परिषद् ने अपनी 331वीं बैठक में यह विनिश्चय किया था कि 1 अप्रैल, 2014 से विद्यमान जीएमसीएस को समाप्त कर दिया जाए और यह निदेश दिया था कि 30 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों से यह अपेक्षित होगा कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 51क/72क के अनुसार आईसीएआई की सदस्यता हेतु आवेदन करने से पूर्व विद्यमान जीएमसीएस पाठयक्रम की बजाए जीएमसीएस 2 पाठयक्रम पूरा करें ।

इस अवधि के दौरान, जीएमसीएस पाठयक्रमों के लिए 47 नए केंद्रों को प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया है । वर्तमान में, 133 कार्यक्रम आयोजक ईकाईयां (पीओयू) देश भर में जीएससीएस पाठयक्रमों का आयोजन कर रहे हैं ।

इस अवधि (अप्रैल, 2013 से जून, 2014) के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देशभर में 63 केन्द्रों पर 15 दिवसीय साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठयक्रम के 357 बैचों का आयोजन किया गया था, इन कार्यक्रमों में 15,593 छात्रों ने भाग लिया था ।

इस अवधि (अप्रैल, 2013 से जून, 2014) के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देशभर में 133 केन्द्रों पर 15 दिवसीय साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठयक्रम 1 के 1257 बैचों का आयोजन किया गया था, इन कार्यक्रमों में 2012-13 के दौरान 15,942 की तुलना में इस वर्ष 53,957 छात्रों ने भाग लिया था ।

इसके अतिरिक्त, मई, 2014 जून, 2014 की अवधि के दौरान, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देशभर में 9 केन्द्रों पर 15 दिवसीय साधारण प्रबंध और संपर्क कौशलों संबंधी पाठयक्रम 2 के 16 बैचों का आयोजन किया गया था, जिसमें 558 छात्रों ने भाग लिया था ।

3. छात्रों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम : सीपीटी मार्ग के ऐसे छात्रों से, जो लेखांकन तकनीशियन पाठयक्रम के लिए अनन्य रूप से स्वयं रजिस्ट्रीकृत कर रहे हैं, यह अपेक्षित होगा कि वे एटीई में बैठने से पूर्व अनुकूलन कार्यक्रम पूरा करें । सीपीटी मार्ग से मध्यवर्ती (एकीकृत वृत्तिक सक्षमता) पाठयक्रम के लिए आने वाले छात्रों से यह अपेक्षित होगा कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व (समूह 1 की परीक्षा हेतु बैठने या उसे उत्तीर्ण करने या दोनों से पूर्व) अनुकूलन कार्यक्रम को पूरा करें । सीधे प्रवेश मार्ग से आने वाले अभ्यर्थियों से भी यह अपेक्षित होगा कि वे व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने से पूर्व अनुकूलन कार्यक्रम पूरा करें ।

इस अवधि के दौरान, अनुकूलन कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 5 नए केंद्रों का अनुमोदन किया गया है । वर्तमान में, 144 कार्यक्रम आयोजक ईकाईयां (पीओयू) देश भर में अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ।

इस अवधि के दौरान (अप्रैल, 2013 से जून, 2014), 141 केंद्रों पर अनुकूलन कार्यक्रमों के 1836 बैचों का आयोजन किया गया था, जिनमें वर्ष 2012-13 के दौरान 76,568 छात्रों की तुलना में इस वर्ष 85,748 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था ।

4. अनुकूलन कार्यक्रम और जीएमसीएस 1 और 2 पाठयक्रमों के लिए अध्ययन सामग्रियां :

अध्ययन बोर्ड ने अनुकूलन कार्यक्रम और जीएमसीएस 1 और 2 पाठयक्रमों के लिए छात्र मैनुअल तैयार किए हैं । छात्र मैनुअलों के साथ, बीओएस ने अनुकूलन कार्यक्रम और जीएमसीएस 1 और 2 पाठयक्रमों के संकाय के लिए प्रशिक्षक मैनुअल भी निकाले हैं । ऐसे संकाय को, जो अनुकूलन कार्यक्रम और जीएमसीएस पाठयक्रमों की कक्षाएं ले रहे हैं, एक सीडी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें छात्र मैनुअलों के ई पठन के लिए सुसंगत सभी पीपीटी और आडियो क्लिपें अंतर्विष्ट हैं ।

5. जीएमसीएस पाठयक्रम और अनुकूलन कार्यक्रम के संकाय के लिए दो दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम : अध्ययन बोर्ड ने 30 और 31 जनवरी, 2014 को, साइलेंट हिल्स रिजार्ट, मनोर, महाराष्ट्र में ; 1 और 2 फरवरी, 2014 को बीकेसी, मुंबई में ; 13 और 14 फरवरी, 2014 को ईआईआरसी सभागार, कोलकाता में ; 17 और 18 फरवरी, 2014 को सेलिब्रिटी क्लब, हैदराबाद में और 20 और 21 जून, 2014 को गांधी रिसर्च फाउंडेशन, जैन हिल्स, जलगांव में जीएमसीएस पाठयक्रम और अनुकूलन कार्यक्रम के संकाय के लिए 'दो दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम' का आयोजन किया था । इस एफडीपी का उद्देश्य अनुकूलन कार्यक्रमों और जीएमसीएस पाठयक्रमों के संकाय के व्याख्यान सत्रों के एकसमान और प्रभावी प्रदाय को सुनिश्चित करना और साथ ही उनका मानकीकरण करना भी था ।

6. अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार संबंधी परस्पर संपर्क से संबंधित अल्पकालिक पाठयक्रम/कार्यशाला : प्रादेशिक परिषदों सहित 9 शाखाओं ने अंग्रेजी बोलने, लेखन कौशलों और कारबार संबंधी परस्पर संपर्क से संबंधित 12 अल्पकालिक पाठयक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया था ।

7. मौक परीक्षा : प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से मई/नवम्बर और जून/दिसम्बर की मुख्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को, परीक्षाओं हेतु उनकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल और सीपीटी स्तर की मौक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था ।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 78 शाखाओं ने मई, 2013 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/पीसीसी और फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था । इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 111 शाखाओं ने जून, 2013 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था ।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 79 शाखाओं ने नवम्बर, 2013 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/पीसीसी और फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था । इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 102 शाखाओं ने दिसम्बर, 2013 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था ।

5 प्रादेशिक परिषदों सहित 100 शाखाओं ने मई, 2014 की परीक्षाओं के लिए मध्यवर्ती (आईपीसी)/फाइनल स्तर के लिए मौक परीक्षाओं का आयोजन किया था । इसके अतिरिक्त, 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 124 शाखाओं ने जून, 2014 की परीक्षाओं के लिए सीपीटी मौक परीक्षा का आयोजन किया था ।

8. विशेष परामर्शी कार्यक्रम (सीए परीक्षाओं की चुनौती का सामना कैसे करें ?) : वर्ष के दौरान 28 शाखाओं ने जिनके अंतर्गत प्रादेशिक परिषदें भी थी, 66 विशेष परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया था ।

एमओ/यू/एमआरए/मान्यता/अन्य ठहराव

1. सीए पाठयक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता : विभिन्न विश्वविद्यालयों से निरंतर संपर्क करने के पश्चात् अध्ययन बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों और आईआईटी मद्रास के अलावा 96 विश्वविद्यालयों से सीए पाठयक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है ।

2. प्रत्यायन : संस्थान विभिन्न दूरस्थ शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से सीए पाठयक्रम करने वाले छात्रों को, इसके प्रारंभ से ही देश भर में एक संगत रीति में शिक्षा प्रदान कर रहा है । छात्रों को, उनकी परीक्षाओं हेतु पर्याप्त रूप से तैयार होने में समर्थ बनाने के लिए शैक्षिक अंत:निवेशों के व्यापक पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं । यद्यपि पूर्वोक्त प्रयास केंद्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं, प्रत्यायित केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली मौखिक कोचिंग आईसीएआई के प्रयासों को अनुपूरित करती है क्योंकि इसके द्वारा युक्तियुक्त लागत पर क्वालिटी कक्षा कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है । आईसीएआई के अध्ययन बोर्ड ने, क्वालिटी कोचिंग कक्षाएं उपलब्ध कराने के विचार से संस्थान की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को मौखिक कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करने के लिए प्राधिकृत और प्रोत्साहित किया है । साथ ही अध्ययन बोर्ड विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, विद्यालयों, न्यासों/एनजीओ/सोसाइटियों और अन्य शैक्षिक संस्थानों को भी प्रत्यायन मंजूर करता है ।

संस्थाओं को सीए छात्रों हेतु कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रत्यायन मंजूर करने संबंधी प्रत्यायन स्कीम को हाल ही में यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है कि छात्रों के फायदे के लिए बेहतर अवसंरचना और अध्यापन सुविधाओं वाली संस्थाओं को ही प्रत्यायन मंजूर किया जाए । अभी तक, अध्ययन बोर्ड ने सीपीटी, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल पाठयक्रम के लिए 59 संस्थाओं को प्रत्यायित किया है ।

सम्मेलन/सभाएं/सम्मेलन और अन्य क्रियाकलाप

1. सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सभा, अखिल भारतीय सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन : इस अवधि के दौरान, बंगलौर में एक अखिल भारतीय सम्मेलन और कोलकाता में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अलावा बड़ौदा, नागपुर, अहमदाबाद, सुरत, मुंबई, पुणे, चेन्नई, एर्नाकुलम, हैदराबाद, गाजियाबाद, आगरा, भीलवाड़ा, भिलाई, जयपुर, कटक, गुवाहाटी, सिलिगुडी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, नई दिल्ली और लुधियाना में 21 राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन किया गया था ।

2. प्रादेशिक/उप प्रादेशिक/राज्य स्तरीय सम्मेलन/राष्ट्रीय सभा : इस अवधि के दौरान, 8 राज्य स्तरीय सम्मेलनों/राष्ट्रीय सभाओं का आयोजन औरंगाबाद, राजकोट, मदुरै, हुबली, तिरुपति, त्रिवेन्द्रम, गोवा और कटक में किया गया था । इसके अतिरिक्त, नासिक, भोपाल और कोयम्बटूर में तीन प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों और वसई, जामनगर, कानपुर और पांडिचेरी में चार उप प्रादेशिक स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था ।

3. एकदिवसीय संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 72 शाखाओं द्वारा 261 एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था ।

4. दो दिवसीय बृहत संगोष्ठियां : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 5 शाखाओं द्वारा दो दिवसीय बृहत संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था ।

5. वाद-विवाद प्रतियोगिता : प्रादेशिक परिषदों सहित 72 शाखाओं द्वारा शाखा स्तर पर और सभी प्रादेशिक परिषदों द्वारा प्रादेशिक स्तर पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था ।

6. सीए छात्र समारोह : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 44 शाखाओं द्वारा 47 सीए छात्र समारोह का आयोजन किया गया था ।

7. खेल प्रतियोगिताएं : वर्ष के दौरान, प्रादेशिक परिषदों सहित 52 शाखाओं द्वारा 73 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था ।

8. वक्तृता प्रतियोगिता : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 92 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था । अखिल भारतीय वक्तृता प्रतियोगिता का आयोजन 17 जनवरी, 2014 को कोलकाता में किया गया था ।

9. क्विज प्रतियोगिताएं : 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 92 शाखाओं द्वारा शाखा स्तरीय क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था । इसके अलावा 5 प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था । अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 17 जनवरी, 2014 को कोलकाता में किया गया था ।

10. विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियां : अध्ययन बोर्ड ने भारत में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के साथ अपनी सतत परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप लेखांकन और वाणिज्य के समकालीन विषयों पर संयुक्त कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया था ।

अध्ययन बोर्ड ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त संगोष्ठियों का आयोजन किया था :

25 और 26 जुलाई, 2013 को, "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) – भारत में वर्तमान परिदृश्य" विषय पर पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम में दो दिवसीय संगोष्ठी ; 17 और 18 सितंबर, 2013 को कराईकुडी में "लेखांकन और कराधान में उभरती घटनाएं" विषय पर अलगप्पा विश्वविद्यालय के साथ दो दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 8 अक्तूबर, 2013 को "माल और सेवाकर" पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के साथ एक दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 11 अक्तूबर, 2013 को "आईएफआरएस, प्रत्यक्ष कर संहिता और निगम शासन में परिवर्तनशील आयाम और समकालीन मुद्दे" विषय पर टूमकुर विश्वविद्यालय, टूमकुर के साथ एक दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 10 और 11 दिसंबर, 2013 को "वित्त और लेखांकन में उभरती चुनौतियां" विषय पर सेक्रेड हार्ट महाविद्यालय (स्वायत्त), तिरुपत्तूर, वैलोर के साथ दो दिवसीय संयुक्त संगोष्ठी ; 16 से 20 जनवरी, 2014 उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के साथ एक संयुक्त संगोष्ठी ; 6 और 7 फरवरी, 2014 को अविनाशीलिंगम महिला गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर के साथ "लेखांकन मानक, कराधान और कंपनी विधि पर" दो दिवसीय संयुक्त कार्यशाला ।

सीए पाठयक्रम के बारे में जागरुकता सृजन करने के लिए उपाय

1. कैरियर परामर्शी सामग्री : चार्टर्ड लेखांकन पाठयक्रम और उसकी प्रमुख विशिष्टियों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए परामर्शी सामग्री जैसे कि फिल्म, ब्रोशर, फलायर्स, पोस्टरों और बैनरों को जारी किया गया था ।

2. कैरियर काउंसेलिंग कार्यक्रम : पाठ-विवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु और सीए पाठयक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रादेशिक मुख्यालयों और शाखाओं में कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । 1 अप्रैल, 2013 से 7 जुलाई, 2014 की अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों सहित 32 शाखाओं द्वारा देश भर में विभिन्न अवस्थानों पर 219 करियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

3. वृहत करियर परामर्शी कार्यक्रम : वर्ष के दौरान प्रादेशिक परिषदों सहित शाखाओं द्वारा देश भर में 10 वृहत करियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

4. शिक्षा मेलों में आईसीएआई की भागीदारी : आईसीएआई ने चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठयक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु अपने संवर्धन कार्यक्रम के भागरूप में विभिन्न शिक्षा मेलों/करियर मेलों, जैसे कि वर्ष 2013 में शिक्षा बुटीक 2012 (एजुकेशन

टाइम्स द्वारा), "होराइजन 2013" (मैसर्स मलयाला मनोरमा द्वारा), एजुकेशन प्लस (दि हिन्दू द्वारा) आयोजित मेलों में और कैरियर मेला, 2013 के अधीन नासिक, सुरत, पुणे, मुंबई, गोवा, बंगलुरू, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, रांची, पटना, त्रिवेंद्रम, कोलम, कोचीन, पालक्कड़, त्रिचूर, कोट्टायम, कन्नूर, कालीकट, एलेपी, बंगलूरु, बेल्लारी, बीजापुर, मंगलौर, टुमकुर, उडूपी, बीदर, हासन, हुबली, सिमोगा, बेलगाम, देवनागिरी, गुलबर्गा, कोलार और मैसूर, मोनफोट विद्यालय, दिल्ली में आयोजित कैरियर मेले में भाग लिया है ।

छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां

अध्ययन बोर्ड ने निम्नलिखित प्रवर्गों में छात्रवृत्तियां प्रदान की थी :--

मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां : मई और नवंबर में आयोजित मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं में और जून तथा दिसंबर में आयोजित सामान्य प्रवीणता परीक्षा में प्रत्येक वर्ष, मेधावी छात्रों की उनकी उपलब्धि और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम को करने में उनके द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों की सराहना करने के लिए योग्यता सूची में क्रम सं. 1 से 10 तक (उस दशा में जहां क्रम सं. 10, क्रम सं. 11 या क्रम सं. 12 तक या आगे के क्रम संख्यांकों तक चलता है, ऐसे सभी रैंक धारकों को) रैंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

मेधावी और जरुरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां : आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले मेधावी छात्रों की सराहना और उनके द्वारा अध्ययनों को जारी रखने के लिए उनका संवर्धन करने के विचार से मई और नवंबर में आयोजित मध्यवर्ती (आईपीसी) परीक्षाओं में और जून तथा दिसंबर में आयोजित सामान्य प्रवीणता परीक्षा में प्रत्येक वर्ष उच्च रैंक धारकों को 60 योग्यता-सह आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं ।

आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों को छात्रवृत्तियां : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों का सहयोग और समर्थन करने के लिए विहित अवधि हेतु 200 छात्रवृत्तियां, ऐसे छात्रों द्वारा विनिर्दिष्ट मापदंडों का समाधान करने पर मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल, दोनों स्तरों पर प्रदान की जा रही हैं ।

वृत्ति दान स्कीमों के अधीन छात्रवृत्तियां : वृत्ति के निर्माण के समान कारण के प्रति योगदान करने के लिए व्यष्टिक दानियों और दानियों द्वारा संयुक्त कार्पस के द्वारा वृत्ति दान निधियों का सृजन किया गया है । इन निधियों में अर्जित ब्याज में से, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए लागू मापदंडों के आधार पर इन वर्गों के छात्रों के फायदे के लिए ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

वर्ष के दौरान, अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त वर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 464 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी ।

11. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिम भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तर भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुवयालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं ।

प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 147 है । इस समय, संस्थान के विदेश स्थित 23 चैप्टर विद्यमान हैं और देश भर में 20 संदर्भ पुस्तकालय हैं ।

11.1 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाती रही हैं । कुल मिलाकर 86 शाखाओं के अपने भवन हैं ।

11.2 चल शील्ड

संस्थान, सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड प्रदान करता है । पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है । इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखाओं को एक पृथक चल शील्डें प्रदान की जाती है । पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है । अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ को और विभिन्न प्रवर्गों में छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखाओं को भी पुरस्कृत किया जाता है । वर्ष 2013 के लिए ये शील्डें 11 फरवरी, 2014 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

1. सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् - पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् और पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् को संयुक्त रूप से ।

2. प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ शाखा

- अति लघु आकार शाखा प्रवर्ग - आईसीएआई की सीआईआरसी की तूतीकोरिन शाखा
- लघु आकार शाखा प्रवर्ग - डब्ल्यूआईआरसी की जामनगर शाखा और ईआईआरसी की सिलिगुडी शाखा
- मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग - डब्ल्यूआईआरसी की पिंपरीचिंचवाड शाखा
- बड़ी शाखा प्रवर्ग - सीआईआरसी की इंदौर शाखा और डब्ल्यूआईआरसी की बडौदा शाखा को संयुक्त रूप से
- बृहत शाखा प्रवर्ग - डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा

3. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा :

- लघु प्रवर्ग - ईआईसीएएसए की सिलिगुडी शाखा
- मध्यम वर्ग - सीआईसीएएसए की रायपुर शाखा, एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा और डब्ल्यूआईसीएएसए की ओरंगाबाद शाखा को संयुक्त रूप से
- बड़ा प्रवर्ग - डब्ल्यूआईसीएएसए की नागपुर शाखा और डब्ल्यूआईसीएएसए की वसई शाखा को संयुक्त रूप से

4. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ – संयुक्त रूप से पश्चिमी भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ और दक्षिणी भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ ।

5. उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को अलग से प्रशंसनीय कार्य के लिए अति सराहनीय कार्य पालन प्रमाणपत्र प्रदान किए गए :-

प्रादेशिक परिषद	दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद
अति लघु आकार शाखा प्रवर्ग -	डब्ल्यूआईआरसी की वापी शाखा और एसआईआरसी की शिवकाशी शाखा
लघु आकार शाखा प्रवर्ग -	एसआईआरसी की सलेम शाखा, एसआईआरसी की हुबली शाखा और डब्ल्यूआईआरसी की जलगांव शाखा
मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग -	
• डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा	
• एसआईआरसी की मंगलौर शाखा	
• सीआईआरसी की भोपाल शाखा	
बड़ी शाखा प्रवर्ग -	डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा
बृहत आकार शाखा प्रवर्ग -	एसआईआरसी की बंगलौर शाखा और एसआईआरसी की हैदराबाद शाखा

11.3 <u>विकेन्द्रीकृत कार्यालय</u>

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, जो विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संस्थान की परिषद् मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में पांच और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही स्थापित कर चुकी है । प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की मात्रा में वृद्धि पर विचार करते हुए,

नागपुर, सूरत, वडोदरा और ठाणे (पश्चिमी क्षेत्र), एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में आठ और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

11.4 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहयोग की भावना को विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठयक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करने के विचार से, संस्थान की परिषद् सदैव छात्रों को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र संघ की शाखाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इस प्रक्रिया में, अभी तक छात्र संघों की 112 शाखाएं स्थापित की गई हैं।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न है।

13. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 2006 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे और उस रूप में कार्य किया था और वह उनके प्रति आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2013-2014 के दौरान परिषद् की सहायता की और वह प्रादेशिक समितियों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2013-2014 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद्, संघ के माननीय कारपोरेट कार्य, वित्त और रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली, श्री कपिल सिब्बल, संघ के तत्कालीन संचार और आईटी तथा विधि और न्याय मंत्री, श्री सचिन पायलट, संघ के तत्कालीन कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री मनीष तिवारी, संघ के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री के. रहमान खान, संघ के तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, सीए पीयुष गोयल, तत्कालीन संसद् सदस्य, राज्य सभा (अब संघ के मंत्री), सीए सुरेश पी. प्रभु, संघ के पूर्व मंत्री, न्यायमूर्ति (सीए) अनिल आर दवे, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सिस्तानी, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, श्री जवाहर ठाकुर, महालेखा नियंत्रक, श्री टी.एस. विजयन, अध्यक्ष बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, श्री गौतम भट्टाचार्य, आयुक्त, सेवाकर, श्री वारेन एलेन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंस फेडरेशन, श्री प्रभाकर कलवाचेरला, सदस्य अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, दिल से आभार व्यक्त करती है। परिषद् राज्य स्तर पर विभिन्न कृत्यकारियों की भी, जिन्होंने आईसीएआई के विभिन्न अंगों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर उन्हें गौरवान्वित किया, सराहना करती है।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2013-2014 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय हैं।

सांख्यिकी एक दृष्टि में
सदस्य रजिस्ट्रीकरण
(1 अप्रैल, 2004 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1 अप्रैल, 2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1 अप्रैल, 2006	सहयुक्त	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	55595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

	सहयुक्त	अध्येता	योग
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256
1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679

छात्र रजिस्ट्रीकरण

(31 मार्च, 2010 से)

पाठयक्रम वर्ष के दौरान	फाइनल	सीपीटी	पीसीसी	आईपीसीसी एवं आईआईपी सीसी	एटीसी	योग
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1906	2,82,611
2011-12	26,004	1,61,712		85,053	2099	2,96,379
2012-13	47,515	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584

<u>परिषद् (2014-15)</u>

परिषद् के सदस्य (2014-15)

अध्यक्ष

सीए. के. रघु

निर्वाचित सदस्य

सीए अदुकिया राजकुमार एस.	मुम्बई
सीए अग्रवाल संजय	नई दिल्ली
सीए अग्रवाल श्याम लाल	जयपुर

उपाध्यक्ष	सीए अग्रवाल सुबोध कुमार	कोलकाता
सीए. मनोज फेडनीस	सीए बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल	कोच्ची
	सीए बंधोपाध्याय अभिजीत	कोलकाता
	सीए चौधरी संजीव कुमार	नई दिल्ली
	सीए छेयरा जय	सूरत
	सीए छाजेड प्रफुल प्रेमसुख	मुंबई
अवधि	सीए देवराजा रेड्डी एम.	हैदराबाद
12 फरवरी, 2014 से	सीए फेड़नीस मनोज	इन्दौर
	सीए गर्ग विजय	जयपुर
	सीए घिया तरुण जमनादास	मुम्बई
	सीए गोयल अनुज	गाजियाबाद
परिषद् के सचिव	सीए गुहा सुमंत्रा	कोलकाता
श्री टी. कार्तिकेयन	सीए गुप्ता अतुल कुमार	दिल्ली
	सीए गुप्ता नवीन एन.डी.	नई दिल्ली
	सीए गुप्ता विजय कुमार	फरीदाबाद
	सीए जैन पंकज इन्द्रचंद	मुम्बई
	सीए जम्बुसरिया निहार निरंजन	मुम्बई
	सीए जोशी श्रीनिवास यशवंत	मुम्बई
	सीए कुशवाहा मुकेश सिंह	गाजियाबाद
	सीए महेश्वरी संजीव कृष्णागोपाल	मुम्बई
	सीए मुरली वी.	चैन्नई
	सीए नन्दा चरणजोत सिंह	नई दिल्ली
	सीए रघु के.	बंगलौर
	सीए संथानाकृष्णन एस.	चैन्नई
	सीए शेखर जी.	चैन्नई
	सीए शाह धीनल अश्विनभाई	अहमदाबाद
	सीए विकमसे निलेश शिवजी	मुम्बई
	सीए जावरे शिवाजी भीकाजी	पुणे
	नामनिर्दिष्ट सदस्य	
	डा. भास्कर चटर्जी	नई दिल्ली
	श्री गौतम गुहा (6 जुलाई, 2014 तक)	नई दिल्ली
	श्री जे.एस. दीपक	नई दिल्ली
	श्री मनोज कुमार	नई दिल्ली
	श्री पी. शेष कुमार*	नई दिल्ली
	श्री आर.के. जैन*	नई दिल्ली
	श्री सलील सिंघल	गुड़गांव
	श्री सिद्धार्थ कुमार बिड़ला	नई दिल्ली
	श्री सुनील कनोरिया	नई दिल्ली
	(*7 जुलाई, 2014 से)	

एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
www.asa.in	www.bmchatrath.com

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2014 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य स्पष्टीकारक जानकारी सम्मिलित है, की संपरीक्षा की है। संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई थी और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों को सम्मिलित किया गया है तथा उन पर सम्यक्तः विचार किया गया है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंध मंडल का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकंन मानकों के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यपालन और नकद प्रवाह के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रबंध मंडल का है। इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत ऐसे वित्तीय विवरणों, जो संस्थान की वित्तीय स्थिति के संबंध में सत्य और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं और सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं, को तैयार करने तथा उनको उचित रूप से प्रस्तुत करने से सुसंगत आतंरिक नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उन्हें बनाए रखना भी है।

संपरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी संपरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमने संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी संपरीक्षा की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा की योजना बनाएं और उसके अनुसार संपरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। चुनी गई प्रक्रियाएं संपरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों का निर्धारण करना भी है। ऐसे जोखिम निर्धारणों में, संपरीक्षक संपरीक्षा संबंधी ऐसी प्रक्रियाओं को, जो दी गई परिस्थितियों में उपयुक्त हों, तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतीकरण हेतु संस्थान के सुसंगत आतंरिक नियंत्रणों को भी विचार में लेते हैं, किंतु ऐसा ईकाई के आतंरिक नियंत्रणों की प्रभाविकता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता। संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेखांकन आकलनों तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य, हमारी संपरीक्षा संबंधी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त हैं।

एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
www.asa.in	www.bmchatrath.com

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये लेखा, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :-

(क) तुलन पत्र की दशा में, 31 मार्च, 2014 को संस्थान के मामलों की स्थिति ;

(ख) आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष ; और

(ग) नकद प्रवाह विवरण की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह ।

हम यह और रिपोर्ट करते है कि :

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है ;

(ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुसार हैं ;

(घ) हमारी राय में तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ पंकज दवे भागीदार सदस्यता सं. 053903

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 अगस्त, 2014

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

			टिप्पण	31 मार्च 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च 2013 को यथाविद्यमान
	निधियों के स्रोत :				
(1)	**अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां**				
	(क)	आरिक्षितियां और अधिशेष	3	102,739.78	83,732.65
	(ख)	उद्दिष्ट निधियां	4	20,851.78	19,355.48
				123,591.56	103,088.13
(2)	**गैर चालू दायित्व**				
	(क)	अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	1,012.83	1,123.65
	(ख)	दीर्घकालिक प्रावधान	6	3,761.85	3,729.47
				4,774.68	4,853.12
(3)	**चालू दायित्व**				
	(क)	अन्य चालू दायित्व		22,171.36	20,999.83
	(ख)	अल्पकालिक प्रावधान	6	325.38	213.03
				22,496.74	21,212.86
योग				150,862.98	129,154.11
निधियों का उपयोजन					
(1)	**गैर चालू आस्तियां**				
	(क)	नियत आस्तियां			
		i) मूर्त आस्तियां	8	46,245.87	34,915.95
		ii) अमूर्त आस्तियां	9	3.24	4.31
		iii) चालू पूंजी संकर्म		9,523.17	17,257.67
				55,772.28	52,177.93
	(ख)	गैर चालू निवेश	10	-	9,000.00
	(ग)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	2,968.06	2,887.02
	(घ)	अन्य गैर चालू आस्तियां	12	109.89	191.82
				58,850.23	64,256.77
(2)	**चालू आस्तियां**				
	(क)	चालू निवेश	10	77,572.00	52,730.48
	(ख)	वस्तु-सूची	13	1,024.15	836.84
	(ग)	नकद और नकद समतुल्य	14	6,885.85	7,097.68
	(घ)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	3,611.25	2,469.51
	(ड.)	अन्य चालू आस्तियां	15	2,919.50	1,762.83
				92,012.75	64,897.34
		योग		150,862.98	129,154.11

कृपया वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले संलग्न टिप्पणों को देखें ।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए रवि प्रकाश मित्तल	श्री टी. कार्तिकेयन	सीए. मनोज फेडनिस	सीए. के. रघु
उप सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह./-	ह./-
कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	फर्म रजि. सं. 301011E

ह./-	ह./-
सीए प्रवीन कुमार	सीए पंकज दवे
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 088810	सदस्यता सं. 053903

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 अगस्त, 2014

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(लाख रुपए में)

		टिप्पण	31.3.2014 को समाप्त वर्ष	31.3.2013 को समाप्त वर्ष
I	आय :			
	(क) प्राप्त फीस	16	49,558.19	46,382.88
	(ख) संगोष्ठियां में भाग लेने की फीस		6,310.15	4,495.57
	(ग) अन्य आय	**17**	7,295.46	6,076.94
	कुल आय		63,163.80	56,955.39
II	व्यय :			
	(क) संगोष्ठियां		5,939.09	4,271.18
	(ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	18	7,693.21	7,536.10
	(ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		6,920.53	6,009.84
	(घ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	8, 9	2,026.41	1,431.25
	(ड.) अन्य व्यय	19	22,988.10	18,576.93
	कुल व्यय		45,567.34	37,825.30
III	पूर्वावधि समायोजनों से पूर्व शुद्ध अधिशेष (I-II)		17,596.46	19,130.09
IV	घटाएं : पूर्वावधि समायोजन		15.51	(153.17)
V	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध		17,580.95	19,283.26

	अधिशेष		
VI	निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :		
	(क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.4(iii) देखें]	5,916.27	5,986.33
	(ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.4(iv) देखें]	37.17	35.70
	(ग) साधारण आरक्षिती	11,627.51	13,261.23
	योग	17,580.95	19,283.26

कृपया वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले संलग्न टिप्पणों को देखें ।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए रवि प्रकाश मित्तल	श्री टी. कार्तिकेयन	सीए. मनोज फेडनिस	सीए. के. रघु
उप सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/ सीए प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/ सीए पंकज दवे भागीदार सदस्यता सं. 053903

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 अगस्त, 2014

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विशिष्टियां	31.3.2014 को समाप्त वर्ष	31.3.2013 को समाप्त वर्ष
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	17,580.95	19,283.26
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
अवक्षयण और परिशोधन	2,026.41	1,431.25
अधित्यक्त आस्तियां	24.06	29.32
ब्याज संबंधी आय	(5,007.76)	(4,241.77)
पूंजी संकर्म परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	14,623.66	16,502.06
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(187.31)	(83.07)
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(709.50)	(884.04)
चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	908.05	2,236.22
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	144.73	744.56
	14,779.63	18,515.73
स्रोत पर कटौती किया गया कर (कटौती)/प्रतिदाय	(513.28)	(513.74)
प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	14,266.35	18,001.99
निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
नियत आस्तियों का क्रय	(5,492.16)	(17,350.52)
निवेश का अर्जन (शुद्ध)	(15,841.52)	(7,603.95)
प्राप्त हुई ब्याज आय[3]	5,571.75	5,669.17
पूंजी प्राप्तियां	922.99	437.24
निवेश गतिविधियों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	(14,838.94)	(18,848.06)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
नए सदस्यों से प्रवेश शुल्क	182.82	258.08
सदस्यों से अभिदाय	177.94	152.12
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद (इ)	360.76	410.20
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	(211.83)	(435.87)

वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	7,097.68	7,533.55
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	6,885.85	7,097.68

टिप्पण :

(1) नकद और नकद समतुल्य हाथ में नकदी और बैंकों में जमा धन को बताते हैं (टिप्पण 14 देखें)।

(2) कोष्ठकों में दी गई रकमें अतिरेक को बताती हैं।

(3) उदिष्ट निधियों से प्राप्त आय (व्ययों का शुद्ध) को सम्मिलित करें।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए रवि प्रकाश मित्तल	श्री टी. कार्तिकेयन	सीए. मनोज फेडनिस	सीए. के. रघु
उप सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 009571N/N500006	कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म रजि. सं. 301011E
ह/- सीए प्रवीन कुमार भागीदार सदस्यता सं. 088810	ह/- सीए पंकज दवे भागीदार सदस्यता सं. 053903

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 अगस्त, 2014

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

1. **साधारण जानकारी**

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के लिए स्थापित किया गया था। उकत अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल पांच प्रादेशिक परिषदों, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और 147 शाखाओं का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, दुबंई में एक विदेशी कार्यालय को भी स्थापित किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.1 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.2 प्राक्कलनों का उपयोग

भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करे, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथा विद्यमान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्टित रकमों तथा आकस्मिक दायित्वों के प्रकटनों और वर्ष के दौरान आय और व्यय की रिपोर्टित रकमों को प्रभावित करें। ऐसे प्राक्कलनों के उदाहरणों में नियत आस्तियों का उपयोगी जीवन, कर्मचारियों का कल्याण, आकस्मिक दायित्व आदि सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन प्राक्कलनों संबंधी किसी पुनरीक्षण को चालू और भावी अवधियों में भविष्यलक्षी रूप से मान्यता प्रदान की जाती है।

2.3 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान की प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

2.4 आरक्षितियों को विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

(i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

(ii) भवनों और अनुसंधान के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

(iv) दुरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है।

(iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

(v) उद्दिष्ट निधियों से निम्नलिखित अंतरण शिक्षा आरक्षित खाते को किए जाते हैं :

(क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	अन्य नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

(vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से प्राप्त आय को सीधे उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है। भारित औसत के आधार पर संबंधित उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेषों के आधार पर आय का आबंटन किया जाता है।

2.5 नियत आस्तियों

(i) मूर्त आस्तियां

मूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित अवक्षयण और हानिकरण हानियों (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी आस्ति की लागत में सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के अवस्थान और स्थिति में लाने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। पट्टाधृत भूमि की लागत में पट्टाधृत अधिकारों का अर्जन करने हेतु संदत्त कोई रकमें भी सम्मिलित हैं। मूर्त आस्तियों से संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि का अवक्षयण नहीं किया जाता है। पट्टाधृत भूमि की लागत को मूल पट्टा अवधि के पश्चात् परिशोधित किया जाता है। अन्य सभी मूर्त नियत आस्तियों के संबंध में अवक्षयण, संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर उनके उपयोगी जीवन के प्राक्कलन के आधार पर अंकित मूल्य पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

	आस्तियों का वर्ग	अवक्षयण की दर
(i)	भवन	5%
(ii)	वातानुकूलक	15%
(iii)	इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
(iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
(v)	कार्यालय उपस्कर	15%
(vi)	कंप्यूटर	60%
(vii)	लिफ्ट	10%
(viii)	वाहन	20%
(ix)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%
(x)		

(ii) अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, एकत्रित परिशोधन और एकत्रित हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर अर्जन की लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत (छुट्ट और बट्टों का शुद्ध) सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क तथा गैर-प्रतिदेय कर और किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है। किसी अमूर्त आस्ति के क्रय/पूरा होने के पश्चात् होने वाले किसी पश्चातवर्ती व्यय को, जब उसे उपगत किया जाए,

तब तक एक व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब तक कि ऐसी संभावना हो कि ऐसे व्यय के कारण उसके मूल रूप में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से अधिक ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी आर्थिक फायदें समर्थ होंगे और ऐसे व्यय का विश्वसनीय रूप से मापमान किया जा सकता है और आस्ति से जोड़ा जा सकता है, जिस दशा में ऐसे व्यय को आस्ति की लागत में जोड़ दिया जाता है।

अमूर्त आस्ति की लागत का परिशोधन, तीन वर्ष के उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन से परे प्रत्यक्ष रूपरेखा के आधार पर किया जाता है।

(iii) **चालू पूंजी संकर्म**

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर अग्रनीत किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.6 निवेश

तुलन-पत्र की तारीख से 12 मास की अवधि के पश्चात् की भुगतान तारीख वाले बैंक निक्षेपों के रूप में निवेशों को गैर-चालू के रूप में तथा अन्य निवेशों को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निवेश संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार निर्मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध होते हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी कल्याण निधियों के योग की सीमा तक।

2.7 वस्तु-सूचियां

(क) प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है। वस्तु-सूचियों की लागत का अवधारण प्रथम आगम, प्रथम जावक (एफआईएफओ) पद्धति के आधार पर किया जाता है।

(ख) पुरानी अध्ययन सामग्रियों और एक वर्ष से अधिक पुराने संस्थान के प्रकाशनों के स्टॉक की लागत पर 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीओएस प्रकाशनों के शेष स्टॉक की लागत पर 25 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

2.8 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में नकदी और बैंकों में चालू तथा बचत खातों का अतिशेष सम्मिलित होता है।

2.9 राजस्व मान्यता

(i) सदस्यता फीस

(क) सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) वार्षिक सदस्यता और व्यवसाय प्रमाण-पत्र फीस को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे देय हो जाते हैं।

(ii) दुरस्थ शिक्षा और अर्हता पश्च पाठयक्रमों की फीस को संबंधित पाठयक्रमों की अवधि के अनुसार मान्यता प्रदान की जाती है।

(iii) परीक्षा फीस को संबंधित परीक्षाओं के आयोजन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(iv) जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष की आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वह देय हो जाते हैं।

(v) प्रकाशनों के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कार क्रेता को अंतरित किए जाते हैं जो कि सामान्यत: मालों के परिदान के समय हो जाता है। इस आय के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल, छुट्टों और अन्य विक्रय संबंधी करों (यदि कोई हों) का शुद्ध भी है।

(vi) बैंक निक्षेपों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों से प्राप्त होने वाली ब्याज आय को, बकाया रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.10 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग मुद्रा, अर्थात् भारतीय रुपए में प्रारंभिक रूप से दी गई मान्यता के आधार पर अभिलिखित किया जाता है। असमायोजित रिपोर्टिंग मुद्रा से भिन्न किन्हीं अन्य मुद्राओं में धनीय आस्तियों और दायित्वों का, तुलन-पत्र की तारीख को लागू विनिमय दरों के आधार पर पुन: मापमान किया जाता है। धनीय मदों के समायोजन पर उदभूत होने वाले और धनीय मदों के पुन: माप पर होने वाले विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.11 आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर आस्तियों के अग्रतीन मूल्य का हानिकरण के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है, यदि हानिकरण का कोई संकेत प्राप्त होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम का प्राक्कलन किया जाता है और हानिकरण को मान्यता दी जाती है, जहां किसी आस्ति की अग्रनीत रकम उसकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। आस्ति की वसूलनीय रकम उसकी शुद्ध विक्रय कीमत और उपयोग में मूल्य से अधिक है। भावी नकद प्रवाहों में छूट देते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर समुचित छूट कारक को गणना में लेते हुए उपयोग में मूल्य को संगणित किया जाता है। जहां कोई ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि किन्हीं पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों में किसी आस्ति के लिए मान्य ठहराया गया कोई हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कमी हो गई है तो ऐसे हानिकरण के उत्क्रमण को मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 कर्मचारी फायदे

(i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

वेतन, भत्ते, अनुग्रह जैसे अल्पकालिक कर्मचारी फायदों को उस वर्ष के व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ii) परिभाषित अभिदाय योजनाएं

परिभाषित अभिदाय योजनाएं, ऐसी योजनाएं है, जहां संस्थान स्वतंत्र न्यास द्वारा प्रबंधित भविष्य निधि में नियत अभिदाय करता है। अभिदायों का संदाय, वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले किया जाता है और उसे वेतन और भत्तों की रूपरेखा के अनुसार ही व्ययों के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यदि निधि में कर्मचारियों को संदाय/फायदे विस्तारित करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं है तो इस संबंध में आगे और अभिदाय करने के लिए संस्थान की कोई विधिक या परिलक्षित बाध्यता नहीं है।

(iii) परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान अपने कर्मचारियों को उपदान, सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन और क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे फायदे उपलब्ध कराता है। उपदान संबंधी दायित्व का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। क्षतिपूरित अनुपस्थिति और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन से संबंधित दायित्व वित्तपोषित नहीं है। इन परिभाषित फायदा संबंधी बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को, लेखांकन मानक (एएस) – 15 कर्मचारी फायदा की अपेक्षाओं के अनुसार किसी स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराए गए दायित्व का मूल्य, तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदों संबंधी बाध्यता का वर्तमान मूल्य है, जिसमें से योजना आस्तियों (वित्तपोषित योजनाओं के लिए) के उचित मूल्य को घटा दिया गया है तथा ऐसी पूर्व सेवा लागतों, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, के लिए समायोजनों किए गए हैं। पूर्व सेवा लागतों को तुरंत और फायदों के निहित होने की सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है। सभी बीमांकक अभिलाभों और हानियों को उस वर्ष में, जिसमें वे हुए हैं, पूर्ण रूप से आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

(i) प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी कंपनी की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

(ii) आकस्मिक दायित्व और आस्तियां

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानत: की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नही की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	शिक्षा	अवसंरचना	साधारण	अन्य*	**योग**
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	23,092.77	4,160.54	55,896.74	582.60	**83,732.65**
जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	11,627.51	-	**11,627.51**
	23,092.77	4,160.54	67,524.25	582.60	**95,360.16**
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	16.21	(25.85)	9.64	**-**
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	6,647.25	-	(177.75)	(1.23)	**6,468.27**
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	182.82	-	-	**182.82**
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	177.94	-	-	**177.94**
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	32.81	504.74	13.04	**550.59**
वर्ष के अंत में अतिशेष	29,740.02	4,570.31	67,825.39	604.05	**102,739.78**

31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान	शिक्षा	अवसंरचना	साधारण	अन्य*	**योग**
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	18,151.77	3,712.12	42,917.63	560.23	65,341.75
जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से विनियोग	-	-	13,261.23	-	13,261.23
	18,151.77	3,712.12	56,178.86	560.23	78,602.98
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	13.65	(26.51)	12.86	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	4,941.00	18.48	(330.09)	(0.76)	4,628.63
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	258.08	-	-	258.08
भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	152.12	-	-	152.12
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	6.09	74.48	10.27	90.84
योग	23,092.77	4,160.54	55,896.74	582.60	83,732.65

* अन्य आरक्षितियां, पुस्तकालय आरक्षितियों और कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियों जैसी आरक्षितियां हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पिण

3. उद्दिष्टच निधियां

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	**अनुसंधान निधियां**	**लेखांकन अनुसंधान भवन निधि**	**शिक्षा निधि**	**पदक और पुरस्कार निधि**	**छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां**	**कर्मचारी कल्याण निधि**	**अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और शाखाएं)**	**याग**
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,602.65	555.86	14,088.27	171.42	89.06	340.99	2,507.23	19,355.48
आय और व्यय के विवरण से विनियाग	-	-	5,916.27	-	-	37.17	-	5,953.44
आरक्षितियों और अधिशेष से/(का) अंतरण	-	-	(6,647.25)	-	-	-	178.98	(6,468.27)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	0.85	-	-	-	-	-	371.55	372.40
वर्ष के दौरान आय	156.26	54.20	1,373.61	16.71	8.68	33.25	174.36	1,817.07
वर्ष के दौरान संदाय	-	-	-	(11.94)	(6.50)	(1.31)	(158.59)	(178.34)
वर्ष के अंत में अतिशेष	1,759.76	610.06	14,730.90	176.19	91.24	410.10	3,073.53	20,851.78
31 मार्च, 2013 का यथाविद्यमान	**अनुसंधान निधियां**	**लेखांकन अनुसंधान भवन निधि**	**शिक्षा निधि**	**पदक और पुरस्कार निधि**	**छात्रों की छात्रवृत्ति निधियां**	**कर्मचारी कल्याण निधि**	**अन्य निधियां (प्रादेशिक परिषद् और शाखाएं)**	**याग**
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	1,477.71	508.89	11,940.80	182.95	85.21	280.58	1,809.42	16,285.56
आय और व्यय के विवरण से विनियाग	-	-	5,986.33	-	-	35.70	-	6,022.03
आरक्षितियों और अधिशेष से/(का) अंतरण	-	-	(4,941.00)	-	-	-	312.37	(4,628.63)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां	-	-	-	-	4.82	-	341.58	346.40
वर्ष के दौरान आय	136.39	46.97	1,102.14	16.89	7.86	25.90	117.75	1,453.90
वर्ष के दौरान संदाय	(11.45)	-	-	(28.42)	(8.83)	(1.19)	(73.89)	(123.78)
वर्ष के अंत में अतिशेष	1,602.65	555.86	14,088.27	171.42	89.06	340.99	2,507.23	19,355.48

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

6. अन्य दीर्घकालिक दायित्वम

(लाख रुपए में)

		31 मार्च, 2014 का यथाविद्यमान	31 मार्च, 2013 का यथाविद्यमान
	अग्रिम में प्राप्त आय		
क)	अग्रिम में प्राप्त फीस	1,002.08	1,110.96
ख)	अग्रिम में प्राप्त जर्नल का अभिदाय	10.75	12.69
	योग	1,012.83	1,123.65

6.	**प्रावधान**	31 मार्च, 2014 का यथाविद्यमान		31 मार्च, 2013 का यथाविद्यमान	
		दीर्घकालिक	**अल्पकालिक**	**दीर्घकालिक**	**अल्पकालिक**
	कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क)	नियोजन पश्च परिभाषित फायदें				
i)	उपदान	-	-	6.89	-
ii)	पेंशन	1,401.89	3.93	1,483.26	5.49
ख)	अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदें	2,359.96	321.45	2,239.32	207.54
	योग	3,761.85	325.38	3,729.47	213.03

7	**अन्य चालू दायित्व**	31 मार्च, 2014 का यथाविद्यमान	31 मार्च, 2013 का यथाविद्यमान
क)	अग्रिम में प्राप्त आय		
i)	परीक्षा फीस	4,471.35	3,831.00
ii)	जर्नल अभिदाय	23.45	20.01
iii)	सदस्यता फीस	637.43	899.56
iv)	शिक्षा फीस	9,848.28	9,759.76
v)	अर्हता पश्च पाठयक्रम फीस	144.96	163.81
vi)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम फीस	8.70	0.80
vii).	संगोष्ठी फीस और अन्य एकत्रण	1,718.57	1,765.70
		16,852.74	16,440.64
ख)	व्यय और अन्य देय	3,175.54	3,058.67
ग)	अन्य दायित्व		
i)	नियत आस्तियों के क्रय के लिए देनदार	166.16	13.50
ii)	कर्मचारी से वसूलियां और कर्मचारियों के अभिदाय	84.87	62.72
iii)	कानूनी देय	185.97	183.92
iv)	निक्षेप	488.84	355.35
v)	अन्य	1,217.24	885.03
		2,143.08	1,500.52
	योग	22,171.36	20,999.83

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

8. मूर्त आस्तियां **(लाख रुपए में)**

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	कंप्यूटर	वातानुकूलक	फर्नीचर और फिक्सचर	लिफ्ट	कार्यालय उपस्कर	वाहन	पुस्तकालय पुस्तकें	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	15,376.02	3,700.80	13,421.04	1,250.76	3,759.81	1,385.64	3,055.39	301.31	2,098.67	102.59	759.12	45,211.15
परिवृद्धियां	164.76	784.27	11,096.41	82.66	328.21	164.49	431.09	12.38	240.61	2.00	70.94	13,377.82
विलोपन	-	-	-	(3.22)	(43.50)	(8.59)	(26.58)	-	(2.16)	(0.09)	(0.68)	(84.82)
वर्ष के अंत में लागत	15,540.78	4,485.07	24,517.45	1,330.20	4,044.52	1,541.54	3,459.90	313.69	2,337.12	104.50	829.38	58,504.15
वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	-	354.52	2,181.55	579.50	3,477.92	659.49	1,117.86	120.00	981.11	64.13	759.12	10,295.20
वर्ष के लिए प्रभार	-	63.96	1,012.47	73.45	249.73	120.46	219.88	18.13	186.92	7.90	70.94	2,023.84
विलोपन	-	-	-	(1.89)	(40.38)	(6.08)	(11.23)	-	(0.43)	(0.07)	(0.68)	(60.76)
वर्ष के अंत में अवक्षयण	-	418.48	3,194.02	651.06	3,687.27	773.87	1,326.51	138.13	1,167.60	71.96	829.38	12,258.28
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	15,376.02	3,346.28	11,239.49	671.26	281.89	726.15	1,937.53	181.31	1,117.56	38.46	-	34,915.95
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	15,540.78	4,066.59	21,323.43	679.14	357.25	767.67	2,133.39	175.56	1,169.52	32.54	-	46,245.87

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	पट्टाधृत भूमि	भवन	इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	कंप्यूटर	वातानुकूलक	फर्नीचर और फिक्सचर	लिफ्ट	कार्यालय उपस्कर	वाहन	पुस्तकालय पुस्तकें	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	9,047.92	3,226.00	11,447.70	1,141.07	3,630.32	1,254.63	2,675.28	280.32	1,852.69	92.80	685.53	35,334.26
परिवृद्धियां	6,328.10	476.11	1,973.34	117.02	195.48	134.77	389.99	26.37	250.10	9.33	72.48	9,973.09
विलोपन	-	(1.31)	-	(7.33)	(65.99)	(3.76)	(9.88)	(5.38)	(4.12)	0.46	1.11	(96.20)
वर्ष के अंत में लागत	15,376.02	3,700.80	13,421.04	1,250.76	3,759.81	1,385.64	3,055.39	301.31	2,098.67	102.59	759.12	45,211.15
वर्ष के प्रारंभ में अवक्षयण	-	298.58	1,696.22	512.63	3,307.68	544.76	922.52	101.99	808.56	54.65	685.53	8,933.12
वर्ष के लिए प्रभार	-	56.04	485.33	68.36	228.27	116.73	198.72	18.01	175.63	9.39	72.48	1,428.96
विलोपन	-	(0.10)		(1.49)	(58.03)	(2.00)	(3.38)		(3.08)	0.09	1.11	(66.88)
वर्ष के अंत में अवक्षयण	-	354.52	2,181.55	579.50	3,477.92	659.49	1,117.86	120.00	981.11	64.13	759.12	10,295.20
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	9,047.92	2,927.42	9,751.48	628.44	322.64	709.87	1,752.76	178.33	1,044.13	38.15	-	26,401.14
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	15,376.02	3,346.28	11,239.49	671.26	281.89	726.15	1,937.53	181.31	1,117.56	38.46	-	34,915.95

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

9. अमूर्त आस्तियां

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	साफ्टवेयर	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	592.63	592.63
परिवृद्धियां	1.50	1.50
विलोपन	-	-
वर्ष के अंत में लागत	594.13	594.13
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	588.32	588.32
वर्ष के लिए प्रभार	2.57	2.57
वर्ष के अंत में परिशोधन	590.89	590.89
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	4.31	4.31
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	3.24	3.24

31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान	साफ्टवेयर	योग
वर्ष के प्रारंभ में लागत	587.52	587.52
परिवृद्धियां	5.11	5.11
विलोपन	-	-
वर्ष के अंत में लागत	592.63	592.63
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	586.03	586.03
वर्ष के लिए प्रभार	2.29	2.29
वर्ष के अंत में परिशोधन	588.32	588.32
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	1.49	1.49
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	4.31	4.31

	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान		31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान	
	गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
10. निवेश				
बैंकों में सावधि निक्षेप	-	77,572.00	9,000.00	52,730.48
	-	77,572.00	9,000.00	52,730.48
उद्दिष्ट निवेश				
- उद्दिष्ट निधियों के लिए	-	20,851.78	9,000.00	10,355.48
- कर्मचारी फायदों के लिए	-	4,087.23	-	3,942.50

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पण

(लाख रुपए में)

			31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान		31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान	
			गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
11.		**ऋण और अग्रिम**				
	क)	प्रतिभूति निक्षेप	270.04	-	254.93	-
	ख)	कर का अग्रिम संदाय	1,640.14	675.15	1,802.01	-
	ग)	अन्य ऋण और अग्रिम				
	i)	सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी आस्तियां	-	45.99	-	-
	ii)	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	813.63	477.19	830.08	232.19
	iii)	अन्य प्राप्य	244.25	2,412.92	-	2,237.32
		योग	2,968.06	3,611.25	2,887.02	2,469.51

			31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान
12.		**गैर चालू आस्तियां**		
	क)	बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज	-	64.82
	ख)	कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	109.89	127.00
		योग	109.89	191.82
13.		वस्तु-सूचियां		
	क)	प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	931.97	745.23
	ख)	लेखन सामग्रियां और भंडार	92.18	91.61
		योग	1,024.15	836.84
14.		नकद और नकद समतुल्य		
	क)	हाथ में नकदी	33.17	19.18
	ख)	बैंकों में अतिशेष	6,852.68	7,078.50
		योग	6,885.85	7,097.68
15.		अन्य चालू आस्तियां		
	क)	बैंक निक्षेपों पर प्रोदभूत ब्याज	2,916.40	1,754.52
	ख)	कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज	3.10	8.31
		योग	2,919.50	1,762.83

		31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान
16.	**प्राप्त फीसें**		
क)	शिक्षा	31,453.13	28,952.88
ख)	परीक्षा	10,061.30	9,771.42
ग)	सदस्यता	5,119.68	4,877.54
घ)	छात्र पंजीकरण	713.69	706.93
ड.)	प्रवेश	62.12	104.06
च)	छात्र संघ	535.42	530.33
छ)	अर्हतापश्च पाठयक्रम	624.74	555.41
ज)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम	988.11	884.31
	योग	49,558.19	46,382.88

17. अन्य आय

(लाख रुपए में)

		31/3/2014 को समाप्त वर्ष	31/3/2013 को समाप्त वर्ष
क)	प्रकाशन	935.61	945.71
ख)	निवेशों पर प्राप्त ब्याज	4,940.76	4,225.26
ग)	कर्मचारिवृंद ऋणों पर ब्याज	67.00	16.51
घ)	छात्र न्यूजलेटर	6.30	1.85
ड.)	जर्नल अभिदाय	154.84	151.75
च)	न्यूजलेटर्स - प्रादेशिक परिषदें और शाखाएं	55.81	46.73
छ)	कैम्पस साक्षात्कार	398.43	264.86
ज)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	16.04	4.25
झ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	10.29	8.12
त्र)	अन्य	710.38	411.90
ट)	योग	7,295.46	6,076.94

18. कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय

क)	वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	7,185.07	6,693.07
ख)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अभिदाय	397.74	740.29
ग)	कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	110.40	102.74
	योग	7,693.21	7,536.10

19. अन्य व्यय

क)	डाक और टेलीफोन	2,512.90	2,377.86
ख)	किराया, दर और कर	2,767.68	2,482.38
ग)	यात्रा और वाहन अंतर्देशीय	1,487.27	1,057.72
घ)	विदेशी संबंध		
	i) विदेश यात्रा	217.09	223.07
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	337.68	156.26
	iii) अन्य	31.04	61.48
ड.)	मरम्मत और अनुरक्षण	1,547.91	1,381.48
च)	प्रकाशन	962.49	802.29
छ)	परामर्शियों और परीक्षकों को संदत्त वृत्तिक फीस	6,643.88	5,165.97
ज)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	4,443.52	2,889.62
झ)	विज्ञापन और प्रचार	255.49	325.74
ञ)	कार्यालय बैठक व्यय	178.01	102.12
ट)	योग्यता छात्रवृत्ति	87.18	70.26
	संपरीक्षा फीस		
ठ)	i) प्रधान कार्यालय	5.62	5.62
	ii) अन्य कार्यालय	21.40	19.39
ड)	अन्य व्यय	1,488.94	1,455.67
	योग	22,988.10	18,576.93

20. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी

20.1 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

	31 मार्च, 2014 को यथाविद्यमान	31 मार्च, 2013 को यथाविद्यमान
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	1,439.87	2,889.67
ii) पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	9,401.72	6,253.86

20.2 क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने संस्थान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के अधीन वित्तीय वर्ष 2004-05 तक छूट प्रदान की थी। तथापि, पश्चातवर्ती वर्षों, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2010-11 के लिए किए गए नवीकरण आवेदन को आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी)(ई) द्वारा नामंजूर कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध संस्थान ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की है। माननीय उच्च न्यायालय ने तारीख 04 जुलाई, 2014 के निर्णयादेश द्वारा डीजीआईटी(ई) को वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2010-11 तक संस्थान को छूट मंजूर करने का निदेश दिया था। इसके पश्चात्, डीजीआईटी(ई) ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2011-12 और उसके पश्चात् के वर्षों के लिए संस्थान को छूट मंजूर की थी। आयकर विभाग ने तारीख 4 जुलाई, 2013 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष तीन विशेष इजाजत याचिकाएं (एसएलपी) फाइल की थी। इनमें से दो एसएलपी के संबंध में 27 जनवरी, 2014 को सुनवाई की गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों एसएलपी को नामंजूर कर दिया था। इसके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उन आदेशों के विरुद्ध, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संस्थान के क्रियाकलाप, संस्थान द्वारा दावा किए गए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के अधीन यथापरिभाषित "पूर्त प्रयोजन" के अर्थांतगर्त "शिक्षा" की बजाए "साधारण जन उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने" के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं, दो एसएलपी फाइल की थी, जो कि न्याय निर्णय हेतु लंबित है।

ख) संस्थान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन छूट के लिए पात्र है। वित्तीय वर्ष 2010-11 से सुसंगत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 11 के अधीन छूट नामंजूर कर दी थी और 51,69,86,410 रुपए की मांग प्रस्तुत की थी। संस्थान ने उक्त आदेश के विरूद्ध सीआईटी(ए) के समक्ष अपील फाइल की है, जिसने तारीख 12 सितंबर, 2013 के आदेश द्वारा अपील को मंजूर कर दिया है। विभाग ने उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल की है, जो अभी लंबित है। समान आधारों पर, माननीय आईटीएटी ने अपने तारीख 17 अप्रैल, 2014 के आदेश के द्वारा निर्धारण वर्ष 2009-2010 में राजस्व संबंधी अपील को नामंजूर कर दिया था।

20.3 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, नागपुर में उस समय प्रस्तावित उत्कृष्टता परियोजना केंद्र के संनिर्माण के मद्दे दो पृथक् मूल और अनुपूरक करारों के माध्यम से मैसर्स लक्सोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को 975 लाख रुपए की राशि का संदाय किया गया था। इसके पश्चात्, 1 अगस्त, 2013 के रद्दकरण विलेख का निष्पादन करके अनुपूरक करार को तथा 30 अक्तूबर, 2013 को रद्दकरण विलेख का निष्पादन करके मूल करार को रद्द कर दिया गया था। 975 लाख रुपए की उक्त राशि को पूर्ण रूप से मैसर्स लक्सोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. से प्राप्त कर लिया गया है।

मूल करार और अनुपूरक करार के रद्दकरण के पश्चात् संस्थान ने 3 अगस्त, 2012 को मूल करार के संबंध में और 17 सितंबर, 2012 को अनुपूरक करार के संबंध में संदत्त स्टॉप शुल्क अर्थात् कमश: 197 लाख रुपए और 46.75 लाख रुपए के प्रतिदाय के लिए संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर के समक्ष दो आवेदन फाइल किए गए हैं। उक्त आवेदनों को जेडीआर, नागपुर द्वारा उसके तारीख 31 जनवरी, 2013 के आदेश द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। संस्थान ने, पूर्वोक्त से व्यथित होकर, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष जेडीआर नागपुर द्वारा पारित उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र स्टॉप अधिनियम की धारा 53 के अधीन दो अपीले फाइल की थी। संस्थान द्वारा फाइल की गई पूर्वोक्त अपीले अभी लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि उसके पास स्टॉप शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए एक उत्तम विधिक मामला है। तदनुसार, टिप्पण 11 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों में अन्य प्राप्यों में 243.75 लाख रुपए के स्टॉप शुल्क की राशि को भी सम्मिलित किया गया है।

20.4 प्रकाशनों और संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को, क्रमश: व्यय के इन शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है और इन क्रियाकलापों से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

20.5 छात्रों से, छात्र संघ फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

20.6 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण से इंद्रप्रस्थ स्टेट, दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के प्लॉट के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

20.7 संस्थान ने, सभी स्तरों पर संस्थान की संपूर्ण गतिविधियों के कंप्यूटरकरण के उद्देश्य से एक परियोजना प्रारंभ की है, जिसे "परिवर्तन परियोजना" (परियोजना) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् 39.81 करोड़ रुपए की कुल लागत से आईटी साफ्टवेयर उपयोजनों के विकास, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के लिए तथा आईटी अवसंरचना के प्रावधान, कार्यान्वयन और अनुरक्षण के उद्देश्य से वेन्डरों की नियुक्ति की गई है। इस प्राक्कलित लागत के संबंध में 31 मार्च, 2014 तक 8.08 करोड़ रुपए की रकम का संदाय कर दिया गया था जिसे चालू पूंजी संकर्म के रूप में लेखांकित किया गया था। 31 मार्च, 2014 को इस परियोजना से संबंधित आकस्मिक दायित्व 9.06 करोड़ रुपए है।

इसी दौरान, एक अभिहित प्रदाता ने संविदात्मक बाध्यताओं के अनुसार और संस्थान के समाधानप्रद रूप में प्रणालियों का विकास कार्य नहीं किया था। उस प्रदाता से इस संबंध में बातचीत की जा रही है। उक्त प्रदाता से इस संबंध में बातचीत के लंबित रहने के दौरान संस्थान ने स्वीकार नहीं किए गए हार्डवेयर के मूल्य को और प्रभावी रूप से हस्तांतरित न की गई साफ्टेवयर अनुज्ञप्तियों को वित्तीय विवरणों में लेखांकित नहीं किया है। इस प्रयोजन के लिए गठित परिषद् सदस्यों का एक अभिहित समूह परियोजना को पुन: जीवित करने की साध्यता पर विचार कर रहा है।

आस्तियों के हानिकरण संबंधी लेखांकन मानक (एएस-28) के अनुसार संस्थान ने परियोजना के उपयोग और उसकी भावी संवहनीयता के संबंध में निर्धारण किया है। अत: इस प्रक्रम पर किसी हानिकरण प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

20.8 चालू पूंजी संकर्म के अतर्गत् पूंजी अग्रिम भी है।

20.9 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हुडा (हरियाणा) विचार किया जा रहा है।

20.10 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः समूहबद्ध और पुनः वर्गीकृत किया गया है।

21. लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

21.1 कर्मचारी फायदें

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 326.37 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 207.50 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

परिभाषित फायदा योजनाएं

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार है

(लाख रुपए में)

	विवरण	2013-14	2012-13
1.	बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान		
	क) वर्ष के आरंभ में बाध्यता	1,957.11	1,385.79
	ख) चालू सेवा लागत	146.84	134.94
	ग) ब्याज लागत	171.05	108.57
	घ) बीमांकिक (अभिलाभ/हानि)	(62.79)	467.26
	ड.) संदत्त फायदे	(154.75)	(139.45)
	च) वर्ष के अंत में बाध्यता	2,057.46	1,957.11
2.	योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	क) वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,950.22	1,808.60
	ख) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	174.15	166.50
	ग) बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	9.58	11.48
	घ) संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	91.27	105.25
	ड.) संदत्त फायदे	(121.77)	(141.61)
	च) वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,103.45	1,950.22
3.	योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान		
	क) बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य	2,057.46	1,957.11
	ख) योजना आस्तियों का उचित मूल्य	2,103.45	1,950.22
	ग) तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	45.99	(6.89)
4.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय		
	क) चालू सेवा लागत	146.84	134.94
	ख) ब्याज लागत	171.05	108.57
	ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	(174.15)	(166.50)
	घ) बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	(72.37)	455.78
	ड.) वर्ष के दौरान माने गए व्यय	71.37	532.79
5.	निवेशों के ब्यौरे	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क) अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	100.00	100.00
		100.00	100.00

उपदान योजना के ब्यौरे (जारी....)

	विवरण	2013-14	2012-13
6.	**पूर्वानुमान**		
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	9%	8%
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	9%	9%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	घ. संनिघर्षण दर	5%	5%
	ड. नश्वरता सूची	आईएएल 2006-08 अंतत:	आईएएल 2006-08 अंतत:

सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	विवरण	2013-14	2012-13
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान		
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	1,488.75	1,065.39
	ख. ब्याज लागत	133.89	86.65
	ग. बीमांकक (लाभ)/हानि	(214.74)	341.13
	घ. संदत्त फायदे	(2.08)	(4.42)
	ड. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	1,405.82	1,488.75
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**		
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1,405.82	1,488.75
	ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें	(1,405.82)	(1,488.75)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**		
	क. ब्याज लागत	133.89	86.65
	ख. बीमांकक (लाभ)/हानि	(214.74)	341.13
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	(80.85)	427.78
4.	**पूर्वानुमान**		
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	9%	8%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3%	मूल 3%
	ग. संनिघर्षण दर	5%	5%

घ. नश्वरता सूची	एलआईसी 1996-98 अंतत:	एलआईसी 1996-98 अंतत:

21.1 कर्मचारी फायदें (जारी....)
क्षतिपूरित अनुपस्थिति के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

		2013-14	2012-13
1.	बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान		
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	2,446.85	2,132.55
	ख. चालू सेवा लागत	217.60	133.93
	ग. ब्याज लागत	199.24	158.04
	घ. बीमांकक (लाभ)/हानि	(82.51)	101.66
	ड. संदत्त फायदे	(99.77)	(79.33)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	2,681.41	2,446.85
2.	योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान		
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	2,681.41	2,446.85
	ख. तुलन-पत्र आस्तियां/(दायित्व) में मानी गई रकमें	(2,681.41)	(2,446.85)
3.	वर्ष के दौरान माने गए व्यय		
	क. ब्याज लागत	199.24	158.04
	ख. बीमांकक (लाभ)/हानि	(82.51)	101.66
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	116.73	259.70
4.	पूर्वानुमान		
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	9%	8%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	5%	5%
	घ. नश्वरता सूची	आईएएल 2006.08 अंतत:	आईएएल 2006-08 अंतत:

21.2 खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति को अग्रसर करना" तक सीमित है और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है। अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस-17) खंड रिपोर्टिंग के अर्थातगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

21.3 पूर्वावधि मदे

पर्वावधि मदों के ब्यौरे	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपए में)	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (लाख रुपए में)
i) आय	93.33	26.66
ii) व्यय		
(क) परिवर्तन परियोजना	(96.88)	(229.68)
(ख) सेवाकर	25.59	-
(ग) अन्य	180.13	103.17
	108.84	(126.51)
	15.51	(153.17)

ह./-
सीए रवि प्रकाश मित्तल
उप सचिव

ह./-
श्री टी. कार्तिकेयन
सचिव

ह./-
सीए. मनोज फेडनिस
उपाध्यक्ष

ह./-
सीए. के. रघु
अध्यक्ष

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009571N/N500006

ह/
सीए प्रवीन कुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 088810

कृते बी.एम. छत्रथ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301011E

ह/
सीए पंकज दवे
भागीदार
सदस्यता सं. 053903

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 28 अगस्त, 2014

टी. कार्तिकेयन, सचिव

[विज्ञापन–III/4/असधा./104/14]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

No.1-CA(5)/65/2014 – In pursuance of sub-section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2014 is hereby published for general information.

65th ANNUAL REPORT

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India (hereinafter referred to as the "Council") has immense pleasure in presenting its 65th Annual Report for the year ended 31st March, 2014.

The Council, at the outset, commends the members and students for the position which the Chartered Accountancy profession has been occupying and the role it has played over the years for the growth and development of Indian economy.

While highlighting through this Report, the important activities of the Council and its various Committees for the year 2013-2014, besides the accounts of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for that year, the Council also takes this opportunity to cover in this Report major initiatives, important events, statistical profile relating to members, students, details of seminars, conferences, workshops and training programmes organised during the period upto July, 2014.

1. THE COUNCIL

The twenty-second Council was constituted on 12th February, 2013 for a period of three years. Currently, the Council is composed of 32 elected members and 8 persons nominated by the Central Government. The composition of the Council for the year 2014-15 has been shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted, on 12th February, 2013, Standing Committees and other Committees/Boards to deal with matters concerning the profession. During the year ended 31st March, 2014, 235 meetings were held of various Committees of the Council.

3. AUDITORS

M/s ASA & Associates LLP and M/s B.M. Chatrath & Co. were the joint auditors of the Institute for the financial year 2013-14. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEE

4.1 Executive Committee

Some of the important decisions taken by the Committee including those recommended to the Council during the period under report related to matters on:

- Introduction of Scheme for OCI Chartered Accountants and Certified Public Accountants.
- Approval for grant of General Amnesty Scheme for facilitating an opportunity for restoration of name from retrospective date to the members whose name stands removed as on date due to non-payment of membership fee.
- Setting up of Branches of Southern India Regional Council at Anantapur in Anantapur District, Andhra Pradesh, at Karimnagar (Andhra Pradesh), at Warangal (Andhra Pradesh), at Kurnool (Andhra Pradesh), at Ongole**,** branches of Eastern India Regional Council at Dibrugarh District at Dibrugarh**,** at Tinsukia District at Tinsukia, at Ranigunj, branches of Central India Regional Council at Bharatpur, Rajasthan.
- Setting up of branches of WICASA at Anand, Navsari, Dhule, branches of CICASA at Gorakhpur, Ratlam, Meerut, Chittorgah, Bikaner, Kishangarh, Jhansi, Sriganganagar and Sikar, branches of SICASA at Ongole, Karimnagar and Warangal.

Recommendations received from respective Committee which were then brought before the Council along with the recommendations of the Executive Committee:

- Grant of relaxation to students registered for articleship training on or before 30th April, 2012 to undergo GMCS-II Course instead of GMCS Course.
- Extension in time limit for completion of Information Technology Training (ITT) and Orientation Course (OP) by students registered under Direct Entry Scheme - Intermediate (Integrated Professional Competence) Course by 31st December, 2014.

- Approval for Code of Conduct for Chartered Accountancy Students.
- Approval for Revised Training Guide for Articled/Audit Assistants.
- Setting up of ICAI Chapters at Brisbane, at Vancouver, British Columbia, at Bangkok, at Kampala, Uganda.
- Approval for Terms of Reference of Committee on Public Finance & Government Accounting, Infrastructure Development Committee**,** Women Members Empowerment Committee, Young Members Empowerment Committee
- Revision in the Terms of Reference of the Direct Taxes Committee
- Approval of proposal for launching of Certification Course on Corporate Social Responsibility (CSR) for the benefit of members.

4.2 Finance Committee

The Finance Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 373 and 248 centres respectively from 2nd to 24th May, 2013. The total number of candidates, who appeared in the said Intermediate (IPC) and Final Examinations and passed were as follows:

	Both Groups		Group I		Group II	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	63871	7489	124310	24161	112465	16675
Final	27556	2764	45822	6319	50354	9389

Further, the Examination of Post Qualification Course on Insurance and Risk Management (IRM) was conducted in May, 2013 wherein 62 candidates appeared and 42 passed the said examination.

Besides, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on June 16th, 2013 and on December 15th, 2013 across the country and abroad at 376 and 390 examination centres respectively located in 147 and 154 cities respectively. The total number of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

	Appeared	Passed
CPT held on June 16, 2013	138746	37489
CPT held on December 15, 2013	113553	42706

The Chartered Accountants Intermediate (IPC) Examinations and the Final Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 390 and 253 centres respectively from 5th to 23rd November, 2013. The total number of candidates, who appeared in the said intermediate (IPC) and Final Examinations and passed were as follows:

	Both Groups		Group I		Group II	
	Appeared	Passed	Appeared	Passed	Appeared	Passed
Intermediate (IPC)	62033	5038	122253	23342	117834	21076
Final	32536	1013	51728	2932	54786	4026

The examinations on Post Qualification Course in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), Insurance and Risk Management (IRM) and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO), Part 1 were also conducted in November, 2013.

During the year, Post Qualification Course - Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on June 22nd, 2013 all over the country in 62 Examination centres and another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on November 30th, 2013 all over the country in 58 examination centres. The total number of candidates, who appeared in these examinations and passed were as follows:

	Appeared	Passed
ISA – AT held on June 22, 2013	2638	840
ISA – AT held on November 30, 2013	2336	271

The Institute has continuously been improving its examination processes right from the question paper setting up to declaration of results traversing the model answers so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for over six decades are maintained and further strengthened and developed.

The Institute's examinations test the theoretical understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession.

Focusing on analytical abilities of the students by avoiding predictability to the extent possible, the Institute's examinations continue to ensure that the qualified students are well groomed professionals.

International Initiatives: *Extending Helping Hand of ICAI Brand*

Special Examination**:** Mutual Recognition Agreement / Memorandum of Understanding entered between the following foreign professional accounting bodies and the ICAI.

1. The Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW)
2. The Institute of Chartered Accountants of Australia (ICA Australia)
3. The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia)
4. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
5. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA)

During the Year 2013 – 2014, the Special Examination for the members of the above bodies, desirous of membership of ICAI were successfully conducted on (i) January 22nd and 23rd, 2013, (ii) June 19th and 21st, 2013, and (iii) January 21st to 24th, 2014, in New Delhi.

Besides, ICAI has also entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA).

Support to International Accounting Institutes: The Examination Committee provided technical assistance and support for the conduct of ISA Assessment Test to the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and The Institute of Chartered Accountants of Nepal. Besides infrastructure, administrative and manpower assistance was also extended to the Institute of Certified Public Accountants in Ireland for conduct of their examination in India.

Initiatives for Profession: *Working for Building Blocks*

Appointment of Checkers: With effect from the examinations held in May 2012, checking of answer books after evaluation by the examiners is required to be carried by a member of the ICAI from out of the Panel drawn for the purpose. The checking involves, inter alia, whether answers to all questions / sub – questions have been evaluated, the marks awarded have been carried to the cover page, there is no totalling error etc. The feedback received from the examiners, consequent to the above revised procedure, was encouraging. The said procedure was followed for the examinations held in May, 2013 and November 2013.

IT Initiatives: *Taking Steps with the changing time*

Automation: Automation of examination processes covering, inter alia, coding, capture of absentee data, reconciliation and capturing of marks (after evaluation by examiners), continued for May 2013 and November 2013 examinations.

Question Bank: The Question Banks for the Common Proficiency Test and the Information Systems Audit – Assessment Test have been further strengthened.

Mini Central Valuation for a Paper of Intermediate (IPC) Examinations: Mini Central Valuation (MCV) was held from 1st to 3rd June, 2013 and 7th to 9th June 2013 at Noida for examiners of Intermediate (IPC), Paper – 6, Auditing and Assurance. A total of 239 examiners attended this Mini Central Valuation.

Development of Observers web Portal: A web portal http://observers.icaiexam.icai.org was developed and put in place for facilitating all activities relating to Observers, appointed in examination centres, including registration, hosting of details of assignments allotted, submission of acceptance letters/daily reports/claims for honorarium etc effective from May, 2014 examinations.

Development of Examination Centre web portal: A web portal http://centres.icaiexam.icai.org was developed and put in place for the May/June 2014 CA examinations for capture of absentee data online, on the day of the exam, on a daily basis.

Payments through NEFT: Payment to examiners, Examination centres, Observers and other Resource Persons, etc through NEFT, was introduced during the year and implemented successfully.

Initiatives for Students: *Strengthening the Fundamentals*

Keeping in view of that students are the future of the profession; for their welfare and convenience the following initiatives have been taken:

Reading Time: In line with the international best practices in the area of testing students, a 15-minute reading time given to candidates in the Chartered Accountants Examinations before the scheduled time of commencement of the examination with effect from May 2011 Examinations, continued for May 2013 and November 2013 examinations.

Online Examination Application Form: Submission of examination applications forms online and payment of exam fees online through payment gateway, at http://icaiexam.icai.org, introduced in 2009, continued during 2013. The candidates who opted to fill up the examination form online were exempted for payment of the cost of application forms. Nearly 97% of all examination forms submitted are online.

Online Correction Post-Submission: Even after submission of examination forms, students have another opportunity to correct the particulars online, i.e., at http://icaiexam.icai.org, including change of examination centre, group and medium etc. This link called correction window will enable them to communicate for making corrections in the examination forms.

Admit Cards: Downloading of Admit cards with scanned photographs and specimen signatures of the concerned students from the website has been facilitated with effect from November 2012 CA Examinations and CPT December 2012 and continued for November / December 2013 May / June 2014.

Verification Applications: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of requests for verification of marks, by candidates desirous of verification of their marks, post declaration of results, online, at http://icaiexam.icai.org has been facilitated and continued in May, 2013 and November 2013 as well. The outcome of their request also continues to be hosted on the same website.

Certified copy of Answer Books: Effective from the examinations held in November, 2011, submission of applications for inspection of answer books and/or supply of certified copy of answer books, online, at http://icaiexam.icai.org has been facilitated and continues in May and Nov. 2013 examinations also.

Further, suo-motu verification of marks, under Regulation 39(4) of the CA Regulations 1988, in respect of those who applied for certified copies of evaluated answer books, was introduced with effect from November 2013 examination.

With effect from November 2013 examination onwards, scanned copies of evaluated answer books of those examinees who sought them, are now made available, online, on website, which can be accessed through a secure user ID and password by the respective examinee.

New Examination Centres: With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence as possible, new examination Centres were opened as follows:

New examination centres for CA Intermediate and Final exams opened:

a) With effect from November 2013 examination onwards: Kannur, Warangal, Durgapur, Bharatpur, Kaithal, Sangrur, Srinagar, Sivakasi

b) With effect from May 2014 examination onwards: Gandhinagar, Fatehabad, Kurnool, Neemuch, Karimnagar, Jhunjhunu, Chittorgarh and Jhansi

New centres for CPT opened:

a) With effect from December 2013 CPT: Kannur, Warangal, Durgapur, Bharatpur, Kaithal, Sangrur and Srinagar

b) With effect from June 2014: Gandhinagar, Fatehabad, Kurnool, Neemuch, Karimnagar, Jhunjhunu, Chittorgarh, Jhansi and Navasari

Further, opening of new examination centres have been approved at Anantapur (Andhra Pradesh) Tirunelveli (Tamil Nadu), Ongole (Andhra Pradesh) and Dhule (Maharashtra) with effect from November, 2014 examinations.

With this, the total number of examination cities where CA examinations are held stand at 167 of which 4 are outside India.

Results: The result, immediately after declaration, can be accessed through the designated site. The same is also facilitated through SMS. Besides, downloading of CPT result card (with photo and signature) has also been facilitated.

Help to Differently-abled students: The institute will now provide services of a writer / scribe to its Differently-abled students in some cities, i.e. 15 cities to be precise, to begin with, effective with May, 2014 examinations. A city–wise panel of eligible writers/ scribes is already there on our website. Effective form November, 2014, the facility of providing computers will be extended to differently-abled students for writing their answer with suitable safeguards.

Further Liberalization of guidelines for grant of extra time and/or writer to differently-abled candidates such as panel of writers in specified cities for differently-abled candidates, payment of honorarium to writers of PH Candidates.

Introduction of a web site for checking the "Exemption" status: Candidates who fail in a Group in the examination but secure a minimum of 60 per cent marks in one or more papers, are granted "Exemption" in that paper or in those paper/s subject to certain criteria. The status of such exemption is indicated in their statement of marks issued to them. With a view to provide further clarity and to remove difficulties/doubts that the candidates may face, a website http://exemption.icaiexam.icai.org has been developed and put in place wherein the status of those who are eligible for exemption in the forthcoming examination, is also made available to them, online.

Feedback form: With a view to encourage feedback on the question papers from the candidates, a feedback form has been designed and hosted at www.icai.org through which candidates, can, give their opinion on the question papers of the CA examinations, to the exam dept., within a week from the date of the last exam. A dedicated email ID examfeedback@icai.in is also opened for the purpose.

4.4 Disciplinary Committee

Disciplinary Committee under Section (21D)

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the Institute. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year 1st April, 2013 to 31st March, 2014 this Committee held sittings on 15 occasions for a period spanning 17 days at venues covering the various regions of the country. During the year under review, the Committee concluded its enquiry in 69 cases, which included cases, referred to it in previous years.

Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Board of Discipline has been constituted by the Council of the Institute under Section 21A of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and/or cases wherein the members are held prima facie not guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the year under review, the Board met 17 times at Delhi/Mumbai. In the meetings held during the said year, the Board concluded its enquiry in 98 cases, including cases which had been referred to Board in previous years. The statistical break-up of the functioning of the Board of Discipline is given in a separate table elsewhere in this Report.

Disciplinary Committee New under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of the Institute under Section 21B of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of both and only Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949 as amended by Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. During the year under review, this Committee held 23 meetings spanning 25 days at venues covering the four metros of the Country viz. Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 125 cases, which included cases, referred to it in previous years. The statistical break-up of the functioning of the Disciplinary Committee is given in a separate table elsewhere in this Report.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2013 to 31st March, 2014:

S.No.	Particulars	No. of cases
1.	Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period (out	69

	of the total pending cases with the Committee for enquiry).	
2.	Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases, which were heard during the earlier years).	60
3.	Out of the above…	
	(a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949.	2
	(b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949.	10
	(c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct.	1
	(d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry.	--
	(e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct.	47
4.	Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule.	*9
5.	Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6).	12

*including one case wherein the decision of Council has been kept in abeyance by the High Court).

Cases dealt with under the New Disciplinary Mechanism

Period from 1st April, 2013 to 31st March, 2014

Board of Discipline (under Section 21A) – 17 meetings

(a)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	323/81
(b)	Out of the above, number of Complaint/Information cases referred by the Board of Discipline for further enquiry.	54/15
(c)	Number of cases (Complaint and Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	98
(d)	Number of cases in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years).	45

Disciplinary Committee (under Section 21B) - 23 meetings

(a)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.	117/36
(b)	Out of the above, number of Complaint/Information cases referred by the Disciplinary Committee for further enquiry.	119 (including 2 Complaint cases referred by BOD)/36
(c)	Number of cases (Complaint and Information cases) in which enquiry was completed by the Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).	125
(d)	Number of cases (Complaint and Information cases) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years)	18

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

The Accounting Standards Board (ASB) was constituted by the Institute of Chartered Accountants of India in 1977 with a view to formulate Accounting Standards to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system and to harmonise the diverse accounting policies and practices in India. The ASB, since its inception, has been constantly working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Standards in line with the International Accounting Standards (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB with a view to provide guidance on the uniform applications of the Accounting Standards in increasingly complex business environment, also issues various guidance material from time to time.

Legal recognition to the Accounting Standards formulated by the ICAI was granted in October 1998 with insertion of Section 211(3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. As per Section 211(3C) of the Act, Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS). As per the proviso to the section, till the notification of the Accounting Standards by the Government, the Accounting Standards issued by the ICAI are required to be followed by companies. In the year 2006, Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 prepared by the Institute of Chartered Accountants of India were notified by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 vide its notification dated December 7, 2006 in the Gazette of India. These were made effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7, 2006).

In the year 2013, the Government of India, considering the need of the economy to have an updated and modern set of regulation for the Indian corporates, has finalised and issued the long discussed and awaited Companies Act, 2013, which superseded its predecessor statute Companies Act, 1956, which was there from more than last five decades. The Companies Act, 2013, became applicable in its entirety w.e.f. April 01, 2014. Section 133 to the Companies Act, 2013 prescribes that the Central Government may prescribe the standards of accounting as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority (NFRA). The said section itself shows the faith and belief of Indian Government in the work done by the Institute for formulating a high class accounting standards for the Indian financial reporting system.

As the number of business dealings across the border in different ways such as lending, borrowings, sales, purchases, etc., has increased tremendously in the recent times as a result of globalisation and liberalisation, for an economy to achieve sustainable growth, need of a strong and transparent financial reporting framework is required. As a result of operating in multiple jurisdictions, the business structure has become complex from the point of view of allocation and optimum utilisation of economic resources amongst the various business units. As the sources of funding an organisation are not restricted to a particular jurisdiction, financial information conveyed by the financial statements of an entity to its various stakeholders, apart from presenting a true and fair view, is also required to be comparable across the globe. Globally comparable financial information helps in assessment and evaluation of proper allocation and optimum utilisation of economic resources achieved by the entity's management. Such information also helps the present and

potential investors, creditors and other users in arriving at rational decisions for their investments and interests in entity. Further, the way Indian Government in the recent past has liberalized its Foreign Direct Investment (FDI) policy by enhancing the FDI limits in various key sectors of Indian economic growth such as retail, defense, etc., to attract foreign funds in India, the need for providing the investors from cross the border a platform to analyze and evaluate financial performance of the Indian corporates is necessary. The investor from cross borders should be provided globally comparable financial information about the venture they are going to invest in. Therefore, to maintain and achieve comparability in financial reporting, a need for a single set of globally accepted and high-quality Accounting Standards is the need of the hour. The International Financial Reporting Standards being issued by the IASB are increasingly being recognised as the global financial reporting standards. Many countries have either adopted or have permitted adoption of IFRS for preparing financial statements of various entities. Though the Accounting Standards issued by ICAI are primarily based on IAS/IFRS, in certain cases, the Accounting Standards have departed from IASs/IFRSs in view of legal and regulatory requirements apart from the economic conditions prevailing in the country.

Convergence with International Financial Reporting Standards has gained worldwide momentum in recent years. Financial Accounting Standards Board (FASB) of USA and IASB have also worked towards convergence of US GAAP and IFRS. The Securities and Exchange Commission (SEC) of USA has decided to permit filing of IFRS-compliant financial statements without requiring presentation of a reconciliation statement between the US GAAP and IFRS. In this scenario, with India being an important emerging global economy, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) decided in 2007 to converge with IFRS from 1st April 2011 for certain class of companies. The Ministry of Corporate Affairs also agreed to do so. Convergence, among other things, would help Indian entities raise capital from abroad at a low cost. It will also benefit chartered accountants in opening of increased opportunities abroad for the Indian professionals.

The ICAI accomplished the task of formulation of IFRS-converged Indian Accounting Standards. The Ministry of Corporate Affairs hosted thirty five Indian Accounting Standards on its website in February 2011. However, due to tax implications and other unavoidable reasons, these Indian Accounting Standards are yet to be notified by the Government.

While formulating these Indian Accounting Standards, as a policy, efforts have been made not to make any changes in IAS/IFRS except where changes were considered extremely necessary keeping in view the Indian conditions and circumstances in the national interest. Accordingly, there are a few departures from IAS/IFRS. Indian concerns in this regard are being raised before the IASB so that these are properly addressed at international level also. It is believed that over a period of time these departures will be phased out.

The Institute has also taken a policy decision of formulating/revising the Indian Accounting Standards (Ind ASs) corresponding to the International Financial Reporting Standards (IFRSs) revised/ amended by the International Accounting Standards Board (IASB) subsequent to the finalisation of 35 Ind ASs hosted on the MCA's website. The prime motive of the ICAI for such a decision is that as and when the Ind ASs are notified by the Government, they should be notified in their final form at par with IFRSs. Last year, working in this direction, Accounting Standards Board revised certain Ind ASs such as Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements,* Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment,* Ind AS 24 *Related Party Disclosures,* Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation,* Ind AS 34 *Interim Financial Reporting,* Ind AS 38 *Intangible Assets,* Ind AS 110*, Consolidated Financial statements,* Ind AS 111, *Joint Arrangements,* Ind AS 112*, Disclosure of Interest in Other Entities.* corresponding to IFRS /IAS issued /revised by the IASB.

In 2013, as suggested by the Accounting Standards Board, the ICAI recommended to the MCA, the revised Roadmap for the applicability of Indian Accounting Standards. As per the revised Roadmap, the ICAI recommended to the Government, that the Ind AS should be applicable for the Consolidated Financial Statements (CFS) only. Therefore, for the purpose of Standalone Financial Statements of all the entities, existing accounting standards will continue to apply. Accordingly, the Board decided and started the work of revision of existing Accounting Standards on the line of Indian Accounting Standards.

During the year, Accounting Standards Board issued Exposure Drafts of revised existing Accounting Standards to AS 1 *Presentation of Financial Statements*, AS 5 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* and Limited Revisions to AS 20, *Earnings per Share*. Further, the revision of Accounting Standard (AS) 10, *Accounting for Fixed Assets,* is expected to be completed shortly.

The Accounting Standards Board with a view to mark Indian presence internationally and raise various issues faced by the Indian economy, being a developing economy, is also participating and contributing in various research activities undertaken by the International Accounting Standards Board and other bodies such as Asian Oceanian Standards Setters Group (AOSSG), International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) and Emerging Economies Group (EEG). ICAI along with Malaysia is leading the Asia-Oceania Standard Setters (AOSSG) Working Group on the project regarding the revision of IAS 41, *Agriculture*. The Working Group includes other countries such as China, Japan, Australia, Hong Kong and Indonesia. During the year, the IASB has issued amendments to the IAS 41 *Agriculture: Bearer Plants (amendments to IAS 16 and IAS 41)* on the lines of the recommendations made by the Indian lead AOSSG Working Group. Accordingly, the process of finalising Indian Accounting Standard (Ind AS) 41, *Agriculture,*

corresponding to IAS 41, *Agriculture* (revised) has been initiated.

A brief overview of various activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

5.1.1 Formulation/Revision of Indian Accounting Standards (Ind ASs)

During the year, Accounting Standards Board has finalised the following amendments to Indian Accounting Standards (Ind ASs) corresponding to the amendments to IASs/IFRSs:-

- Draft of *Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting* (Amendments to Ind AS 39)
- Draft of Amendments to Indian Accounting Standards corresponding to *Improvement Cycle 2009-12* issued by the IASB.
- Draft of *Appendix B-1, Levies,* to Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.*
- Draft of *Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets (*Amendments to Ind AS 36).
- Exposure Draft on *Investment Entities* (Amendments to Ind AS 110, Ind AS 112 and Ind AS 27).
- Exposure Draft of *Defined Benefit Plans: Employee Contributions* (Amendments to Ind AS 19).

5.1.2 Revision of Existing Accounting Standards

The Exposure Drafts of the following Accounting Standards have been issued by the Board

- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 1 (Revised) *Presentation of Financial Statements*
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 5 (Revised) *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- Exposure Draft of Limited Revisions to Accounting Standard (AS) 20, *Earnings per Share*

5.1.3 Contribution to the Activities of the International Accounting Standards Board (IASB) and Participation in Other International Developments

The Board interacts with the IASB at various levels, such as:

- Active participation in the meetings of the World Standard-Setters with IASB and Regional Standard-Setters with the IASB. ICAI representatives participated in the World Standard Setters Meeting held on October 25-26, 2012 at London. At the meeting technical issues such as IFRSs for SMEs and Conceptual Framework were discussed.
- The Board circulates and hosts on the website, various Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the IASB for comments by various stakeholders.
- To play a more influential role pending convergence with the IFRS, the Board constitutes from time to time, Study Groups to formulate comments primarily relating to India-specific concerns, which are reviewed by the ASB, prior to its submission to the IASB.
- The ICAI representatives participated in the meeting of Emerging Economies Group (EEG) of the IASB held on May 30- 31, 2013 at Seoul, South Korea. At the meeting, a topic on the Rate Regulated Activities was included on the Agenda on the request made by the ICAI. At the meeting, a full day presentation highlighting the various issues involved in accounting for rate regulated activities was presented by ICAI. A detailed paper on Rate Regulated Activities which was prepared by India was circulated alongwith the Agenda papers for the meeting.
- The ICAI representatives participated in a meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) held on September 19-20, 2013 at Brussels. At the meeting, a paper on the subject '*Presentation of exceptional items in the statement of profit or loss: creating misleading earnings matrics*' was presented by ICAI.
- The Accounting Standards Board during the year organised an outreach meeting on the proposed new IFRS on *Leases* in the presence of Mr. Prabhakar Kalavacherla, Member, International Accounting Standards Board on 8th May, 2013 at Mumbai.
- The ICAI hosted the meeting of International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) on March 06-07, 2014 at New Delhi. IFASS is an informal network of national accounting standard-setters from around the world that has a close involvement in financial reporting issues. The meeting was attended by the representatives of standard setters from 39 countries including India and the International Accounting Standards Board (IASB), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Asian-Oceanian Standards-Setters Group (AOSSG), International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) and the Pan African Federation of Accountants (PAFA). Apart from these representatives, a number of observers also attended the meeting. At the meeting, a presentation and paper on the subject 'Separation of Embedded Derivatives under International Competitive Bidding' was made by the ICAI. At the meeting, discussion on various other projects such as IASB Conceptual Framework Issues, Role of Business Model in Financial Reporting, Financial Instruments etc., took

place.

- The ICAI hosted the 8th Regional Policy Forum (RPF) on March 08-09, 2014 at New Delhi with the theme "Financial Reporting: New Frontiers". The RPF – a key platform in the Asian Oceanic region for standards setters, policy makers, regulators and government bodies – deliberates on broader topics in relation to the diverse roles of financial reporting and how financial reporting could influence policy formulation and execution. At the forum, representatives from various regulators and ministries in India were invited and participated. Around 120 delegates from 21 jurisdictions, in addition to those from India, participated in the Forum. At the Forum, papers were presented by various experts on the challenges faced in the implementation of IFRSs in their region. At the forum, the ICAI representative made a presentation on challenges in adopting IFRS in India. He discussed various concerns of the regulators and the reasons of carve-outs in the IFRSs.
- The ICAI hosted the Interim Meeting of Asian Oceanian Standard Setters Group. An interim meeting of the AOSSG members was held on 7 March 2014 in New Delhi. The main agenda of the meeting was to finalise the future strategy to strengthen AOSSG and its members. Clement Chan, Chairman, AOSSG discussed various aspects of the strategy paper placed at the meeting. However, in view of the paucity of time, the same was deferred for next meeting. The meeting concluded with thanksgiving to all member of AOSSG for their AOSSG) on March 07, 2014 at New Delhi which was attended by the delegates from 13 jurisdictions. The AOSSG – a grouping of accounting standard setters in the Asian-Oceanian region – discusses and shares experiences on the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) and contributes to development of a high quality set of global accounting standards. The main agenda of the meeting was to finalise the future strategy to strengthen AOSSG and its members. At the meeting, Clement Chan, Chairman, AOSSG, discussed various aspects of the strategy paper placed at the meeting.
- The ICAI representatives attended 7th meeting of Emerging Economic Group (EEG) of International Accounting Standards Board (IASB) held in Moscow, Russia. Delegates from various emerging economies shared their experience from the perspective of emerging economies. At the meeting, discussion of various technical topics such as equity method of accounting, conceptual framework takes place. The ICAI along with South Africa has offered to present a paper on Extractive Industries at the next EEG meeting to be held in Indonesia in December, 2014. The ICAI also proposes to present a short paper on the Foreign Currency Convertible Bonds to highlight the Indian concerns relating to the accounting treatment given under IAS 32.
- At the International IFRS Seminar at Moscow, the ICAI representative made a presentation on '*Accounting and Financial Reporting System in India*'.
- The ICAI representatives also participated at the IFRS Conference held on 23rd-24th, June 2014 in London, United Kingdom. At the Conference, discussion on various topics such as Conceptual Framework, Leases, Equity Method, Financial Instruments, etc., were discussed in details.

5.1.4 Comments on the following IASB Exposure Drafts/Discussion Papers were sent to the IASB:

(i) Request for Information (RFI): *Rate Regulation*
(ii) Exposure Draft on "*Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting*" (Proposed Amendments to IAS 39 and IFRS 9)
(iii) Exposure Draft on *Regulatory Deferral Accounts*
(iv) Exposure Draft of *Financial Instruments: Expected Credit losses*
(v) Exposure Draft of *Leases*
(vi) Exposure Draft on *Insurance Contracts*
(vii) Exposure Draft on *Agriculture: Bearer Plants, Proposed amendments to IAS 16 and IAS 41*
(viii) Discussion Paper: *A Review of Conceptual Framework for Financial Reporting*
(ix) Exposure Draft: *Equity Method in Separate Financial Statements*
(x) *Exposure Draft: Disclosure Initiative (Proposed amendments to IAS 1)*

5.1.5 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI, through ASB, interacts with various regulatory bodies from time to time and expresses its views on various accounting matters.

On the request of Core Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for Implementation of IFRS converged Ind AS, the Accounting Standards Board, conducted an Impact Analysis of Ind AS on the various sectors of the Indian economy and whether a single set of accounting standards can be made applicable for all types of companies as defined in the Companies Act, 2013. For the purpose of impact analysis, the Accounting Standards Board held three workshops at New Delhi, Mumbai and Chennai respectively in October 2013 at which various Industry representatives participated. Report finalised on the basis of the observations made at the workshop and the views of the ICAI on the single vs. two sets of accounting Standards was submitted to the MCA.

The ICAI on the request of MCA has also recommended to the Government revised Roadmap for the applicability of Indian Accounting Standards (Ind ASs). The ICAI has suggested that the Indian Accounting Standards should be made

applicable for the entities having net worth of Rs. 500 crore or more for the financial year commencing on or after April 01, 2016.

On the request of the Reserve Bank of India (RBI), the ICAI assisted RBI in formulating accounting guidelines for Asset Reconstruction Companies (ARCs). The Guidelines as formulated by the Board and recommended to the RBI have been issued by the RBI during the year.

The Accounting Standards Board is also holding meetings with the officials of the various regulators such as RBI, SEBI, C&AG to discuss the revised roadmap for the applicability of Ind AS.

In addition to the above, regular meetings are held with MCA on various accounting issues.

5.1.6 Other Projects

1. Indian Accounting Standards under formulation

- Indian Accounting Standard corresponding to IAS 41 *Agriculture*
- Indian Accounting Standard for *Extractive Industries*
- Indian Accounting Standard corresponding to IFRS 9*: Financial Instruments*
- Indian Accounting Standard corresponding to IFRS 14: *Regulatory Deferral Accounts*
- Indian Accounting Standard corresponding to IFRS 15: *Revenue from Contracts with Costumers.*

2. Other Documents under consideration.

- Guidance Note on Accounting for *Service Concession Arrangements by the Concessionaires*
- *Revision of existing Accounting Standard (AS) 10:* Accounting for Fixed Assets
- Updation of Indian Accounting Standards
- Consolidated Announcement comprising all the Announcements on Accounting issued by the Council of ICAI.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

The ICAI formed the Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in the year 2005 to formulate the Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs).

The primary responsibility of CASLB is to conceive and suggest areas in which ASLBs need to be developed, formulate ASLBs, integrate the ASLBs to the extent possible, with the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC), provide implementation guidance on ASLBs, review and revise the ASLBs, assist Local Bodies in adoption of accrual system of accounting.

The ASLBs formulated by the CASLB are sent to the Technical Committees on Budget and Accounting Standards for Local Bodies for ULBs and PRIs constituted by the Ministry of Urban Development and Ministry of Panchayati Raj respectively, for recommending the same for implementation by the State Governments concerned.

Apart from ASLBs formulation, CASLB is also involved in creating awareness amongst the Local Bodies and various Stakeholders such as end users and citizens about the benefits of accounting reform process in Government and Local Bodies.

Since its inception, the Committee has issued the following Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs):

- ASLB 1, *'Presentation of Financial Statements'*
- ASLB 5, *'Borrowing Costs'*
- ASLB 9, *'Revenue from Exchange Transactions'*
- ASLB 11, *'Construction Contracts'*
- ASLB 12*, `Inventories'*
- ASLB 14, *'Events After the Reporting Date'*
- ASLB 17, '*Property, Plant &* Equipment'

Other publications of the Committee:

- *Preface to the Accounting Standards for Local Bodies'*
- Booklet on '*Accrual Accounting for Local Bodies: Elected Representatives and Stakeholders'* - English and Hindi versions
- Status Paper on *'Accounting Reforms in Local Bodies in India and Role of Chartered Accountants'*.

Apart from above, the Committee has undertaken preparation of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) corresponding to the balance International Public Sector Accounting Standards and the same are in progress.

5.3 Audit Committee

The Constitution of Audit Committee of the Institute is governed by the Council. The Council, in the year 2001, had constituted the Audit Committee as a non-standing Committee. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. The annual accounts of the Institute are adopted by the Council on the recommendation of Audit Committee. The Institute has five Regional Audit Committees at each of the regional council. The Audit Committee ensures the independence and integrity while appointing auditors at various regions of the Institute. The Committee reviews the Internal and Statutory Audit Reports of all the regions/ various units and holds regular interaction with the auditors as well as with the auditee departments to ensure adequacy of internal control within the Institute.

5.4 Auditing and Assurance Standards Board

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to the growing complexity of the business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the various stakeholders.

The Institute recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively. The Institute through its Auditing and Assurance Standards Board (AASB) develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. These Standards not only codify the best practices in audit, they also provide the benchmark against which the performance of the auditors can be measured. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing, with the prime objective of providing guidance to the auditors in respect of industry specific audit issues. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council of the Institute. The auditing standards issued by the Institute are harmonized with the International Standards issued by the IAASB. The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide guidance to the members in implementation of Standards on Auditing (SAs), the Board also brings out Implementation Guides to those Standards. The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board till date:

Engagement and Quality Control Standards

Quality Control Standards

- Standard on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements"

Engagement Standards

- 37 Standards on Auditing
- 2 Standards on Review Engagements
- 2 Standards on Assurance Engagements
- 2 Standards on Related Services

Statements on Auditing

- 2 Statements on Auditing

Guidance Notes on Auditing

- 27 Guidance Notes on Auditing

Publications

Industry Specific Guidance Notes

- Audit of Banks
- Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges

- ♦ Audit of Companies Carrying on General Insurance Business
- ♦ Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business

Implementation Guides

- ♦ Implementation Guide on Reporting Standards (SA 700, SA 705 and SA 706)
- ♦ Implementation Guide to SQC 1
- ♦ Implementation Guide to Risk-based Audit of Financial Statements
- ♦ Implementation Guide to SA 530, Audit Sampling
- ♦ Implementation Guide to Materiality in Planning and Performing an Audit
- ♦ Implementation Guide to SA 230, Audit Documentation
- ♦ Implementation Guide to SA 501, Audit Evidence - Specific Considerations for Selected Items
- ♦ Implementation Guide to SA 570, Going Concern
- ♦ Implementation Guide to SA 720, The Auditor's Responsibility in Relation to Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements
- ♦ Compendium of Implementation Guides (As on July 1, 2013)

Technical Guides /Guides

- ♦ Technical Guide on Audit of Non-Banking Financial Companies
- ♦ Technical Guide on Audit in Hotel Industry
- ♦ Technical Guide on Audit in Automobile Industry
- ♦ Technical Guide on Audit in Telecom Industry – Revenue, Fixed Assets and Related Operating Costs
- ♦ Technical Guide on E-Commerce - Considerations for Audit of Financial Statements
- ♦ Technical Guide to Audit in a Shared Service Centre Structure
- ♦ Compendium of Industry-specific Audit Guides (As on September 1, 2013)
- ♦ Practitioner's Guide to Audit of Small Entities
- ♦ Guide to Audit of Complex Financial Instruments
- ♦ Guide to Reporting on Proforma Financial Statements (Pursuant to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009)

Studies

- ♦ A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective
- ♦ A Study on Basel II and Risk-based Supervision

Other Publications

- ♦ Handbook of Auditing Pronouncements 2013 Edition
- ♦ Background Material for Audit Training Workshops and Seminars
- ♦ What is an Audit – Understanding an Audit of Financial Statements
- ♦ Convergence with the International Standards of IAASB: Position Paper and Work Plan

5.4.1 The Year 2013-14

- During the year, seven meetings of the Board were held.
- During the year, the Board brought out a number of important publications, e.g., Handbook of Auditing Pronouncements 2013 Edition, Compendium of Implementation Guides, Compendium of Industry-specific Audit Guides, Guidance Note on Audit of Banks 2014 Edition.
- During the year, the Board organised a number of seminars, conferences, workshops etc. on auditing standards and auditing aspects at various places across the country. Programmes were held at Guwahati, Siliguri,

Vishakhapatnam, Hyderabad, Allahabad, Lucknow, Pune, Delhi, Raipur, Ernakulam, Alwar.

- During the year, the Board jointly organised with the Professional Development Committee of ICAI various seminars on Bank Branch Audit across the country.
- During the year, the Board issued following announcements/clarifications for the guidance of members:
 - Applicability of the Provisions of Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013 and the Related Rules.
 - Applicability of the Provisions of Section 143(12) of the Companies Act 2013 and the Related Rules to Periods beginning on or before 31st March 2014.
 - Applicability of Section 143(12) to Financial Years beginning on or after 1st April 2014.
 - Manner of Reporting by the Auditors in Respect of RBI's Circular on Deferred Tax Liability on Special Reserve created under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961
 - Applicability of the Companies Act, 2013 to Auditor's Report to FY 2014-15 and Onwards.
 - Applicability of the Revised Audit Report Formats (including for bank/ bank branch audit reports) and Reporting in respect of Memorandum of Changes in Bank Branch Audit Reports.
 - Applicability of SA 700, "Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements" to Formats of Auditor's Report prescribed under various Laws and/or Regulations.
 - Manner of Disclosure in the Auditor's Report of the Fact of Inclusion of Unaudited Financial Statements/ Information of Component/s in the Financial Statements Audited by the Principal Auditor(s).
 - Manner of Reporting on Section 227(3)(bb) of the Companies Act, 1956.
 - Reference to the Accounting Standards Applicable to the Companies in the Auditor's Report and Limited Review Reports and various Engagement Standards.
 - Amendment to the "Auditor's Responsibility" Paragraph Included in the Independent Auditor's Report.
 - Use of the Term "Profit and Loss Account" or "Statement of Profit and Loss" in the Statutory Audit Reports of Companies.
 - Manner of Reporting in Respect of Such Clauses of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 Which Are Not Applicable to the Auditee Company.
- During the year, the Board issued the Exposure Drafts of following Standards for public comments:
 - Revised Standard on Auditing (SA) 610, 'Using the Work of Internal Auditors'.
 - Standard on Assurance Engagements (SAE) 3420, 'Assurance Engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a Prospectus'.
 - Revised Standard on Related Services (SRS) 4410, 'Compilation Engagements'.
 - Revised Standard on Review Engagements (SRE) 2400, 'Engagements to Review Historical Financial Statements'.
- During the year, Chairman, AASB represented the Institute at the annual IAASB-NSS meetings held at New York in May 2013 and May 2014.
- The Board submitted to the RBI, the drafts of the Revised LFAR for Bank Branches and the Revised LFAR for Statutory Central Auditors.
- The Board submitted to the RBI, the draft Format of the Auditor's Report of Urban Cooperative Banks.
- The Board submitted to the SEBI, the Draft Formats of the Auditor's Report under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as technical inputs from AASB.
- The Board submitted to the SEBI, the Draft Format of the Auditor's Certificate pursuant to Clause 24(f) of the Listing Agreement as technical inputs from AASB.
- The Board submitted to the SEBI, the Draft Format of the Auditor's Report on financial information to be included in the Proposed Annual Information Memorandum (AIM) as technical inputs from AASB.
- The Board submitted to the Ministry of Corporate Affairs, a list of various issues requiring clarification regarding the Statutory Auditor's Reporting on Internal Financial Controls pursuant to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013.
- The Board submitted to the Ministry of Corporate Affairs, a list of various issues requiring clarification

regarding the Statutory Auditor's Reporting on Frauds pursuant to Section 143(12) of the Companies Act 2013.

5.4.2 Projects under Progress

In addition to these, the Board also undertook several other projects during the year.

5.4.3 Other Initiatives and Development

Interaction with Regulatory Bodies

The Board regularly interacts with the various regulators and Government institutions/ ministries such as, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., to discuss critical issues relating to auditing standards, formats of audit reports/certificates, other auditing aspects.

Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments

The Institute is actively involved in the developments taking place at international level. The Institute being the founder member of the International Federation of Accountants (IFAC), the Board, through its Chairman remained in touch with the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of the IFAC and provided its inputs to the IAASB from time to time. Chairman, AASB represented the Institute at the annual IAASB-NSS meetings held at New York in May 2013 and May 2014. At the May 2013 meeting, Chairman, AASB, as a part of the Agenda of the said meeting, presented a Discussion Paper on *Assurance on Corporate Governance Practices in An Entity* and also made a presentation thereon. The ICAI representative also contributed his views on all the other items of the Agenda, including proposed changes to the auditors' report, audit of disclosures, etc. At the May 2014 meeting, Chairman, AASB made a presentation on "Audit of Banks" in the context of Agenda Item on "Audit of Financial Institutions" of the Agenda of the said meeting. The ICAI representative also contributed his views on all the other items of the Agenda.

Creating Awareness and Capacity Building

Creating awareness on auditing standards among the members was one of the main agenda for the Board during the year 2013-14. In this process, to facilitate one to one interaction with the members on issues faced by them in auditing and also to impart knowledge on auditing standards issued by the Institute, the Board organised a number of seminars, conferences, workshops etc. on auditing standards and auditing aspects at Guwahati, Siliguri, Vishakhapatnam, Hyderabad, Allahabad, Lucknow, Pune, Delhi, Raipur, Ernakulam, Alwar.

Future Strategy and Work Program

The Board will focus on creating awareness about the new/revised Standards on Auditing (SAs) issued under the Clarity Project. For this purpose, the Board will adopt two prong strategies. It will organise seminars/ conferences/ training programs/ workshops on auditing standards and other auditing aspects and will continue to issue implementation guides to new/revised SAs so as to help the members to better understand and implement the Standards. The Board will also develop other technical literature on auditing like Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Other Guides to guide the members on the auditing issues, generally as well as in specific industry sectors.

5.5 Committee on Banking, Insurance & Pension

Activities of the Committee

- Letters have been sent to the CMD's of all insurance companies for utilizing services of DIRM Qualified Members of ICAI for managing various portfolios of insurance companies.
- CA. Vijay Garg, Chairman, Committee on Banking, Insurance and Pension met Mr. Anup Wadhawan, Joint Secretary, Department of Financial Services (BO-II), Ministry of Finance on 28th March 2014 to discuss various issues related to banking, insurance and pension sectors and matters of mutual interest for the Ministry and the Institute.
- On consideration of the representation of the Committee, Insurance Institute of India (III) has relaxed the condition of passing each paper of CA Final/ DIRM Course with minimum 50% marks to enable the members of ICAI to avail the exemption in a few papers of Licentiate, Associate and Fellowship Courses of Insurance Institute of India. Consequent to the relaxation, now the members of ICAI are eligible to accumulate 100 Credit Points and members with DIRM Qualification are eligible for 180 Credit Points for prior learning.
- A letter has been sent to the Institute & Faculty of Actuaries, U.K. seeking exemption for members of ICAI who are pursuing its Actuarial Course in the subjects CT-2 (Finance & Financial Reporting) and ST0.
- Total number of registrations for the Post Qualification Course i.e. Diploma in Insurance and Risk Management (DIRM) has reached to 4541 as on 7th July 2014. Region-wise enrolment status is as under:-

Region					Total
Central	Eastern	Northern	Southern	Western	
964	531	686	1334	1026	4541

- The Committee has reduced the minimum time required between the date of registration and the date of Technical Examination from nine months to seven months to facilitate the members of ICAI to qualify the DIRM Course in short span of time.
- Suggested Answers for the DIRM Technical Examination held in November 2013 have been prepared and hosted on the website of the Institute for the benefit of members pursuing the DIRM Course.

5.6 Committee for Capacity Building of CA Firms & Small and Medium Practitioners

Overview of Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners

The Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners is a non-standing Committee of the Institute formed under regulatory provisions of The Chartered Accountants Act, 1949. This Committee was formed in the month of February, 2010 by the President, ICAI under nomenclature 'Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners' (CCBCAF & SMP) by combining previously formed Committees, Committee for Capacity Building of CA Firms and Committee on Small & Medium Practitioners. The Committee aims at strengthening CA firms as well as Small & Medium Practitioners to rejuvenate their practice portfolio. Primarily, the Committee conceptualizes and implements various means for strengthening their capacity and postulates guidelines for consolidation of CA firms.

5.7 Continuing Professional Education Committee

The ICAI has all along endeavored to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe, in this ever changing economic environment, through the process of continuous skill honing, in the form of continuous learning either by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Teleconferences, Awareness programmes and Webinars, Seminars and Conferences etc.

To keep pace with the global requirements, CPE requirements have now been made mandatory for all the members of the ICAI, whether he/she be in practice or service and such system is measured, monitored and managed scientifically.

5.7.1 Activities in brief

Revision in CPE Documents/Guidelines:-

- The CPE Committee has finalized the new Advisory on Study Tours abroad by the Central Committee/ Regional Council/ Branches. The same has been approved by the Council in its meeting held in May, 2013.
- The Committee has finalized the revision in norms for formation and functioning of the CPE Study Chapters. The same has been approved by the Council in its meeting held in June, 2013.

CPE Calendar:

The Committee has finalised the CPE Calendar for the year 2014-15 which contains more than 500 topics on various areas of professional interest. The same has been hosted on the Website of ICAI for information of all.

E-Newsletter:

Five editions of the quarterly e-newsletter (CPE Bulletin) have been brought out since April, 2013 onwards and the same have been hosted on the website of ICAI.

Penal Provisions:
As per the decision taken by the Council with regard to the applicability of Penal Provisions for non-compliance of CPE Hours requirement by the members for the block period of 1-1-2011 to 31-12-2013:

- An announcement was hosted on the Institute's Website and on the CPE Portal.
- An announcement was also sent to the Chairmen of all the Regional Councils and Branches of ICAI for publishing the in the November and December, 2013 issues of the Newsletter of their respective Regional Council/ Branch. And also for publishing in the November and December, 2013 issues of the Institute's Journal "The Chartered Accountant".
- The Mass mails were sent to all the members across the country. And the Mass e-mails was also been sent to all the Regional Councils & DCOs of ICAI, Branches and POUs, Study Circles and Chapters of ICAI.

- A hard copy of the letter was also sent to all the members across the country through post along with their CPE Hours status as on date.

Monitoring of Continuing Professional Education Programmes:
The Committee has reconstituted the CPE Regional Monitoring Committees for the year 2014-15 in all the 5 regions.

5.8 Corporate Laws and Corporate Governance Committee

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee has the vision to become an instrument towards empowerment of the profession as well as to accelerate & facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee examines Corporate Laws/ Rules/ Regulations/ Notifications/ Schemes issued vis-à-vis best practices and makes appropriate representations/suggestions to the concerned Ministries of Government and participates in the law making process.

The Committee is conducting Certificate Course on Valuation at various centres in the country spreading to Tier I, II and III cities and the registration for the course received overwhelming response. Outside the country the course is launched in Dubai and Bahrain.

The Committee organizes programmes/ seminars/ workshops/ covering a wide range of contemporary topics in Corporate Laws and Corporate Governance and brings out publications for the benefit of the members. Programmes have been drawn up for organizing at different places on the Companies Act 2013 and on Independent Directors and on matters of interest to the members.

Significant AchievementsThe Companies Act 2013

- Expert Groups were constituted under the convenorship of Central Council Members in their respective region to formulate Suggestions on Draft Rules under The Companies Act 2013.
- Invited suggestions from the members on draft Rules under the Companies Act, 2013.
- Consolidated the suggestions on Draft Rules (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th Phase) under the Companies Act, 2013 as received from members across the country.
- Submitted ICAI suggestions on Draft Rules (1st, 2nd, 3rd, 5th & 6th Phase) under the Companies Act 2013 to MCA.
- Uploaded documents, Circulars and Notifications related to Companies Act, 2013 on ICAI website for easy reference of members.

Webcast on the Companies Act 2013 and Rules thereon

- The Committee is organizing series of Webcasts on the individual topics in The Companies Act, 2013 and Rules thereon from 4.00 PM to 6.00 PM every Wednesday.
- The 1st Webcast was organized on 16th April, 2014 on the topic "The Companies Act 2013 and Rules thereon" which was taken by CA. S. Santhanakrishnan, Chairman, CL&CGC. The members and corporates were also addressed by CA. K. Raghu, President, ICAI and CA. Manoj Fadnis, Vice President, ICAI
- The 2nd Webcast was organized on 23rd April, 2014 on the topic "Impact of The Companies Act 2013 on Private Companies" which was taken by CA. Nilesh Vikamsey, Vice Chairman, CL&CGC.
- The 3rd Webcast was organized on 30th April, 2014 on the topic "Provisions of Accounts and Audit in The Companies Act 2013" which was taken by CA. S. Ramakrishnan
- The 4th Webcast was organized on 7th May, 2014 on the topic "Role and Responsibilities of Directors, Independent Directors and KMPs in The Companies Act 2013" which was taken by CA. Ashish Makhija.
- The 5th Webcast was organized on 4th June, 2014 on the topic "Opportunities for Professionals under the Companies Act 2013" which was taken by CA. S. Santhanakrishnan.
- The 6th Webcast was organized on 11th June, 2014 on the topic "Provisions of Corporate Social Responsibility under the Companies Act 2013" which was taken by CA. S. Rajeshwari.

E-book on the Companies Act 2013 and Rules thereon

Launched an E- Book on The Companies Act 2013 and Rules thereon for the benefit and convenience of the members.

Programme on the Companies Act 2013 jointly with The Regional Councils and Branches

The Committee decided that since the Companies Act 2013 and Rules thereon have been notified for most of the chapters by the Ministry of Corporate Affairs and there is a need that members should be aware of the provisions of the new Act,

programmes on the Companies Act 2013 will be conducted by the Committee jointly with the Regional Councils and Branches. The programmes on The Companies Act 2013 have already been organized at around 65 places.

ICAI-NFCG Work Plan

Submitted Work Plan for the year 2013-14 for organizing joint programmes with National Foundation for Corporate Governance.

Representation to MCA

- Representation made to Additional Secretary MCA on the Key Issues and Concerns of ICAI in the Draft Rules under the Companies Act 2013 in December, 2013
- Submitted representation to MCA with regard to clarification in applicability of Section 133 of the Companies Act, 2013 in preparation of Audit Report.
- Submitted Representations to the Hon'ble Minister for Corporate Affairs with regard to extension of time for submitting suggestions on Draft Rules (1st, 3rd, 4th, 5th & 6th Phase) under The Companies Act, 2013.
- Submitted representation on Cap on number of audit assignments under The Companies Act, 2013 to the Ministry of Corporate Affairs.
- Submitted Representation regarding resolving issues arising in filing new Forms under the Companies Act 2013 with MCA-21 where COP number of members is being asked to the Ministry of Corporate Affairs.
- Submitted Representation to Secretary MCA on the Key Issues and Concerns of ICAI in the Companies Act 2013 and Rules thereon in July, 2014.

Certificate Course on Valuation

The Committee has so far conducted 40 batches of the Certificate Course on Valuation. Till date 1950 members have been registered for the Course. The Course is going on at Pune, Bangalore and Hyderabad. The Course has been launched overseas at Bahrain. The Committee is considering launching new batch at Cuttack and Jaipur. The Committee is also planning to start fresh batches at Mumbai, Chennai and Kolkata soon.

Interaction with Ministries/Regulators/Govt. Offices on Professional Matters:

Regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013.

Meetings with important Dignitaries on professional matters

- Meeting at MCA in April 2013 for preparation of Manual for Official Liquidators.
- Meeting with IICA official in May, 2013 to have Discussion for conducting joint programmes with ICAI for directors.
- Meeting in April, June 2014 with the Secretary MCA regarding issues relating to implementation Issues in the Companies Act 2013.
- Meeting in June 2014 with Additional Secretary, MCA regarding Accounting and other Issues in provisions of Corporate Social Responsibility, Popularising the Concept of One Person Company, Maintenance of Database of Independent Directors and Investor Awareness Programmes.
- Meeting in June, 2014 with Additional Secretary, MCA regarding organising training programmes on Independent Directors.
- Meeting in July, 2014 with Secretary MCA regarding Issues in the Companies Act 2013.

5.8.1 Training Programmes for Government Department/ Govt. Officials

The Committee organized the four programmes jointly with Department of Public Enterprises, GOI for the Non Official Directors of CPSEs

5.8.2 Seminars/ Conferences organized by the Committee

The Committee has conducted various programmes on Corporate Laws and Corporate Governance in different parts of the country.

5.8.3 Initiatives/projects in progress

- Rating of Corporate Governance/ Formation of Association of Audit Committee members/ Formation of new Forum for Registered Valuers
- Improvising Guidance Note on Certification of Corporate Governance (as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement)

- The Committee is planning to conduct programmes on the Companies Act 2013 jointly with the Industry Associations like PHDCCI, FICCI, CII etc.
- The Committee is planning to conduct awareness programmes on the Concept of One Person Company as per Companies Act 2013.
- The Committee is planning to conduct programmes for Independent Directors.

5.9 Direct Taxes Committee

5.9.1 Representations/ Interactions with Government

1. Representation for extension of due date of e-filing of ITR (i.e. 31st July, 2013): It was bought to the notice of the Committee that difficulty is being faced by members and taxpayers in uploading the return of income due to the slow speed of e-filing website during last three-four days before the due date of filing of ITR. Considering the said difficulty a representation was made to Chairperson, CBDT to extend the due date of filing of ITR (i.e. 31st July, 2013). Accordingly, the due date was extended to 5th August, 2013. Further, the authorities also shared a Trouble Shooting guide for problems in accessing the www.incometaxindiaefiling.gov.in with ICAI with a request to spread the message. Accordingly, the trouble shooting guide was hosted on ICAI's website.

2. Actions taken by the Direct Taxes Committee regarding E-filing of Income tax Returns and Tax Audit report for the AY 2013-14: With regard to the e-filing of Income-tax returns and audit reports, the Committee was intimated that difficulties were being experienced by the members. In order to resolve such difficulties, various efforts were made by the Direct Taxes Committee through written representations, meetings, release of FAQ's etc. Some of the important steps that were taken are listed here under:-

(a) Hosting of announcement regarding difficulties being faced by members in registering in e-filing portal due to mismatch in date of birth: With regard to the e-filing of tax audit reports the Committee was intimated that issues were being faced by the members in registering themselves in e-filing portal due to mismatch of their date of birth and/or name. This mismatch may be on account of various reasons like wrong date of birth in PAN, wrong date of Birth in ICAI records, different name in the PAN vis-à-vis ICAI records etc. In order to enable the members to successfully register in the e-filing portal, an announcement containing detailed procedure for correction in name and/or date of birth was hosted on Institute's website.

(b) The Committee along with the officials of the Directorate of Income-tax (Systems) organsied a LIVE webcast on "*Facilitating e-filing - Issues and Resolutions*" from 4.00 pm to 7.00 pm on 29.08.2013 at ICAI Headquarters, New Delhi. The webcast was addressed by:

ICAI	Income tax Department
1. CA. Subodh K. Agrawal, the then President, ICAI	1. Mr. R.K. Mishra, Commissioner of Income Tax (CPC)
2. CA. K. Raghu, the then Vice-President, ICAI (now President)	2. Mr. Sanjeev Singh, Director of Income tax (Systems) II
3. CA. Manoj Fadnis, Chairman, Direct Taxes Committee of ICAI (now Vice President, ICAI)	3. Mr. D.S. Chawla, Director of Income tax (Systems) III
4. CA. G. Sekar, the then Vice-Chairman, Direct Taxes Committee of ICAI	4. Mr. Ashish Abrol, Addl. Director of Income tax (Systems)
5. CA. Sanjay Agarwal, Central Council Member, ICAI	
6. CA. Naveen N.D. Gupta, the then Chairman, Committee for CBCAF& SMP of ICAI	
7. CA. Shyam Lal Agarwal, Central Council Member, ICAI	
8. CA. Tarun Ghia, Central Council Member, ICAI	

The webcast was a success and was viewed by approximately 6000 viewers.

(c) To address issues being faced by the members in e-filing of tax audit reports to certain extent, the Direct Taxes Committee in its 38th meeting held on 29.08.2013 had decided to issue FAQ's on some important

issues in consultation with the Directorate of Income-tax (Systems). The following officials of Directorate of Income-tax (Systems) were invited in the said 38th DTC meeting to finalise the FAQ's to be issued for the members:

1. Mr. R.K. Mishra, CIT (CPC)
2. Mr. Sanjeev Singh, DIT (Systems) II
3. Mr. D.S. Chawla, DIT (Systems) III
4. Mr. Ashish Abrol, Addl. DIT (Systems)

As decided by the Committee, certain FAQ's were developed which after due approval of CA. Manoj Fadnis, the then Chairman of the Committee were shared with the officials of Directorate of Income-tax (Systems) for their comments/suggestions. The suggestions so received were appropriately incorporated and the same were hosted at ICAI's website with due approval of President, ICAI.

(d) Request was made to CBDT to extend the due date of furnishing the report under section 44AB/ section 92E of the Income tax Act, 1961 on 12.09.2013.

(e) Meeting with Addl. DIT (Systems) on 18.09.2013 where several issues relating to practical difficulties in e-filing were again brought to his notice and a request was made to extend the due date of furnishing the tax audit report and report u/s 92E.

(f) Request was once again made to CBDT to extend the due date of furnishing the report under section 44AB/ section 92E of the Income tax Act, 1961 and e-filing of Income-tax Returns on 24.09.2013.

(g) Meeting with CBDT members, namely, Member (IT), Member (Inv.), Member (A&J) on 24.09.2013 for considering the request for extension of due date of filing of tax audit report and Income-tax Returns.

(h) Submission of a detailed representation to CBDT regarding Order F.No. 225/117/ 2013/ITA.II, dated 26th September, 2013 on 26.09.2013 with specific mention of the following concerns along with a request for extension of due date:

i. Difficulties in manual furnishing of audit reports

ii. Issues faced in e-filing of audit reports and Income-tax Returns

iii. Civil Disturbances in States of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Natural calamities in States of Gujarat and Uttarakhand.

(i) Meeting with Member (IT), CBDT on 27.09.2013 requesting him to consider the practical difficulties in complying with the CBDT's Order F. No. 225/117/2013/ITA II dated 26th September, 2013 along with the request for extension of due date of filing of tax audit report and Income-tax Returns on 27.09.2013.

(j) Meeting with Revenue Secretary on 30.09.2013 to pursue the practical difficulties in complying with the CBDT's Order F. No. 225/117/2013/ITA II dated 26th September, 2013 along with a strong request for extension of due date of filing of tax audit report and Income-tax Returns.

(k) Request was made to CBDT to consider difficulties faced in uploading the audit reports and returns on 30.09.2013 due to technical snags and the difficulties faced by assessees in state of Uttarakhand on 01.10.2013.

(l) Request was made to CBDT to issue a circular not to initiate penalty proceedings under section 271B in cases where audit reports have not been filed manually before 30.09.2013 but have been e-filed before 31st October, 2013 on 03.10.2013.

(m) Meeting with Member (IT) & Member (Inv.), CBDT on 03.10.2013 requesting for issuance of a circular not to initiate penalty proceedings under section 271B in cases where audit reports have not been filed manually before 30.09.2013 but have been e-filed before 31st October, 2013.

(n) Meeting with Chairperson, CBDT on 07.10.2013 to consider difficulties faced in uploading the audit reports and returns on 30.09.2013 due to technical snags with a request to suitably extend the due date of filing.

(o) With regard to the writ petitions filed by some chartered accountants societies/associations or individual chartered accountants seeking extension of due date of filing return of income and audit reports, ICAI was intimated that the Delhi High Court while hearing the said writs has formed a Committee of four member including two representatives of ICAI to submit a detailed representation for extension of due date. Accordingly, a detailed representation was submitted to Chairperson, CBDT on 15.10.2013 with a request

to suitably extend the due date of filing return of income and audit reports due to problems caused by technical snags.

(p) In pursuance of order of Delhi High Court, CA. Manoj Fadnis, the then Chairman, Direct Taxes Committee and CA. Sanjay Agarwal, CCM met Chairperson CBDT on 21.10.2013. Mr. R.K. Tewari, Member (IT), Mr. Dilip Shivpuri, DGIT(Systems), Mr. Sanjeev Singh, DIT(Systems) were also present there. The difficulties being faced were once again detailed to them.

3. Meeting of Tax Administrative Reform Commission: The Government had set up a Tax Administration Reform Commission with a view to review the application of Tax Policies and Tax Laws in India in the context of global best practices. The Commission was expected to work as an advisory body to the Ministry of Finance and recommend measures for reforms required in Tax Administration to enhance its effectiveness and efficiency.

Considering the fact that Chartered Accountants are on the compliance side of the tax laws, it was felt that ICAI will be able to immensely contribute to the deliberations of the Tax Administration Reform Commission. Accordingly, Dr. Parthasarathy Shome was requested to consider seeking inputs/ suggestions of ICAI in respect of matters examined by the TARC.

The Commission visited major stations across the country for holding consultations with stakeholders including industry associations/ chambers and professional bodies. Second such consultation with industry bodies was held in Mumbai on 22nd January, 2014 wherein the Commission had invited all stakeholders to participate in the meeting and provide inputs/ suggestions on the tax administration issues as mentioned above. CA. Manoj Fadnis, the then Chairman, Direct Taxes Committee and CA. Tarun Ghia, CCM attended the said meeting on behalf of the ICAI. ICAI has been requested to submit tax administrative issues relating to Direct Taxes (Including International Taxation) and Indirect taxes. The Direct Taxes Committee jointly with Indirect Taxes Committee and Committee on International Taxation sought suggestions from members at large through an announcement on the website.

On the basis of the suggestions so received, the inputs of ICAI were submitted to Dr. Parthasarathi Shome, Chairman, Tax Administration Reform Commission.

4. Suggestions of ICAI with regard to ITAT e-Courts project: Income-tax Appellate Tribunal, taking advantage of information and Communication Technology had pioneered e-Court project wherein non-functional benches were connected to functional benches and judicial proceedings are conducted through video-conferencing. Since ITAT was facing acute shortage of members, several Benches had become non-functional causing difficulties to litigants and increase on pendency of appeals. Considering the same, Hon'ble President, ITAT had desired to enhance the sphere of e-court project other non-functional Benches of ITAT, namely, Jabalpur, Patna, Guwahati, Visakhapatnam, Jodhpur, Cuttack, Ranchi and Raipur bench so that these Benches can be made functional and difficulties of the litigants can be mitigated.

In view of the above, ITAT had invited suggestions, views, comments and/ or objections in writing from Bar Associations, Departmental Representatives, Appellants, Respondents and general public regarding establishment of e-court at Jabalpur, Patna, Guwahati, Visakhapatnam, Jodhpur, Cuttack, Ranchi, Raipur, Agra, Rajkot and Panaji Benches connecting to ITAT, Mumbai/ New Delhi and conducting of hearing of appeals and applications through Video Conferencing. ICAI being a partner in nation building had submitted its inputs with regard to certain regulations regarding conduct of hearing of appeals through video conferencing.

5. 4th meeting of Standing Committee on TDS held on 30.10.2013: The 4th meeting of the Standing Committee on TDS was held on 30.10.2013. CA. Manoj Fadnis, the then Chairman, Direct Taxes Committee, CA. G. Sekar, the then Vice-Chairman, Direct Taxes Committee, along with Secretary to the Committee attended the said meeting. The meeting was chaired by Sh. U.K. Shukla, the then DGIT (Admin) and was attended by various representatives from ASSOCHAM, ICSI etc. The issues so received from members were submitted to the said Standing Committee for its consideration. The concerns so raised were appreciated.

6. Submission of detailed suggestions on final report of the Accounting Standard Committee on Tax Accounting Standards (TAS): ICAI had submitted its preliminary inputs on the final report of the Accounting Standards Committee constituted by CBDT for formulating Accounting Standards for the purposes of notification u/s 145(2) of the Act. In continuation of the earlier submissions of ICAI, detailed suggestions on specific draft 14 Tax Accounting Standards were submitted to CBDT for its consideration.

7. Submission of inputs regarding a capital gain issue to JDIT (Research): A request was received from a Joint Director of Income tax (Research) via e-mail seeking views of ICAI on a capital gain issue as mentioned below:

"Whether the capital gain arising on the transfer of land should be brought to tax in case of a land owner in the year in which the land is physically handed over to the developer pursuant to signing of a registered joint development agreement (JDA) or the year in which the built up area is received from the developer?"

All Central Council Members and Committee members were requested to give suggestions on the said issue. The suggestions so received after due consideration of Chairman, Direct Taxes Committee were finalized and submitted to JDIT (Research) for appropriate consideration.

8. Submission of issues faced in e-filing of Form No. 3CB and 3CEB: The Committee was reported of certain issues being faced by members in e-filing of Form No.3CB and Form No.3CEB. The same have been reported to Additional DIT (Systems) for appropriate solution.

9. Review of Citizen's Charter 2010 – Letter from Directorate of Income Tax: A letter has been received by ICAI from Directorate of Income tax (Public Relations, Printing, Publications & official language) mentioning that a working group has been constituted to look into the existing Citizen's Charter 2010 to suggest possible changes to be incorporated in Citizen's Charter under review. ICAI was requested to give suggestions/ inputs for improvement and/ or extending the scope of Citizen's Charter. The Committee in its 40th meeting held on 10.1.2014 considered the same and finalized the suggestions with regard to the same. The submissions were made accordingly.

10. Suggestions regarding formats of ITR forms and other forms to be notified for AY 2014-15: Inputs were sought from the Direct Taxes Committee with regard changes in ITR forms and other forms like Form No.3CA/3CB/3CD/3CEB etc to be notified for the AY 2014-15. A list of suggested changes was also provided in this regard. All Council members and Committee members were requested to give their inputs with regard to such suggested changes in ITR forms. The Indore study group formed under the convenorship of the then Chairman, Direct Taxes Committee was assigned the task of giving inputs on the same. After due consideration of the suggestions so received, the submissions were made.

11. Information to Chairperson CBDT about the guidance provided through "Guidance Note on tax Audit under section 44AB of the Income tax Act, 1961" and "Guidance Note on report under section 115JC of the Income tax Act, 1961": In the year 2013-14, the Direct Taxes Committee had published a revised 2013 version of "Guidance Note on tax Audit under section 44AB of the Income-tax Act, 1961" and also a new "Guidance Note on report under section 115JC of the Income-tax Act, 1961". In order to inform the Central Board of Direct Taxes about the guidance provided with regard to specific clauses of Form No. 3CA/ 3CB/ 3CD and Form No. 29C, a letter under the signatures of President, ICAI was sent to the then Chairperson, CBDT. Copies of the aforesaid Guidance Notes were also been sent along with the letter. To enable smooth assessment of the tax audit cases, Chairperson, CBDT was requested to apprise the Assessing Officers about such guidance provided by ICAI.

12. Suggestions on Form No.3CA/ 3CB/ 3CD and other formats required to be issued by Chartered Accountants: A letter dated 3.1.2014 seeking ICAI's suggestions on modifications in the exiting forms of tax audit report was received from Under Secretary (TPL-III). On the basis of suggestions received from members at large inputs were prepared. Considering the fact that SA 700 is applicable to non-corporate entities also, certain changes were suggested in the format of Form No.3CB, where the accounts of the assessee have not been audited under any other law. These suggestions were based on the report of the study group formed for the purpose of suggesting formats to comply with the requirements of SA 700. Additional suggestions with regard to other formats concerning chartered accountants and ITRs to be notified for the AY 2014-15 were also submitted.

13. Meeting with Mr. R.K. Tewari, Chairman (CBDT) on 12.03.2014 in North Block, New Delhi: On assuming the responsibility as a Chairman, Central Board of Direct Taxes, Mr. R.K. Tewari, was given a courtesy visit by CA. G. Sekar, Chairman, Direct Taxes Committee, CA. Sanjiv Kumar Chaudhary, Vice-Chairman, Direct Taxes Committee, CA. M. Devaraja Reddy, CCM, CA. Naveen N.D. Gupta, CCM along with Secretary to the Committee on 12.03.2014 in North Block, New Delhi.

14. Meeting on XBRL at Income Tax Office, Vaishali, Ghaziabad - 01.05.2014: A meeting with DIT(S)-II, e-filing team, TPL, MCA and ICAI was held at Income Tax Office, Vaishali, Ghaziabad - 01.05.2014 to explore the feasibility of adopting XBRL for e-filing with Income tax Department. XBRL-India made a presentation explaining in detail the basic components of XBRL, application of the same to financial statements, benefits of XBRL, XBRL filings in India, sector specific taxonomies, XBRL for tax filings: international position, benefits of XBRL/ IXBRL in tax filings, tax filings in India: current scenario, requirements for implementation of XBRL for Income tax filings. The proposition of filing of financial statements by corporate and non-corporates along with Form No.3CA/ 3CB in XBRL format was considered in the said meeting.

15. Meeting with CIT (OSD), CPC-efiling and DIT (Systems) at Income Tax Office, Vaishali, Ghaziabad - 11.4.2014: CA. G. Sekar, Chairman, Direct Taxes Committee along with Secretary to the Committee met Mr. Ramesh Krishnamurthi, CIT (OSD)-Incharge of CPC and Mr. Sanjiv Singh, DIT (Systems) on 11.04.2014 in

Vaishali, Ghaziabad. Various issues like single ITR form, e-filing of Form Numbers 15G,15H, 60 and 61, Verification of claims of deductions under section 80C,80D,24(b) and the like by professionals etc were discussed in detail. The Chairman, Direct Taxes Committee also offered the services of ICAI with regard to any research work which the Department desires to undertake.

16. Concerns regarding definition of the term "Accountant" in the Direct Taxes Code, 2013: The Direct Taxes Code, 2013 had proposed to widen the scope of the definition "Accountant" to include other professionals as well. It is a fact that various provisions in the Income-tax Act, 1961 under which chartered accountants have been given the responsibilities to undertake audit and certification of accounts of various entities have the emphasis on "audit" of the relevant accounts which is the exclusive domain of Chartered Accountants. In this regard, ICAI has through a representation to Hon'ble Finance Minister, under the signatures of the President, ICAI placed on record its concern.

In this regard, CA. K. Raghu, President, ICAI and CA. Manoj Fadnis, Vice-President, ICAI along with Secretary to the Committee also met Mr. Rajiv Takru, the then Revenue Secretary and Mr. R.K. Tewari, the then Chairman, CBDT on 16.04.2014 and submitted the representation to them. A copy of the representation was also submitted to Mrs. Pragya Saksena, Joint Secretary (TPL-I) and Mr. Sunil Gupta (TPL-II). Since the members were concerned, the above facts were hosted on the website of ICAI for the information of the members at large.

17. Meeting with CIT, CPC (TDS) held on 22.05.2014 at CPC (TDS) Income tax office, Vaishali, Ghaziabad: CA. G. Sekar, Chairman, Direct Taxes Committee along with Secretary to the Committee met Mr. Ravi Agarwal, CIT, CPC (TDS), Mr. Satpal Gulati, Additional Commissioner CPC (TDS) along with other officers of CPC (TDS) on 22.05.2014 in Vaishali, Ghaziabad. The issues discussed are as follows:

a) Compliance towards "NIL" Error Return/Payment.

b) Audit of Mismatch items and other errors in AS 26 Part G

c) The new functionality of CPC (TDS) "Aggregated TDS compliance" was discussed. Various communications issued by CPC (TDS) were also presented. Since majority of TDS returns are filed through chartered accountants, ICAI was requested to propagate the said functionalities through various means. Chairman, Direct Taxes Committee agreed to popularise the said system amongst chartered accountants through mails, webinars, tax awareness programmes being organised all over the Country. Both Chairman, Direct Taxes Committee and CIT, CPC (TDS) agreed to work together towards "0" mismatch situation.

The said communications have been shared with members of ICAI through an announcement on the website and also through mass mails.

18. Observations submitted on e-forms: Further inputs had been sought from the Direct Taxes Committee with regard to observations on ITR forms-4, 5, and 6 to be notified for the AY 2014-15. Accordingly, inputs with regard to such suggested changes in ITR forms was submitted to CIT (OSD).

19. Note on paper filers to opt for e-filing: Institute's views were sought on encouraging paper filers to opt for e-filing of IT return in a meeting held on 01.05.2014 with CIT (OSD) attended by the Chairman, DTC and Secretary, DTC. The same were submitted to CIT (OSD).

20. Submission of representation in relation to the announcement with regards Updation of contact details of taxpayers: Majority of income tax returns are filed through chartered accountants, issues faced by them in their day to day functioning are reported to ICAI. Recently, with regard to Announcement made in the e-filing website on 19.6.2014, ICAI had received representations in hundreds either over phone or through email about the practical difficulties to be faced by them, which were brought to the attention and for immediate consideration and action. Considering ICAI's representation the OTP has been made valid for 24 hours and also the number of email ids has been increased from 4 to 10.

21. Submission of inputs on certain specific tax related portions of the final recommendations of the task force: ICAI was requested to attend the meeting of Task Force on Rental Housing (TFRH) held on 16.07.2013 under the Chairmanship of Mr. Jaitirth Rao to finalise the Draft Interim report of the Task Force and to give inputs on certain specific tax related portions of the final recommendations of the task force. Accordingly the inputs were submitted.

22. Meeting with DGIT (Systems) held on 17.10.2013 at Jhandewalan, New Delhi: CA. Manoj Fadnis, the then Chairman, DTC, CA. G. Sekar, the then Vice-Chairman, DTC and CA. Mukta K. Verma, Secretary to the Committee met with Mr. Dilip Shivpuri, DGIT (Systems) and Mr. Rajiv Singh, DIT (Systems) on 17.10.2013 at Jhandewalan. The issues discussed are as follows:

(i) Non-receipt of ITR V
(ii) Corporates to mandatory get an ECS with regard to the refunds issued by the Department
(iii) Tax awareness programmes and visit to CPC(TDS) and CPC Bengaluru

5.9.2 Activities relating to Budget – 2014

Suggestions on Pre-Budget Memorandum-2014: Like every year, this year also Pre-Budget Memoranda was submitted to the Central Board of Direct Taxes. The suggestions for inclusion in the Pre-Budget Memorandum-2014 were sought from members all over India through an announcement on ICAI's website. The suggestions so received were compiled and considered by the Direct Taxes Committee. Accordingly, the Pre-Budget Memorandum was submitted to the Central Board of Direct Taxes in a meeting held with officials on 02.06.2014. The same was hosted on ICAI's website and also mass mailed to all members for their information.

5.10 Committee on Economic, Commercial Laws & WTO

The Committee on Economic, Commercial Laws & WTO is a Non Standing Technical Committee of the Institute and its mandate inter-alia includes serving the multifunctional task of Analysis, Knowledge dissemination, inputs to policy formulation, organization of various programs on contemporary issues in the fields of Economic, Commercial & Business Laws and WTO.

During the year 2013-14, the Committee has taken various initiatives to pursue with various activities of knowledge dissemination and capacity building of the members, representation to various Government Authorities/ Regulators etc. The following are the significant achievements & initiatives undertaken by the Committee during the year:-

5.10.1 International Initiatives

WTO Public Forum-2013

The WTO Public Forum under the theme "Expanding Trade through Innovation and the Digital Economy" was held at Geneva from 1st to 3rd October 2013. The Forum dwelt on the issues of future of trade in an era of innovation and digitalization. Innovation, the digital economy and the development of new technology products and services and issues in areas such as security, intellectual property, environment, dissemination of technology, privacy, trade facilitation, trade in energy and medical innovation. The Forum was attended by delegates from all over the world. The ICAI representatives attended the programme.

Interaction with Trade officials of Embassies /High Commissions

A Lecture Meeting was organised by the Committee on "Business/ Professional Opportunities in Germany" on 17th December, 2013 at Mumbai. Ms. Asha-Maria Sharma, Director, Germany Trade and Invest GmbH addressed the Members and around 250 Members attended the Meeting.

The ICAI Officials had also an interactive meeting with the H.E. Fredrika Ornbrant, Consulate General of Sweden at Mumbai and H.E. Mohamed Hatimi Abas Consulate General of Malaysian Embassy at Mumbai on 18th December, 2013 in line with the initiatives of the Committee to organise more such interactive meetings in future in association with the Ambassadors/ Trade Consulates of various Countries.

International Council for Commercial Arbitration (ICCA)

"International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Miami 2014 Congress", on the theme of "Legitimacy: Myths, Realities, Challenges" was held on 6th-9th April, 2014 in Miami to provide a premium platform to Interact and exchange ideas with fellow international arbitrators, judges and corporate counsels, to serves as a business networking hub, to facilitate discussion on cutting-edge topics of mutual interest.

5.10.2 Certificate Course on Arbitration

The Committee organized the following batches of the Certificate Course on Arbitration in association with the respective Regional Councils/ Branches of the regional council:

- ✓ XVth batch of the Certificate Course on Arbitration was organised at Indore in May 2013. 49 members successfully completed the Course.
- ✓ XVIth batch of the Certificate Course on Arbitration was organised at Mumbai in August 2013. 28 members successfully completed the Course
- ✓ XVIIth batch of the Certificate Course on Arbitration was organised at New Delhi in May-June 2014. 18 members successfully completed the Course

Eminent faculties drawn from the legal fraternity like Judges of Supreme Court and High Courts, Officials like Senior Advocates of Supreme Court of India and High Courts and the experienced members of the CA profession and senior officers of the Government Departments and the Regulatory bodies addressed the participants.

5.10.3 Promotion of the ICAI Panel of Arbitrators

There are at present 563 members who are empanelled on the ICAI Panel of Arbitrators. During the year, the Committee has taken initiatives and made efforts for promoting the utilization of the services of the members empanelled on the ICAI Panel of Arbitrators amongst the user bodies such as High Courts, Co-operative Societies, Trade Chambers etc. In line with this a suitable communication in this regard has been sent to Registrar General of the High Courts, Chambers of Commerce, Registrars of Co-operative Societies, Export Promotion Councils, Trade Bodies, etc.
In response to the above communication and as desired by the Registrar General of Punjab & Haryana high court a copy of the ICAI panel of Arbitrators has been provided to them for utilization in appointment of Arbitrators. Also the Director, Madhya Pradesh Stock Exchange Ltd. has been approached for recognizing the ICAI Panel of Arbitrators.

5.10.4 Post-Qualification Course in International Trade Laws & WTO

The First batch of the 30 days Personal Contact Programme (PCPs) for the Year 2013 was organised by the Committee in two phases for 15 days each (First Phase: from 8th July to 22nd July 2013 and Second Phase: 29th July to 12th August 2013) at Noida and simultaneously also relayed through other modes i.e. Video Conferencing etc., so that more and more members residing across the country may be able to attend these classes and become eligible to appear in the November 2013 examination.
Eminent faculty consisting of senior Government officials in different Ministries/ Departments, Copyright Board, faculty from Indian Institute of Foreign Trade, noted law firms, people from trade and industry, professionals, consultants and other research based organizations in the field of International Trade Laws and WTO addressed the participants.

5.10.5 Representations to various Government Authorities/ Regulators

The detailed roadmap on "India's Response to EU's Request in the Accountancy Sector under India-EU BTIA" has been sent vide ICAI letter dated 2nd September, 2013 to the Ministry of Commerce & Industry and Ministry of Corporate Affairs.

5.11 Ethical Standards Board

Often we see that there is quick upswing, dazzle and glamour associated with a particular profession or business. It is attributable to a variety of factors, including the requirement of society at that point of time, extant level of competition, policy of the Government, etc. Nevertheless, those who become leaders in the midst of such variants are invariably those who embrace the culture of ethics, values and discipline; otherwise, the apparent growth and prosperity would be like a pyramid of play cards, prone to a fall at the whiff of air. Ethics has been since times immemorial, known to be something nice and idealistic. The contemporary world, especially the realm of professionals, is however not content with this idea of ethics. It understands that Ethics has to be vibrant, pragmatic and indispensable, if it has to serve its purpose.

From the perspective of chartered accountants, the requirement to comply with ethics is further more enhanced, as the society looks upon them with high level of expectation and trust. The Central and State Governments, various public and other agencies, and the public of the country in general, constantly need to have confidence in the services provided by the chartered accountants. What can be said of chartered accountants in practice, can also be said of members in service, as many chartered accountants are occupying significant positions in the Government and private sectors, playing significant role in the development of the nation.

The tradition of the Institute has always been to set highest benchmarks for itself in all the standards for the profession, and monitor working of those standards constantly. With this vision, Ethical Standards Board (ESB) of the Institute was constituted way back in 1975, for formulation of standards on ethics for the members of the profession. It has, from its very inception, been engaged with various exercises to equip the members to vitalize their competitive edge through various professional means and methods. Ethical Standards Board has always contemplated how best to help the members keep abreast of the latest happenings on ethics on one hand, and make them ethics compliant on the other.

The Ethical Standards Board is entrusted with the updation of Code of Ethics for members. The mission of the Board deserves a mention:

> *"To work towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of `excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".*

Code of Ethics, 2009, being the 11th and present edition of Code, incorporates for the first time ever, the provisions of IFAC *Code of Ethics,* complying with the membership obligation of ICAI towards IFAC. The *Code of Ethics, 2009* is divided into Part-A and Part-B, Part-A incorporating provisions of IFAC *Code of Ethics,* and Part-B based on the Chartered Accountants Act, 1949.

The Ethical Standards Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. Besides Code of Ethics, also reviews and revises its publications namely *'FAQ on Ethical Issues'* and *'Guidance Note on Independence of*

Auditors'. The Board promotes public awareness and confidence in the fundamental principles *viz.* integrity, objectivity, competence and professionalism for members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members.

5.12 Expert Advisory Committee

In the rapidly changing environment of financial reporting, it has become imperative for the accountants to prepare and present the financial statements in line with the latest financial reporting framework. In their endeavour to do so, they face certain difficulties in the application, implementation and understanding of the generally accepted accounting principles. To provide guidance and assistance to the accounting professionals in such a scenario, the Expert Advisory Committee has been constituted by the Council of the Institute to answer the queries raised by them in matters dealing with the application of various accounting and auditing standards, guidance notes and other pronouncements of the Institute in accordance with the Advisory Service Rules framed for this purpose. The Advisory Service Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142 or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

Over the years, the role of the Expert Advisory Committee has been well recognised for its independent and objective opinion by private and public sector enterprises, by the members in industry and practice, as well as by the Regulatory and Government authorities, such as Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Ministry of Corporate Affairs, etc.

During the period from 01.04.2013 to 07.07.2014, the Committee finalised 57 opinions out of 74 queries received from the members of the Institute. Various issues on which the Committee opined during the period were Consolidation of ESOP Trust in the standalone financial statements, Recognition of distribution network acquired in a business acquisition as an intangible asset, Exempt Provident Fund - disclosure and valuation as per Accounting Standard (AS) 15, 'Employee Benefits', Applicability of AS 11 to recoveries of claims settled by the Corporation against its credit insurance covers, Accounting for Revenue by a Real Estate Developer, Bifurcation between Current and Non-Current Assets of Credit Card Receivable in line with the Revised Schedule VI to the Companies Act, 1956, Restatement of foreign currency monetary liabilities covered (hedged) by plain vanilla call option, Applicability of paragraph 46A of AS 11 to buyer's credit/ suppliers' credit repaid through a long-term liability, Accounting for unspent expenditure towards Corporate Social Responsibility and Sustainability activities as per Revised DPE Guidelines, Accounting of Interest on Enhanced Land Compensation, Treatment of foreign exchange fluctuations and interest cost on issuance of FCCB, etc.

All the opinions finalised by the Committee during a year are published as a volume of the Compendium of Opinions. Till now, thirty-two volumes of the Compendium have been released. A CD containing around 1250 opinions contained in all the thirty-two volumes of Compendium of Opinions with user-friendly features for easy referencing has also been released, which is available with Volume XXXII of the Compendium of Opinions. The next volume of the Compendium in the series is under compilation and is likely to be released shortly.

Some of the opinions finalised by the Committee are published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the knowledge sharing page of the Committee on the website of the Institute.

5.13 Committee on Financial Markets and Investors' Protection

Significant Achievements

The Committee on Financial Markets and Investors' Protection has been formed with an objective to educate investors about their rights and responsibilities, informing them about grievance redressal mechanism and importance of fundamental analysis based on balance sheets and other financial statements specially notes and other disclosures is one of the focus area of the Committee. Investor Education over the last few years played a significant role in the economic growth of the country.

Investor Awareness Programs are being regularly conducted by ICAI at various places across India to educate the investors and to create awareness among the investors regarding the capital market. It strives to educate and enlighten the investors by making the necessary information available to them. The capital market can grow only when investors find it safe for them to invest and they are assured that the rules governing the market are fair and just too all the players.

The Investor Awareness Programs cover topics like Do's and Don'ts for investors, Instruments of Investment, Portfolio approach, Trading, Clearing and Settlement, Rolling Settlement, Investors' Protection Fund, Dematerialization of Shares, Debt Market, Investors' Grievance Redressal system information on Sensex and other Indices, Derivatives etc.

The aim of investor education is to enlighten investors about the do's and don'ts to keep in mind while investing in stock markets, various investment instruments, overall portfolio construction approach, and investor grievance systems available with market regulators etc.

ICAI through its Committee on Financial Markets and Investors' Protection is a nodal partner under the aegis of Investor Education and Protection fund (IEPF) of Ministry of Corporate Affairs, Government of India in ensuring financial literacy to the common man and creating awareness among the public at large. The Ministry of Corporate Affairs has given huge emphasis on Investor Awareness Programmes in the last few years and to support the endeavor of the MCA, the Committee till now has conducted more than 3400 programmes through its branches and resource persons. The Committee will also be organizing 1500 Investors' awareness programme in the current Financial Year 2014-2015.

In addition to above, the Committee also plays a pro-active role in conducting various other programmes such as Seminars on Capital Markets, Investor Summit and Private Equity workshops etc. The Committee has also published various publications such as Booklets & Pamphlets on Investors Awareness, Hand Book on Capital Market Regulations, Background Material on Private Equity and Guidance Note on Certification of Corporate Governance (Revised), A Beginner's Guide to the Capital Market and Hand Book for Investing and Investor Protection.

The Committee Activities for the period 1stApril, 2013 to 7th July, 2014 includes the following:

5.13.1 Certification Course on Forex and Treasury Management

The Institute has come forward to equip its members in meeting the challenges likely to face by them in risk management and advisory services related to foreign exchange by launching a specialized certificate course on Forex and Treasury Management in the year 2009. This course covers foreign exchange market, money market, bond market operations and related financial products.

It analyses the international finance environment within which banks, other intermediaries and companies operate and how it affects their operations in treasury. Sound treasury management utilizes the right financial products and tools for minimizing risk. The emphasis is on developing skill sets which would be required for making sound financial decisions in an international context.

The Committee is entrusted with the task of organizing the Certificate Course on Forex and Treasury Management. Till now, the Committee has successfully completed 19th batches. The Committee completed nineteenth batches of Certificate Course on Forex and Treasury Management (12th Batch to 19th Batch) as per the captioned period.

The 20th, 21st, 22nd, 23rd and 24th batches are running in Delhi, Mumbai, Bangalore, Cochin and Pune.

5.13.2 Webcasts

The Committee has decided to conduct webcast for update the knowledge of members of the Institute.

5.13.3 Programmes Organized

- Inculcating Awareness amongst investors – All India Network Project, from April, 2013- till 7th July, 2014

For the period under report (1st April, 2013 to 7th July, 2014), the Committee conducted total of 1460 Investor Awareness Programmes throughout India under the aegis of the Investor Education and Protection Fund of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India. Out of these programmes, the ICAI branches conducted 42 Investor Awareness programmes and remaining 1418 Investor Awareness programmes were conducted through resource persons.

An attempt has been made to reach wider spectrum of the society covering different sections with a view to create financial awareness and financial inclusion. Large number of public attended these programmes and response was overwhelming.

5.14 Financial Reporting Review Board

The ICAI, continuing with its endeavours to improve the financial reporting practices in the country, has constituted the Financial Reporting Review Board (FRRB). Functioning for more than twelve years, the Financial Reporting Review Board (FRRB) has been able to create a niche position among the regulators and members of the Institute.

The FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon either suo-motu or on a reference made to it by any regulatory body (ies) or where serious accounting irregularities have been highlighted by the media reports with a view to determine, to the extent possible:

(a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;

(b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise; and

(c) Compliance with the reporting obligation of the enterprise as well as the auditors.

As per the Operating Procedures of the FRRB, the Board is assisted by Technical Reviewers and Financial Reporting Review Groups in review of the General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon.

5.14.1 Review of General Purpose financial statements and auditors' report thereon

Suo Motu

During the period, the Board has completed the review of 83 cases, out of which 8 cases have been referred to the Director (Discipline) of the Institute. For 57 cases, it decided to issue an appropriate note on non-compliances to the auditors of the enterprises which have been observed during the review of the financial statements of such enterprises.

Special Cases

❖ Financial statements referred by SEBI:

The Board reviewed the financial statements of 5 years of a company referred to it by SEBI as a special case as per FRRB's terms of reference, scope and functions. A report on the same has been sent to SEBI as well as Director (Discipline). One more company referred by SEBI whose financial statements for three financial years has been taken up for review. The preliminary review of the same has been completed and the same has been allocated to the financial reporting review group.

❖ Cases selected on the basis of certain media reports/ other facts highlighting accounting or financial irregularities

During the period, 15 cases based on certain media reports/ other facts highlighting accounting or financial irregularities relating to 25 financial statements have been undertaken for review by the Board. Out of these, 13 cases pertaining to 23 financial statements have been allocated to technical reviewers for their preliminary review. The technical reviewers have submitted the reports on 9 cases pertaining to 12 financial years. 8 cases pertaining to 10 financial years have been allocated to financial reporting review groups for further review. The Board has completed the review of one case whose financial statements were selected for one financial year.

❖ Review of audited accounts of Political Parties referred by the Election Commission of India:

The Election Commission of India has referred the audited accounts of 35 political parties to the Institute which have been reviewed by the Board. A Report on the observations of the Board would be shortly submitted to the Election Commission of India.

Review of Cases referred by QARC of SEBI:

In its endeavour to improve the quality of financial reporting by listed entities, the Securities and Exchange Board of India (SEBI), has set up the Qualified Audit Report Review Committee (QARC). Its role will be to guide SEBI in processing the qualified annual audit reports referred to it by the stock exchanges. SEBI has sought support from ICAI-FRRB to assess the justifiability of the qualification in case if they find that the audit qualification is significant and explanation given by the listed entity is not satisfactory. Based on the FRRB's view, the QARC may even direct the entity to restate its Financial Results by way of proforma Financial Results to shareholders through Stock Exchanges.

FRRB is associated with QARC for such reviews since December 2013 with an empanelled team of 47 reputed senior professional members across the country to undertake review of cases referred to it by QARC-SEBI. Till date, the Board has received 75 cases to review certain specific audit qualification as expressed by the auditors on the financial statements. The Board has considered audit qualifications of 59 cases along with additional information, if any received from the company and finalised its views on 49 cases. On 10 cases it has sought additional information from the enterprises and/or the auditor as the case may be. Remaining 16 cases received in the recent past are being reviewed by the Special Groups.

5.14.2 Constitution of Financial Reporting Review Groups:

The Board constituted 21 and 16 Financial Reporting Review Groups during the Council Years 2013-14 and 2014-15 respectively for consideration and finalisation of the preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers on General Purpose Financial Statements and the auditors' report thereon in the respective years. The review reports of 233 and 52 enterprises were allocated to these Groups out of which the Groups have submitted the review reports of 200 (during the Council Year 2013-14) and 15 enterprises (till date) respectively.

5.14.3 Publications:

The Board released the second volume of its publication 'Study on Compliance of Financial Reporting Requirements' in the annual function of the Institute on 11th February, 2014. The Publication contains common observations of the Board on compliance aspects of various Financial Reporting Requirements classified Accounting Standard wise and include observation on certain sections of the Companies Act, 1956, Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (CARO) and Standards on Auditing (SA) 700 – 'The Auditor's Report on Financial Statements' which should be complied with while preparing the financial statements or expressing opinion thereupon.

5.14.4 Conduct of Awareness Programmes on Financial Reporting Practices:

With an objective to enhance the knowledge of the preparers of the financial statements and auditors and to update them about the changes made in accounting standards as well as auditing standards issued by the Institute and/or other regulatory authorities, the Board organised 10 Awareness Programme on Financial Reporting Practices, during the period, in Hyderabad, Thane, Pune, Nagpur, Guntur, Jodhpur, Vishakhapatnam, Chennai, Mumbai and Bangalore which were well attended by 2337 members.

5.15 Indirect Taxes Committee

5.15.1 Activities relating to Union Budget, 2014

Submission of Pre-Budget Memorandum, 2014

Pre-Budget Memorandum, 2014 relating to Indirect Taxes was submitted to Ministry of Finance on 2nd June 2014 containing suggestions to improve tax collection, reduce/minimize litigations, rationalize provisions of taxation laws, removing administrative and procedural difficulties.

Pre-Budget Meeting with Ministry of Finance

Vice-President, ICAI, Chairman, Indirect Taxes Committee, Vice-Chairman, Indirect Taxes Committee, Chairman, Direct Taxes Committee, Chairman, Committee on International Taxation attended the Pre-Budget meeting convened by Ministry of Finance on 2nd June 2014 and presented the highlight of the suggestions contained in the Pre-Budget Memorandum, 2014.

5.15.2 Representations/ Suggestions/ Comments/ Other inputs submitted to Government

Suggestions submitted to Tax Administration Reform Committee

The Government has set up a Tax Administration Reform Commission (TARC) under the Chairmanship of Dr. Parthasarathi Shome with a view to review the application of Tax Policies and Tax Laws in India in the context of global best practices. In this regard, the Committee has submitted suggestions on administrative issues relating to indirect taxes to the Chairman, Tax Administration Reforms Commission (TARC) on 17th April, 2014.

Representation to extend the due date of filing Service Tax Return Form 'ST-3' for the period October, 2012 to March, 2013

A representation was submitted to the CBEC on 30th August, 2013 requesting them to extend the due date of filing the Service Tax Return for the period October, 2012 to March, 2013 from 31st August, 2013 to 30th September, 2013. Accordingly, CBEC extended the due date of filing the said return from 31st August, 2013 to 10th September, 2013.

Representation at the Open House Discussion organised by CBEC on VCES, 2013

CBEC had organised Open House Discussion on Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES) on 5th July and 11th November, 2013 to address various doubts/concerns for the smooth implementation of the VCES which was addressed by Mr. Sumit Bose, then Revenue Secretary and Mr. P. Chidambaram Hon'ble then Finance Minister respectively. The Chairman, Indirect Taxes Committee and some other eminent members of ICAI attended the open house discussion and presented their point of view.

Representation to extend due date of filing of DVAT Return Form 'AR-1' for the year 2012-13

A representation was submitted on 25th November, 2013 to the Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi to extend the due date of filing the DVAT Return form 'AR-1' for the year 2012-13 at least by a month. Further, a meeting was held between CA. Atul Gupta, Vice-Chairman, Indirect Taxes Committee with Mr. Prashant Goyal, Commissioner, DVAT on 28th November, 2013 on the issue. Accordingly, Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi extended the due date of filing the return from 2nd December, 2013 to 31st December, 2013.

Representation and live webcast on Voluntary Compliance Encouragement Scheme, 2013

The President, ICAI met Hon'ble Finance Minister, Government of India on 9th December, 2013 and submitted a representation containing various issues and difficulties on Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES), 2013. The TRU, vide *F. No. B1/19/2013-TRU (Pt.) dated 11.12.2013*, clarified various issues based on the said representation.

Further, live webcast on Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES), 2013 was organised on 16th December, 2013 at 5:00 p.m. wherein Mr. P. Chidambaram, then Hon'ble Finance Minister, Government of India addressed the members and replied various queries raised by the members during the said webcast. He appealed the members to sensitize the assessees and the various service providers with the benefits of the Scheme and send the application pre-hand and not wait for 31st December, 2013.

Programme on Voluntary Compliance Encouragement Scheme, 2013 at Head Office, ICAI, New Delhi

The Institute organised a Programme on Voluntary Compliance Encouragement Scheme (VCES), 2013 at Head Office, ICAI, New Delhi on 27th August, 2013 wherein Mr. Gautam Bhattacharya, Commissioner, Service Tax and other seniors officers from Delhi Service Tax Commissionerate addressed members and clarified various doubt regarding VCES. Mr.

Gautam Bhattacharya, Commissioner, while clarifying the issues on VCES, had assured the members that declaration made by the assessee under the STVCE Scheme would be accepted in good faith and provision of Section 111 would be invoked only when any specific information is received. He appealed the ICAI and members present in the programme to popularize the scheme and encourage the assessee to avail the benefit of the scheme and clean their hand.

Representation to CBEC for introducing Service Tax Audit

A representation along with preliminary draft of audit report under service tax was submitted to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) on 8th May, 2014 suggesting introduction of Service Tax Audit.

Representation to Central Board of Excise and Customs (CBEC) offering assistance in revamping the Automation of Central Excise and Service Tax (ACES) Website

A representation was submitted by the Committee to the Chairperson, CBEC on 24th March, 2014 offering its services in revamping and modernizing the ACES website.

Representation to DVAT Commissioner

A representation was submitted to the Commissioner, DVAT on 10th March, 2014 requesting to continue the DVAT Audit as it will enhance the compliance by the assessee and would prove to be beneficial in the long run. The representation was submitted considering that the filing of Audit Report in its current format AR-1 has been withdrawn vide notification no. F.3 (384)/Policy/VAT/2013/1307-1319 dated 14.02.2014. Further, the Committee has submitted a draft condensed Delhi VAT Audit report format (AR-1) to the Commissioner, Delhi VAT for its implementation on May 29th, 2014.

5.15.3 Certificate Course on Indirect Taxes

With the objective to facilitate members in industry as well as in practice by providing specialized and updated knowledge of indirect taxes in a systematic manner to enable them to take up various professional opportunities offered by this area, the committee has been organizing a 12 days Certificate Course on Indirect Taxes since 2011.

During the period, 23 batches of Certificate Course have been organised by the committee across the country which were attended by approx. 1100 members. Further, 5 more batches of the course have been commenced across the country.

5.15.4 Training for Government Officers

Training Programme on Service Tax for Officials of Excise/ Service Tax Commissionerate

The Committee organised 18 Training Programme on Service Tax for Officials of various Commissionerate during the period.

The training programme was being organized with a view to enable the trainees to understand the accounting and auditing aspects involved in the service tax, which will, in turn, help them in verifying the tax credits, exemptions, abatements etc. as prescribed under the Service Tax Law. Such training programme will go a long way in strengthening the association of ICAI and Department.

Knowledge partner in the interactive session with hoteliers, travel agents and tour operators

The Committee assisted as a knowledge partner in the interactive session with hoteliers, travel agents and tour operators organised by Bhubaneswar Commissionerate of Central Excise on 1st May, 2014 at King's Court, Hotel Crown, Bhubaneswar

5.15.5 Programmes/ Seminars/ Workshops

The Committee organised a number of conferences, awareness programmes, webcasts, seminars, workshops among others during the year.

5.15.6 Publications

E-News Letter on Voluntary Compliance Encouragement Scheme, (VCES) 2013

The Committee brought out a Special e-news letter on VCES, 2013 in the middle of December, 2013 containing brief of the Scheme and its benefit.

Handbook on Voluntary Compliance Encouragement Scheme, (VCES) 2013

The Committee brought out Handbook on VCES, 2013 in the middle of December, 2013 containing detailed provisions of the Scheme, FAQ and analysis of the provision.

Compliances of Service Tax in Banking Sector

The Committee brought out a publication "Compliances of Service Tax in Banking Sector" which was released by the President, ICAI during the live webcast on 6th March, 2014. The publication contains the questionnaire which will assist the member in checking compliance by the Banking Sector.

5.15.7 Others

E-learning on Customs, Service Tax & Central Sales Tax

With a view to facilitate the learning for the members from anywhere and anytime on just a click of mouse, the

Committee launched e-learning on service tax and customs duty on 11th February, 2014. Till date e-learning on Service Tax has been subscribed by 675 members and e-learning on Customs has been subscribed by 218 members. Further, e-learning module on Central Sales Tax has been launched by the Committee on 1st July 2014.

IDT Net

The Committee continues to provide updates to the registrants of IDT Net, an online networking portal for the members practicing or working in the field of indirect taxes. The updates are a summary of notifications and circulars issued by Central Board of Excise & Customs from time to time, other important happenings in the area of indirect taxes are also represented in those updates to keep the members abreast with the latest developments in the field of Indirect Taxes. The portal is linked with the website of the Institute.

5.16 Committee on Information Technology

The Committee on Information Technology has been constituted by the Council of the Institute as a non-standing Committee in the year 2000 to identify Information Technology challenges facing the profession and convert them into gainful professional opportunities for members by conducting Post-Qualification and Certificate Courses, Conferences, Seminars, and Practical Workshops, Training programmes, ERP/ IT courses apart from bringing out Practice Guides, Training Aids, Software's and Publications on Information Technology for the benefit of members.

During the period 1st April 2013 to 7th July, 2014, details of the courses/programmes organized by the Committee are given below:

A. Post Qualification Course on Information Systems Audit: The Post Qualification Course on Information Systems Audit has been the first and foremost important initiative launched by the Committee to enable members to offer value added services in the field of IS Audit.

Recently the Committee has brought out the Information systems Audit 2.0 Course with an objective to equip CAs with a unique body of knowledge and skill-sets so that they can become Information Systems Auditors who are technologically adept and are able to utilize and leverage technology in the area of Governance of Enterprise IT, GRC, Assurance, risk, security and controls. The updated ISA 2.0 course will also meet the increasing market needs of CAs with solid IT skills that can provide consulting/assurance services. The ISA 2.0 course is a blend of e-learning (online and facilitated), class room training, hands-on training with practical case studies and project work to ensure practical application of knowledge. The study material has a companion DVD which includes all the reading material, E-learning, supplementary reference materials and checklists in soft copy.

B. E-learning courses/ CD's/ CBT's :

a) Online e-Learning Courses

i. Service Tax
ii. Standards on Audit
iii. Standards on Audit Phase I
iv. Standards on Audit Phase II
v. Standards on Audit Phase III
vi. Standards on Audit Phase IV
vii. Transfer Pricing
viii. Customs Duty
ix. The Central Sales Tax Act, 1956

b) E-Learning CD's/ CBT's

i. Using CAATs/ GAS
ii. Using MS-Excel 2007 as an Audit Tool
iii. Windows, Network & Wi-Fi Security - An Intro.
iv. IS Security, Cyber Threats & Review - An Intro.

C. ERP Courses**:** The ERP courses offered by the Committee give twin benefits of learning as per the convenience of the member and reduced costs. These include course on SAP, Microsoft Dynamics NAV, and Oracle.

D. Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection**:** The Committee offers Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection. This programme is now rolled out across the Country. The course is a blend

of hands on training, case studies, presentations by faculties, and project presentations by the participants. At the end of the almost all the sessions, a small test/exam is conducted. This course is very popular amongst the members and the Committee is regularly conducting courses across the country.

E. IT Awareness Programmes, Workshops, Seminars, and Conferences: The Committee organizes many IT related workshops, Seminars and conferences which are of flexible duration and help the members in keeping abreast with latest developments in IT related fields.

F. ISA Meet: The Committee organizes ISA meets for the ISA Qualified members to keep them updated on professional opportunities available to them and exchanging their views with fellow members.

G. Professional Opportunities:The Ministry of Information Technology has a Computer Emergency Response Team (CERT-In) which deals with cyber security in the country and also has a panel of IT Auditors & IS Auditors. Some CA Firms are also on this panel. Computer Emergency Response Team (CERT-In) has recognized D.I.S.A (ICAI) as empanelment for IS auditors.

The Institute had taken up with Reserve Bank of India for recognizing the DISA (Diploma in Information System Audit) offered by ICAI as equivalent to CISA (Certified Information System Auditor) of ISACA. This objective has now been fulfilled and RBI has advised that system audits may be conducted by the D.I.S.A. (ICAI) qualified members.

D.I.S.A. (ICAI) has been recognized for Empanelment of Auditors for Auditing Infrastructure of Certifying Authorities.

H. Forensic Accounting Course for Government organizations: The Committee has decided to organize training programmes on Fraud Investigation and Forensic Accounting for Government organizations and other Institutions. The central objective of this course and training programmes is to provide the Income Tax Officers and its senior members an insight into the world of fraud, financial wrong doings and possible ways of detecting them. This course is meant for recognizing early warning bells of frauds, examining them and investigating them as and when deemed necessary. New and uncommon methods will be explained and discussed to make the investigating officers better prepared and equipped to tackle such situations.

5.16.1 Significant Achievements

1. Post Qualification Course on "Information System Audit (ISA)"

Post Qualification Course (PQC) on Information Systems Audit (ISA) has been a great unifying forces bringing together members for a unique information sharing, professional development and training initiative. The ISA PT Batches, ISA Eligibility Test & ISA Assessment Test were organized across the country. More than 52 batches were conducted during this period. The Committee conducted following ISA Eligibility Tests:

- On May 11, 2013 at 52 Centers including Sri Lanka and Nepal.
- On October 19, 2013 at 39 Centers including Nepal.
- On May 10, 2014 at 43 Centres including Nepal & Sri lanka.

2. Train-the-trainer programme

The Committee conducted Train- the- trainers programme at Hotel Country Inn Ghaziabad from 26th to 28th April, 2014 and invited 40 ISA Faculties. The objective of the Train-the-trainers programme was to discuss about the methodology and launch of the new ISA Course 2.0. It was very well received by the participants and also received very good feedback and suggestions for the improvement of the new ISA Course 2.0.

3. Launch of Revised ISA Course

The Committee has launched the new ISA Course 2.0 and the ISA PT batch with new course launched on 5th July, 2014 at ICAI Bhawan Noida-62. The overall objective of the DISA course 2.0 is to provide relevant practical knowledge and skills for planning and performing various types of assurance or consulting assignments in the areas of Governance, Risk management, Security, Controls and Compliance in the domain of Information Systems and in an Information Technology environment by using relevant standards, frameworks, guidelines and best practices. The DISA course is conducted through a good blend of e-learning (online and facilitated), class room training, hands-on training with practical case studies and project work to ensure practical application of knowledge.

4. Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection

The Committee conducts Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection using IT and CAAT's. The course aims to develop investigative skills required to uncover corporate/ business frauds, measure resultant damage, provide litigation support/ outside counsel by applying accounting, auditing principles for the detection of frauds.

5. ISA Meets

The Committee organized ISA Meets at Baroda, Thane, Lucknow, Nagpur, Bangalore, Indore, Noida, Raipur, Bareilly, Patna, Kota and Udupi.

6. Release of Publication

The Committee has released the following publications for the members at large.

- The Committee on Information Technology had launched new E-Learning Course on Customs Duty on 12th February, 2014 and also updated version of E-Learning Course on Service Tax.
- The Central Sales Tax Act, 1956

7. Maintenance of following E- Learning courses

The Committee is maintaining the following e- Learning Courses:

- Service Tax
- Transfer Pricing
- Standards on Audit
- Standards on Audit - Phase-II
- Standards on Audit - Phase-III
- Standards on Audit - Phase-IV

Information Technology Directorate

Projects Completed:

Development of Mobile Application: The ICAI Mobile Application for Android and iOS platform was developed and launched on 12th February, 2014 by IT Directorate. Currently, Android Version 1.6 published on 5th June, 2014 and iOS version 1.3 published on 10th April, 2014. (APP Name: ICAI NOW)

ICAI Knowledge Portal: The ICAI knowledge Gateway was launched on 12th February, 2014 by IT Directorate. It offers latest publications, articles, journals and news sources subscribed to on behalf of members and students. It's Discussion Forum and Blog feature encourages to network professionally, and is also compatible on mobile devices http://www.icaiknowledgegateway.org/

Flexi Working Portal for Women Members: ICAI Women's Portal launched on 22nd April, 2014, helps women member find suitable opportunities including part time/flexi hour's jobs or jobs with work from home option. It helps women professionals to contribute to the growth of the profession http://womenportal.icai.org/

E-Books: IT Directorate launches E-Book on Guidance Notes of Auditing. This online flipbook is mobile compatible (android, iOS etc.) and provides various features like, to share, provide bookmarks, search etc., for our stakeholders http://www.icai.org/ebooks/

ICAI Publications Online Store: Online Store was launched on 1st July, 2014 by IT Directorate. It offers the facility to purchase various ICAI Publications, ICAI Stationary Items and ICAI E-Learning CD's, online https://icaionlinestore.org/

ICAI Digital Library: ICAI Digital Library launched on 1st July, 2014, is a comprehensive repository of various digital Publications, Journals, E-books, magazines etc. of the ICAI. Also the Economic and Political Weekly magazine has been subscribed by the ICAI Digital Library on behalf of its members http://icaidigitallibrary.org

Development of Mobile Application on Windows Platform: ICAI Mobile Application for Windows platform has been launched on 10th July, 2014. (APP Name: ICAI NOW)

ICAI Cloud Campus - aims to reach out to students across the country and abroad to provide education and training at their doorsteps; and also serves as One-Stop Window to all their educational, administrative, examination, enrolment and other requirements with next generation interactive learning system. The aforesaid Portal was inaugurated on CA Day (1st July 2014) by August hands of Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs, Finance and Defence Mr. Arun Jaitley http://cloudcampus.icai.org/

Reaching Members and Students through Social Media: Facebook, Twitter, Linkedin, Google Plus, You Tube.

ICAI Video Podcast: A podcast is a digital medium consisting of series of Audio, Video, PDF, or epub files subscribed to and downloaded through web syndication or streamed online to a Computer or Mobile device. A value added service to our members. The first series is focused on Companies Act 2013 and subsequently more areas may be included http://www.icaitv.com/podcast.xml

Projects in Progress:

- Development/Updating of Portal for Committee on Economic, Commercial Laws & WTO
- Development of Portal for International Affairs Committee.

- Development of Meeting Management Portal for ICAI Committees.
- Development of Portal of Young Members Empowerment Committee.
- Portal for maintaining Students Work Dairy

Significant Achievements/Milestones:

The ICAI Mobile Application on Android platform has achieved one lakh + active users as on 1st July, 2014.

Review and Monitor Technology Initiatives:

The IT Directorate is monitoring all the technology Initiatives of ICAI Action Plan 2014-15.

- Setting up ICAI Global Technology Centre.
- Providing service interface through the Mobile App of ICAI.
- Making website more interactive and user-friendly.
- Converting ICAI publications into e-books.
- Expanding web-enabled services for regulatory and other requirements.

5.17 Technology Development Committee

The Technology Development Committee (Special Purpose) has been constituted on 1st April, 2014 by the President, ICAI in terms of the authority conferred to him by the Council at its 331st meeting held on 10th, 11th and 12th February, 2014.

5.17.1 Review of Terms of Reference of the Technology Development Committee

The Committee has reviewed and finalized the terms of reference of the Committee in first meeting held on 8th May, 2014. Further, the terms of reference of the Committee has been approved in 533rd Executive committee held on 28th June, 2014.

The Committee has been set-up to identify the New Areas of Information Technology Initiatives to empower ICAI and enable the Institute to create a formidable and robust future for the Profession. The detailed terms of reference (TOR) of the Committee are given below:

- To Identify the Business Process Gaps, Plan Business management strategy, focusing on Business process re-engineering within the ICAI aimed to help ICAI to improve Service to ICAI stakeholders and Cut Operational Cost.
- To Identify, develop and monitor social media platform for ICAI.
- To Identify, implement and develop mobile platform for ICAI and setup the new communication platform anytime, anywhere access.
- To identify the cutting edge technology tools available in market and suggest committee to advise and implement in ICAI for the benefit of ICAI.
- To Review, monitor and implement various IT Initiatives.
- To Keep Track of latest advances in technology space and harnessing them for benefit of ICAI.

5.17.2 Projects Completed:

Development of Mobile Application: The Committee has developed the ICAI Mobile Application for Android and iOS platform. Currently, Android Version 1.6 published on 5th June, 2014 and iOS version 1.3 published on 10th April, 2014.

Social Networking Platform: The Committee has published ICAIYouTube Channel & Google plus Page on 9th May, 2014.

Google Hangout: The Committee has setup Google Hangout audio/video conference facility in ICAI premises for Broadcasting Audio/Video Conference on Air.

- Committee has organized First Google Hangout with ICAI President, CA. K. Raghu on 13th May,2014 from Google office, Gurgaon
- Committee has organized Second Google Hangout Session with ICAI Leadership on 1st July,2014

5.17.3 Projects in Progress:

Development of Mobile Application on Windows Platform: ICAI Mobile Application for Windows platform has been launched on 10th July, 2014. (APP Name: ICAI NOW)

Social Networking Platform: The Committee has setup ICAI Trial account on Facebook & Twitter, which was published on 1st July, 2014.

Meeting Management Software: Development of Meeting management software has been started for managing agenda documents and minutes of meeting etc. for all the committees.

5.17.4 Significant Achievements/Milestones:

The ICAI Mobile Application on Android platform has achieved one lakh+ active users as on 1st July, 2014.

5.17.5 Review and Monitor Technology Initiatives:

The Committee is monitoring all the technology Initiatives of ICAI President Action Plan 2014-15.

- Setting up ICAI Global Technology Centre.
- Establishing ICAI Knowledge Gateway with specialized knowledge under one roof.
- Introducing advanced ITT hi-tech labs to provide training to our students.
- Engaging members via social media.
- Providing service interface through the Mobile App of ICAI.
- Making website more interactive and user-friendly.
- Launching Online Store of ICAI.
- Converting ICAI publications into e-books.
- Expanding web-enabled services for regulatory and other requirements.

5.18 Internal Audit Standards Board

Internal audit is a key pillar in effective corporate governance and risk management framework. Regulators, board of directors, audit committee, risk committee, management and other stakeholders look upon internal audit as a critical component in providing assurance that there is transparency in reporting, as a part of good governance. The Institute has been working continuously to help the internal auditors to update their skill sets and guide them towards timely application of relevant knowledge to create value. The Institute had constituted a Non-Standing Committee, *Committee on Internal Audit* on February 5, 2004. The Committee was renamed as *Internal Audit Standards Board* in November 2008. The primary mission of the Board, as approved by the Council in its terms of reference, is to reinforce the primacy of the Institute of Chartered Accountants of India as a promoter, source and purveyor of knowledge of internal audit in the country.

The Board is putting immense efforts to enlighten the members working as internal auditors in various industries by bringing out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Manuals/ Knowledge Booklets. The following is a comprehensive overview of the important achievements of the Board till date:

5.18.1 Standards on Internal Audit

Eighteen Standards on Internal Audit

Compendium of Standards on Internal Audit (As on July 1, 2013)

5.18.2 Industry Specific Technical Guides

25 Industry Specific Technical Guides on Internal Audit

Compendium of Technical Guides on Internal Audit (As on February 1, 2013)

5.18.3 Generic Guidelines

15 Generic Guides on Internal Audit

5.18.4 The year 2013-14

- During the year 2013-14, five meetings of the Board were held.
- The Board, in the year 2013-14, has issued Standard on Internal Audit *Related Parties* codifying the best practices in the area of internal audit. In addition to it, the Board has also issued *Compendium of Standards on Internal Audit* which contains text of all the eighteen Standards on Internal Audit, Preface to Standards on Internal Audit and Framework on Standards on Internal Audit, issued by the Board.
- The Board has issued a number of industry-specific Technical Guides, e.g., Pharmaceutical, petrochemical, beverages Industry, etc. that helps the members of the Institute as well as others working as internal auditors in these industries to understand the basic operations undertaken by the industry and also the internal audit aspects relating to the same.
- Dissemination of Knowledge about the Standards on Internal Audit among members is necessary, so the Board has organized a number of seminars, conferences, conclaves at Lucknow, Thane, Nagpur, Jalgaon, Pune, Mumbai, Amritsar, Patiala, and Tirupathi.
- During the period, the Board has issued fifth and sixth edition of its e-newsletter.

5.18.5 Technical Literature

Technical Guide on Auditing Waste Management

Waste Management is increasingly recognized as a policy approach that can make a key contribution to green growth, and the challenges that are posed by sustained global economic and demographic growth. Deficiencies in waste management systems are a matter of national importance and, therefore, of interest to the chartered accountants. Chartered accountants have an important part to play in responding to these concerns as by conducting Waste Management Audit. The Board has issued *Technical Guide on Auditing Waste Management,* so as to provide guidance to internal auditors in carrying out internal audit of entities operating in waste management industry.

Technical Guide on Internal Audit of Pharmaceutical Industry

The Indian pharmaceutical industry has grown at a high pace during the last few years. Risk is central to pharmaceutical companies as they are dependent on continuous research and development with long gestation periods, compliance issues with environmental laws, heavy capital investments as well as expenditures. The internal auditors can play a crucial role in helping pharmaceutical companies to address the said risks presented by today's complex, competitive and risk driven environment by strategizing and channelizing the threats into opportunities and assist the management of the said companies in taking future course of action. "*Technical Guide on Internal Audit of Pharmaceutical Industry*" provides an insight into the functioning of the Pharmaceutical Industry.

Technical Guide on Internal Audit of Petrochemical Industry

Petrochemical industry is vital to economic growth as it provides link between natural resources and value added products. It is a primary source of synthetic materials to support the present level of human development across the globe. In such a crucial industry, internal audit has emerged as "value added" function with the change in focus to operational and management audit instead of a routine transaction audit. Keeping this in mind, the Internal Audit Standards Board has issued this guide to help members involved in petrochemical industry in efficiently discharging their professional responsibilities as internal auditors.

Technical Guide on Internal Audit of Beverages Industry

The Indian beverage industry is continuing to grow at a fast pace in a consumer driven environment. Growth barriers such as pricing pressures, volatile input costs, ability to add new customers and product innovations expose companies operating in the beverage industry to new risks and vulnerability. This technical guide deals with operational areas of entities operating in this industry, with emphasis on financial controls and compliances mandated as per the various regulations applicable to the beverage industry.

Technical Guide on Internal Audit of IT Software Industry

This Technical Guide issued by the Board deals with operational areas of entities operating in this industry, with emphasis on compliances as mandated as per various regulations as applicable to software industry. It provides detailed guidance on business processes controls, risk management, legal and regulatory compliances, etc. related to this industry.

Guide to Internal Financial Controls

Effective system of internal financial controls is pre-requisite for reliable financial reporting. The Companies Act, 2013 defines internal financial controls which has extended coverage and focus. Chartered Accountants can play a critical role in designing and ensuring operating effectiveness of internal financial controls. The objective of this Guide is to provide guidance to the members on implementation of new provisions related to internal financial controls, so that they can play a crucial role in strengthening the internal control environment of the corporates.

5.18.6 Knowledge Booklets

Knowledge Booklet I: *Enhancing Governance through Internal Audit*

Internal audit performs a very critical role in organizational governance by understanding and evaluating these components, and providing value added support for their improvement. A holistic view of organizational governance provides internal audit opportunity to play a more active and strategic role. This knowledge booklet highlights important areas and ways where internal audit can assume responsibility with regard to mapping out and performing, most of all managing, various governance related activities in the organization.

Knowledge Booklet II: *A New Era in Internal Audit- Companies Act, 2013*

This booklet highlights the new provisions on internal audit in the Companies Act, 2013. It discusses enhanced role of internal auditor in areas such as, Stronger Support for Audit Committee or Board, Effective Risk Management, Internal Control Systems and Ensuring Compliance, etc.

5.18.7 Certificate Courses

The Board also organises the following Certificate Courses:

Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Board conducts Certificate Course on "Concurrent Audit of Banks" to enable members to have in-depth knowledge of concurrent audit of banks. During the period from April 2013 to July 2014, the Board has successfully completed the seventy eight batches of the Certificate Course at various places covering around 3500 members all over country. The Board has introduced OMR checking for examination of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks. Panel of expert faculties for Certificate Course on Concurrent Audit of Banks has also been formed.

The Board has also organized Faculty Development Program of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks on August 7&8, 2013 at Centre of Excellence, Hyderabad.

Further, more than 30 batches of the Certificate Course are being organized by the Board by March, 2015 at various places.

Certificate Courses on Enterprise Risk Management

The Internal Audit Standards Board of the ICAI offers Certificate Course on "Enterprise Risk Management" as internal auditor's full potential can be exploited by developing his ability to provide advice and assurance on risk management to Audit Committee and executive management. The Board has successfully completed four batches of the Course organised at Delhi, Mumbai and Hyderabad respectively. The Course is being restructured by the Internal Audit Standards Board.

Certificate Course on Internal Audit

Educational experience, applicable knowledge and business tools that can deliver a positive impact on any organization or business environment are the end results of the Certificate Course on Internal Audit to its members offered by the Board**.** The Board has successfully completed the first batch of the Course organised at Hyderabad. The Course is being restructured by the Internal Audit Standards Board.

5.18.8 Quarterly E-newsletter "*Internal Audit and Beyond*"

The Board has issued six editions of its' quarterly E-newsletter "Internal Audit and Beyond". This e-newsletter aims at enlightening professionals and other relevant members with the updates, technical pronouncements and opportunities in the mainstream internal audit world.

5.18.9 Conferences and Other Programmes

The Board also organizes conferences, seminars, training programmes, workshops on internal audit in various parts of the country which are hosted by the concerned Regional Council/ Branches of the Institute.

5.18.10 Live Webinars on Internal Audit and Related Areas

The Internal Audit Standards Board has conducted various webinars

5.18.11 Government Internal Audit Certificate Program

The Board has successfully completed the pilot batch of the "*Government Internal Audit Certificate Program – Level I*" in May, 2013 which was jointly organized with Office of Controller General of Accounts, Ministry of Finance. The Certificate Program was specifically designed covering relevant areas such as budgeting, internal audit, performance audit, proprietary audit, reporting, etc. Case studies were designed on government schemes to clarify the concepts. There were 48 participants from different ministries who had attended the ten days program and had also appeared for the exam. Certificates to successful participants have been awarded by Mr. Jawahar Thakur, Controller General of Accounts on May 6, 2013.

5.18.12 Survey on Internal Audit

The Board has decided to conduct survey on internal audit and constituted a study group. The perceived objectives of the survey are to gain insight on current trends and challenges facing the internal audit profession in the country.

5.19 Committee on International Taxation

The Committee has organized several conferences, training programmes, workshops, conventions, among others at several locations.

E-Learning Modules:- The Committee recognizes the significance of spreading knowledge of the subject of International Tax throughout the country and therefore developed E- learning modules on "Introduction to Tax Treaty" which was released in CA Day function on 1st July, 2014 to facilitate the learning of the subject by any member residing in remotest area.

Webcast on International Taxation, Transfer Pricing and FEMA: The Committee has taken an initiative to organize Live Webcast on various Topics on International Taxation, Transfer Pricing and FEMA. The objective of these webcast is to spread awareness of the subject and the developments on regular basis to all the members. Video of the webcast is uploaded at www.icaitv.com. Total 25 webcast has been conducted. It includes 19 webcast on various topics on International Taxation, 4 webcast on Transfer Pricing, and 2 webcast on FEMA.

E-Newsletter: The subject of International Tax has been increasingly gathering the attention of members and also the tax department. The Committee has taken various initiatives for the members in Industry as well as in practice to bring more awareness and spreading the developments on periodical basis. With a view to share developments on subject on periodical basis, the Committee decided to bring e-newsletter on "International Taxation". The First Edition of E-Newsletter of the committee been has released in the 64th Annual Function of ICAI i.e. 11th February, 2014.

Apart from the above activities, the Committee has brought out following Publications on International Taxation for the overall benefit of our esteemed members:

- Guidance Note on Report under Section 92E of the Income Tax Act, 1961 (Transfer Pricing) (Revised August, 2013)
- Technical Guide on Royalty and Fees for Technical Services (Revised February, 2014)
- Technical Guide on Expatriates Taxation (Revised February, 2014)
- Monthly Articles on International Taxation in the Institute's Journal

At present, the Committee is conducting Post Qualification Certificate Course on International Taxation. Total 39 batches conducted. Eminent, expert and learned faculties drawn from all over India gives value addition to this course. The course is recognized all over India and positive feedback is also received from the participating members. Now, looking to the overwhelming response, it is proposed to convert the course into Post Qualification Diploma Course.

Arrangement with C-Mots:

ICAI enters into an arrangement with C-MOTS Internet Technologies Pvt. Ltd for concessional rate of subscription of Capitaline Plus - Online version for Transfer pricing to the members of ICAI at a subsidized rate of Rs. 10000 plus taxes per annum per login.

Arrangement with CCH India (a Wolters Kluwer business)

ICAI enters into an arrangement with CCH India (a Wolters Kluwer business) to provide the contents of an online subscription based resource called Cross Border Tax Referencer to the members of ICAI at a subsidized rate of Rs. 3500 plus taxes per user per year. The list price for this subscription is Rs. 7500 plus taxes per user per year. Cross Border Tax Referencer combines the benefits of an expert commentary and a database of Q & A s with refined accessibility to information on PE, Royalties and FTS/FIS.

Proposed Arrangement with AFPL

The Committee in its 16th Meeting held on 31st January, 2014 approved the revised proposal received from Accord Fintech Pvt. Ltd. for the ACE TP Online (web) access for the members of ICAI at a subsidized rate. Accordingly, the Committee will proceed to make arrangement with AFPL.

Research and Honorarium:

The Committee has decided to promote research on subjects relating to International Taxation and to give honorarium on research base activity.

Representation submitted

- The Committee had submitted representation to Joint Secretary (FT&TR-I) Department of Revenue, CBDT for New Form No. 3CEB on 19.07.2013
- The Committee had submitted representation dated 27.08.2013 to the Director (FT&TR) Department of Revenue, CBDT on Draft Safe Harbour Rules.
- The Committee had submitted representation dated 25.10.2013 to the Joint Secretary, (TPL) for reporting of International Transaction and Specified Domestic Transaction to be submitted online on the website of Income Tax Department.
- The Committee had submitted representation dated 25.10.2013 to Joint Secretary, (Foreign Trade Division) with regard to the provisions related to Domestic Transfer Pricing inserted in the Income tax Act, 1961 with effect from FY 2012-2013.
- The Committee had submitted representation dated 22.11.2013 to Chairperson (CBDT) for reporting of International Transaction and Specified Domestic Transaction to be submitted online on the website of Income

Tax Department.

- The Committee had submitted representation dated 22.11.2013 to Member, (L&C) for reporting of International Transaction and Specified Domestic Transaction to be submitted online on the website of Income Tax Department.

5.20 Committee for Members in Industry

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industry in various capacities, so as to provide them a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government and also provide maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

5.20.1 Campus Placement Programme for the Newly Qualified Chartered Accountants

The Committee organizes Campus Placement Programme for the newly qualified Chartered Accountants twice in a year. The Committee is committed to provide world class placement services to the members and best accounting and finance talents to the industry.

For the year 2013-2014

The Committee had conducted 37th Edition and 38th Edition of the Campus Placement Programme for the Newly Qualified Chartered Accountants.

Salient features

37th Edition	**38th Edition**
For Newly Qualified Chartered Accountants who had passed the CA final examination in November 2012	For Newly Qualified Chartered Accountants who had passed the CA final examination in May, 2013
Held in two phases at 18 centres	Held in two phases at 16 centres
Around 7300 candidates had registered	Around 4150 candidates had registered
More than 900 jobs were offered	More than 685 jobs were offered
58 top entities from the industry participated in this programme with total number of 116 interview teams across all the centres	61 top entities from the industry participated in this programme with total number of 106 interview teams across all the centres
Highest salary offered under the international posting was Rs. 21 lakhs per annum and under the domestic posting, Rs. 16.55 lakhs per annum.	Highest salary offered under the international posting was Rs.24.64 lakhs per annum and under the domestic posting, Rs. 20 lakhs per annum.

For the year 2014-15 (till July 7th 2014)

The Committee had conducted 39th Edition of the Campus Placement Programme for the Newly Qualified Chartered Accountants.

Salient features

- For Newly Qualified Chartered Accountants who had passed the CA final examination in November, 2013
- Held in two phases at 16 centres
- Around 2600 candidates had registered
- More than 700 jobs were offered
- 80 top entities from the industry participated in this programme with total number of 136 interview teams across all the centres
- Highest salary offered under the international posting was Rs.20.25 lakhs per annum and under the domestic posting, Rs. 21 lakhs per annum.

5.20.2 Orientation Programme for the Newly Qualified Chartered Accountants

For the year 2013-2014

The Committee has conducted two rounds of Orientation Programme during 2013- 2014, for the candidates who have appeared in the Campus Placement Programme - February-March 2013 at 20 centres, and for the candidates who have appeared in the Campus Placement Programme - August-September 2013 at 16 centers.

In the Orientation Programmes, eminent faculties were invited to address the candidates on various topics, such as expectations of the Corporate from the Chartered Accountants, Soft Skills required for Fresh Chartered Accountants, How to succeed in Personal Interviews, Opportunities for Chartered Accountants in various industries etc.

For the year 2014-15 (till 7th July 2014)

The Orientation Programme was organised at 16 centres across the country. In the Orientation Programmes, eminent faculties were invited to address the candidates on various topics such as expectations of the Corporate from the Chartered Accountants, Soft Skills required for Fresh Chartered Accountants, How to succeed in Personal Interviews, Opportunities for Chartered Accountants in various industries etc.

5.20.3 ICAI-Industry HR Meet

For the year 2013-14

The Committee has organized ICAI - Industry HR Meet on 26th April, 2013 at Hyatt Regency, New Delhi. The objective of organizing ICAI - Industry HR Meet was to discuss certain critical issues relating to the conducting of the Campus Placement Programmes throughout the country at various centres. 21 representatives from various corporate have participated in the meet and provided their suggestions and feedbacks about the Campus Placement Programme.

For the year 2014-15 (till 7th July 2014)

The Committee has organized ICAI Industry HR Meet on 29th April, 2014 at Mumbai to reinforce the alliance between ICAI and the Corporate and to have Corporate feedback/ suggestions about the norms and process of placement for the next Campus Placement Programme - August-September-October 2014.

5.20.4 Initiatives taken by the Committee for Developing Competencies amongst the Members in Industry

For the Year 2013 -14

1. CPE Study Circles for Members in Industry

ICAI has notified the norms for CPE Study Circles, which caters exclusively for the members in Industry. These CPE Study Circles are being contemplated to help Members who are in industry to achieve the objectives of maintaining their core competencies and exchange professional knowledge amongst the members apart from fostering and developing fellowship. Please visit http://www.cmii.icai.org/cpe.asp to see the entire norms of the CPE Study Circle for Members in Industry.

The Committee has been empowered to approve, guide and supervise the CPE Study Circles for Members in Industry, which will conduct Continuing Professional Education Programmes for the Members in Industry. The norms provide for the minimum number of members required and the application procedure, rules for functioning, administration and accounts of these CPE Study Circles. 16 CPE Study Circles were formed during the year.

2. Launched E-Learning Courses for the Chartered Accountants and new version of the Placement portal

The Committee launched the following E-Learning Courses by the August hands of Hon'ble Mr. Sachin Pilot, Union Minister of State for Corporate Affairs (I/C) on 1st July, 2013.

- E-Learning Courses for the Chartered Accountants
 - Business Etiquette-Gaining that Extra Edge
 - Mastering Interview
- The CMII also launched the new version of the placement portal i.e. http://placement.icai.org/ on 1st July 2013.

3. Programmes on Contemporary topics for the benefit of the Members in Industry

The Committee has organized programmes on contemporary topics such as transfer pricing, tax issues in case of inbound and outbound M & A and Corporate Taxation.

4. Programmes Organised

The Committee has organized three Industry Specific Seminars and one residential refresher course.

5. Industry Meet/CFO/CEO Meet

To improve the relationship between the Institute and the members working in industry and to discuss the issues of contemporary importance and mutual concern, the Committee has organized meetings of the members who are at the helm of affairs in the Corporate in all major cities. Six such meets were organized.

6. Jury Meet for ICAI Awards 2013

The Committee has organised Jury Meet for ICAI Awards 2013 on 2nd December 2013 at Hotel Trident, Mumbai to select the best amongst the best Chartered Accountants in Industry who had been nominated for the ICAI Awards 2013.

7. 7th ICAI Corporate Forum and Awards 2013 (www.corporateforum.icai.org)

The Committee has organized Annual Corporate Forum 7th time in a row at New Delhi on 10th and 11th January 2014 comprising of high profile events such as 7th Corporate Conclave 2013, two days National Convention and 7th ICAI Awards 2013. This Convention focused on various important topics of relevance to the members of the Institute and beneficial in keeping them updated in this dynamic environment. More than 160 Chartered Accountants have attended this convention on both the days. The 7th ICAI Awards 2013 honored the contribution of Chartered Accountants across various sectors, corporate houses and MNCs in India. There were three main categories of awards namely; CA. Business Leader, CA. CFO and CA Professional Achiever.

For the year 2014-2015 (till 7th July, 2014)

1. Mentor to guide the young aspiring and willing CAs

Launched Mentorship Programme

CMII has Launched the Mentorship Programme soliciting the experienced Members of the Institute to take up the mentorship role & make his/her humble contribution for the sustenance and growth of the noble profession and to enable more competitive edge to the profession. Senior & Experienced CA professionals were sent a request to volunteer for mentorship to recently qualified and other aspiring and willing CAs based on their merits and suitability with the belief that their kind presence and hand holding attributes will facilitate a high quality counseling and guidance to the aspiring and willing CAs and they will be able to choose a right career path in future by developing their skills, knowledge and attributes through effective mentorship and interactive learning process.

2. Released 12th issue of CMII e-Newsletter

The Committee has released the 12th issue of e-newsletter which is available at link http://220.227.161.86/33552cmii-enewsletter23183main.pdf. This e-newsletter is a window to the recent accomplishments by CMII, as well as it seeks to enlighten the members about the new initiatives being undertaken for the benefit of the Members working in the Industry.

3. Launched ICAI Reconnect

The Committee has launched ICAI reconnect with the aim to communicate the privileges and other benefits of being members of the Institute so that the Chartered Accountants who are not keeping the membership status active understands its importance and renew it on continuous basis.

4. Formation of CPE Study Circle for Members in Industry

The Committee has formed 2 more CPE Study Circle for Members in Industry of ICAI taking the number of study circles to 96.

5. Outreach Programmes

The Committee has organized five Outreach Programmes:

6. Programmes Organized

The Committee has organized several programmes such as Conclave, Seminars, Interactive Meets amongst others.

7. Publications/ Compilations

The Committee has released following publications:

- CMII Activities- A Platform for Members in Industry
- Revised edition of Handbook for Newly Qualified Chartered Accountants
- Mentorship Programme
- ICAI Re Connect

8. Recognition and Appreciation to the Members in Industry who have completed two decades of their professional contribution

The Committee has sent a special letter to recognize and appreciate the Members in Industry who have completed two decades of their professional contribution on the eve of 1st July, 2014.

9. 8th ICAI Corporate Forum

The Committee is organizing 8th ICAI Corporate Forum in the month of January-February, 2015 at Mumbai. The Committee has taken the initiative of introducing fully online Nomination Form to avoid the inconvenience faced by the members.

5.21 Peer Review Board

The Peer Review Board was established in terms of the "Statement on Peer Review" issued by the Institute in March, 2002 (Revised in 2008 and 2011). Since then, it has been much in existence in the international scenario. It aims to maintain and enhance the quality of assurance services. The Peer Review Mechanism of ICAI is directed towards maintenance and enhancement of quality of assurance services, also to provide guidance to members to improve their performance and quality of professional work as well as adhere to various statutory and other regulatory requirements. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as Peer Reviewer.

As per the new Statement, the main objective of peer review is to ensure that in carrying out professional assurance service assignments, the members of the Institute comply with the technical standards laid down by the Institute and have in place proper systems including documentation for maintaining the quality of assurance services work they perform.

The Securities & Exchange Board of India (SEBI) vide its circular no. CIR/CFD/DIL/1/2010 dated April 5, 2010 has made mandatory with effect from April 1, 2010 for the listed entities, limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.

Comptroller & Auditor General (C&AG) of India has also recognized Peer Review Board's work; as it seeks additional details from the Chartered Accountants firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years, the C&AG annually seeks details from Institute of those firms which have been issued certificate by the Peer Review Board.

In order to expedite the process of consideration of Peer Review Reports received by the Peer Review Board, it constituted a Sub–Committee of the Board. The Sub-Committee met several times during the year, considered and issued Peer Review Certificates to 7229 Practice Units till date. Accordingly the complete updated list of the Practice Units issued Peer Review Certificates has also been uploaded on the web page of the Peer Review Board of ICAI website along with the date of issuance of the certificate.

The Peer Review Process aims to cover all firms of Chartered Accountants (PUs) in a phased manner in three stages. PUs covered under Stage I have been selected in 5 phases and those under Stage II have so far been selected for 4 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under Phase II thereof. The number of PUs selected aggregate to 11067. Further 798 Practice Units, have been selected under second cycle of peer review.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the practice units for review and total of 4867 reviewers have been trained so far. The Training Programme is aimed to understand the nuances and intricacies of the peer review process i.e. how to carry out peer review of a Practice Unit. Further the Peer Review Board since its inception has organized 134 Peer Review Training Programmes till date.

To cater to the needs of the profession and meet the challenges of the ever changing environment the Peer Review Board has revised the Peer Review Manual publication of the Peer Review Board in January, 2014. Further the Peer Review Manual has been converted in e book format and launched on July 1, 2014.

Position regarding selection of Practice Unit

Selection of Practice Unit	**No. of PU Selected**	**% of selection**	**Peer Review Completed/ Under Progress**
Selection under Level 1 **(SI)**	2603	26.21%	2424
Selection under Level 2 **(SII)**	5166	45%	4239
Selection under Level 3 **(SIII)**	3306	28.79%	2051
Grand Total as on July 7, 2014	**11075**	**100%**	**8714**

Selection of Practice Unit

Selection of Practice Unit (Phase wise)	Level I	Level II	Level III
Phase 1	199	1509	2718
Phase 2	241	1269	588
Phase 3	406	1084	-
Phase 4	727	962	-
Phase 5	1030	342	-
Total	**2603**	**5166**	**3306**

Position Regarding Peer Review Reports

Statistics as on	Reports received (Final/ Qualified)	Peer Review Certificates issued	Follow on Reviews	Reports to be Considered by the Board/ Incomplete Reports
July 7, 2014	**7478**	**7229**	**224**	**25**

5.22 Professional Development Committee

The Professional Development Committee was set up in the year 1962 as a non-standing Committee by the Institute. The Professional Development Committee is one of the most vibrant Committees of the Institute which has always been making vigorous efforts towards exploring and making available ample opportunities for the members of the Institute in different sectors of the economy. It determines the professional developmental needs and identifies issues and other areas, which can impact the profession. In order to achieve this, the Committee has been striving to generate more professional opportunities for the members of the Institute by exploring/ pursuing new/ existing areas where the professional skills of the members could be utilized in a productive and fruitful manner. The Committee has also made considerable efforts to ensure that equitable opportunities are available to all members of the profession. Apart from exploring unchartered territories in the professional development, the Committee strives to strengthen the communication process with multitude of users across the different sections of the society and educate them about the role of Chartered Accountants. With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes seminars, workshops on contemporary areas of interest.

- Representations have been sent to senior officials of Central Government and Ministers and senior officials of all State Governments stating the legal status and strength of ICAI & its members with a brief submission to utilise professional expertise of CAs to strengthen the Indian Economy.
- Meeting with CMDs of all public sector banks are being held to apprise them of assignments for which services of Chartered Accountants can be utilised.
- The Committee took many initiatives during the year, like holding meetings with different officials of Ministry of Finance, in different government departments, regulatory bodies etc. Besides meetings, the Committee organized seminars and workshops with the objective of improving the skills of the members, keeping them abreast of the new rules & regulations and bringing members and regulators closer to each other.
- The Professional Development Committee Knowledge Portal which is available at the link www.pdicai.org continues to provide its services to the members with timely and essential information on new professional opportunities in different sectors to the members
- To ensure professional opportunities and equitable distribution thereof, panels of chartered accountants/firms were provided to Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai and various other authorities as per the criteria specified by them

The major endeavours of the Committee in this reporting period are given below:

- Representation was submitted to Mr. Manmohan Singh, the then Hon'ble Prime Minister, Government of India and Mr. P Chidambaram, the then Hon'ble Union Minister of Finance, Government of India requesting to consider increase in audit coverage of branches of public sector banks (PSBs) by reducing the threshold limit.

Request was renewed and also submitted to Mr. Chandan Sinha, Executive Director, Reserve Bank of India and Dr. Gurdial Singh Sandhu, Secretary (Banking), Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India requesting to consider increase in audit coverage of branches of PSBs by reducing the threshold limit from Rs. 20 crore to Rs. 6 crore.

- Meeting held with Dr. M. Pallam Raju, Hon'ble Union Minister of Human Resource Development, Government of India.
- Pursuant to meetings held with Mr. Manoranjan Kumar, Regional Commissioner-II (Investment), Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), New Delhi, EPFO came out with empanelment of Chartered Accountants at its 120 Regional and Sub-Regional Offices spread across the country.

5.23 Committee on Public Finance & Government Accounting

The Committee on Public Finance & Government Accounting has been constituted to extend professional excellence of Chartered Accountants in the area of Public Finance & Government Accounting. The Committee assists in developing Public Finance & Government Accounting structure and robust mechanism for channelizing adequate resources to ensure appropriate sectoral allocation for inclusive growth and economic development.

The Committee is involved with activities contributing towards nation building by providing assistance to Central & State Governments to develop effective mechanism for financial administration and management of public fund. The Committee is working closely with various Government departments advising them in establishing best accounting practices and moving towards convergence with Global Standards of Financial Reporting. The Committee is also conducting capacity building programmes for officials of various Government departments and providing technical inputs through studies.

The major achievements/ initiatives of the Committee during the period 1st April, 2013 to 7th July, 2014 are as under:-

- The Committee organized several training programmes, national conferences, national seminars, residential refresher courses during the year.
- The Committee organized series of training programmes on "Accrual Accounting, Budgetary Control & Audit Framework" for officials of Municipal Corporation of Greater Mumbai during the years 2013 & 2014.
- ICAI signed Memorandum of Understanding (MoU) with Department of Posts (DoP), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India, for organizing Training Programmes on "Accrual Accounting System" for the staff in the Postal Accounts Offices and has successfully conducted series of Training Programmes for their officials on pan India basis during the year 2013.
- The Committee brought out publications on "Trends & Patterns in Public Finance: Theoretical and Empirical Aspects" and Study Report on "Performance of State Government in Hospitality Sector".
- The Committee has organized four webcasts on current issues related to Indian economy during the year 2013-14.
- Awareness programmes on the theme "Rising to the Challenges in Public Finance" were organized by the Committee.
- During the year 2013-14, the Committee also released its bi-monthly e-newsletter regularly.

The Committee has drawn up its action plan for the year 2014-15 in line with Action Plan of ICAI wherein the Committee -

- is collaborating with departments and institutions of national importance such as C&AG, Department of Post, MCGM to formulate successful adaption of Accrual Accounting System and recent changes in the economic and strategic policies of the Government;
- has constituted State Level Task Forces which would represent the CPF&GA and discharge the objectives of the Committee at state level and involve the local authorities and departments and their officials for contributing to the issues of economic importance for their state and nation as a whole;
- is approaching central, state public sector undertakings and local bodies in order to lay emphasis on adaption of double entry system of accounting and improving their accounts to ensure transparency and accountability in public service delivery mechanism.

5.24 Research

Research, by playing a crucial role in widening the knowledge base of a profession, forms the foundation on which a profession grows and prospers. In view of importance of research for the profession, the Research Committee was constituted as a Non-Standing Committee by the Council of the Institute at its 17th meeting held in the year 1955. Its

primary objective is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. Since its inception, the Research Committee has been actively involved in providing guidance to the members in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing. The Committee has also been proactive in responding to the need for accounting guidance on contemporary issues, which arise due to amendments in laws and other developments related to economic reforms in the country.

The Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles. The Committee also conducts an annual competition, viz., 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' with a view to improve the standards of financial reporting in the country.

5.24.1 Achievements

During the period covered under report, the Committee, on a request received from the Department of Public Enterprises (DPE), prepared a glossary of definitions of financial and accounting terms, to be used in the Memorandum of Understanding (MoU) guidelines prepared by DPE to be entered between it and various central public sector undertakings for evaluating their performance covering certain financial and non-financial parameters. The Committee also organised a technical workshop on the topic 'Towards Excellence in Financial Reporting' with an objective to improve the financial reporting of entities in the country. At the workshop, a presentation was made by the members of the Shield Panel highlighting their major observations arising out of their evaluation of published Annual Reports and other documents received for the competition, with a view to enhance the quality of preparation and presentation of financial statements in the country.

5.24.2 Important Projects in progress

Committee has various other projects at different stages. These are listed below:

(a) Guidance Note on Accounting for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities: The Committee has undertaken the project with a view to provide guidance on accounting for recognition, measurement and presentation in financial statement of expenditure on corporate social responsibility (CSR) activities by the companies, in view of the provisions related to CSR activities as contained in the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder.

(b) Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts: Accounting Standards-30, 31 and 32 issued by the Institute for accounting of financial instruments are currently not mandatory. This project has been undertaken to provide guidance on accounting for derivative contracts considering the lack of mandatory guidance in this regard with a view to minimise the diversity of practice in accounting for derivative contracts by various entities in India.

(c) Technical Guide on Accounting for Motion Picture Films: The Committee took up this project to provide accounting guidance in accordance with Accounting Standards and other Generally Accepted Accounting Principles to address issues peculiar to motion picture sector.

(d) Checklist for Disclosures under Schedule III to the Companies Act, 2013: The project has been undertaken with a view to bring out a publication which may be a ready referencer for disclosures to be made in the financial statements as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, for easy reference of members and others.

(e) Revision of Checklist for Disclosures under Accounting Standards: The Committee has undertaken the project to revise the abovementioned publication issued in the year 2007, with a view to incorporate any further disclosure requirements arising out of a matter covered by an Accounting Standard related to the period after January 1, 2007, since the original publication incorporate disclosure requirements till that period.

(f) Revision of publication Excellence in Financial Reporting: An Illustrative Guide to Presentation and Disclosures: The above project has been undertaken considering the fact that the above publication, based on key observations made during the review of the annual reports for past two competitions, i.e., for the year 2007-08 and 2008-09, was regarded useful by members and other users. Accordingly, it was decided to update the publication based on observations of the Shield Panel of later years.

5.24.3 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for Financial Year – 2012-13

As per modalities of the annual competition, ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting, the participating entities pass through a robust three-tier evaluation process. The annual reports of participating entities are primarily reviewed by a panel of Technical Reviewers, who are members of the Institute and experts in the areas of accounting & auditing. The entities are further reviewed by the Shield Panel, a sub-committee of the Research Committee which comprises of few members of Research Committee along with few other independent eminent accounting and auditing experts. The financial statements of entities are considered on various criteria such as technical and statutory compliances, quality, nature and manner of presentation of information, reporting from corporate governance perspective, with emphasis being primarily on the compliance with accounting standards, statutory requirements and relevant applicable laws. At the final level of evaluation process, the entities shortlisted by the Shield Panel, are

presented before the Jury. The Jury comprises of eminent personalities from various walks of life. The financial statements of short listed participant entities are meticulously considered to select the awardees of the competition.

Jury Meeting for the year 2012-13 was held on January, 24, 2014, at New Delhi and was chaired by Mr. T.S. Vijayan, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees were: Mr. M.J. Joseph, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Corporate Affairs, Mr. I.P. Singh, Former Deputy C&AG, Mr. B.P. Rao, Chairman & Managing Director, BHEL, Dr. Asish K. Bhattacharyya, Former Professor, IIM-Kolkata, CA. Gul Teckchandani, Equity Analyst and leading Investment Advisor, CA. Suresh Senapaty, Executive Director and Chief Financial Officer, Wipro Limited, CA. S. Ravi, Independent Director, BHEL & IDBI Bank Ltd., CA. Subhash C. Aggarwal, Chairman & Managing Director, SMC Global Securities Ltd., CA. G. Krishnakumar, Deputy Chairman, Cochin Port Trust and Mr. Leo Puri, Managing Director, UTI AMC Ltd.

As per the scheme of awards, One Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on February 6, 2014 at New Delhi. Hon'ble Union Minister of State for Information and Broadcasting (Independent Charge), Mr. Manish Tewari, was the Chief Guest and Hon'ble Justice Mr. G.S. Sistani, Judge, Delhi High Court was the Guest of Honour. A total of 16 awards – two Hall of Fame, three Gold Shields, five Silver Shields and six Plaques were given away.

LIST OF AWARDEES OF COMPETITION FOR THE 'ICAI AWARDS FOR EXCELLENCE IN FINANCIAL REPORTING'

For the Year 2012-13

Category		**Award**	**Name of the Entity**	**Annual Report and Accounts for the year ended**
I	Public Sector Banks	Decided not to give any award		
II	Private Banks (including Co-operative banks and Foreign Banks)	Gold Shield	Axis Bank Limited	March 31, 2013
		Silver Shield	HDFC Bank Limited	March 31, 2013
		Plaque for Commended Annual Report	ICICI Bank Limited	March 31, 2013
III	Insurance Sector	Gold Shield	HDFC ERGO General Insurance Company Limited	March 31, 2013
		Silver Shield	ICICI Prudential Life Insurance Company Limited	March 31, 2013
		Plaque for Commended Annual Report	Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Limited	March 31, 2013
IV	Financial Services Sector (other than Banking and Insurance)	Gold Shield	Decided not to give any Gold Shield	-
		Silver Shield	Decided not to give any Silver Shield	-
		Plaque for Commended Annual Report	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	March 31, 2013
V	Manufacturing Sector (Turn over equal to or more than Rs. 500 crore)	Gold Shield	Decided not to give any Gold Shield	-
		Silver Shield	Hindustan Unilever Limited	March 31, 2013
		Plaque for Commended Annual Report	Asian Paints Limited	March, 31, 2013
VI	Manufacturing Sector – (Turnover less than Rs. 500 crore)	Decided not to give any award		

VII	Infrastructure and Construction Sector – (Turnover equal to or more than Rs. 500 crore)	Decided not to give any award		
VIII	Infrastructure and Construction Sector – (Turnover less than Rs. 500 crore)	Decided not to give any award		
IX	Service Sector (other than financial services sector) (Turn over equal to or more than Rs. 500 crore)	Gold Shield	Decided not to give any Gold Shield	-
		Silver Shield	Persistent Systems Limited	March 31, 2013
			Tata Consultancy Services Limited	March 31, 2013
		Plaque for Commended Annual Report	Hexaware Technologies Limited	December 31, 2012
X	Service Sector (other than financial services sector) (Turn over less than Rs. 500 crore)	Hall of Fame	Nucleus Software Exports Limited	March 31, 2013
		Gold Shield	Decided not to give any Gold Shield	-
		Silver Shield	Decided not to give any Silver Shield	-
		Plaque for Commended Annual Report	National Payments Corporation of India	March 31, 2013
XI	Not-for-Profit Sector	Hall of Fame	The Akshaya Patra Foundation	March 31, 2013
		Gold Shield	The Akshaya Patra Foundation	March 31, 2013
		Silver Shield	Decided not to give any Silver Shield	
		Plaque for Commended Annual Report	Decided not to give a plaque	-
XII	Local Bodies	Nil		
XIII	Agricultural Sector	Decided not to give any award		

5.25 Strategy & Perspective Planning Committee

Perspective Planning Committee[1]

Perspective Planning Committee review emerging developments nationally and internationally, to improvise the strategic work plan to achieve the long-term vision of building up profession's credibility and create a niche in emerging areas as well, so as to be of value to society and expand our horizon. Further Committee considers all the emerging developments nationally and internationally which may have possible bearing on regulated area carved out for the profession and supplement further by suggesting ways and means to promote the role of Chartered Accountancy profession in other areas by flagging issues wherein profession needs to devote attention.

Significant Initiatives of the Perspective Planning Committee

- The Committee organized a meeting of sub-group for development of guidelines and other procedural framework for operationalizing the OCI scheme for pursuing Chartered Accountancy course as and when the scheme is notified.
- The Committee as a continual process is taking initiatives to gain insights from members, Corporate and Govt. regulators on Skill and Expectation Gap Analysis and Building Competencies for Practicing Accounting Professionals. The Committee would be conducting surveys to gain inputs from members and all other stakeholders; and to postulate the strategy for the development of the profession.

[1] The Perspective Planning Committee has been rechristened as Strategy and Perspective Planning Committee *w.e.f.* 12.02.2014.

- To have one-to-one interaction of the Committee with the external stakeholders in order to have an analysis of the stakeholder's expectation from ICAI to frame a time based workplan to meet out the expectations.

- To conduct Gap Analysis study taking into accounts the emerging paradigm of global economy along with global accountancy profession and the functioning of Indian accountancy profession.

5.26 Ind AS (IFRS) Implementation Committee

In this era of globalisation, where cross border movement of capital is increasing, the users of the financial statements of an entity are no longer limited to single country of business. It is increasingly being felt that financial statements should be comparable with other entities across the globe. In order to achieve this objective, the accounting principles for reporting financial information should be identical in all the countries. All this has necessitated the establishment of a single set of globally accepted financial reporting system. The International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) are increasingly being recognised as global financial reporting standards. Currently, more than 130 nations and reporting jurisdictions permit or require the use of IFRS, and many other countries are replacing their national standards with IFRS.

Considering the major developments in India with regard to convergence with IFRS and global developments in the area of IFRS, Ind AS (IFRS) Implementation Committee had been constituted by the Institute of Chartered Accountants of India. The Ind AS (IFRS) Implementation Committee of the ICAI has been making relentless efforts in order to impart education about IFRS and Ind AS. The Committee has been taking various initiatives such as, formulation of Educational Materials, conducting IFRS Certificate Courses, workshops, awareness programmes on IFRS across the country and abroad.

The Committee was involved in formulation of Educational Materials on Indian Accounting Standards. An Educational material which contain summary of the respective standard, Frequently asked Questions (FAQ's) covering the issues, which are expected to be encountered frequently while implementing the standard and the text of Ind AS is also included as an appendix to make the Educational Material comprehensive. During the period, Educational materials on Ind AS 7, Statement of Cash Flows have been issued.

The Committee is also conducting an extensive 120-hour IFRS Certification course in India and abroad to impart knowledge about Ind AS/IFRS with sufficient classroom training and e-learning facility to make the members competent in this era of IFRS. From April 2013 to July 2014, 18 batches of Certificate Course on IFRS have been conducted wherein a total of 450 participants have undergone the class room training. So far, around a total of 5100 members have been trained under this programme. The Committee has been taking adequate steps to make the education on IFRS more effective in India and abroad. In this regard, the existing structure of IFRS Certificate course has been revised. The duration of IFRS Certificate Course has been increased from 7 days to 14 days to make the course more comprehensive. Further, a revised module-wise session plan for the course has also been finalised.

In order to improvise the IFRS Certificate Course and to provide necessary support and guidance to the participants to appear in the IFRS Certificate Course examination, Model Question Papers have been formulated and the same were circulated amongst participants of IFRS Certificate Course. Further, to make the learning more comprehensive and to provide adequate guidance to members on IFRS, it has been decided to develop publications on Case Studies, Objective type Questions on IFRS, learning materials on IFRS in the form of videos, audios, CDs etc.

The Committee has decided to conduct two days training programmes "Moving Ahead towards IFRS Environment" at various locations across the country. These training programmes will serve the dual purpose of dispelling the myths about Ind AS/IFRS, while showcasing its benefits and educating about Ind AS /IFRS as well. Background material for these training programmes has been prepared. In addition to above, the Committee has also decided to conduct a study on Impact of Ind AS/IFRS in India. A study Group for this purpose has been constituted. The Committee, during the last Council Year 2013-14, had started conducting a concise and updated Two-Days awareness programme *"Moving Ahead to IFRS-Converged Indian Accounting Standards Environment"* at various locations across the country to get the members and other stakeholders prepared to implement Ind AS by clarifying common misconception with regard to Ind AS/IFRS and by educating them about Ind AS/IFRS. During the period, Two-Days Awareness Programmes have been held at Delhi in October 2013 and at Pune in December 2013.

During the Council Year 2013-14, one-Day programme on IFRS was successfully organised jointly with Accounting Standards Board, Nepal on January 24, 2014, at Kathmandu, Nepal for CEOs/Board Members of various financial sector entities. The purpose of the programme was to discuss the policy implications of IFRS at Board level in the financial sector. This programme was attended by 47 participants working as CEO, CFO and Executives in Banks, Financial Institutions and Insurance Companies.

Further, the Committee also conducted training programmes outside India to create awareness amongst the members and other stakeholders at large.

5.27 Public Relation Activities

In the year 2013-14, there was an increased interaction with Media as a result of various new initiatives undertaken during the year. Besides, the Regional offices & Branches were also urged to have constant interaction with the media so as to keep the members, students & stakeholders informed about the good work being done by the ICAI. Some of the important activities undertaken by the PR Committee during the aforesaid period include the following:

- The ICAI celebrated its 66th Foundation Day on July 1, 2014. The PR Committee took the major initiative of motivating all Regional Councils & Branches to celebrate "CA Day" in a structured manner. A communication from the President was forwarded to Chairmen of all Regional Councils/ Branches/ CPE Study Circles & PoUs asking them to celebrate CA Day by undertaking specified activities like organizing Tax clinics, creating awareness about initiatives undertaken by ICAI towards Women Empowerment, cyclothon, green marathon, tree plantation, distribution of Literacy Kits, blood donation etc in addition to the general activities being undertaken. These activities aim at enhancing the image of ICAI and contribute towards society and nation building. A special grant was sanctioned to the Regional Councils & Branches for undertaking the specified activities. A function was organized at New Delhi to commemorate the occasion which was widely covered by the media.
- The Media interactions increased during the year through one on one interviews/ Press Release/ Press Conferences by way of which the media was constantly apprised of the latest developments regarding the new initiatives like MoU with MHRD, Change and updation in the curriculum, Launch of Cloud Campus/ Mobile Apps/ Digital Library & Online Publication Store/ Women Portal/ Global Career E-Kits, IFRS Roadmap, Companies Act, new guidelines for CAs, visit of foreign delegations, other activities and alike.
- The scope & potential of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context was also promoted by way of contributing articles, advertisements in various publications.
- As a part of the PR exercise, general public and media has been apprised of the different Seminars/ Programs/ Events organized by the way of releasing advts in various News/ Financial Newspapers, Press Releases and articles.
- The information relating to Campus Placement Programmes were shared with the media and was widely covered in various publications.
- The 64th Annual function of the ICAI celebrated on February 11, 2014 in New Delhi, the International Conference titled "Accountancy Profession: Emerging Frontiers of Future Growth" organized in Kolkata from November 21-23, 2013 and the 65th Foundation Day function held on July 1, 2013 were widely covered by the media.
- Logistic support was provided to various departments within the Institute, to the Regional Offices and Branches with a view to develop a communication link between the ICAI & its offices/ related organizations.
- To create an awareness about the initiatives undertaken ICAI, the advts were released in the In-flight/ News/ Business magazines as well as in CA Journal. This is not only creates awareness amongst members & stakeholders at large but also helps in building brand ICAI.

5.28 Women Members Empowerment Committee

The President, ICAI, in terms of the authority conferred to him by the Council at its 331st meeting held on 10th, 11th and 12th February, 2014, had constituted Women Members Empowerment Committee of the Council for the Year 2014-15.

During the period from 12th February, 2014 to 7th July 2014, the Committee had conducted 7 Women Members Empowerment Programmes all across India including the First National Seminar for Women Chartered Accountants at Delhi. Over 600 women members have attended the said programmes conducted at Chennai, Goa, Ghaziabad, Delhi, Kota, Jodhpur and Ujjain. The programme structures were formulated in such a manner so as to empower women members in both social as well as professional field. The sessions discussed during the programmes included both technical as well as non technical topics taken up by eminent lady faculty members.

5.29 Young Members Empowerment Committee

The Young Members Empowerment Committee was constituted by the Council first time in February, 2014. The objective of formation of this committee is to nurture the untapped potential of the young member and channelize it towards the achievement of the personal and professional goals and to encourage them to become world class professionals. There is no dearth of opportunity for CA's and the greatest challenge is to fulfill the expectations of the society as a whole. For this, Young CAs need to keep improving and updating their professional knowledge and competencies with a zest to excel in the dynamic business environment

Vision of the Committee

- To visualize the future needs of the young members entering into the profession and to gear up the professionals for dynamic environment.
- To help the young members in meeting the evolving expectations of the society as far as the technical and professional skills are concerned.
- To explore and develop new avenues of practice/ employment/ entrepreneurship for Young Members.

The first meeting of the Young Members Empowerment Committee was held on 12th March, 2014.

The Committee Activities for the period 1st April, 2014 to 7th July, 2014 includes holding of seminars, workshops and webasts.

5.30 Quality Review

Government of India has, in exercise of the powers conferred under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949, constituted a Quality Review Board (the 'Board') to perform the following functions u/s 28B of the Chartered Accountants Act, 1949:-

a) to make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute;

b) to review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services; and

c) to guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

The Board has initiated a system of review of statutory audit services of the audit firms auditing accounts of public interest entities in India pursuant to a process comprising selection of the audit firms for review and engagement of the Technical Reviewers in terms of the 'Procedure for Quality Review of Audit Services of Audit Firms' issued by it in terms of Rule 6 of the 'Chartered Accountants (Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board) Rules, 2006' framed by the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of Sub-section (2) of Section 29A of, read with Section 28C and Sub-section (1) of Section 28D of, the Chartered Accountants Act, 1949.

During the year 2013-14, the Board has made certain references/ recommendations to the Council for consideration under clause (a) of Sec.28B of the Chartered Accountants Act, 1949 on which the Council has sought legal opinion for deciding the roadmap on how to move forward in the matter. In accordance with the 'Procedure for Quality Review of Audit Services of Audit Firms', the Quality Review Board has already initiated a system of independent review of statutory audit services of the audit firms auditing accounts of public interest entities in India pursuant to a process comprising selection of the audit firms for review and engagement of Technical Reviewers. Till date, a total of 85 review reports have been accepted by the Quality Review Board in respect of the Quality Reviews initiated during the financial years 2012-13 and 2013-14. In accordance with the 'Procedure for Quality Review of Audit Services of Audit Firms', the Quality Review Board has already initiated a system of independent review of statutory audit services of the audit firms auditing accounts of public interest entities in India pursuant to a process comprising selection of the audit firms for review and engagement of Technical Reviewers. Till date, a total of 85 review reports have been accepted by the Quality Review Board in respect of the Quality Reviews initiated during the financial years 2012-13 and 2013-14.

6. INTERNATIONAL AFFAIRS COMMITTEE

Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

1. MoU signed during April 2013 to July 2014

- ICAI has signed a Memorandum of Understanding with the Accounting & Auditing Standards Board of Bhutan for institutionalization of Accountancy Profession in Bhutan on November 22, 2013 at Science City Auditorium, Kolkata.
- ICAI has signed a Memorandum of Understanding with the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) on June 18, 2014 at New Delhi, India to work together in establishing possible co-operation in different areas of profession.

The MoUs in the process of renewal are with:-

- CPA Australia
- The Institute of Chartered Accountants in England & Wales
- Institute of Chartered Accountants of Australia

2. Globalizing ICAI's Brand Equity

- ICAI inaugurated its 22nd Chapter at Brisbane coinciding with the ICAI Study tour to Australia on September 19, 2013.
- ICAI inaugurated its 23rd Chapter at Uganda on February 01, 2014

ICAI is in the final stages of opening up of ICAI Chapters in:-

- Vancouver (British Columbia)
- Bangkok (Thailand)

ICAI is also exploring possibilities of opening up of ICAI US Chapters in the areas such as Washington DC; Chicago; San Francisco; Houston; Atlanta in order to serve its members in a better way.

- ICAI Study Tour to Australia from September 17-24, 2013

3. Visit of delegation to ICAI
 - Visit of Delegation from Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board (KASNEB) on September 16, 2013
 - Visit of Mr. Mário Vicente Sitoe, The Bastonaire of Oedem dos Conatbilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) on November 25, 2013
 - Visit of Mr. Justin West, Head of Business operations, The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) on October 07, 2013 & April 22, 2014
 - Visit of IFAC Delegation to India from June 29 to July 2, 2014
4. Conferences
 - ICAI International Conference from November 21-23, 2013 "Accountancy Profession: Emerging Frontiers of Future Growth" from November 21-23, 2013 at Science City Auditorium, Kolkata
 - Meetings of Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA) from November 19-22, 2013
 - International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS) meet on March 6 and 7, 2014 and IFRS Regional Policy Forum on March 8-9, 2014

5. Technical Co-operation to under developed countries

- ICAI is in talks with Pakistan & Sri Lanka to establish mutual cooperation between the two Institutes for the development of the accountancy profession in these countries and India.

- Technical support to be provided by ICAI to Custom Officers of Afghanistan

6. Working for building blocks

"ICAI Global Career E-Kit" was launched at Dubai, Kuwait & Muscat in order to make the potential ICAI members to capitalize on opportunities available in this era of technology. These kits are conceptualized to provide panoramic view of the primary information to our members intending to go abroad for professional forays.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

The effective performance of an organization depends upon the quality and competence of its human resources. Supporting the commitment of the Institute to a reverent environment for all its employees, it has continued to strive and to focus on making its Human Resources more responsive and adaptable. In the process to facelift the HR from a personnel and executive function to a value added strategic direction, the focus has been on the formidable talent issues, including reaching new talent pools, developing existing employees and skills; and addressing the emerging needs of leadership capability.

Developing the talent of employees and ensuring that they have the right skills and competencies is a priority that has continued this year also. Aimed at better task coordination, collaborative problem solving, and better communication in team and task environments, various training programs on diverse topics were organized in the headquarters at Delhi as well as in the regional offices.

In order to propel the Institute into its next orbit of growth and to enable it to provide quality service to the members, students and others concerned, unique programmes of manpower planning were designed.

Various time scheduled recruitment drives with focus on excellence and knowledge in academics/faculty were successfully undertaken for the period under report. The initiatives so undertaken yielded the desired results in the form of employing more human resources meant for technical/ academics and administrative positions in different areas of the Institute.

Further HR initiatives aiming at grievance redressal, timely counseling, enhanced facility management etc taken during the period under report included better and quality work environment, weekly departmental meetings, periodic employee counseling, together with grievance seeking and hardship mitigating steps.

Human Resource Transformation Committee

With a view to strategically transform the Human resource management systems and introducing IT tools for better HR services, the Council had formed special purpose Committee namely Human Resource (HR) Transformation Committee for the year 2014-15. While studying the internal practices and benchmarking the global HR management trends, the Committee aims to come up with innovative ideas for addressing and synchronizing the aspirations of internal stakeholders with that of management goals so as to achieve the ICAI Action Plan in future.

7.2 Committee on Management Accounting

Initiatives for Profession: *Working for Building Blocks*

Certificate Courses:

The Committee on Management Accounting has been successfully conducting a very high valued certificate course of one year duration on Master in Business Finance (MBF) for last five year with an aim to provide cutting edge Finance skill to qualified and experienced Chartered Accountants at different cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad. It has successfully completed Five (5) Batches. The Committee is conducting classes for 6th Batch MBF at Delhi, Mumbai, Ahmedabad and Kolkata. Inauguration of 7th Batch at Delhi & Mumbai was held on 28th & 29th June, 2014 respectively.

Post-Qualification Courses

The Committee on Management Accounting conducts two post qualification courses: 1. Management Accountancy Course 2. Corporate Management Course and it is taking all initiatives to review the Course curriculum, delivery mechanism etc.

Industry/Corporate Initiatives/Programmes

1. The Committee has taken initiative to hold three days Joint Programmes with SIDBI, GIZ and ICAI on Working Capital Finance and Project Finance pertaining to MSME sector.
2. The Committee decided to hold a National Conference on Management Accounting at Hubli jointly with some Universities of the Region.
3. The Committee is organizing training for HPCL Executives on Master in Business Finance Certificate Course by ICAI at HPCL Institute of Management Development, Pune."

Seminars/Workshops/Conferences/ Other Programmes:

It conducted various Seminars/ Workshops jointly with Committee on Public Finance (PFC), Committee on Cooperative and NPO Sectors (CCONPO) and Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners (CCBCAF &SMP).

Interaction with Ministries/Regulators/Govt. Offices on Professional Matters: Strengthening ties

Meetings with Ministries/Regulators/Govt. Offices

The Committee has started research/ technical work to provide professional services to various Central/ State Governments in Project Management, Resource Management and Capacity Building.

Publications: *Sharing Knowledge, Skills and Competence*

Important Decisions/Initiatives

The Committee has decided to bring out Publication of a booklet on FAQs on Management Accounting.

For Members

The Committee published its quarterly Journal "Management Accounting and Business Finance"– July 2014 highlighting some recent developments on Management Accounting and Business Finance for dissemination of knowledge for the benefit of the members and others concerned.

7.3 Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services

With a view to provide a close linkage between ICAI and the members who are in Entrepreneurship or Public Service, Committee for Members in Entrepreneurship & Public Services was constituted in the year 2011-12. The objective of the Committee is to have a mutually advantageous live connect between ICAI and the members in Entrepreneurship and Public Services and to work on the aspects realizing mutual benefit of such members as well as the other members of the

Institute.

Important events organized by the Committee

a. Residential Workshop of ICAI Members in Public Services on the theme 'Accountancy Profession for Economic Development' from 25th to 27th October 2013

The Committee organized a Residential Workshop of ICAI Members in Public Services on the theme 'Accountancy Profession for Economic Development' from 25th to 27th October 2013 at hotel 'The Leela Kovalam', Kerala. The Workshop aimed at identifying matters of national importance which ICAI can take up for research and further study and also to brainstorm on various matters of current significance for response by the profession.

The Workshop was attended by following ICAI members in various Public Services:

CA. Suresh P. Prabhu	Former Union Minister, Government of India
CA. Praveen Garg, IAS	Joint Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice
CA. Mahavir Singhvi, IFS	Director, Ministry of External Affairs
CA. Deepak Kumar Kedia, IPS	Director, Ministry of Home Affairs
CA. Rakesh Rathi, IPS	SP, Central Bureau of Investigation
CA. J. Krishna Kishore, IRS	Commissioner of Income Tax, Guntur
CA. Pankaj Singhania, IRS	Joint Commissioner of Income Tax, Kolkata
CA. J. Sudhakar Reddy	Member, Income Tax Appellate Tribunal
CA. P.M. Jagtap	Member, Income Tax Appellate Tribunal
CA. R.K. Panda	Member, Income Tax Appellate Tribunal
CA. B.R. Baskaran	Member, Income Tax Appellate Tribunal

The various issues highlighted at the Workshop were:

- ICAI role in bringing financial transparency and in strengthening government accounting system in India
- Internal governance of the Institute
- Addressing Public Perception and the issue of expectation gap
- Profession towards economic upliftment and towards societal good
- Capacity Building of Stakeholders
- Strengthening regulatory role being played by ICAI
- Strengthening Education system to attract brilliant students joining CA course
- Suggestions for improving the effectiveness of working of the Group of Members in Public Service

b. Conclave of ICAI Members in Entrepreneurship & Public Services on 17th January 2014

The Committee organised a Conclave of ICAI Members in Entrepreneurship & Public Services on 17th January 2014 at 4.00 PM, Hotel Taj Man Singh, New Delhi. The Conclave was organized with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Entrepreneurship & Public Services for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members.

More than 40 highly respectable members of the profession who have established themselves as successful Entrepreneurs or who are engaged in Public Services have participated at the event. Conclave was inaugurated by Mr. K. Rahman Khan, the then Hon'ble Minister for Minority Affairs. CA. Piyush Goyal, the then Member of Parliament, Rajya Sabha (now Union Minister), Hon'ble Justice (CA.) Anil R. Dave, Sitting Judge, Supreme Court of India and CA. Suresh P. Prabhu, Former Union Minister, Government of India presented a Special Address at the occasion.

The Conclave was divided into two Panel Discussions namely need for Separate Chartered Accountancy Services under Central Civil Services and CA Profession: A Perfect Launch Pad for future Entrepreneurs wherein highly respectable members of the Profession deliberated upon the role of the Institute in the context of Chartered Accountants opting for

Entrepreneurship or Public Services.

The Committee has been discontinued w.e.f February 11, 2014.

7.4 Committee for Co-operatives & NPO Sectors

The Committee for Co-operatives and NPO Sectors is a non-standing Committee of the Institute formed under the regulatory provisions of the Chartered Accountants Act, 1949 in the month of February, 2011 by the President of ICAI.

The Committee has been constituted to identify issues and opportunities and NPO sectors and equip members and other stakeholders to find a new niche for themselves and as well as maintaining and developing the core competencies in the Co-operatives and NPO sectors.

The Committee organized several programmes/ seminars/ conferences/ RRCs

Meeting with Key stakeholders:

1. Meeting with the Registrar of Cooperative Societies, Haryana: The committee has dialogue with Registrar of Cooperative Societies, Haryana to discuss issues related to empanelment of Chartered Accountants/ Firms and allotment of audits thereof.
2. Meeting with Registrar of Multi State Co-operative Societies, Delhi: The committee has dialogue with Registrar of Multi State Co-operative Societies, Delhi to discuss the issues related to empanelment of Chartered Accountants/ Firms and allotment of audits thereof.
3. Meeting with Secretary of Department of Public Enterprise, Delhi: The committee has dialogue with Department of Public Enterprise, Delhi to discuss the issues related to empanelment of Chartered Accountants/ Firms and allotment of audits thereof.
4. Meeting with Director General, SCOPE, Delhi: The committee has dialogue with Dr. U.D. Choubey, Director General, SCOPE on 4th April, 2014.
5. Meeting with Chief Executive, NCUI, Delhi: The committee has dialogue with Dr. Dinesh, Chief Executive, NCUI on 4th April, 2014.
6. Meeting with Registrar of Cooperation, Goa: The committee has dialogue with Registrar of Cooperation, Goa on 30th April, 2014.
7. Meeting with Managing Director, National Cooperative Housing Federation: The committee has dialogue with Dr M.L. Khurana, Managing Director, National Cooperative Housing Federation of India requesting him for organizing a jointly program on Housing Cooperatives.
8. Meeting with Agriculture Minister, Ministry of Agriculture: The committee has dialogue with Mr Radha Mohan Singh, Agriculture Minister, Minister of Agriculture on 4th June, 2014.

Constitution of State-wise task force to explore new professional opportunities for members in Cooperatives & NPO Sectors:

In an initiative to explore new professional opportunities for members in the co-operatives and NPO Sectors, the Committee has formed state-wise task forces for the states of Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Delhi, Punjab, Haryana and Rajasthan. The basic purpose of forming the state-wise task force is to develop and promote the services of CAs and act as forum where the CAs engaged in Co-operatives & NPO Sector can share best practice and ideas. The basic intent behind forming the STF has also been that these STFs would identify the opportunities for members of the Institute in their respective states in Cooperatives & NPOs.

Webcast:

Committee organized a webcast on 5th June, 2014 on Formation and Management of NPO (Trust, Society, Sec 8 Companies under Companies Act, 2013 & Non trading corporations) at BKC Mumbai.

Publications:

There are some publications brought by the Committee exclusively. Followings are the name of publications of the committee between 1st April, 2013 and 7th July, 2014:

1. Frequently asked questions (FAQs) for NPOs on FCRA laws.
2. A guide on laws governing charitable organizations in India.

Certificate Course:

Committee has successfully and efficiently completed its first batch of Certificate Course on Management, Taxation Laws, Accounting & Auditing Concerning Co-Operative Societies and NPOs of 30 CPE hours on 18th January, 2014 at

Hotel Country Inn & Suites, 64/6, Sahibabad Industrial Area, Site – 4, Near Vaishali Metro Station, Ghaziabad. The purpose of the course is to focus on the issues such as Formation, Accounting, Auditing and Taxation of NPOs, Societies and Co-operative Societies, Laws related to Income tax, Service Tax, VAT, FCRA, CSR and laws concerning Co-operatives and NPOs.

E-Newsletter

Committee has uploaded its 2nd edition of E-Newsletter 'CCONPO Bulletin'. The basic purpose of E-Newsletter is awareness/ knowledge updation of members about changes happening in Co-operatives & NPO Sectors.

7.5 Legal Advisory Wing

The Legal Advisory Wing of the Institute provides the following services:

1. Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies, reports, as required from time to time by various Committees/ Departments of ICAI
2. Ensuring the providing of appropriate legal advice on a diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of ICAI, to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.
3. Supervising and Overseeing the review, negotiation drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.
4. Serving on various standing and non-standing committees, study groups and task force, as required, to take care of legal obligations in framing of policies.
5. Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing of reply to legal notices received.

7.6 Infrastructure Development Committee

"The Council has recently approved the Infrastructure Policy for uniform development of Infrastructure of Branches and Regional Council/Office. Further a Special Purpose Committee namely Infrastructure Development Committee has been constituted to look after the Building Proposals that will be received from Branches/ Regional Councils. The Policy has been framed keeping the cost factors involved for Developing the Infrastructure of Branches and Regional Councils/Offices. Grants for developing the Infrastructure has been decided after considering long term Infrastructure requirements and cost generally involved for developing the same.

During the period under report, following infrastructure development activities have been undertaken:

- Bhoomi Poojan/Foundation Stone laying ceremony was held at Amritsar, Ghazibad, Hubli
- New Premises was inaugurated at Mangalore, Tirunelveli
- Auditoriums at Siliguri, Asansol and Faridabad were inaugurated
- Trichur Branch Building First Floor was inaugurated.

7.7 Right to Information Act, 2005

The Right to Information Act provided the right to information for citizens of India to access the information under the control of Public Authorities in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute, a statutory body setup by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, Appellate Authority (RTI) and Transparency Officer had been designated by this Public Authority.

Disclosure under Section 4 (1) (b) of the RTI Act, 2005.

In terms of the Section 4 (1) (b) of the Right to Information Act, 2005 necessary disclosure have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time. Link for the same is http://www.icai.org/new_post.html?post_id=1346&c_id=203.

Gist of the Quarterly Returns for the year 2013-14 submitted to Central Information Commission and thereafter published by the CIC

Quarter	Total number of applications replied in the quarter	Total Number of applications transferred to other PAs	Decisions where applications for information rejected	Percentage of rejection
Ist Quarter	106	0	14	15.2%
IInd Quarter	198	0	5	2.6%
IIIrd Quarter	171	2	19	13.2%
IVth Quarter	285	1	52	20.6%

7.8 XBRL

XBRL India, facilitated by the ICAI, is spearheading the XBRL revolution in the country with active participation of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI, IRDA and RBI from the year 2007.

XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

The Commercial & Industrial (C&I) taxonomy is being used by the Ministry of Corporate Affairs for having annual filings of the financial statements of a select class of companies from the year 2010-11.

XBRL filings for the year 2013-14 have been started with no change in the taxonomy and business rules and no increase in the ambit of coverage of the companies.

Involvement of Regulators

- ✓ An XBRL India Advisory Council (XIAC) has been constituted under the aegis of XBRL India with representation from MCA, IRDA and RBI along with the Board members of XBRL India to provide strategic advice related to the XBRL activities in India, including the development and adoption of XBRL taxonomies for various industries as and when the need arises. XIAC is actively considering the matter of analyses of XBRL filings and adoption of SBR (Standard Business Reporting) in India wherein filers would be required to file at single common reporting platform and all the regulators would extract the data as per their regulatory requirement.
- ✓ Report on the analyses/review of financial statements in XBRL format of 36 companies, from qualitative perspective, submitted to the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.
- ✓ The Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has proposed to conduct a pilot study on the draft insurance taxonomies for life and non-life insurance companies.
- ✓ Representation has been made before Central Board of Direct Taxes (CBDT) on adoption of XBRL format for Income tax filings in India.

Industry-Specific Taxonomies

The taxonomies for life and non-life insurance companies have been finalized with the involvement of IRDA and submitted to the IRDA for pilot study. The same will be submitted to the Ministry of Corporate Affairs after approval from IRDA.

International Activities

The contribution of ICAI to XBRL activities has not been limited to India. The ICAI has been continuously contributing to the endeavours of XBRL International through nominations of members in the following committees:

i. Member Assembly of XBRL International
ii. Membership Development Committee of XBRL International
iii. Finance and HR Committee of XBRL International

Education and Training on XBRL

The XBRL Foundation Certificate Course of XBRL International has been launched in India at a discounted price for the members of XBRL India. This course is a 10 hours e-learning course. For more details, please refer www.xbrl.org/in.

Statutory Recognition

Extensible Business Reporting Language (XBRL) format has been recognized as a standard reporting language under Companies Act, 2013 for filing of financial statements.

8. OTHER MATTERS

8.1 Committee for Review of Education & Training

The Chartered Accountancy Course is a dynamic course and hence it is reviewed periodically so as to maintain the edge of the profession vis-à-vis contemporary economic developments. Accordingly, In terms of the authority given by the

Council at its 323rd Meeting of the Council held on 12th February, 2013, the President has constituted a Committee for Review of Education and Training (CRET) for the year 2013-14 to review the existing scheme of Education and Training in a comprehensive manner so as to be in tandem with the anticipated changes in the economic environment.

The composition of the CRET was further broad based in 2014 so as to have more active involvement of Past Presidents as well as Regional Council Members. As a part of multiple pronged strategy, it is proposed to hold the meetings of the Regional CRETs with Users of services, regulators and academicians in each region; issuance of web-based questionnaire for Members, Students, Users of services including regulators and academicians; so as to have valuable inputs from cross section of the society and consider the same while formulating the new Scheme of Education and Training.

8.2 Annual Function of the ICAI

The 64th Annual Function of the Institute was celebrated on 11th February, 2014 in the Convention Hall of Hotel Ashok, New Delhi. The Chief Guests on this occasion were Mr. Kapil Sibal, the then Union Minister for Communications & IT and Law & Justice and CA. K. Rahman Khan, the then Union Minister for Minority Affairs. On this occasion awards were awarded to meritorious students who qualified the Institute's examinations besides the Regional Councils and Branches for outstanding progress made during the year 2013-14. The function was well attended by past Presidents of the Institute, members of the Council and its Regional Councils, office-bearers of the Branches, officials from the Ministry of Corporate Affairs besides a large number of members and students. The media gave a comprehensive coverage to the Function. The Function ended on an optimistic note.

8.3 Celebrations of Chartered Accountants Day – 1st July, 2014

The ICAI celebrated its 66th Foundation Day as the Chartered Accountants Day on 1st July, 2014. The celebrations started with flag hoisting at the headquarters of the Institute by CA. K. Raghu, President of the Institute in the presence of Vice-President, members of the Central Council, Regional Councils and employees of the Institute. In the evening a grand function was organized at Vigyan Bhawan, New Delhi. The function was graced by Hon'ble Union Minister for Finance, Defence and Corporate Affairs, Mr. Arun Jaitely. The Hon'ble Union Minister appreciated the role of the profession as a partner in Nation building. On this occasion, Mr. Warren Allen, President, International Federation of Accountants (IAFC) was also present. The IFAC President also addressed a Special Session on "Accountancy Profession: Emracing Change & Driving Growth. The Function was attended by over 2000 guests. The Chartered Accountants Day was also celebrated across the country by the Regional Councils and its Branches by participating in various programmes like Tree Plantations, Distribution of Literacy Kits and Blood Donation Camps.

8.4 Central Council Library

The Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. This record is available on Internet Online Services www.icai.org under "know your Institute – Central Council Library"- online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library. The services under the website are, self-explanatory. Some of these links such as list of online Journals, E-books, Articles from Chartered Accountants Journals and online database of Books, Journals and Articles in the Library, provide further search in the above online databases. One can even suggest new Books/Journals under "Suggest Books/ Journal columns" for consideration by the Institute. One may note that The "Accountants Browser" is an index of important/ Professional Articles with archives for last 15 years. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & CPT Course Students as a special case. Noida Office of the Institute & Vishwas Nagar Students library has also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorates of the Institute and various committees.

Besides above, Library has installed a number of the Institute's databases in the Central Council Library premises and at various Departments to facilitate the search for required material by the students, Members, Faculties and the Research Scholars. A New Software –Liberty is acquired connecting the database of Central Council Library with all Regional libraries database. Central Council Library is also procuring necessary publication/Books for the current courses which are offered by ICAI including a provision of publication/Books for all Committees.

A number of Online databases have been acquired by the Central Council Library which are available on www.icai.org – Central Council Library. Several online journals have been subscribed in the Library. Library rules for Students and Members etc. have been done uniform throughout Libraries of ICAI.

We are in a process of modernizing the Central Council Library by subscribing E-Books, E-Journal and other online database along with refurbishing the Central Council Library.

8.5 Editorial Board

Disseminating Knowledge in 'Letter' and Spirit

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute with a Mission to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession, matters relating to the Institute and its activities and such other matters as deemed to be of educational/professional value in a structured manner, through the journal `*The Chartered Accountant'*. The journal is available online too as e-Journal, which is also compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands at about 250000 today, and its global readers include chartered accountants, allied professionals, CA Students and academic professionals from renowned national and international institutions.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/ design, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognised as one of the most reliable and reader-friendly tools of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if its readers' feedback is any indication.

The Editorial Board is continuously surging ahead with its mission to keep the Institute of Chartered Accountants of India's members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, emerging areas, aspects and challenges of the profession in today's age of fast-paced globalisation.

Following are the highlights of some significant achievements:

Contents and e-Journal:

♦ Wide range of topics covered: From April 2013 to July 7, 2013 issues of the journal, as many as 189 articles and reports on various topics were published.

♦ New Features/upgrading: Some new features like 'Women Empowerment', 'Young Members empowerment', 'Leadership & Influence', ' 'Investments', 'Internal Audit', 'XBRL', 'IFRS' 'Internal Audit,' 'LLP and Accounting Profession,' 'Frauds and Prevention,' 'Opportunities,' 'Company Law,' 'Global Perspective' and 'Social Audit,' were introduced in the journal. Existing features like 'From the President', 'Legal Update', 'National Update' and 'International Update,' etc., were further upgraded.

♦ Special Focus: As part of ICAI's overall efforts to keep the members up-to-date on matters related to the profession, the Editorial Board gave special coverage to 'Bank Audit' in February 2013 issue while various important aspects of Union Budget 2013-14 were covered in detail in April 2013 issue. The May 2013 issue mainly focused on different aspects of Companies Bill, 2012. The June 2013 issue focused mainly on Tax Audit. The July 2013 issue was a special 196 page issue coinciding with the CA Day. The September 2013 issue focused on 'XBRL and IFRS' while October 2013 issue specifically covered various aspects of Internal Audit. The theme of November 2013 issue was 'LLP and Accountancy Profession' while December 2013 issue focused on 'Frauds and Prevention.'

The January 2014 issue of the journal focused on 'Corporate Governance' whereas the February 2014 issue was on 'Bank Audit' under which theme as many as six articles and an Editorial titled 'Taking Bank Audit Challenge in Stride' were published.

The themes for March 2014 issue was '*Professional Panorama: Towards New Frontiers*', April 2014 issue was '*Woman CA Empowerment*', May 2014 issue was focused on the theme '*Leadership and Influence*' and June 2014 issue was '*Young Members Empowerment*' which are in line with one of the areas of strategic focus of ICAI Action Plan 2014-15 besides other regular features.

♦ Editorial Board Action Plan 2014-15

The Editorial Board has finalized its action plan for the year 2014-15. The highlights of the action plan include 'adoption of a Style Sheet for uniformity in presentation of content in the journal,' 'starting several new features,' 'coming out with a special issue in July 2014 coinciding with the CA Day,' 'making the language of the journal more simple and reader friendly,' 'coming out with a fool-proof htmlised DVD of 61 years of journal with dynamic search facility,' 'expansion/upgradation of journal in indexed mode,' 'highlighting major areas of strategic focus of ICAI Action Plan 2014,' 'Upgratation of design and presentation of the journal,' and 'Using whiter gloss paper for printing of the journal'.

♦ Major Highlights:

(a) *July 2013 special issue*: *The July 2013* special issue, carried special messages from Vice-President of India Mr. Hamid Ansari, the then Union Minister for Minority Affairs CA. K Rahman Khan, the then Union Minister for Petroleum Dr M. Veerappa Moily, Comptroller and Auditor General of India Mr. Shashi Kant Sharma, the then Minister of State for Corporate Affairs (Independent Charge) Mr. Sachin Pilot, the then Minister of State for Home Affairs Mr. R.P.N Singh, Secretary, Ministry of Corporate Affairs Mr. Naved Masood, Secretary, Department of Financial Services Mr. Rajiv Takru and CA. Rameshwar Thakur, former Governor (Orissa, Andhra Pradesh, Karnataka & Madhya Pradesh), Past President, ICAI. The noted among the authors who contributed articles included IFAC President Warren Allen, IASB member Prabhakar Kalvacherla, Competition Commission of India Chairman Mr. Ashok Chawla, NACAS Chairman &

ICAI past-President CA. M.M. Chitale, Padmashri awardee and ICAI Past President CA. T.N. Mahoharan, Padmashri awardee and ICAI Past President CA. Y.H. Malegam, ICAI Past President CA. P.N Shah. Besides other special articles, the issue also carried special features like '64 Momentous Years' (featuring significant achievements of last 64 years with rare and relevant photographs), 'Legends from Indian Accountancy Tradition,' 'ICAI's Accountancy Museum of India,' 'Did You Know?' 'Excerpts from History of Accountancy Profession in India,' 'What the Leaders Said about ICAI and Indian Accountancy Profession since July 2012,' 'Members in Public Service,' 'Excelling with a Difference (featuring rare feats of CAs in different walks of life'.

(b) *July 2014 special issue*: The *July 2014* special issue, carried the Development Agenda of the new Prime Minister Mr. Narendra Modi alongwith profile of Mr. Arun Jaitly, Union Minister for Finance, Corporate Affairs and Defence, Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of State (Independent Charge), Commerce and Industry, Minister of State, Finance and Corporate Affairs and of CA. Piyush Goyal, Minister of State (independent Charge), Power, Coal and New and Renewable Energy. The issue also contains special messages from Mr. Arun Jaitley, Mr. Sashi Kant Sarma, Comptroller & Auditor General of India, among other dignitaries. The issue also highlighted the Significant Achievements of ICAI in the first four months of 2014-15. Noted authors who contributed articles are Mr. P.N. Vijay, Mr. Warren Allen, President, IAFC, Mr. Brian Blood, Chief Executive of CAPA, CA. Subodh Kumar Agrawal, President, SAARC and immediate past-president, ICAI, CA. T.N. Manoharan, past-president, ICAI and CA. Sanjiv Choudhury. Other special features included 'Down the Memory Lane', 'What the leaders said about ICAI during 2013-14'.

(c) *Interviews under In-Conversation Feature:* The interviews of noted industrialist Mr. Kumar Mangalam Birla was published in August 2013 issue while an interview with the then Union Minister for Minority Affairs CA. K Rahman Khan was published in October 2013 issue of the journal.

(d) *Special other Coverage:* A report on ICAI achievements in the year 2012-13 was published in capsule form in February 2013 issue which also covered ICAI Election results and a report on 3-day ICAI International Conference held in Mumbai. A report on 63rd Annual Function of the ICAI and 6th Edition of ICAI Awards 2013 besides profiles of new President and Vice President, and Committee compositions were published in March 2013 issue. The Revised Auditor's Report was covered in April 2013 issue while a report on ICAI Campus Placement programme was published in May 2013 issue. CA Day Celebrations were covered in June 2013 issue and August 2013 issues while the accountancy profession related excerpts from the Rajya Sabha debate on Companies Bill, 2012, and the index of Volume 61 of *The Chartered Accountant* journal were published in September 2013 issue. A report on mega international conference inaugurated by the President of India in Kolkata besides a report on the journey of Accounting Standards Board So Far were published in December 2013 issue of the journal.

8.6 Accountancy Museum of India

Accountancy Museum Prototypes at More than 31 ICAI Premises: As part of the efforts to draw the membership at large closer to the rich and glorious history of accountancy profession and to propagate and disseminate the Accountancy Museum of India set by the Institute, the museum prototypes were installed at 31 ICAI Premises across India, including at five Regional Councils and 12 DCOs of the ICAI, and 13 big branches, besides enriching the rare Indian accountancy related collection in the Museum. Hundreds of information booklets on the Accountancy Museum of India were also printed and distributed in various big events and programmes organised by the ICAI.

8.7 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 and the Chartered Accountants Regulations, 1988

As stated in the last Annual Report, the Institute submitted certain amendments in the Chartered Accountants Act, 1949 pertaining to the disciplinary mechanism of the Institute to the Central Government in December, 2012. These amendments are still under consideration of the Central Government. Besides, the amendments in Act, in order to simplify and rationalize the regulatory mechanism, the Institute had been submitting amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 from time to time. During the period under report, the Central Government accorded its final approval for incorporation of a Scheme facilitating the Overseas Citizens of India who are having chartered accountant or certified public accountant qualification for enrolment as a member of the Institute. The scheme has been brought into force from 22nd July, 2014.

9 MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2014, 12,573 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 2,29,679 as on 1st April, 2014.

During the year ended 31st March 2014, 2,570 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 3,262 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2014:

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	61998	41800	**103798**
In Part-time Practice	2991	5535	**8526**
Not in Practice	12214	105141	**117355**
Total	**77203**	**152476**	**229679**

9.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organising Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. The Convocation is organized at each of five Regional Headquarters twice a year covering the period from March to August and September to February of the financial year. Membership Certificates are conferred to members admitted to the membership during the said period.

This year Convocation - 1st Round 2014-15 is being organised under the aegis of Regional Offices in the month of July–August 2014 at following places and schedule;

- Chennai - 4th July, 2014 Delhi - 6th August, 2014
- Bangalore - 14th July , 2014 Chandigarh - 9th August, 2014
- Kolkata - 17th July, 2014 Mumbai - 19th August, 2014
- Kanpur - 22nd July, 2014 Ahmedabad - 25th August, 2014
- Jaipur - 23rd July, 2014 Pune - 26th August, 2014

In the Convocation members enrolled during December 2013 to May 2014 are to be awarded membership certificates. Approximately 24,760 candidates are listed to participate in the Convocation including left out participants of the previous Convocation.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1. Total Life Members as on 31st March, 2013 = 115511
2. Total Life Members as on 31st March, 2014 = 119886
3. Total Additions of New Life Members = 4356
 (as on 31st March, 2014)
4. Total Financial Assistance given during the
 Year ended 31.03.2014 = Rs.1,57,81,000/-

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31st March, 2014 (Rs.)	During the year ended 31st March, 2013 (Rs.)
1. Total Assistance provided	1,57,81,000	1,55,56,000
2. Administrative Expenses	24,991	51,923
3. Surplus (Deficit) of the Fund	(15,989)	(21,54,357)
4. Balance of the Fund	(34,01,383)	(33,85,394)
5. Balance of Corpus	14,44,41,795	13,35,51,795

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

During the year ended 31st March, 2014, 100 scholarships of the value of Rs.1000/- each per month are to be given to the students undergoing the articled training. The number of life membership of the Fund increased from 5427 as on 31st March, 2013 to 5947 as on 31st March, 2014. The balance in the credit of the Fund was Rs.44,27,885/- as on 31st March 2014 as against Rs. 46,43,667/- as on 31st March, 2013.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. During the year ended 31st March, 2014. 300 students (who are undergoing the articled training) were granted financial assistance of the value of Rs.1000/- each per month for one year. The balance in the credit of the general fund was Rs. 7,63,38,248/- as on 31st March 2014 as against Rs. 5,23,71,770/-as on 31st March, 2013.

10 STUDENTS

The Board of Studies is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to students undergoing Chartered Accountancy Course. The significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:-

Educational Inputs

1. Revision of Study Materials

As a part of continuous process of updating the knowledge of students, the contents of various study materials have been updated /revised with incorporation of appropriate changes. The Study Material of CPT Course was revised in Oct. 2013. The Study Material for Intermediate (IPC) Course along with the Practice Manuals of all the subjects was revised exhaustively in July/Aug. 2013. Based on the revised syllabus relating to Taxation (Indirect Tax) and Information Technology, the Study Material and Practice Manuals were also revised for benefit of students.

Similarly the Study Material for Final Course along with the Practice Manuals of all the subjects were also exhaustively revised in January 2014. Based on the revised syllabus relating to Information Systems Control and Audit and Indirect Tax Laws, the Study Material and Practice Manuals were also brought out for benefit of students.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

A new initiative was taken to release e-Learning DVDs separately for CPT, Intermediate (IPC) Course and Final Course containing Chapter-wise Study Material including Practice Manual, e-Lectures, Podcast (MP3 Audio), PowerPoint Presentation (Short Notes) and Self Assessment Quiz to facilitate the students in their study. These DVDs are issued free of cost along with a set of Study Material at the time of their registration to the respective course.

The Hindi Study material has also been revised on the basis of revised English study material of IPCC and Final Course.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

2. Digest of Select Cases

The digest of Select Cases in Direct and Indirect Tax Laws containing important case laws relating to Direct and Indirect Taxes have been published in Sep. 2013 and also hosted on the website with free downloading facility.

3. Supplementary Study Materials in Taxation subjects

Supplementary study material in Direct and Indirect Taxes and Taxation is an annual release containing amendments made in the Finance Act with latest circulars and notifications issued during the year. Accordingly, the Supplementary Study Material relating to Taxation for Intermediate (IPC) and Final Courses containing the amendments made in the Finance Act, 2013 and important notifications/circulars issued between 1st July 2012 and 30th April 2013 in this respect were released for benefit of students.

The same were also hosted on the web site with free downloading facility.

4. Supplementary Study Paper pursuant to applicability of notified Sections of Companies Act, 2013 in the Exams

For the benefit of students both for Intermediate (IPC) and Final levels, the Supplementary Studies have been released on modified syllabus of relevant Subjects i.e Law, Audit and Accounts due to applicability of certain sections of the Companies Act, 2013 relevant for Nov. 2014 examinations.

5. Revision Test Papers

The Revision Test Papers (RTPs) for IPCC/ATC and Final exams were published in time which enabled the students to prepare well for their examinations. These were also hosted on the web site of the ICAI with free of cost downloadable facility.

As a new initiative for benefit of students opting Hindi medium, the Suggested Answers and Revisionary Test Papers were also got translated in Hindi for the respective Examinations.

These were also hosted on the web site of the ICAI with free of cost downloadable facility.

6. Suggested Answers

In order to facilitate and guide the students for better preparation for examinations, Suggested Answers for Integrated Professional Competence Course (IPCC)/Accounting Technician Course (ATC), and Final Course Examinations held in May 2013 and November 2013 were printed well in advance and made available, for students.

These Suggested Answers were also hosted on the website of the ICAI with downloadable facility before declaration of the Results.

7. How to Face CA Exams

"How to Face Common Proficiency Test" and "How to Face CA Examinations- Intermediate (IPC)/Final" are annual publications that offers guidance to the students in undertaking the Examinations to qualify them successfully and are also being distributed at the Special Career Counselling Programmes conducted by Regional Councils and their Branches.

These are hosted on the web site of the ICAI with downloadable facility.

8. Students' Journal

The Board of Studies, since June 1997 has been publishing a monthly Journal for students named "The Chartered Accountant Student". The Students' Journal includes regular features such as articles on topics relevant to the CA Students, academic updates, theme issues, motivational write-ups and important announcements. The Journal continued to be popular and proved very useful to the student community, as well as members of the Institute.

IT Initiatives

1. ICAI Cloud Campus

The ICAI Cloud Campus was launched by Mr. Arun Jaitley, Hon'ble Union Minister for Finance, Defence and Corporate Affairs in the CA Day programme on July 1, 2014 and the same is available at http://cloudcampus.icai.org. Evolving with the changing times, the physical brick and mortar Campus is now available on the Cloud that provides all pertinent information about the course, course registration, education, filling examination forms to getting results.

The ICAI Cloud Campus galvanizes the power of the cloud to reach out to students across the country and abroad to get education and training at their doorsteps; and at the same time provides One-Stop-Window to all their educational, administrative, examination, enrolment and other requirements. The Cloud Campus integrates navigation of six portals for easy access by students to provide One-Stop-Window; namely (a) e-Learning LMS, (b) BoS Knowledge Portal, (c) Webcasts, (d) Online Registration Portal for GMCS/ OP/ ITT, (e) Examination Portal and (f) Articleship Placement Portal. Some of the value additions being provided on the Cloud Campus are:

2. Video Lectures on practical problem solving subjects: Video lectures for practical problem solving subjects like Accounts, Taxation, Financial Management, Advanced Management Accounting etc., are now available on the Cloud Campus providing greater conceptual clarity and problem solving skills. These lectures aim to teach step-by-step practical problem solving process – a key skill requirement today from examination perspective. Currently 165 video lectures covering 125 hours are available out of which 119 have been hosted, as on July 10, 2014.

3. Articled Training Resources: Audit Programs, Audit Checklists, guidelines etc., aim to facilitate students in their practical training.

4. Online Mentoring: Online mentoring facility on the Cloud Campus aims to enable Students across the country and abroad to get online mentoring subject and topic wise for the three levels of the CA Course including counselling. Students would be also able to ask queries on the session/ event topic, which would get answered subject to availability of time and relevance.

Following portals pertaining to students have been integrated in cloud campus for easy access them to provide one-stop-window are as follows:

5. e-Learning on Students LMS: The Board of Studies has made available e-Learning facility for CA Course on the Students Learning Management System (LMS) at http://studentslms.icai.org, with an objective to provide a self-learning/ development facility. It aims to provide quality education for learning, re-learning and revising anytime and anywhere across the country and abroad, in an easily accessible and affordable manner.

In addition to self-Learning/ e-Education, the e-Learning facility includes Self Assessment Quiz after each lecture to enable students make an assessment of their preparation for the forthcoming examinations - Chapter Wise and Subject Wise. Apart from being a tool for Self Assessment, the Self Assessment Quiz are designed as a Learning and

Development facility through the "Review" facility, whereby students can learn the right answers vis-à-vis answers attempted by them. The LMS keeps a track of the learning and development by the student in terms of lectures available, attempted/ completed, self assessment quiz attempted/ completed. The e-Learning is now Mobile Enabled – Students can view the e-Lectures on smart phones/ mobiles/ tablets. Currently 784 hours of e-Learning is available covering 185, 244 and 355 hours respectively for CPT, IIPC and Final courses, as on July 10, 2014.

6. Webcasts: The Board of Studies organizes Live Webcasts as with an objective to take learning and development to the doorsteps of students through a uniform platform across the country. The live interactive Webcasts aim to mentor Students on the success strategies to succeed in their forthcoming examinations. Live webcasts are also organized on strategy to qualify and excel in respective subjects of Common Proficiency Course (CPC), Intermediate (IPC) Course and Final Course. In addition, live webcasts are also organized on Accounting Standards and specific topics of select subjects, where syllabus has changed or students are finding difficulties. The Students can ask questions/ queries during the Live Webcasts and most of them also get answered subject to time and other constraints.

7. Articleship Placement Portal: This portal enables students to register online and get selected for articleship training in CA Firms having vacancies in their preferred city/ town.

8. BoS Knowledge Portal: The BoS Knowledge Portal provides Chapter Wise Study Material, Practice Manual, PowerPoint Presentations, Audio Lectures (Podcasts/ MP3) for the respective papers and chapters for CPT, Intermediate (IPC) and Final Courses. It also provides other resources/ publications issued by Board of Studies from time to time.

9. Online Registration Portal for GMCS/ OP/ ITT: Board of Studies and IT Directorate jointly has developed "Online Registration Portal for GMCS, ITT and Orientation Programs" for Registration/ Allocation of Batches for ITT, OP and GMCS courses to facilitate the students to register themselves from anywhere for any training centres of ICAI across India. The Online portal provides the facility for online registration for courses, selection of batches / location, batch transfer, faculty allocation and scheduling, online feedback, online certificate generation etc. The online portal is consisting of 4 modules namely "Student Module", "Faculty Module", "POU Module" and "HO Admin Module".

10. Examination Portal: This portal enables students to apply online for CA Examinations and check online results.

11. e-Learning DVDs for CPT, Intermediate (IPC) and Final Courses: The Board of Studies has also released e-Learning DVDs for CPT, Intermediate (IPC) Course (Group-I and Group-II) and Final Course (Group-I and Group-II) offering Chapter Wise Study Material, Practice Manual, e-Lecture, Podcast (MP3 Audio), PowerPoint Presentation (Short Notes) and Self Assessment Quiz.

While these DVDs have been designed to work on Multimedia Desktop Computer and Laptop, they have been developed as a responsive site that may also work on recent Mobile Phones and Tablets (Android 4+, IOS), when copied on the Memory/ SD Card, and viewed using Mozilla Firefox Internet browser. Students can learn anytime/ anywhere without the need for Internet, waiting for content to download and costs thereto.

Other Initiatives

1. Concessional Education Loan to girl CA Students: A Memorandum of Understanding (MoU) was signed between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Bharatiya Mahila Bank Limited (BMB), New Delhi for providing Education Loan facility to the aspiring students for pursuing Chartered Accountancy Course at competitive interest rates on 4th January, 2014 at New Delhi.

2. Reading Rooms and Libraries: Ninety one Reading Rooms and Libraries are being run by the Regional Councils and Branches at various parts of the country.

3. Training Guide: In view of amendments to the Regulations and having regard to the other changes in the contemporary business environment, the Training Guide has been revised so that training be imparted by the practicing Chartered Accountants and Members in Industry to students appropriately. The Training Guide is illustrative in nature and provides enough flexibility to meet different situations arising out of diverse areas of work performed by Chartered Accountants. A copy of the same is given along with a set of Study Material relating to Intermediate (IPC) at the time of registration to the course.

4. Code of Conduct for CA Students: The Board has revised the Code of Conduct for CA Students with a view to maintain decorum and discipline amongst students while pursuing Chartered Accountancy Course and dealing with the members of the Institute and other public in general. A copy of the same is given along with a set of Study Material relating to Intermediate (IPC) at the time of registration to the course.

Development Programmes

1. Four Weeks' Residential Programme on Professional Skills Development for students: Four weeks' Residential Programme on Professional Skill Development is organized by Board of Studies for the benefit of students who have passed Chartered Accountancy Final/ IPCC/ PCC/ PE–II/ Intermediate (IPC) Examination and pursuing last year of article training or completed Articleship training. The programme helps the Chartered Accountancy students and newly

qualified Chartered Accountants in imbibing the professional skills required for effective functioning in business organisations and the profession. The Programme environment focuses on development of communication skills, personal qualities, interpersonal and teamwork skills, problem solving skills and leadership skills. Six batches have been organised successfully during the April 2013 to July, 2014 at Centre of Excellence, Hyderabad. Another Centre has been opened at National Institute of Financial Management, Faridabad.

2. Courses on General Management and Communication Skills for Students: With a view to make the GMCS more effective, the Council at its 331st Meeting decided to discontinue the existing GMCS course with effect from 1st April, 2014 and directed that students registered for Practical Training on or before April 30, 2012 shall be required to undergo GMCS–II course only instead of existing GMCS course before applying for membership of the ICAI as per Regulation 51A/72A of the Chartered Accountants Regulations, 1988.

During the period, 47 new centres have been approved to start the GMCS Courses. As of now, 133 Programme Organizing Units (POUs) are organizing GMCS Courses across the country.

During the period (April, 2013-June, 2014), 357 batches of 15 days Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their branches at 63 centres across the country and 15,593 students participated in these programmes.

During the period (April, 2013-June, 2014), 1257 batches of 15 days Course on General Management and Communication Skills-I were organized by Regional Councils and their branches at 133 centres across the country and 53,957 students participated in these programmes, as compared to 15,942 during 2012–2013.

Further, during the period of May, 2014-June, 2014, 16 batches of 15 days Course on General Management and Communication Skills-II were organized by Regional Councils and their branches at 9 centres across the country and 558 students participated in these programmes.

3. Orientation Programme for Students: CPT route students who are registering for Accounting Technician Course exclusively shall be required to undergo Orientation Programme before appearing in the ATE. Students coming through CPT route for Intermediate (Integrated Professional Competence) Course shall be required to complete Orientation Programme before registering for practical training (either before appearing or passing Group-I or both). Candidates entering through Direct Entry Route also are required to undergo Orientation Programme before joining for practical training.

During the period, 5 new centres have been approved to start the Orientation Programme. As of now, 141 Programme Organizing Units (POUs) are organizing Orientation Programme across the country.

During the period (April, 2013-June, 2014), 1,836 batches of Orientation Programme were organized at 141 centres and 85748 students participated in these programmes, as compared to 76,568 during 2012–2013.

4. Study materials of Orientation programme and GMCS-I & II courses: Board of Studies has prepared Students' Manual of Orientation Programme and GMCS-I & II Courses. Along with the Students' Manual, BOS has come out with Trainers' Manual for the faculty of Orientation Programme and GMCS-I & II Courses. The faculty who are taking classes of Orientation Programme and GMCS Courses are provided with a CD which contains all the PPTs and audio clips relevant to the pre-reads of the students' manual.

5. Two days Faculty Development Programme for faculty of GMCS Course & Orientation Program: The Board of Studies has organized Five "Two Day Faculty Development Programmes" on 30th and 31st January, 2014 at Silent Hills Resort, Manor, Maharashtra; on 1st and 2nd February, 2014 at BKC, Mumbai; on 13th and 14th February at EIRC Auditorium, Kolkata; on 17th and 18th February, 2014 at Celebrity Club, Hyderabad and on 20th and 21st June, 2014 at Gandhi Research Foundation, Jain Hills, Jalgaon for the faculty of Orientation Programme and GMCS Courses. The objective of the FDP is to standardize and ensure uniform delivery of the lecture sessions of the faculty of Orientation Programme and GMCS Courses.

6. Short Term Course/Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication: 9 branches including Regional Council organized 12 Short Term Course/ Workshop on English Speaking, Writing Skills and Business Communication.

7. Mock Tests: With a view to encourage the students to evaluate their preparation for the examinations, the Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final and CPT Level were organised through Regional Councils and Branches for May/November and June/December main examinations.

78 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/Final level for May, 2013 examinations and 111 Branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for June, 2013 examination.

79 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/ Final level for November, 2013 examinations and 102 Branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for December, 2013 examination.

100 Branches including 5 Regional Councils organized Mock Tests for Intermediate (IPC)/Final level for May, 2014 examinations and 124 Branches including 5 Regional Councils organized CPT Mock Tests for June, 2014 examination.

8. Special Counselling Programmes (How to Face CA exam?): During the year 66 Special Counselling Programmes were organized by 28 branches, including Regional Councils.

MoUs/ MRAs/ Recognitions/ Other Arrangements

1. Recognition of CA Course for Ph.D Programme: With the constant follow up with various Universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 96 Universities, 6 IIMs and IIT Madras for the purpose of pursuit of Ph.D./ Fellow Programme.

2. Accreditation: The Institute has been imparting education to students pursuing CA course through distance education mode, since inception across the country in a consistent manner. Comprehensive packages of educational inputs are provided to enable students to adequately prepare for the examinations. While the aforementioned efforts are being made at the central level, imparting oral coaching by the accredited institutions supplements the efforts of ICAI by providing quality classroom coaching at a reasonable cost. To make available quality Coaching Classes to the students, the Board of Studies of ICAI has authorized and encouraged all the Regional Councils and Branches of the Institute to organize oral coaching classes. Also, the Board of Studies grants accreditation to Universities/ Colleges, Schools, Trusts/ NGOs/ Societies and other academic institutions.

The Accreditation Scheme for granting accreditation to institutions for organizing coaching classes for CA students, has been revised recently to ensure that Institutions with better infrastructure and teaching faculty are granted accreditation for the benefit of students. As of now, the Board of Studies has 59 accredited institutions for CPT, Intermediate (IPC) and Final Course.

Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities

1. National Convention, All India Conference and International Conference for CA students: During the period, 21 National Conventions were organized at Baroda, Nagpur, Ahmedabad, Surat, Mumbai, Pune, Chennai, Ernakulam, Hyderabad, Ghaziabad, Agra, Bhilwara, Bhilai, Jaipur, Cuttack, Guwahati, Siliguri, Bhubaneswar, Chandigarh, New Delhi and Ludhiana in addition to an All India Conference at Bangalore and an International Conference at Kolkata.

2. Regional/ Sub-Regional/ State Level Conference/ National Conclave for CA Students: During the period 8 State Level Conferences/National Conclaves were organized at Aurangabad, Rajkot, Madurai, Hubli, Tirupati, Trivandrum, Goa and Cuttack. Also, 3 Regional Conferences at Nashik, Bhopal and Coimbatore and 4 Sub-Regional Conferences at Vasai, Jamnagar, Kanpur and Pondicherry were organised.

3. One-Day Seminars: During the year, 261 One-day Seminars were organized by 72 Branches including Regional Councils.

4. Two-day Mega Seminars: During the year, 5 Branches including Regional Council organized Two-day Mega Seminars.

5. Debate Competitions: The Debate Competitions at Branch Level were organised by 72 Branches including Regional Councils and at Regional Level by all the Regional Councils.

6. CA Students' Festivals: During the year, 44 Branches including Regional Councils, organized 47 CA Students' Festivals.

7. Sports Competitions: During the year, 52 Branches including Regional Councils, organized 73 Sports Competitions.

8. Elocution Contests: The Branch Level Elocution Contests were organized by 92 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. The All India Elocution Contest was held at Kolkata on 17th January, 2014.

9. Quiz Contests: The Branch Level Quiz Contests were organized by 92 Branches, including 5 Regional Councils. Apart from this, 5 Regional Level Contests were organized. The All India Quiz Contest was held at Kolkata on 17th January, 2014.

10. Joint Seminars with Universities: The Board of Studies is in continuous pursuit with different universities in India organise Joint Workshop/ Seminar on contemporary topics of Accountancy and Commerce.

The Board of Studies organized Joint Seminar with the following Universities:

Two day Periyar University, Salem on 25th & 26th July, 2013 on ""International Financial Reporting Standards (IFRS) - Indian Current Scenario"" Two day Joint Seminar with Alagappa University, Karaikudi, on 17th and 18th September, 2013 on "Emerging Developments in Accounting and Taxation"; One day Joint Seminar with Devi Ahilya University, Indore on 8th October, 2013 on "Goods and Service Tax"; One day Joint Seminar with Tumkur University, Tumkur on 11th October, 2013 on "Changing Dimensions and Contemporary Issues in IFRS, Direct Tax Code & Corporate

Governance"; Two day Joint Seminar with Sacred Heart College (Autonomous), Tirupattur, Vellore on 10th & 11th December, 2013 on "Emerging Challenges in Finance and Accounting" Osmania University, Hyderabad on 16th to 20th January, 2014" and Two-day Joint Workshop with Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore on 6th & 7th February, 2014 "Accounting Standards, Taxation and Company Law".

Measures for creating awareness about the CA Course

1. Career Counselling Material: To create awareness about the Chartered Accountancy Course and its salient features career counselling material such as film, Brochures, flyers, posters and banners were released. These are being distributed at various Career counseling programmes conducted by Regional Councils and their Branches.

2. Career Counselling Programmes: Career Counselling Programmes are being organized at Regional Councils and Branches to popularize the CA Course and also to help students for getting their academic queries in various subjects of the curriculum resolved. During the period from 1st April, 2013 to 7th July, 2014, 219 Career Counselling Programmes were organized by 32 Branches, including Regional Councils, at different locations throughout the country.

3. Mega Career Counselling Programmes: During the year, 10 Mega Career Counselling Programmes were organized by branches including Regional Council throughout the country.

4. ICAI Participation at Education Fairs: ICAI has participated at various Education Fairs/Career Fairs as a part of its promotion for popularize the chartered accountancy course at Education Boutique-2013 (by Education Times), 'Horizon-2013' (by M/s Malayala Manorama), Education Plus by (The Hindu) in 2013 and Career Fair-2013, at Nasik, Surat, Pune, Mumbai, Goa, Bengaluru, Lucknow, Jaipur, Kolkata, Delhi, Ranchi, Patna, Trivandrum, Kollam, Cochin, Palakkad, Trichur, Kottayam, Kannur, Calicut, Alleppey, Bengaluru, Bellary, Bijapur, Mangalore, Tumkur, Udupi, Bidar, Hassan, Hubli, Shimoga, Belgaum, Davanagere, Gulbarga, Kolar and Mysore, Career Fair at Monfort School, Delhi.

Scholarships granted to students

The Board of Studies awards scholarships under following categories:-

Scholarships to Meritorious students: Scholarships are awarded to the meritorious students whose names appear at Sl. No. 1 to 10 (in case the rank of Sl. No. 10 continues to Sl. No. 11 or to Sl. No. 12 or so on, all such rank holders) of the merit lists of Intermediate (IPC) Examinations, held in May & Nov. and of Common Proficiency Test, held in June & Dec. every year respectively as a token of appreciation for their achievement and sincere efforts put in by them while pursuing the Chartered Accountancy course.

Scholarships to Meritorious and needy students: To appreciate and promote the meritorious students with financially weak background to take up further studies, 60 Merit-cum-Need scholarships are being awarded to the Rank Holders of Intermediate (IPC) Examinations, held in May & Nov. and of Common Proficiency Test, held in June & Dec. every year on fulfilling the specified conditions.

Scholarships to Need-based & Weaker Sections: In order to facilitate and support the deserving students belonging to economically weaker sections, 200 scholarships for prescribed period is being awarded to such students both at Intermediate (IPC) and Final level on satisfying the specified criterion.

Scholarships under Endowment Schemes: Contributing towards the common cause of profession building, the endowment funds have been created by the Individual donors and as Joint Corpus by the donors. Out of interest earned on these funds, the scholarships are being awarded for the benefit of the upcoming students belonging to weaker sections on the basis of the criteria applicable for awarding the scholarships for Need-based & weaker Sections category.

During the year, the Board of studies awarded 464 Scholarships to selected students under above categories.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

The total number of branches of Regional Councils is 147. Currently, there are 23 Chapters of the Institute outside India. Currently, there are 20 Reference libraries all over India

11.1 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all 86 branches have their own premises.

11.2 Rotating Shield

The Institute awards each year Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, separate shields are awarded to the Best Branches in different categories each year. The award is given on the basis of established norms. Shield to the Best Chartered Accountants Students' Association on all India basis and Best Branches of Students' Association in different Category are also awarded. For the year 2013 these Shields

were awarded at the Annual Function held on 11th February, 2014 to the following winners:-

1. Best Regional Council- Jointly to Western India Regional Council and Eastern India Regional Council
2. Best Branch of Regional Council
 - Mirco Branch Category - Tuticorin Branch of SIRC of ICAI
 - Small Size Branch Category – Jamnagar Branch of WIRC and Siliguri Branch of EIRC
 - Medium Size Branch Category – Pimprichinchwad Branch of WIRC
 - Large Branch Category- Indore Branch of CIRC and Baroda Branch of WIRC
 - Mega Branch Category- Ahmedabad Branch of WIRC
3. Best Branch of Students' Association
 - Small Category -- Siliguri Branch of EICASA
 - Medium Category -- Jointly to Raipur Branch of CICASA, Ernakulam Branch of SICASA and Aurangabad Branch of WICASA
 - Large Category -- Jointly to Nagpur Branch of WICASA and Vasai Branch of WICASA
4. Best Students' Association- Jointly to Western India Chartered Accountants Students' Association and Southern India Chartered Accountants Students' Association
5. Considering the performance, the following Regional Councils and Branches were separately awarded Highly Commended Performance certificate: -.

 Regional Council- Southern India Regional Council

 Micro Branch Category – Vapi Branch of WIRC and Sivakasi Branch of SIRC

 Small Branch Category –Salem Branch of SIRC, Hubli Branch of SIRC and Jalgaon Branch of WIRC

 Medium Size Branch Category:

 - Aurangabad Branch of WIRC
 - Mangalore Branch of SIRC
 - Bhopal Branch of CIRC

 Large Branch Category - Nagpur Branch of WIRC

 Mega Branch Category - Bangalore Branch of SIRC and Hyderabad Branch of SIRC

11.3 Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five Decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the Decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level eight more Decentralized offices have been set up at Nagpur, Surat, Vadodara and Thane (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Southern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

11.4 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the Council of the Institute has always been encouraging to set up Branches of Chartered Accountants Students' Association. In this process, so far 112 branches of Students' Association have already been set up.

12 FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2014 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13 APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 2006, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2013-2014 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2013-2014.

The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs, Finance and Defence Mr. Arun Jaitley, Mr. Kapil Sibal, the then Union Minister for Communications & IT and Law & Justice, Mr. Sachin Pilot, the then Union Minister of State for Corporate Affairs (I/C), Mr. Manish Tewari, the then Union Minister for Information & Broadcasting, Mr. K. Rahman Khan, the then Union Minister for Minority Affairs, CA. Piyush Goyal, the then Member of Parliament, Rajya Sabha (Now, Union Minister), CA. Suresh P. Prabhu, Former Union Minister, Justice (CA.) Anil R. Dave, Supreme Court of India, Justice Mr. G.S. Sistani, Judge, Delhi High Court, Mr. Jawahar Thakur, Controller General of Accounts, Mr. T.S. Vijayan, Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority, Mr. Gautam Bhattacharya, Commissioner, Service Tax, Mr. Warren Allen, President, International Federation of Accountants, Mr. Prabhakar Kalavacherla, Member, International Accounting Standards Board and other dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced programmes organised by the organs of the ICAI.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2013-2014 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2004)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1st April, 2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1st April, 2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679

MEMBERS

(From 1st April, 1950)

TABLE II

	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679

STUDENTS REGISTERED

(From 31st March, 2010)

During the year	Final	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	ATC	Total
2009-10	24,172	1,67,073	1,860	80,745	3,376	2,77,226
2010-11	57,175	1,55,217	329	67,984	1,906	2,82,611
2011-12	47,515	1,61,712	-	85,053	2,099	2,96,379
2012-13	45,102	1,61,084	-	1,02,406	2,615	3,11,207
2013-14	39,348	1,54,742	-	96,285	3,209	2,93,584

COUNCIL (2014-2015)

President
CA. K. Raghu

Vice-President
CA. Manoj Fadnis

Period
12th February, 2014 onwards

Secretary to the Council
Mr. T. Karthikeyan

Members of the Council (2014-15)

Elected Members	
CA. Adukia Rajkumar S.	Mumbai
CA. Agarwal Sanjay	New Delhi
CA. Agarwal Shyam Lal	Jaipur
CA. Agrawal Subodh Kumar	Kolkata
CA. Babu Abraham Kallivayalil	Kochi
CA. Bandyopadhyay Abhijit	Kolkata
CA. Chaudhary Sanjiv Kumar	New Delhi
CA. Chhaira Jay	Surat
CA. Chhajed Prafulla Premsukh	Mumbai
CA. Devaraja Reddy M.	Hyderabad
CA. Fadnis Manoj	Indore
CA. Garg Vijay	Jaipur
CA. Ghia Tarun Jamnadas	Mumbai
CA. Goyal Anuj	Ghaziabad
CA. Guha Sumantra	Kolkata
CA. Gupta Atul Kumar	Delhi
CA. Gupta Naveen N.D.	New Delhi
CA. Gupta Vijay Kumar	Faridabad
CA. Jain Pankaj Inderchand	Mumbai
CA. Jambusaria Nihar Niranjan	Mumbai
CA. Joshi Shriniwas Yeshwant	Mumbai
CA. Kushwah Mukesh Singh	Ghaziabad
CA. Maheshwari Sanjeev Krishnagopal	Mumbai
CA. Murali V.	Chennai
CA. Nanda Charanjot Singh	New Delhi
CA. Raghu K.	Bangalore
CA. Santhanakrishnan S.	Chennai
CA. Sekar G.	Chennai
CA. Shah Dhinal Ashvinbhai	Ahmedabad
CA. Vikamsey Nilesh Shivji	Mumbai
CA. Venkateswarlu J.	Hyderabad
CA. Zaware Shiwaji Bhikaji	Pune

Nominated Members	
Dr. Bhaskar Chatterjee	New Delhi
Mr. Gautam Guha (Upto 6th July, 2014)	New Delhi
Mr. J.S. Deepak	New Delhi
Mr. Manoj Kumar	New Delhi
Mr. P. Sesh Kumar*	New Delhi
Mr. R.K. Jain*	New Delhi
Mr. Salil Singhal	Gurgaon
Mr. Sidharth Kumar Birla	New Delhi
Mr. Sunil Kanoria	New Delhi

(* w.e.f. 7th July, 2014)

ASA & Associates LLP
chartered accountants

www.asa.in

B.M.CHATRATH & CO.
chartered accountants

www.bmchatrath.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and the Income and Expenditure Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and

a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The accounts of the Institute's Decentralized Offices, Computer Centre, Regional Councils and their Branches were audited by other auditors and their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Institute in accordance with the Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that give a true and fair view and

are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors' consider internal control relevant to the Institute's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

ASA & Associates LLP
chartered accountants

www.asa.in

B.M.CHATRATH & CO.
chartered accountants

www.bmchatrath.com

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2014;
b) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and
c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Further, we report that:

a) we have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion proper books of account as required by Chartered Accountants Act, 1949 have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books;

c) the Balance Sheet, Income and Expenditure Account, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

d) in our opinion, the Balance Sheet, Income and Expenditure Account, and Cash Flow Statement comply with the relevant Accounting Standards;

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 009571N/N500006

Sd/-
Parveen Kumar
Partner
Membership No. 088810

For B.M. Chatrath & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No: 301011E

Sd/-
Pankaj Dave
Partner
Membership No. 053903

Place: New Delhi
Date: August 28, 2014

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2014

(Rs. in lacs)

		Notes	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
SOURCES OF FUNDS				
(1)	**Surplus and Earmarked Funds**			
(a)	Reserves and surplus	**3**	**1,02,739.78**	83,732.65
(b)	Earmarked funds	**4**	**20,851.78**	19,355.48
			1,23,591.56	1,03,088.13
(2)	**Non-current liabilities**			
(a)	Other long-term liabilities	**5**	**1,012.83**	1,123.65
(b)	Long-term provisions	**6**	**3,761.85**	3,729.47
			4,774.68	4,853.12
(3)	**Current liabilities**			
(a)	Other current liabilities	**7**	**22,171.36**	20,999.83
(b)	Short-term provisions	**6**	**325.38**	213.03
			22,496.74	21,212.86
TOTAL			**1,50,862.98**	1,29,154.11
APPLICATION OF FUNDS				
(1)	**Non-current assets**			
(a)	Fixed Assets			
i)	Tangible assets	**8**	**46,245.87**	34,915.95
ii)	Intangible assets	**9**	**3.24**	4.31
iii)	Capital work-in-progress		**9,523.17**	17,257.67
			55,772.28	52,177.93
(b)	Non-current investments	**10**	**-**	9,000.00
(c)	Long-term loans and advances	**11**	**2,968.06**	2,887.02
(d)	Other non-current assets	**12**	**109.89**	191.82
			58,850.23	64,256.77
(2)	**Current assets**			
(a)	Current investments	**10**	**77,572.00**	52,730.48
(b)	Inventories	**13**	**1,024.15**	836.84
(c)	Cash and cash equivalents	**14**	**6,885.85**	7,097.68
(d)	Short-term loans and advances	**11**	**3,611.25**	2,469.51
(e)	Other current assets	**15**	**2,919.50**	1,762.83
			92,012.75	64,897.34
TOTAL			**1,50,862.98**	1,29,154.11

See accompanying notes forming part of the financial statements

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Ravi Prakash Mittal	**Sh. T. Karthikeyan**	**CA. Manoj Fadnis**	**CA. K. Raghu**
Deputy Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP	**For B.M. Chatrath & Co**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006	FRN: 301011E
Sd/-	Sd/-
CA. Parveen Kumar	**CA. Pankaj Dave**
Partner	Partner
M.No - 088810	M.No - 053903

Place: New Delhi
Date August 28, 2014

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(Rs. in lacs)

		Notes	For the Year Ended March 31, 2014	For the Year Ended March 31, 2013
I	**Income**			
	a) Fees received	16	**49,558.19**	46,382.88
	b) Seminars participation fees		**6,310.15**	4,495.57
	c) Other income	17	**7,295.46**	6,076.94
	Total Income		**63,163.80**	56,955.39
II	**Expenses**			
	a) Seminars		**5,939.09**	4,271.18
	b) Employee benefit expense	18	**7,693.21**	7,536.10
	c) Printing and stationery		**6,920.53**	6,009.84
	d) Depreciation and amortization expense	8, 9	**2,026.41**	1,431.25
	e) Other expenses	19	**22,988.10**	18,576.93
	Total Expenses		**45,567.34**	37,825.30
III	**Net surplus before prior period adjustments (I-II)**		**17,596.46**	19,130.09
IV	Less: Prior period adjustments		**15.51**	(153.17)
V	**Net surplus after prior period adjustments**		**17,580.95**	19,283.26
VI	Appropriation to funds / reserves			
	a) Education fund [See Note 2.4 (iii)]		**5,916.27**	5,986.33
	b) Employees benevolent fund [See Note 2.4 (iv)]		**37.17**	35.70
	c) General reserve		**11,627.51**	13,261.23
	Total		**17,580.95**	19,283.26

See accompanying notes forming part of the financial statements

CA. Ravi Prakash Mittal	**Sh. T. Karthikeyan**	**CA. Manoj Fadnis**	**CA. K. Raghu**
Deputy Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006

For B.M. Chatrath & Co
Chartered Accountants
FRN: 301011E

CA. Parveen Kumar Dave
Partner
Partner
M.No - 088810

CA. Pankaj
M.No - 053903

Place: New Delhi

Date: August 28, 2014

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(Rs. in lacs)

Particulars	**For the Year Ended March 31, 2014**	For the Year Ended March 31, 2013
Cash Flow from Operating Activities		
Net surplus after prior period adjustments	**17,580.95**	19,283.26
Adjustments for:		
Depreciation and amortisation	**2,026.41**	1,431.25
Assets discarded	**24.06**	29.32
Interest income	**(5,007.76)**	(4,241.77)
Operating surplus before Working Capital changes	**14,623.66**	16,502.06
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in inventories	**(187.31)**	(83.07)
(Increase) /Decrease in loans & advances	**(709.50)**	(884.04)
Increase/(Decrease) in current liabilities	**908.05**	2,236.22
Increase/(Decrease) in provisions	**144.73**	744.56
	14,779.63	18,515.73
Tax Deducted at Source (deducted)/refunded	**(513.28)**	(513.74)
Cash generated from Operating activities (A)	**14,266.35**	18,001.99
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	**(5,492.16)**	(17,350.52)
Acquisition of Investments (Net)	**(15,841.52)**	(7,603.95)
Interest income received[3]	**5,571.75**	5,669.17
Capital receipts	**922.99**	437.24
Cash (used in) Investing activities (B)	**(14,838.94)**	(18,848.06)
Cash Flow from Financing Activities		
Admission fees from new members	**182.82**	258.08
Contribution from members	**177.94**	152.12
Cash from Financing activities (C)	**360.76**	410.20
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**(211.83)**	(435.87)
Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	**7,097.68**	7,533.55
Cash and Cash Equivalents at closing of the year	**6,885.85**	7,097.68

Notes:

1) Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 14).
2) Figures in brackets represent outflows.
3) Includes income (net of expenses) from earmarked funds.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Ravi Prakash Mittal	**Sh. T. Karthikeyan**	**CA. Manoj Fadnis**	**CA. K. Raghu**
Deputy Secretary	Secretary	Vice-President	President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006
Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No - 088810
Place: New Delhi
Date: August 28, 2014

For B.M. Chatrath & Co
Chartered Accountants
FRN: 301011E
Sd/-
CA. Pankaj Dave
Partner
M.No - 053903

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said act, the council of the intitute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For the purpose, the council has so far constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai & New Delhi, 15 Regional Offices and Decentralised Offices and 147 branches. Besided these, an overseas office has also been established in Dubai.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Basis of Accounting

The financial statements are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) to comply with applicable Accounting Standards issued by the Institute. The financial statements are prepared under the historical cost convention on going concern and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year.

2.2 Use of Estimates

The presentation of financial Statements in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosures of contingent liabilities as at the date of the financial statements and the reported amounts of income and expenses during the year. Examples of such estimates include useful life of fixed assets, employee benefits, contingent liabilities etc... Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

2.3 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information

2.4 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.

ii) Donations received for buildings and for research are credited directly to the respective reserve account.

iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.

v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

a) From Accounting Research Building Fund100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building relating to Accounting Research Building Fund

b) From Education Fund 50% of cost of additions (net of deductions if any) to other Fixed Asset

vi) Income from investments of Earmarked Funds is added directly to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective Earmarked Funds on Weighted Average basis

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.5 Fixed Assets

i) Tangible Assets

Tangible assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). The cost of an asset includes the purchase cost of materials, including import duties and non-refundable taxes, and any directly attributable costs of bringing an asset to the location and condition of its intended use. The cost of leasehold land includes the amounts paid for acquiring leasehold rights. Subsequent expenditure relating to tangible assets are capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

Freehold land is not depreciated. Cost of Leasehold land is amortised over the primary lease period. Depreciation on all other tangible fixed assets are provided on a written down value method based on the estimated useful life at the following rates as approved by the Council of the Institute.

Class of Assets		Rate of Depreciation
i)	Buildings	5%
ii)	Air conditioners	15%
iii)	Electrical Installations and Fittings	10%
iv)	Furniture and Fixtures	10%
v)	Office Equipments	15%
vi)	Computers	60%
vii)	Lifts	10%
viii)	Vehicles	20%
ix)	Library Books	100%

ii) Intangible Assets

Intangible assets are stated at acquisition cost, less accumulated amortisation and accumulated impairment (if any). The cost of an intangible asset includes purchase cost (net of rebates and discounts), including any import duties and non-refundable taxes, and any directly attributable costs on making the asset ready for its intended use. Subsequent expenditure on an intangible asset after its purchase / completion is recognised as an expense when incurred unless it is probable that such expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably, in which case such expenditure is added to the cost of the asset.

The Cost of Intangible assets are amortised on a straight line basis over their estimated useful life of three

iii) Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which are not ready for their intended use are carried at cost less impairment (if any), under Capital work-in-progress. The cost includes the purchase cost of materials, including import duties and non-refundable taxes, any directly attributable costs .

2.6 Investments

Investments in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. The investments are available for use freely at the discretion of the council of the Institute except to the extent of total of the Earmarked and Employee benefit funds.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.7 Inventories

a) Inventory of publications, study materials, stationery and other stores are valued at lower of cost and net realisable value. Cost of inventory is determined on First In First Out (FIFO) method.

b) A provision of 100% is made on the cost of stock of old study material and Institute's publications older than one year. Further, a provision of 25% is made on the cost of remaining stock of BOS publications.

2.8 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprises of cash on hand and balances in current and savings deposits accounts with banks.

2.9 Revenue recognition

i) Membership Fee

a) One third of Entrance Fee collected at the time of admission of person as member recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.

b) Annual Membership and Certificate of Practice Fee are recognised as income in the year in which they become due.

ii) Distance education and post qualification course fee are recognised over the duration of the respective courses.

iii) Examination fee is recognised on the basis of conduct of the respective examinations.

iv) Subscription for the journal is recognised as income in the year in which they become due.

v) "Income from sale of publication are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincides with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts

and other sales related taxes (if any).

"

vi) Interest income from bank deposits and loans to employees are recognised on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

2.10 Foreign Currency Transaction

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency ie., Indian Rupees using the exchange rates prevailing on the date of transactions. Monetary assets and liabilities in currencies other than the reporting currency remaining unsettled are remeasured at the rates of exchange prevailing at the balance sheet date. Exchange difference arising on the settlement of monetary items, and on the remeasurement of monetary items are included in the statement of income and expenditure.

2.11 Impairment of assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure .

2.12 Employee benefits

i) Short term employee benefits

Short term employee benefits like salary, allowances, exgratia are recognised as expenses in the year in which the related services are rendered.

ii) Defined Contribution Plans

Defined contribution plans are those plans where the Institute pays fixed contributions to Provident fund managed by independent trust. Contributions are paid in return for services rendered by the employees during the year and recognised as expenses in line with salary and allowances. The Institute has no legal or constructive obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay/extend benefits to the Employees.

iii) Defined Benefits Plans

The Institute provides gratuity, post retirement pension and compensated absence to its employees. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India. The liabilities towards compensated absence and post retirement pension are not funded. The present value of these defined benefit obligations are ascertained by an independent actuarial valuation as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits. The liability recognised in the balance sheet is the present value of the defined benefit obligations on the balance sheet date less the fair value of plan assets (for funded plans) together with adjustments for unrecognised past service costs. Past service costs is recognised immediately to the extent that the benefits are vested. All actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in full in the year in which they occur.

2.13 Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets

i) Provision

A provision is recognised when the Company has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii) Contingent Liabilities and assets

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one are more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

3. Reserves and surplus

(Rs. in lacs)

As at March 31, 2014	**Education**	**Infrastructure**	**General**	**Others***	**Total**
Balance at beginning of the year	**23,092.77**	**4,160.54**	**55,896.74**	**582.60**	**83,732.65**
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	**-**	**-**	**11,627.51**	**-**	**11,627.51**
	23,092.77	**4,160.54**	**67,524.25**	**582.60**	**95,360.16**
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	**-**	**16.21**	**(25.85)**	**9.64**	**-**
Transfer from / (to) Earmarked Funds	**6,647.25**	**-**	**(177.75)**	**(1.23)**	**6,468.27**
Admission fees and allocated Entrance fees	**-**	**182.82**	**-**	**-**	**182.82**
Donation received for buildings	**-**	**177.94**	**-**	**-**	**177.94**
Net (depletion)/addition	**-**	**32.81**	**504.74**	**13.04**	**550.59**
Balance at end of the year	**29,740.02**	**4,570.31**	**67,825.39**	**604.05**	**1,02,739.78**

As at March 31, 2013	Education	Infrastructure	General	Others*	Total
Balance at beginning of the year	18,151.77	3,712.12	42,917.63	560.23	65,341.75
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	13,261.23	-	13,261.23
	18,151.77	3,712.12	56,178.86	560.23	78,602.98
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	13.65	(26.51)	12.86	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	4,941.00	18.48	(330.09)	(0.76)	4,628.63
Admission fees and allocated Entrance fees	-	258.08	-	-	258.08
Donation received for buildings	-	152.12	-	-	152.12
Net (depletion)/addition	-	6.09	74.48	10.27	90.84
Total	23,092.77	4,160.54	55,896.74	582.60	83,732.65

* Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Class Room Training Reserves.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

4. Earmarked Funds

(Rs. in lacs)

As at March 31, 2014	**Research Funds**	**Accounting Research Building Fund**	**Education Fund**	**Medals and Prizes Funds**	**Students Scholarship Funds**	**Employees Benevolent Fund**	**Other Funds (Regional Council and Branches)**	**Total**
Balance at beginning of the year	**1,602.65**	**555.86**	**14,088.27**	**171.42**	**89.06**	**340.99**	**2,507.23**	**19,355.48**
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	**-**	**-**	**5,916.27**	**-**	**-**	**37.17**	**-**	**5,953.44**
Transfer from/(to) Reserves and Surplus	**-**	**-**	**(6,647.25)**	**-**	**-**	**-**	**178.98**	**(6,468.27)**
Contribution received/Addition during the year	**0.85**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**371.55**	**372.40**
Income during the year	**156.26**	**54.20**	**1,373.61**	**16.71**	**8.68**	**33.25**	**174.36**	**1,817.07**
Payments during the year	**-**	**-**	**-**	**(11.94)**	**(6.50)**	**(1.31)**	**(158.59)**	**(178.34)**
Balance at end of the year	**1,759.76**	**610.06**	**14,730.90**	**176.19**	**91.24**	**410.10**	**3,073.53**	**20,851.78**

As at March 31, 2013	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Employees Benevolent Fund	Other Funds (Regional Council and Branches)	Total
Balance at beginning of the year	1,477.71	508.89	11,940.80	182.95	85.21	280.58	1,809.42	16,285.56
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	-	-	5,986.33	-	-	35.70	-	6,022.03
Transfer from/(to) Reserves and Surplus	-	-	(4,941.00)	-	-	-	312.37	(4,628.63)
Contribution received/Addition during the year	-	-	-	-	4.82	-	341.58	346.40
Income during the year	136.39	46.97	1,102.14	16.89	7.86	25.90	117.75	1,453.90
Payments during the year	(11.45)	-	-	(28.42)	(8.83)	(1.19)	(73.89)	(123.78)
Balance at end of the year	1,602.65	555.86	14,088.27	171.42	89.06	340.99	2,507.23	19,355.48

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

(Rs. in lacs)

5. Other Long-term Liabilities	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
Income received in advance		
a) Fees received in advance	1,002.08	1,110.96
b) Journal subscription received in advance	10.75	12.69
Total	1,012.83	1,123.65

6. Provisions	As at March 31, 2014		As at March 31, 2013	
	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term
Provisions for employee benefits				
a) Post employment defined benefits				
i) Gratuity	-	-	6.89	-
ii) Pension	1,401.89	3.93	1,483.26	5.49
b) Other Long-term employee benefits	2,359.96	321.45	2,239.32	207.54
Total	3,761.85	325.38	3,729.47	213.03

7 Other Current Liabilities	As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
a) Income received in advance		
i) Examination fees	4,471.35	3,831.00
ii) Journal subscription	23.45	20.01
iii) Membership fees	637.43	899.56
iv) Education fees	9,848.28	9,759.76
v) Post Qualification Courses fees	144.96	163.81
vi) Certificate Courses fees	8.70	0.80
vii). Seminar fees and Other collections	1,718.57	1,765.70
	16,852.74	16,440.64
b) Expenses and other payables	3,175.54	3,058.67
c) Other liabilities		
i) Creditors for purchase of fixed assets	166.16	13.50
ii) Employees recoveries and employer's contributions	84.87	62.72
iii) Statutory dues	185.97	183.92
iv) Deposits	488.84	355.35
v) Others	1,217.24	885.03
	2,143.08	1,500.52
Total	22,171.36	20,999.83

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH **31, 2014**

8. Tangible Assets

(Rs. in lacs)

As at March 31, 2014	**Freehold Land**	**Leasehold Land**	**Buildings**	**Electrical Installation and Fittings**	**Computers**	**Air Conditioners**	**Furniture and Fixtures**	**Lifts**	**Office Equipment**	**Vehicles**	**Library Books**	**Total**
Cost at beginning of the year	**15,376.02**	**3,700.80**	**13,421.04**	**1,250.76**	**3,759.81**	**1,385.64**	**3,055.39**	**301.31**	**2,098.67**	**102.59**	**759.12**	**45,211.15**
Additions	**164.76**	**784.27**	**11,096.41**	**82.66**	**328.21**	**164.49**	**431.09**	**12.38**	**240.61**	**2.00**	**70.94**	**13,377.82**
Deletions	**-**	**-**	**-**	**(3.22)**	**(43.50)**	**(8.59)**	**(26.58)**	**-**	**(2.16)**	**(0.09)**	**(0.68)**	**(84.82)**
Cost at the end of the year	**15,540.78**	**4,485.07**	**24,517.45**	**1,330.20**	**4,044.52**	**1,541.54**	**3,459.90**	**313.69**	**2,337.12**	**104.50**	**829.38**	**58,504.15**
Depreciation at beginning of the year	**-**	**354.52**	**2,181.55**	**579.50**	**3,477.92**	**659.49**	**1,117.86**	**120.00**	**981.11**	**64.13**	**759.12**	**10,295.20**
Charge for the year	**-**	**63.96**	**1,012.47**	**73.45**	**249.73**	**120.46**	**219.88**	**18.13**	**186.92**	**7.90**	**70.94**	**2,023.84**
Deletions	**-**	**-**	**-**	**(1.89)**	**(40.38)**	**(6.08)**	**(11.23)**	**-**	**(0.43)**	**(0.07)**	**(0.68)**	**(60.76)**
Depreciation at end of the year	**-**	**418.48**	**3,194.02**	**651.06**	**3,687.27**	**773.87**	**1,326.51**	**138.13**	**1,167.60**	**71.96**	**829.38**	**12,258.28**
Net book value at beginning of the year	**15,376.02**	**3,346.28**	**11,239.49**	**671.26**	**281.89**	**726.15**	**1,937.53**	**181.31**	**1,117.56**	**38.46**	**-**	**34,915.95**
Net book value at end of the year	**15,540.78**	**4,066.59**	**21,323.43**	**679.14**	**357.25**	**767.67**	**2,133.39**	**175.56**	**1,169.52**	**32.54**	**-**	**46,245.87**

As at March 31, 2013	Freehold Land	Leasehold Land	Buildings	Electrical Installation and Fittings	Computers	Air Conditioners	Furniture and Fixtures	Lifts	Office Equipment	Vehicles	Library Books	Total
Cost at beginning of the year	9,047.92	3,226.00	11,447.70	1,141.07	3,630.32	1,254.63	2,675.28	280.32	1,852.69	92.80	685.53	35,334.26
Additions	6,328.10	476.11	1,973.34	117.02	195.48	134.77	389.99	26.37	250.10	9.33	72.48	9,973.09
Deletions	-	(1.31)	-	(7.33)	(65.99)	(3.76)	(9.88)	(5.38)	(4.12)	0.46	1.11	(96.20)
Cost at the end of the year	15,376.02	3,700.80	13,421.04	1,250.76	3,759.81	1,385.64	3,055.39	301.31	2,098.67	102.59	759.12	45,211.15
Depreciation at beginning of the year	-	298.58	1,696.22	512.63	3,307.68	544.76	922.52	101.99	808.56	54.65	685.53	8,933.12
Charge for the year	-	56.04	485.33	68.36	228.27	116.73	198.72	18.01	175.63	9.39	72.48	1,428.96
Deletions	-	(0.10)		(1.49)	(58.03)	(2.00)	(3.38)		(3.08)	0.09	1.11	(66.88)
Depreciation at end of the year	-	354.52	2,181.55	579.50	3,477.92	659.49	1,117.86	120.00	981.11	64.13	759.12	10,295.20
Net book value at beginning of the year	9,047.92	2,927.42	9,751.48	628.44	322.64	709.87	1,752.76	178.33	1,044.13	38.15	-	26,401.14
Net book value at end of the year	15,376.02	3,346.28	11,239.49	671.26	281.89	726.15	1,937.53	181.31	1,117.56	38.46	-	34,915.95

9. Intangible Assets **(Rs. in lacs)**

As at March 31, 2014	**Software**	**Total**
Cost at beginning of the year	**592.63**	**592.63**
Additions	**1.50**	**1.50**
Deletions	**-**	**-**
Cost at end of the year	**594.13**	**594.13**
Amortisation at beginning of the year	**588.32**	**588.32**
Charge for the year	**2.57**	**2.57**
Amortisation at end of the year	**590.89**	**590.89**
Net book value at beginning of the year	**4.31**	**4.31**
Net book value at end of the year	**3.24**	**3.24**

As at March 31, 2013	Software	Total
Cost at beginning of the year	587.52	587.52
Additions	5.11	5.11
Deletions	-	-
Cost at end of the year	592.63	592.63
Amortisation at beginning of the year	586.03	586.03
Charge for the year	2.29	2.29
Amortisation at end of the year	588.32	588.32
Net book value at beginning of the year	1.49	1.49
Net book value at end of the year	4.31	4.31

	As at March 31, 2014		As at March 31, 2013	
	Non-current	**Current**	Non-current	Current
10. Investments				
Fixed deposits with banks	**-**		9,000.00	52,730.48
		77,572.00		
	-		9,000.00	52,730.48
		77,572.00		
Earmarked Investments				
- For Earmarked funds	**-**		9,000.00	10,355.48
		20,851.78		
- For Employee benefits	**-**	**4,087.23**	-	3,942.50

(Rs. in lacs)

		As at March 31, 2014		As at March 31, 2013	
		Non-current	Current	Non-current	Current
11.	**Loans and Advances**				
a)	Security Deposits	**270.04**	**-**	254.93	-
b)	Advance payment of tax	**1,640.14**	**675.15**	1,802.01	-
c)	Other loans and advances				
i)	Retirement benefit assets	**-**	**45.99**	-	-
ii)	Loans and advances to Employees	**813.63**	**477.19**	830.08	232.19
iii)	Other receivables	**244.25**		-	2,237.32
			2,412.92		
	Total	**2,968.06**	**3,611.25**	2,887.02	2,469.51

		As at March 31, 2014	As at March 31, 2013
12.	**Non-current assets**		
a)	Interest accrued on bank deposits	**-**	64.82
b)	Interest accrued on loans to employees	**109.89**	127.00
	Total	**109.89**	191.82
13.	Inventories		
a)	Publication and Study Materials	**931.97**	745.23
b)	Stationery and Stores	**92.18**	91.61
	Total	**1,024.15**	836.84
14.	**Cash and Cash equivalents**		
a)	Cash on hand	**33.17**	19.18
b)	Balances with banks	**6,852.68**	7,078.50
	Total	**6,885.85**	7,097.68
15.	**Other Current Assets**		
a)	Interest accrued on bank deposits	**2,916.40**	1,754.52
b)	Interest accrued on loans to employees	**3.10**	8.31
	Total	**2,919.50**	1,762.83

		For the Year Ended March 31, 2014	For the Year Ended March 31, 2013
16.	**Fees received**		
a)	Education	**31,453.13**	28,952.88
b)	Examination	**10,061.30**	9,771.42
c)	Membership	**5,119.68**	4,877.54
d)	Students' registration	**713.69**	706.93
e)	Entrance	**62.12**	104.06
f)	Students' Association	**535.42**	530.33
g)	Post Qualification Courses	**624.74**	555.41
h)	Certificate Courses	**988.11**	884.31
	Total	**49,558.19**	46,382.88

(Rs. in lacs)

		For the Year Ended March 31, 2014	For the Year Ended March 31, 2013
17.	**Other Income**		
a)	Publications	**935.61**	945.71
b)	Interest received on investments	**4,940.76**	4,225.26
c)	Interest received from loans to employees	**67.00**	16.51
d)	Students' Newsletter	**6.30**	1.85
e)	Journal Subscription	**154.84**	151.75
f)	News Letters - Regional Councils and Branches	**55.81**	46.73
g)	Campus Interview	**398.43**	264.86
h)	Expert Advisory Fee	**16.04**	4.25
i)	Provision no longer required written back	**10.29**	8.12
j)	Others	**710.38**	411.90
	Total	**7,295.46**	6,076.94
18.	**Employee Benefit Expense**		
a)	Salary, Pension and other allowances	**7,185.07**	6,693.07
b)	Contribution to Provident and other funds	**397.74**	740.29
c)	Staff Welfare Expenses	**110.40**	102.74
	Total	**7,693.21**	7,536.10
19.	**Other Expenses**		
a)	Postage and Telephone	**2,512.90**	2,377.86
b)	Rent, rates and taxes	**2,767.68**	2,482.38
c)	Travelling and Conveyance - Domestic	**1,487.27**	1,057.72
d)	Overseas Relations		
	i) Overseas Travelling	**217.09**	223.07
	ii) Membership fees for Foreign Professional Bodies	**337.68**	156.26
	iii) Others	**31.04**	61.48
e)	Repairs and Maintenance	**1,547.91**	1,381.48
f)	Publications	**962.49**	802.29
g)	Professional fee paid to Consultants and Examiners	**6,643.88**	5,165.97
h)	Class room training expenses	**4,443.52**	2,889.62
i)	Advertisement and Publicity	**255.49**	325.74
j)	Meeting Expenses	**178.01**	102.12
k)	Merit Scholarship	**87.18**	70.26
l)	Audit Fees		
	i) Head Office	**5.62**	5.62
	ii) Other Offices	**21.40**	19.39
m)	Other Expenses	**1,488.94**	1,455.67

Total	**22,988.10**	18,576.93

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

20. Additional information to the Financial Statements

20.1 Contingent liabilities and commitments

(Rs in Lacs)

		"As at March 31, 2014"	"As at March 31, 2013"
i)	Claims against the Institute not acknowledged as debts	1,439.87	2,889.67
ii)	Capital commitments (net of advances)	9,401.72	6,253.86

20.2 a) The Central Board of Direct Taxes granted exemption u/s 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961 to the Institute up to Financial Year 2004-05. Renewal applications for subsequent years i.e. Financial Year 2005-06 to 2010-11 were rejected by Director General of Income Tax ("DGIT")(E) against which Institute has filed Writ Petitions before the Hon'ble Delhi High Court. The Hon'ble High Court vide Order dated 4th July 2013 directed DGIT(E) to allow exemption to the Institute for the Financial Years 2005-06 to 2010-11. Subsequently, DGIT(E), following the order of Hon'ble High Court allowed exemption to the Institute for the Financial year 2011-12 and Onwards. The Income Tax Department filed three Special Leave Petitions (SLP) before the Hon'ble Supreme Court against the order of the Hon'ble Delhi High Court dated 4th July 2013. Two SLPs were heard on 27th January 2014 and the Hon'ble Supreme Court dismissed those SLPs. Moreover, two SLPs filed by the Institute against the Orders of Hon'ble High Court wherein the Hon'ble High Court held that the activities of the Institute fall under the category of "advancement of any other object of general public utility instead of " Educational" claimed by the Institute within the meaning of "Charitable Purpose" as defined in section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 are pending for adjudication.

b) The Institute is registered under section 12A of the Income Tax Act, 1961 and also eligible for exemption under section 11 of the Act. In financial year 2009-10 relevant to the assessment year 2010-11, the assessing Officer denied Exemption u/s 11 of the Act and raised demand of Rs. 51,69,86,410/-. The Institute filed appeal against the said Order before CIT (A) who allowed the Appeal vide Order dated 12th September 2013. The Department filed appeal before Hon'ble ITAT against the said order which is pending. On similar grounds, Honourable ITAT had dismissed the appeal of the Revenue in Assessment Year 2009-10, vide order dated 17th April, 2014.

20.3 During the financial year 2012-13, a sum of Rs.975 lac was paid to M/s. Luxora Infrastructure Pvt. Ltd. towards the then proposed Centre of Excellence Project in Nagpur through two separate Principal and Supplementary Agreements. Later, Supplementary Agreement was cancelled by executing Deed of Cancellation dated 1st August 2013 and Principal Agreement was cancelled vide execution of Deed of Cancellation on 30th October 2013. The said sum of Rs. 975 lac has since been received in full from M/s. Luxora Infrastructure Pvt. Ltd.

Subsequent to cancellations of Principal Agreement and Supplementary Agreement, the Institute has filed two applications seeking refund of stamp duty paid on Agreement dated 3rd August 2012 and Supplementary Agreement dated 17th September 2012 i.e. Rs.197 lac and Rs.46.75 lac respectively, before Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The said applications were rejected by JDR, Nagpur vide its Order dated 31st January 2014. The Institute, being aggrieved by the aforesaid Orders, has filed two Appeals before chief Controlling Revenue Authority, Pune under Section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the said Orders passed by JDR, Nagpur. The aforesaid Appeals filed by the Institute are still pending.

The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty. Accordingly an amount of Rs. 243.75 lac for Stamp Duty is included in other Receivable in Note 11 Long-term loans and advances.

20.4 Directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

20. Additional information to the Financial Statements

20.5 "Out of the fee received from the students towards Students Association fee, a sum of Rs.250 per student, in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

"

20.6 "Leasehold land value includes Rs. 6.17 Lac paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.

"

20.7 "The Institute has undertaken the project referred as 'Project Parivartan' ('the project') aimed at computerisation of the Institute's entire activities at all levels. The vendors have been appointed, after due process, including for development, implementation and maintenance of IT Software Applications and provisioning, implementation and maintenance of IT Infrastructure at a total cost of about Rs. 39.81 crores. Against this estimated cost, Rs 8.08 crores has been paid as at March 31, 2014 and accounted as Capital Work-in-Progress. The Contingent Liability for the project as at March 31, 2014, is Rs 9.06 Crores.

Meanwhile, a designated supplier did not carry out the systems development as per the contractual obligations and to the satisfaction of the Institute.The same is under negotiation with that supplier. Pending completion of negotiations with the said supplier, the Institute has not accounted for the value of the hardware not accepted and software licenses not effectively handed over, in the financial statements. A designated Group of Council Members constituted for the purpose is exploring the feasibility for revival of the project.

In accordance with the Accounting Standard on Impairment of Assets, (AS - 28), the Institute has made assessment of the project' use and future viability.Hence no impairment provision is considered necessary at this stage."

20.8 Capital Work in Progress includes capital advances.

20.9 A piece of land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by HUDA (Harayana).

20.10 "Previous year's figures have been re-grouped and re-classified where considered necessary to make them comparable with those of the current year.

"

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

21. Disclosure under Accounting Standards

21.1 Employee Benefits

Defined Contribution plans

The Institute has recognised an amount of **Rs. 326.37 lacs** for the year ended 31st March 2014 (Previous year Rs.207.50 lacs) towards contribution to Provident Fund.

Defined Benefit plans

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity :	Funded
Post retirement Pension :	Non-Funded
Compensated Absence:	Non-Funded

Details of the Gratuity Plan are as follows **(Rs. in lacs)**

	Description	2013-14	2012-13
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**		
	a. Obligation as at beginning of the year	**1,957.11**	1,385.79
	b. Current service cost	**146.84**	134.94
	c. Interest cost	**171.05**	108.57
	d. Actuarial (gain)/loss	**(62.79)**	467.26
	e. Benefits paid	**(154.75)**	(139.45)
	f. Obligation as at end of the year	**2,057.46**	1,957.11
2.	**Change in fair value of plan assets**		
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	**1,950.22**	1,808.60
	b. Expected return on plan assets	**174.15**	166.50
	c. Actuarial gain/(loss)	**9.58**	11.48
	d. Contributions made by the Institute	**91.27**	105.25
	e. Benefits paid	**(121.77)**	(141.61)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	**2,103.45**	1,950.22
3.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**		
	a. Present value of obligation	**2,057.46**	1,957.11
	b. Fair value of plan assets	**2,103.45**	1,950.22
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	**45.99**	(6.89)
4.	**Expenses recognised during the year**		
	a. Current service cost	**146.84**	134.94
	b. Interest cost	**171.05**	108.57
	c. Expected return on plan assets	**(174.15)**	(166.50)
	d. Actuarial (gain)/loss	**(72.37)**	455.78
	e. Expenses recognised during the year	**71.37**	532.79
5.	**Investment details**	**% invested**	% invested
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	**100.00**	100.00
		100.00	100.00

Details of the Gratuity Plan (Contd…)

	Description	2013-14	2012-13
6.	**Assumptions**		
	a. Discount rate (per annum)	**9%**	8%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	**9%**	9%
	c. Rate of escalation in salary	**Basic 3% : DA 6%**	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition Rate	**5%**	5%
	e. Mortality table	IAL 2006-08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate

Details of the Post Retirement Pension Plans **(Rs. in lacs)**

	Description	2013-14	2012-13
1.	Reconciliation of opening and closing balances of obligation		
	a. Obligation as at beginning of the year	**1,488.75**	1,065.39
	b. Interest cost	**133.89**	86.65
	c. Actuarial (gain)/loss	**(214.74)**	341.13
	d. Benefits paid	**(2.08)**	(4.42)
	e. Obligation as at end of the year	**1,405.82**	1,488.75
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**		
	a. Present value of obligation	**1,405.82**	1,488.75
	b. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	**(1,405.82)**	(1,488.75)
3.	**Expenses recognised during the year**		
	a. Interest cost	**133.89**	86.65
	b. Actuarial (gain)/loss	**(214.74)**	341.13
	c. Expenses recognised during the year	**(80.85)**	427.78
4.	**Assumptions**		
	a. Discount rate (per annum)	**9%**	8%
	c. Rate of escalation in salary	**Basic 3%**	Basic 3%
	d. Attrition Rate	**5%**	5%
	e. Mortality table	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

Details of the Compensated absences **(Rs. in lacs)**

	Description	2013-14	2012-13
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**		
	a. Obligation as at beginning of the year	**2,446.85**	2,132.55
	b. Current service cost	**217.60**	133.93
	c. Interest cost	**199.24**	158.04
	c. Actuarial (gain)/loss	**(82.51)**	101.66
	d. Benefits paid	**(99.77)**	(79.33)
	e. Obligation as at end of the year	**2,681.41**	2,446.85
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**		
	a. Present value of obligation	**2,681.41**	2,446.85
	b. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	**(2,681.41)**	(2,446.85)
3.	**Expenses recognised during the year**		
	a. Interest cost	**199.24**	158.04
	b. Actuarial (gain)/loss	**(82.51)**	101.66
	c. Expenses recognised during the year	**116.73**	259.70

4. Assumptions		
a. Discount rate (per annum)	**9%**	8%
c. Rate of escalation in salary	**Basic 3% : DA 6%**	Basic 3% : DA 6%
d. Attrition Rate	**5%**	5%
e. Mortality table	IAL 2006.08 Ultimate	IAL 2006-08 Ultimate

21.2 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "furtherance of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

21.3 Prior-period items

	For the Year Ended March 31, 2014	For the Year Ended March 31, 2013
	(Rs. in lacs)	(Rs. in lacs)
Break up of Prior-period items		
i) Income	**93.33**	26.66
a) Project Parivartan	**(96.88)**	(229.68)
b) Service Tax	**25.59**	-
c) Others	**180.13**	103.17
	108.84	(126.51)
	15.51	(153.17)

Sd/- Sd/- Sd/- Sd/-

CA. Ravi Prakash Mittal — Deputy Secretary

Sh. T. Karthikeyan — Secretary

CA. Manoj Fadnis — Vice-President

CA. K. Raghu — President

As per our Report attached

For ASA & Associates LLP
Chartered Accountants
FRN: 009571N/N500006
Sd/-
CA. Parveen Kumar
Partner
M.No - 088810
Place: New Delhi
Date: August 28, 2014

For B.M. Chatrath & Co
Chartered Accountants
FRN: 301011E
Sd/-
CA. Pankaj Dave
Partner
M.No - 053903

T. KARTHIKEYAN, Secy.
[ADVT-III/4/Exty./104/14]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.